सत्यमेव जयते

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक
वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

जागो ग्राहक जागो

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1800-11-4000 (Toll Free)
और **1915**

@consaff
@jagograhakjago

Azadi Ka Amrit Mahotsav

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

विषय सूची

अध्याय सं.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1.	विभाग और उसे दिया गया अधिदेश	1–14
2.	उपभोक्ता मामले विभागः सिंहावलोकन	15–36
3.	उपभोक्ता हिमायत	37–44
4.	उपभोक्ता संरक्षण	45–52
5.	उपभोक्ता विवाद निवारण	53–68
6.	उपभोक्ता सहकारिताएं	69–74
7.	भारतीय मानक ब्यूरो	75–124
8.	राष्ट्रीय परीक्षणशाला	125–160
9.	बाट एवं माप	161–188
10.	मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी)	189–210
11.	आवश्यक वस्तु विनियमन और प्रवर्तन	211–218
12.	बजट एवं वित्तिय पुनरीक्षा	219–224
13.	राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन	225–232
14.	नागरिक केंद्रित ई–गवर्नेंस पहल	233–244
15.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/ महिला /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	245–248
16.	दिव्यांगजनों के लाभार्थ स्कीमें	249.254
17.	पूर्वोत्तर राज्यों में की गई पहल	255–260

अध्याय–1

विभाग और उसे दिया गया अधिदेश

विभाग को निम्नलिखित के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है:–

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (उन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मूल्य और वितरण से संबंधित कार्य जिनके संबंध में किसी अन्य विभाग द्वारा विशेष रूप से कार्रवाई नहीं की जाती है)।
- चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980;
- विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009;
- पैकबंद वस्तुओं का विनियमन
- बाट और माप के मानक
- मूल्य स्थिरीकरण कोष
- संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952
- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016
- उपभोक्ता सहकारिताएं
- मूल्यों और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की निगरानी
- राष्ट्रीय परीक्षणशाला

1.1 विजन

विभाग के विजन इस प्रकार हैं:

- समय पर और प्रभावी उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रदान करना
- गुणवत्ता और माप के कदाचार की रोकथाम
- उचित मूल्य पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना

- उपभोक्ता संरक्षण से आगे उपभोक्ता समृद्धि की ओर बढ़ना

1.2 कार्यात्मक और संगठनात्मक ढाँचा

- श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री जी ने दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 को कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री अश्विनी कुमार चौबे, राज्य मंत्री।
- श्री रोहित कुमार सिंह, आईएएस, सचिव (उपभोक्ता मामले) ने 31 दिसंबर, 2021 को पदभार ग्रहण किया।
- विभाग में दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार के अलावा एक अपर सचिव, एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार और एक सलाहकार (लागत) तैनात हैं। विभाग का संगठन चार्ट **अनुलग्नक–1** पर है।

1.3 नागरिक आधार पत्र (सिटिज़न चार्टर)

- उपभोक्ता मामले विभाग का सिटिजन चार्टर, जो उपभोक्ताओं और जनता के हित में उपभोक्ता मामले विभाग की नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हासिल करने के प्रति उपभोक्ता मामले विभाग की प्रतिबद्धता की घोषणा है, http://consumeraffairs.nic.in पर उपलब्ध है। इस दस्तावेज को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

1.4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना को विभाग की वेबसाइट http://consumeraffairs.nic.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। अधिनियम के तहत जनता को सूचना प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रभागों के लिए संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विवरण सहित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों की सूची भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति और केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजी गई रिपोर्ट के ब्यौरे आदि को भी वेबसाइट में सूचना का अधिकार खंड के अंतर्गत दर्शाया गया है। दिनांक 22 मई, 2013 से आर.टी.आई. वेब पोर्टल आरंभ होने के उपरान्त ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आर.टी.आई. आवेदनों और प्रथम अपीलों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है। जनवरी 2023 से जनवरी 2024 के दौरान विभाग में ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से 1478 आर.टी.आई. आवेदन और 93 प्रथम अपीलें

प्राप्त हुई। इनमें से 1421 आरटीआई आवेदनों और 82 प्रथम अपीलों का निपटान वर्ष के दौरान किया गया। आवेदकों द्वारा किये गये आर.टी.आई. आवेदनों और प्रथम अपीलों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए, विभाग के तहत कार्य कर रहे अधीनस्थ कार्यालयों, जैसे राष्ट्रीय परीक्षणशाला और भारतीय मापविज्ञान, भारतीय मानक ब्यूरो जैसे स्वायत संगठन और राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रति आयोग जैसे अर्द्ध–न्यायिक निकायों को जनवरी, 2017 से ऑनलाइन आर.टी.आई., एम.आई.एस., नेटवर्क से जोड़ा गया है।

- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक खरीद के सभी निविदा नोटिस और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जीईएम पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं।

1.5 सतर्कता

1. सतर्कता को चौकसी और सावधानी के रूप में परिभाषित किया जाता है। सतर्कता प्रशासन, किसी भी संगठन में एक निरीक्षण तंत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य खंड कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, प्रबंधन के किसी भी अन्य कार्य, जैसे वित्त, कार्मिक, प्रचालन आदि की तरह एक अभिन्न कार्य है। सतर्कता प्रशासन में अग्रसक्रिय सतर्कता, निवारक सतर्कता, भावी सतर्कता, जासूसी सतर्कता, दंडात्मक सतर्कता और सुधारात्मक सतर्कता शामिल हैं।

2. उपभोक्ता मामले विभाग का सतर्कता अनुभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), जो भारत सरकार का शीर्ष संगठन है, जो भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और सार्वजनिक जीवन में शुचिता को नियंत्रित करता है, के सामान्य अधीक्षण के तहत संगठन में सतर्कता गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह उपभोक्ता मामले विभाग में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता कार्यों को पूरा करता है। विभाग में एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) है। श्री अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव को उनके पद के लिए सौंपे गए सामान्य कार्यों के अलावा मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। संयुक्त निदेशक (सतर्कता), अवर सचिव (सतर्कता) और सतर्कता अनुभाग जांच, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अन्य अनुवर्ती कार्रवाई के संचालन में सीवीओ की सहायता करते हैं।

3. भारतीय मानक ब्यूरो, जो विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है; राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, जो विभाग के तहत एक बहु–राज्यीय सहकारी संगठन है और राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एनटीएच), जो विभाग के तहत एक अधीनस्थ संगठन है सतर्कता मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रगति रिपोर्ट भेजने के अलावा सतर्कता मामलों में विभाग के सीवीओ को रिपोर्ट करते हैं। भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची जो विभाग के तहत

एक अधीनस्थ संगठन है में सतर्कता अधिकारी को भी नियुक्त किया गया है, जो सतर्कता संबंधी मामलों और सतर्कता निकासी जारी करने में सीवीओ के साथ समन्वय करता है।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए:

सलाह के लिए यूपीएससी को भेजे गए मामलों की संख्या	1
प्रथम चरण की सलाह के लिए सीवीसी को भेजे गए मामलों की संख्या	0
दी गई सतर्कता निकासी की संख्या	163
दीर्घ शास्ति के लिए शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही	0
लघु शास्ति के लिए शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही	1
निलंबन	0
अचल संपत्ति में लेनदेन के संबंध में प्राप्त सूचनाएं	11
चल संपत्ति में लेनदेन के संबंध में प्राप्त सूचनाएं	8
अदालती मामले	2
अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं	0
प्राप्त अचल संपत्ति विवरणी	105

1.6 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)

नागरिक केंद्रित सेवाओं को पारदर्शी और कुशल तरीके से प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान कई डिजिटल पहल की गई हैं। प्रोसेस री–इंजीनियरिंग को कई मानवीय कार्यों के लिए लागू किया गया है और व्यवसाय करने में सुगमता के लिए समाधान ऑनलाइन किए गए हैं। नवीनतम तकनीक को लागू करने के लिए कई मौजूदा सॉफ़्टवेयर/पोर्टलों की समीक्षा की गई है और मौजूदा सॉफ़्टवेयर के नए संस्करण तैयार किए गए हैं। इसने जी से सी और जी से बी दोनों प्रक्रियाओं के प्रोसेसिंग के समय को प्रभावी ढंग से कम किया है।

i उपभोक्ता हेल्पलाइन सॉफ्टवेयर का एक नया संस्करण लॉन्च किया गया (https://consumerhelpline.gov.in) जिसमें उपभोक्ता शिकायतों को दर्ज करने के लिए व्हाट्सएप के साथ एकीकरण शामिल था। बीआईएस और खाद्य विभाग की शिकायत निवारण प्रणालियों का एकीकरण उनसे संबंधित शिकायतों को

तुरंत स्थानांतरित करने के लिए किया गया है। त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण के लिए लगभग 870 निजी कंपनियों को अभिसरण भागीदार बनाया गया है।

ii. एनसीएच ऐप का उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।

iii. अनुमति, संप्रतीक और नाम अधिनियम के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मंजूरी देने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। इससे प्रस्तावों को त्वरित रूप से जमा करने, जांच करने और निपटाने में सुविधा हुई है।

iv. मूल्य निगरानी प्रणाली का एक नया संस्करण (संस्करण 3.0) लॉन्च किया गया। 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक खुदरा और थोक कीमतें ऑनलाइन एप्लिकेशन 'प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम' के माध्यम से भारत भर के विभिन्न मूल्य निगरानी केंद्रों से एकत्र की जा रही हैं। देशभर में बेहतर मूल्य समझ के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 550 कर दी गई है। एक व्यापक डैशबोर्ड स्थापित किया गया था।

v. ई–कामर्स से संबंधित विवादों सहित उपभोक्ता विवादों का समाधान करने के लिए @consaff और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए @jagograhakjago नामक दो ट्विटर हैंडल प्रचलन में हैं। उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए की जा रही विभिन्न दैनिक गतिविधियों पर नियमित ट्वीट्स का प्रचार किया जा रहा है।

vi. विभिन्न एजेंसियों (अर्थात् एफसीआई, नेफेड, एसएफएसीएक्स, एमएमटीसी और एसटीसी) द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के अंतर्गत दालों की खरीद/आयात तथा निपटान और कृषि–बागवानी वस्तुओं के लिए एनआईसी द्वारा एक ऑनलाइन पद्धति विकसित की गई।

vii. बफर स्टॉक स्थिति की निगरानी के लिए एक सॉफ़्टवेयर लॉन्च किया गया है।

viii. विभाग के कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट का एक नया और संशोधित संस्करण अर्थात https://e-jagriti.gov.in एनआईसी द्वारा डिजाइन, विकसित और लॉन्च किया गया था, जो नवीनतम तकनीक के साथ तेजी से बदलाव लाता है। इस पोर्टल ने विभिन्न मॉड्यूल को एक ही मंच के अंतर्गत एकीकृत किया है।

ix. विधिक मापविज्ञान प्रभाग की मॉडल अनुमोदन, पैकबंद वस्तु पंजीकरण जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करके भारत सरकार के डीपीआईआईटी विभाग के साथ एकीकृत कर दिया गया है ताकि व्यवसाय करना सुगम हो सके।

x. बाट और माप उपकरणों के आयातकों के लिए पैकबंद वस्तुओं का पंजीकरण (पीसीआर) और प्रमाणपत्र पूरी तरह से स्वचालित कर दिया गया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए गए प्रमाणपत्रों को गैर–छेड़छाड़ सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक चेन में डाल दिया गया है।

xi. आवश्यक वस्तु अधिनियम पर अनुवर्ती कार्रवाई और विधिक मापविज्ञान (जी.एस. टी. तथा प्रवर्त्तन) पर अनुवर्ती–कार्रवाई रिपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित और कार्यान्वित किया गया।

xii.. विभाग द्वारा भरी जा रही विभिन्न रिक्तियों जैसे एनसीडीआरसी सदस्य रिक्तियां, युवा पेशेवर, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के विशेषज्ञों के लिए आवेदन को अब ऑनलाइन कर दिया गया है।

xiii माननीय मंत्री और उच्च अधिकारियों के उपयोग के लिए विभिन्न डैशबोर्ड लगाए गए हैं जो नीतिगत निर्णय लेने में मदद करते हैं। सूचना के प्रसार के लिए वेबसाइट पर नागरिकों के लिए भी डैशबोर्ड बनाया गया है।

xiv. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

xv. जवाबदेही, दक्षता और फाइलों के त्वरित निपटान के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, सीसीपीए और आरआरएसएल के लिए ई–ऑफिस संस्करण 7.0 लागू किया गया।

xvi. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एनटीएच) में भी ई–ऑफिस प्रणाली लागू की गई है और ऑनलाइन एमआईएस सिस्टम जैसी कई ई–गवर्नेंस परियोजनाएं भी लागू की गई हैं।

xvii. स्पैरो – विधिक मापविज्ञान अधिकारियों के लिए एक मूल्यांकन प्रदर्शन रिपोर्ट प्रणाली लागू की गई है, जिससे एपीएआर गतिविधियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

xviii. विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 पर एक डैशबोर्ड आरम्भ किया गया।

xix. राष्ट्रीय परीक्षण शाला और भारतीय मानक ब्यूरो दोनों के कामकाज में सुधार के लिए विभिन्न आईटी पहल की गई हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग की डिजिटल पहल

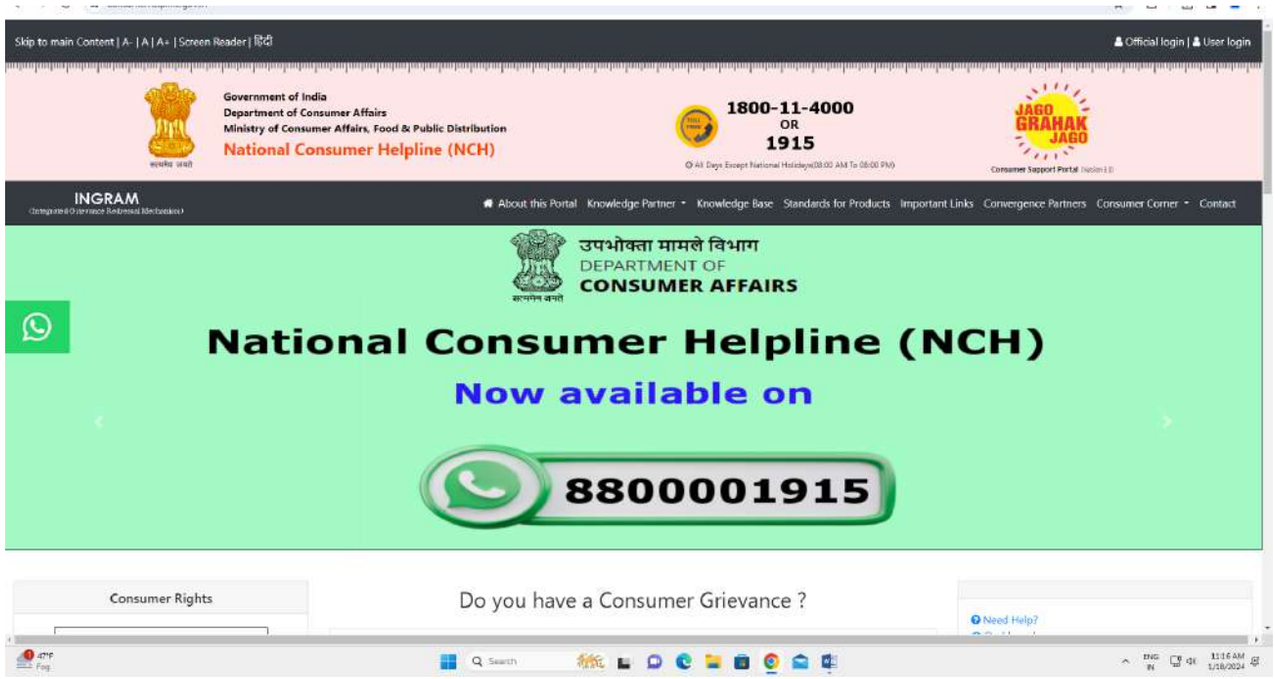
Skip to main Content | A- | A | A+ | Screen Reader | हिंदी
Official login | User login
Government of India
Department of Consumer Affairs
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
National Consumer Helpline (NCH)
1800-11-4000
OR
1915
JAGO GRAHAK JAGO
INGRAM
About this Portal
Knowledge Partner
Knowledge Base
Standards for Products
Important Links
Convergence Partners
Consumer Corner
Contact
उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
National Consumer Helpline (NCH)
Now available on
8800001915
Consumer Rights
Do you have a Consumer Grievance ?
Need Help?

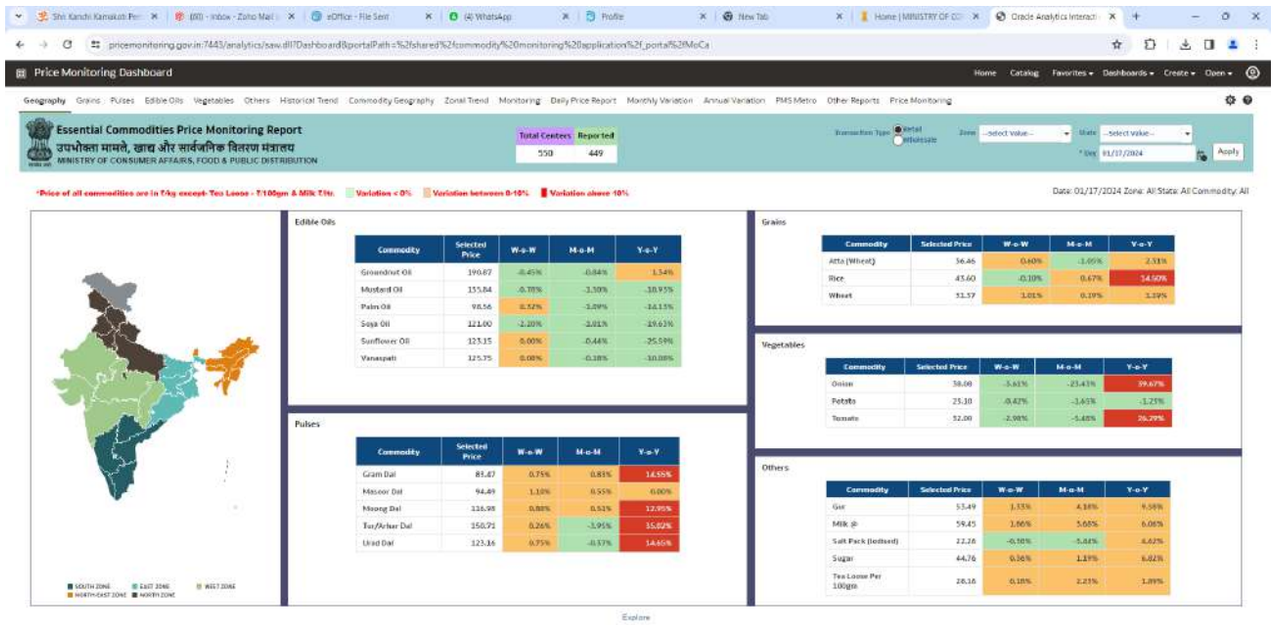
Price Monitoring Dashboard
Essential Commodities Price Monitoring Report
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
Edible Oils
Pulses
Grains
Vegetables
Others

1.7 किए गए साइबर सुरक्षा उपाय

- सभी ऑनलाइन पोर्टल https:// पर सुरक्षित रूप से होस्ट किए गए हैं।
- एनआईसी ऑडिट टीम ने सभी वेबसाइट, पोर्टल और सॉफ्टवेयर का सुरक्षा ऑडिट किया है।
- एनआईसी–उपभोक्ता मामले विभाग टीम द्वारा एक व्यापक इन–हाउस ऑडिट किया गया और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खामियों को दूर किया गया।
- ओएस स्तर के बीआईओएस पासवर्ड सेट कर दिए गए हैं और हार्डवेयर मज़बूत कर दिया गया है।
- व्यक्तिगत पीसी में एडमिन लॉगिन को पासवर्ड से सुरक्षित किया गया है और व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता खातों को पासवर्ड के साथ बनाया गया है।
- 2023 के दौरान नेटवर्क और विभाग के सभी नोड्स के लिए एक तृतीय पक्ष ऑडिट किया गया था और रिपोर्ट के आधार पर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को नवीनतम संस्करण के साथ बदल दिया गया है और पुराने सिस्टम को नए सिस्टम के साथ बदल दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रणालियों में ऑपरेटिंग सिस्टम को नवीनतम पैच के साथ अपडेट किया गया है।
- 3 पुराने नेटवर्क स्विच को नवीनतम स्विच से बदल दिया गया है।
- गृह मंत्रालय द्वारा सभी नेटवर्क और एंड प्वाईंट का व्यापक सुरक्षा ऑडिट किया गया।
- नेटवर्क की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ईएसएस और यूईएम स्थापित किया गया है।

1.8 कॉन्फोनेट

कॉन्फोनेट (उपभोक्ता आयोगों का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग), उपभोक्ता मामले विभाग की एक अंब्रेला स्कीम जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की पृष्ठभूमि में लागू किया गया है, एक सामाजिक कानून है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के

शोषण से बचाना है। अधिनियम के प्रावधान के तहत, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अर्ध–न्यायिक तंत्र, अर्थात् उपभोक्ता आयोग की स्थापना की गई थी। इस परोपकारी अधिनियम का कार्य व्यापक लक्षित उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से, संबंधित राज्य और केंद्र सरकारों के साथ जुड़ाव सहित प्रत्येक जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख समाधान प्रदान करने के लिए यह स्कीम शुरू की गई थी।

2. इस स्कीम का उद्देश्य न्यायिक प्रशासन में परिचालन दक्षता, समन्वय, पहुंच और गति में सुधार करना है। उपर्युक्त स्कीम निम्नलिखित प्रदान करने के लिए पूरे भारत में उपभोक्ता आयोगों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर और तकनीकी जनशक्ति जैसे सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी अवसंरचना को स्थापित करने की परिकल्पना करती है:–

- ई–गवर्नेंस
- दक्षता
- पारदर्शिता
- कार्य को व्यवस्थित करना
- ई–फाइलिंग सक्षम करना
- उपभोक्ताओं को समयबद्ध न्याय प्रदान करना

3. उक्त योजना के तहत, कॉन्फोनेट पोर्टल, कॉन्फोनेट मोबाइल ऐप, ई–दाखिल पोर्टल, राज्य और जिला आयोगों के लिए ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीएमएस) और राष्ट्रीय आयोग के लिए केस मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएस) जैसे विभिन्न एप्लिकेशन लॉन्च किए गए थे। हालाँकि, जैसे–जैसे समय आगे बढ़ा, परियोजना के कार्यान्वयन में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ सामने आईं, जिसके लिए मौजूदा कॉन्फोनेट परियोजना के पुनरुद्धार की आवश्यकता थी।

4 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस परियोजना के तहत, एक नया कॉन्फोनेट 2.0 सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और 24.12.2023 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर लॉन्च किया गया है। कॉन्फोनेट 2.0 के उन्नत प्लेटफॉर्म को www.e.jagriti.gov.in **(आईटी सक्षम रूपांतरण का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए न्याय और शिकायत निवारण)** के रूप में जाना जाएगा। कॉन्फोनेट 2.0 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- फेसलेस, रोल–आधारित ऑनबोर्डिंग
- अधिवक्ताओं के लिए पंजीकरण और फॉलोअप
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके स्मार्ट सर्च सुविधा
- वॉयस टू टेक्स्ट रूपांतरण
- चैट–बॉट और वॉयस–बॉट सुविधाएं
- रोल–आधारित डैशबोर्ड
- वर्चुअल और हाइब्रिड सुनवाई के लिए समर्थन
- बहुभाषी इंटरफ़ेस
- मशीन से पढ़ने योग्य और खोजने योग्य दस्तावेज़ीकरण
- दस्तावेजों/आदेशों पर डिजिटल हस्ताक्षर

5. इसके अलावा, कॉन्फोनेट परियोजना के तहत आयोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए एनसीडीआरसी की 10 पीठों और एससीडीआरसी की 35 पीठों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं, जिससे याचिकाकर्ताओं, वकीलों और संगठनों की दूरस्थ उपस्थिति में मदद मिलेगी और बड़ी संख्या में मामलों के त्वरित निपटान और सुनवाई में भी मदद मिलेगी। यह 'दिव्यांग' व्यक्तियों को अपने घर से ही आयोग की सुनवाई में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने का भी एक प्रयास है।

उपभोक्ता मामले विभाग का संगठनात्मक चार्ट (29 फरवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार)

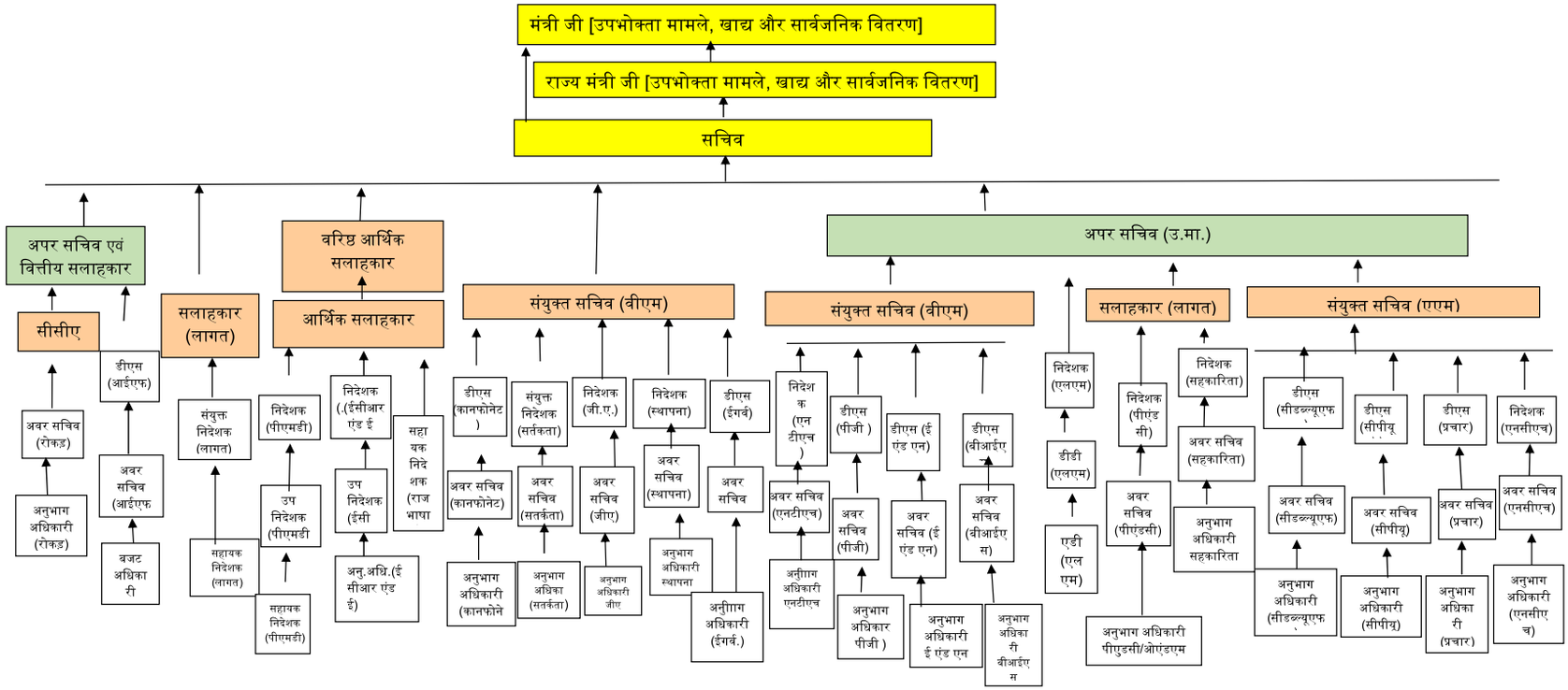

वरिष्ठ अधिकारीगण

सचिव (उपभोक्ता मामले)	–	श्री रोहित कुमार सिंह
अपर सचिव (उपभोक्ता मामले)	–	श्री भरत हरबंसलाल खेरा'
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	–	श्री शांतमनु
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार	–	श्री आई.एस. नेगी
संयुक्त सचिव (वीएम)	–	श्री विनीत माथुर
संयुक्त सचिव (एएम)	–	श्री अनुपम मिश्रा
आर्थिक सलाहकार	–	डॉ. कामखेनथांग गुइटे
मुख्य लेखा नियंत्रक	–	सुश्री जेनी किलोंग
सलाहकार लागत	–	श्री शशि भूषण

सलाहकार (लागत)/निदेशक/उप सचिव श्री/सुश्री	प्रभाग/अनुभाग/यूनिट	संयुक्त निदेशक/अवर सचिव /उप निदेशक श्री/सुश्री	अनुभाग अधिकारी / सहायक निदेशक श्री/ सुश्री
आशुतोष अग्रवाल, प्रभारी – निदेशक (एलएम)	बाट और माप/विधिक मापविज्ञान	मनोज कुमार नाईक, उप निदेशक	दिनेश सागर, सहायक निदेशक
एबीएस शालिनी, निदेशक	राष्ट्रीय परीक्षणशाला/एनसीएच/स्थापना	पी.के. त्यागी, अवर सचिव (एनटीएच)/ के. महेन्द्रण, अवर सचिव (एनसीएच)/ बाल कृष्णा ठाकुर, अवर सचिव (स्थापना)	वैभव मदान, अनुभाग अधिकारी (एनटीएच) अविनाश चंद्रा कुमार, अनुभाग अधिकारी (एनसीएच) के सुंदरम , अनुभाग अधिकारी (स्थापना)
रमेश कुमार सिंह, उप सचिव	संप्रतीक और नाम अधिनियम/लोक शिकायत/सामान्य प्रशासन	पी.के. त्यागी, अवर सचिव (ई एंड एन) गयालाल, अवर सचिव (पीजी) पी.के. त्यागी, अवर सचिव (सामान्य)	अनुराग कुमार मिश्रा, अनुभाग अधिकारी (ईएंडएन/पीजी) विवेक प्रकाश, अनुभाग अधिकारी (सामान्य)
स्वरूपा सरन, उप सचिव	उपभोक्ता कल्याण कोष	प्रसन कुमार नंदा, अवर सचिव	संजय आर. निपाने, (अनुभाग अधिकारी)
पी के साहू, उप सचिव	भारतीय मानक ब्यूरो;	बलदेव सिंह, अवर सचिव	अभिषेक कुमार, (अनुभाग अधिकारी)
सुभाष चन्द्र मीना, निदेशक	मूल्य निगरानी प्रभाग/आवश्यक वस्तु विनियमन एवं प्रवर्तन	रामदीनपुई रेंथल्ई, संयुक्त निदेशक (पीएमडी) राजीव कुमार, उप निदेशक (पीएमडी) संजय कौशिक, उप निदेशक (पीएमडी) राजीव कुमार, डीडी (ईसीआरई)	मुकेश कुमार गौतम, (सहायक निदेशक) (पीएमडी) मुस्कान जैन, (सहायक निदेशक) (पीएमडी) अभिनव कुमार, अनुभाग अधिकारी (ईसीआर एंड ई)
के सी सिंघा, निदेशक	आंतरिक वित्त/बजट	रोशन बर्मन, अवर सचिव	प्रितम सिंह, अनुभाग अधिकारी (आईएफ)
सुनील कुमार मिश्रा, उप सचिव	सीपीयू/प्रचार	तमोघ्ना चौधरी, अवर सचिव (सीपीयू) बाल कृष्णा ठाकुर, अवर सचिव (प्रचार)	प्रशांत कुमार, अनुभाग अधिकारी (सीपीयू) अजीत शुक्ला, अनुभाग अधिकारी (प्रचार)
जितेन्द्र अहलावत, उप सचिव	कानफोनेट, ई–गवर्ने.	प्रसन कुमार नंदा, अवर सचिव (कानफोनेट)	शांतमनु नंदी, अनुभाग अधिकारी (कानफोनेट/ई–गवर्ने.)
टी आर सतिश चन्द्रन, संयुक्त निदेशक	सतर्कता /लागत निर्धारण कक्ष/ओएंडएम/आर.टीआई.	जयलक्ष्मी कन्नन, अवर सचिव (सतर्कता) रिक्त (लागत) गयालाल, अवर सचिव(आरटीआई) एंड (ओ एंड एम)	अभिनव कुमार, अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) पंकज पहाड़िया, सहायक निदेशक (लागत) सचिन कुमार, अनुभाग अधिकारी (ओ एंड एम)
अमन जैन, उप सचिव	संसद एवं समन्वय/कोऑपरेशन/ओएल/राजभाषा	जयलक्ष्मी कनन, अवर सचिव (पीएंडसी) गयालाल, अवर सचिव (सहकारिता)	सचिन कुमार, अनुभाग अधिकारी (पी एंड सी) एस. महेश, अनुभाग अधिकारी (सहाकारिता) अशोक कुमार, सहायक निदेशक
एन. नटराजन, तकनिकी निदेशक	एनआईसी सेल	––	––

* 5 फरवरी, 2024 को पदभार ग्रहण किया।

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS

JAGO GRAHAK JAGO

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20

खरीदारी करते समय उत्पाद के विवरण की जांच करें

उत्पाद के पैकेज पर मुद्रित जानकारी की जांच करें जैसे

- Maximum Retail Price (incl. of all taxes)
- Use By Date या Best Before Date
- Net Quantity of the Product

अध्याय–2

उपभोक्ता मामले विभाग : सिंहावलोकन

उपभोक्ता मामले विभाग (उ.मा.), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दो विभागों में से एक है।

विभाग का अधिदेश उपभोक्ता हिमायत करना है। 1986 में अधिनियमित और तत्समय पथप्रदर्शक कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) के साथ भारत, उपभोक्ता हिमायत में अग्रणी था और 1997 में उपभोक्ता मामलों के लिए समर्पित एक अलग सरकारी विभाग की स्थापना की गई थी।

नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भारत में 20 जुलाई, 2020 को लागू हुआ, जिसने वर्ष 1986 के पिछले अधिनियम का स्थान लिया। नया अधिनियम भारत में उपभोक्ता विवादों के प्रशासन और निपटान में परिवर्तन लाता है। इसमें मिलावट और भ्रामक विज्ञापनों के लिए जेल की सजा सहित सख्त दंड का प्रावधान है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अब ई–कॉमर्स के माध्यम से माल की बिक्री के लिए नियम निर्धारित करता है। इस अधिदेश को कार्य रूप में परिणत करने की आवश्यकता है:

- उपभोक्ताओं को सुविज्ञ विकल्प चुनने में सक्षम बनाना;
- उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करना; तथा
- समयबद्ध और प्रभावी उपभोक्ता शिकायत निवारण को सुकर बनाना

2.1 वर्ष एक नज़र में

विधिक मापविज्ञान:

विधिक मापविज्ञान (बाट और माप) कानून किसी भी सभ्य समाज में वाणिज्यिक लेनदेन का आधार हैं। इस तरह के लेन–देन में माप की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (1 से 2010) नामक कानून बनाया है। उक्त अधिनियम दो निरस्त अधिनियमों अर्थात् बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 का एकीकृत अधिनियम है। 1 अप्रैल, 2011 से विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 प्रभावी हुआ है। अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नियम बनाए गए हैं। अधिनियम एवं नियम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस):

विशेष उपलब्धियां

मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को उनके 72 केंद्रीय विपणन कार्यालयों (सीएमओ), 6 एकीकृत इस्पात संयंत्रों (आईएसपी), 6 खानों और 2 अधीनस्थ कार्यालयों में लागू 'रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली' के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था।

एमएससी गतिविधि के लिए लेखा परीक्षक

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, 47 कर्मियों को विभिन्न एमएससी योजनाओं में ऑडिटिंग संसाधन के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 14 ऑडिटिंग संसाधनों को उच्च ऑडिटिंग स्थिति में अपग्रेड किया गया।

सांख्यिकी की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक कुल 78 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जिससे 25 दिसंबर, 2023 तक एमएससी के ऑपरेटिव लाइसेंस की संख्या बढ़कर 1352 हो गई है। लाइसेंस देने के लिए अन्य 107 आवेदन प्रक्रिया में हैं।

वित्तीय वर्ष 2021– 2022		वित्तीय वर्ष 2022 – 2023		वित्तीय वर्ष 2023 – 2024 (दिसंबर 2023 तक)	
दिए गए लाइसेंस	कुल ऑपरेटिव लाइसेंस	दिए गए लाइसेंस	कुल ऑपरेटिव लाइसेंस	दिए गए लाइसेंस	कुल ऑपरेटिव लाइसेंस
81	1254	141	1295	78	1352

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एनटीएच)

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एनटीएच), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय, देश का एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1912 में तत्कालीन रेलवे बोर्ड के तहत की गई थी और तब से यह राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय या ग्राहक मानक और विशिष्टताओं के अनुसार परीक्षण प्रमाणपत्र जारी करके विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, अंशांकन, मूल्यांकन और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में राष्ट्र की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला बन गई है।

यह उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और मानकीकरण से जुड़ी प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल है। इसने स्वदेशी उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और

औद्योगिक अनुसंधान और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के तहत तैयार उत्पादों के निर्माण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

एनटीएच वर्तमान में उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर अपने संचालन का आधुनिकीकरण कर रहा है। पिछले दो वर्षों में, हमने अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और स्थानीय समाधान प्रदान कर सकें। हमारा लक्ष्य 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षण वातावरण बनाना है।

हमारा आउटरीच और नेटवर्क:

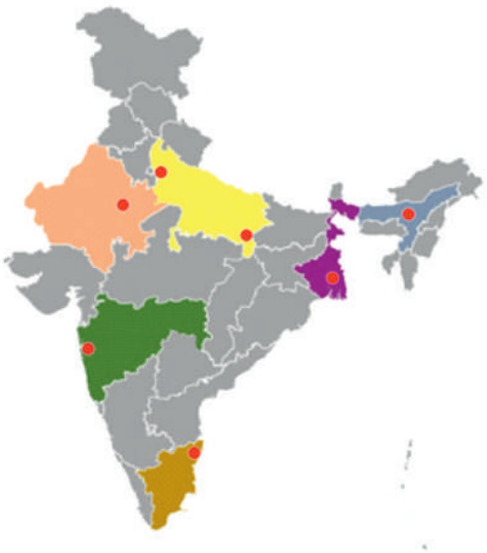

एनटीएच गुणवत्ता परीक्षण करता है और पूरे देश में विनिर्माण, सेवा उद्योगों और सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले नए और मौजूदा दोनों उत्पादों का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। यह सुविधा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर और गुवाहाटी में स्थित छह क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता साल्ट लेक और अलीपुर, कोलकाता में 02 केंद्रों से संचालित होता है। 2021 में, वाराणसी के पिंडरा में एक सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया गया था।

हम भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को भी अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं और निकट भविष्य में और अधिक देशों में विस्तार करने की योजना है।

हाल ही में, हमने आरआरएसएल, बेंगलुरु में एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए आरआरएसएल, बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके जून 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

अनुचित व्यापार प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले उपभोक्ता नुकसान को रोकने और उत्पादों को वापस लेने, रिफंड और वापस करने को लागू करने सहित वर्ग पर कार्रवाई शुरू करने के लिए सीसीपीए आवश्यक होने पर हस्तक्षेप कर सकता है। सीसीपीए में एक जांच विंग

है, जिसका नेतृत्व महानिदेशक करता है, जो उपभोक्ता कानून के उल्लंघन की जांच या उसके बारे में पूछताछ कर सकता है। यदि कोई उपभोक्ता शिकायत 1 (एक) से अधिक व्यक्तियों को प्रभावित करती है, तो सीसीपीए को स्वतः कार्रवाई करने, उत्पादों को वापस लेने, वस्तुओं/सेवाओं की कीमत की प्रतिपूर्ति का आदेश देने, लाइसेंस रद्द करने और क्लास एक्शन सूट दायर करने की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

1. इस बात पर विचार करते हुए कि हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उपभोक्ता अनुचित व्यापार प्रथाओं का शिकार हुए हैं, नया अधिनियम पृष्ठांकनकर्ताओं पर जम्मेदारी तय करता है। ऐसे मामलों में, पृष्ठांकनकर्ता के लिए दायित्व लेना और दायित्व दावों का खंडन करने के लिए विज्ञापन में किए गए दावों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए अध्वयसाय करना महत्वपूर्ण हो जाता है। सीसीपीए झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता या पृष्ठांकनकर्ता पर जुर्माना लगा सकता है। [**अध्वयसाय करने में विफलता पर 10–50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और/या 1–3 वर्ष की अवधि के लिए भविष्य में पृष्ठांकन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।**]

2. नए अधिनियम के अनुसार, मिलावटी सामान या नकली सामान के कारण होने वाली किसी भी गंभीर चोट या मौत को कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध बना दिया गया है। यह अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती भी है।

2.2 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह

उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई दिल्ली में यशोभूमि, आईआईसीसी द्वारका में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2023 मनाया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2023 के अवसर पर, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वस्त्र तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित का लोकार्पण किया:

- उपभोक्ता आयोगों के लिए ई–जागृति पोर्टल का लोकार्पण
- एनसीडीआरसी में वीसी सुविधा का लोकार्पण
- एनटीएच में ड्रोन प्रमाणन सुविधा का लोकार्पण
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 का लोकार्पण
- राष्ट्रीय परीक्षणशाला में नई प्रयोगशालाओं का लोकार्पण
- घरेलू उपकरण परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई और ट्रांसफार्मर परीक्षणशाला, गुवाहाटी का लोकार्पण
- जयपुर में जैविक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण
- ईवी (परीक्षण) में आपसी सहयोग के लिए एनटीएच और आरआरएसएल के बीच समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान

इस कार्यक्रम में श्री पीयूष गोयल, माननीय केंद्रीय मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण), श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण), माननीय न्यायमूर्ति श्री अमरेश्वर प्रताप साही, अध्यक्ष, एनसीडीआरसी सहित उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, विभिन्न राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारक, देश भर के उद्योग संघ और उपभोक्ता संगठनों के लोग उपस्थित थे।

(उपभोक्ता मामले विभाग ने 24 दिसंबर, 2023 को यशोभूमि, आईआईसीसी द्वारका, नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2023 मनाया।)

(सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग 24 दिसंबर, 2023 को यशोभूमि, आईआईसीसी द्वारका, नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित थे)

(24 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम का आयोजन)

2.1.1 स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन

उपभोक्ता मामले विभाग में 16 से 28 फरवरी, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान की गई गतिविधियों का विवरण

स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के दिशानिर्देशों और कैबिनेट सचिव के डी.ओ.पत्र क्रमांक 561/01/01/2017–CA-IV दिनांक 25 नवंबर, 2022 के अनुसरण में। उपभोक्ता मामले विभाग ने 16 से 28 फरवरी, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा

मनाया। विभाग के साथ–साथ उसके सभी संगठनों द्वारा पखवाड़ा मनाने के लिए स्वच्छता कार्य योजना तैयार की गई थी। स्वच्छता कार्य योजना और की गई गतिविधियों की तस्वीरें/वीडियो भी पेयजल और स्वच्छता विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। प्रमुख स्थानों और उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर भी बैनरों का प्रदर्शन, कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का वितरण, वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण, प्लास्टिक के स्थान पर पेपर फोल्डर का उपयोग, विभाग के संचित ई–कचरे का निपटान।

(स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान की गई गतिविधियाँ)

18 फरवरी, 2023 को एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया जिसमें सचिव (उ.मा.) ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। 24 फरवरी, 2023 को निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी।

इस विभाग के अंतर्गत संगठनों जैसे बीआईएस, एनसीसीएफ, एनटीएच, आईआईएलएम और आरआरएसएल ने भी अपनी कार्य योजना के अनुसार अपने कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया और स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान की गई गतिविधियों/योजनाओं पर रिपोर्ट प्रदान की।

भारतीय मानक ब्यूरो:– बीआईएस के कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता शपथ ली गई। साथ ही, सभी बागवानी उपकरण, सौर पैनल, फव्वारा क्षेत्र, जिम, गेराज, क्लब रूम, मानक भवन के परिसर, सभी सुरक्षा उपकरण, लिफ्ट, केंद्रीकृत एसी, जनरेटर, आसपास की सड़क और स्टाफ क्वार्टर क्षेत्र के पीछे की सफाई और मरम्मत की गई।

इसके अलावा, बायोडिग्रेडेबल कचरे की वर्मीकंपोस्टिंग, ई–कचरे को स्रोत पर अलग करना, कोविड –19 से संबंधित बेहतर स्वच्छता पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के प्रसार के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना जैसी कुछ नवीन प्रथाएं शामिल हैं।

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादितः शपथ ग्रहण समारोह के बाद निबंध प्रतियोगिता, स्वच्छता के लिए विशेष अभियान, मानवता के अस्तित्व के लिए सतत विकास लक्ष्यों पर वार्ता आयोजित की गई।

राष्ट्रीय परीक्षणशालाः एनटीएच के कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता शपथ ली गई, प्रयोगशालाओं, बैठक कक्षों, वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र की सफाई, कोविड–19 पर ध्यान केंद्रित करते हुए "स्वास्थ्यकारिता और स्वच्छता" पर अभियान, रिकॉर्ड प्रबंधन, उद्यान क्षेत्र और आरपीपीटी प्रयोगशाला, कार्यालय परिसर से एम ब्लॉक, संजय नगर, गाजियाबाद तक स्वच्छता रैली निकाली गई और तारामणि रेलवे स्टेशन परिसर (चेन्नई) की सफाई की गई। आईएसआई मार्क के लोगो वाले उपभोक्ता उत्पाद के उपयोग के संबंध में जागरूकता, नकल और परीक्षण किए गए नमूनों की नीलामी।

विधिक मापविज्ञानः अप्रचलित/अप्रयुक्त/अनुपयोगी उपकरण, फर्नीचर, बेकार सामग्री अखबार का निपटान, प्रयोगशाला की सफाई, एकल उपयोग प्लास्टिक की कमी पर सिंडिकेट बस्ती/सोसाइटी, स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम, वटवा जी.आई.डी.सी. ओवरब्रिज के पास सफाई, नेशनल वर्क शॉप का संचालन, पानी की टंकियों की सफाई, पेंट्री और कार्यालय के पीछे का प्रांगण।

आरआरएसएल बेंगलुरुः एक स्वच्छता प्रतिज्ञा के बाद सामूहिक प्रयोगशाला कक्षों (1,2,3,4,5,6) में उपकरणों/मशीनों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और उद्यान क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, भवन के छत की सफाई, प्रयोगशाला की फाइलों और रिकॉर्ड को पुनर्व्यवस्थित करना शामिल है।

आरआरएसएल भुवनेश्वरः 16 फरवरी, 2023 को सुबह 11:00 बजे स्वच्छता शपथ के बाद प्रयोगशाला क्षेत्र के आसपास सफाई अभियान, फूलों के पौधे लगाना, स्वच्छता से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम, प्रयोगशाला से प्लास्टिक और ई–कचरे को हटाना।

2.2.2 विशेष अभियान 3.0

उपभोक्ता मामले विभाग (उ.मा.) ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में 02.10.2023 से 31.10.2023 तक विशेष अभियान 3.0 चलाया। विभाग के अधीनस्थ कार्यालय (क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला (आरआरएसएल) और भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान (आईआईएलएम)), संबद्ध कार्यालय (राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एनटीएच)), स्वायत्त निकाय (भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)) और वैधानिक निकाय होने के नाते राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) ने अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

विशेष अभियान 3.0 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2023 तक प्रारंभिक चरण के साथ शुरू हुआ, जिसके दौरान लक्ष्यों की पहचान की गई। प्रारंभिक अवधि के दौरान श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने विशेष अभियान 3.0 की तैयारी की समीक्षा करने के लिए विभाग के विभिन्न प्रभागों का दौरा किया, जिसमें उन्होंने विशिष्ट निर्देश और मार्गदर्शन दिया।

विशेष अभियान 3.0 में पूरे भारत में 98 कार्यालयों के 3465 कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। विभाग ने बीआईएस, एनटीएच, एनसीडीआरसी, एनसीसीएफ, आरआरएसएल और आईआईएलएम के साथ मिलकर 172 अभियान चलाए, जिसमें आसपास के पार्कों, बाजारों, स्कूलों आदि में 31 आउटरीच कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें एकल–उपयोग प्लास्टिक से बचने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता को पर्चे वितरित करना, स्कूलों में स्वच्छता पर निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करना, कार्यालय परिसर की सफाई, कार्यालय का सौंदर्यीकरण (रोशनी, दीवारों की रंगाई, पौधे लगाना आदि), कार्यालय के चारों ओर झाड़ियों को साफ करना, पेड़ लगाना आदि शामिल था।

अभियान के दौरान, विभाग ने 994 सार्वजनिक शिकायतों तथा 1585 पीजी अपीलों का निपटान और 6814 भौतिक फाइलों की छंटाई में 100% लक्ष्य हासिल किया। पुरानी सामग्रियों, ई–कचरा, पुराने फर्नीचर आदि के निपटान के माध्यम से सभी कार्यालयों द्वारा कुल मिलाकर 19,32,521/– रुपये की राशि जुटाई गई है, जिससे 2270 वर्ग फुट का क्षेत्र खाली किया गया।

बीआईएस, पुणे शाखा द्वारा स्कूल में अभियान

एनटीएच, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता का बाजार में आउटरीच कार्यक्रम

बीआईएस, लखनऊ द्वारा स्कूल में आउटरीच कार्यक्रम

आरआरएसएल,वाराणसी का बाजार क्षेत्र में जागरूकता अभियान

2.2.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

दिनांक 30.10.2023 से 05.11.2023 तक विभाग के साथ–साथ इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सप्ताह के दौरान, विभाग में निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के संबंध में विभाग में प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए। साथ ही, व्यापक प्रचार के लिए विभाग की वेबसाइट पर पोस्टर साझा किए गए।
- 31.10.2023 को विभाग के सभी कर्मचारियों ने अपने कार्य–स्थल पर सीवीसी की वेबसाइट से ई–सत्यनिष्ठा शपथ ली। साथ ही सचिव (उ.मा.) ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शपथ दिलाई। नागरिकों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए सत्यनिष्ठा शपथ को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।
- 02.11.2023 को विभाग के कर्मचारियों के बीच "भ्रष्टाचार का करें विरोध; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" विषय पर स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- 03.11.2023 को विभाग के कर्मचारियों के बीच "भ्रष्टाचार का करें विरोध; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- सप्ताह के दौरान विभाग द्वारा की गई सभी गतिविधियों को इस विभाग के आधिकारिक हैंडल से ट्विटर पर पोस्ट किया गया।
- प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार राशि सीधे विजेताओं के बैंक खातों में भेजी गई।
- प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव द्वारा प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया गया।

(कृषि भवन, नई दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संबंध में लगाया गया बैनर)

सचिव (उ.मा.) 30.10.2023 को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाते हुए

(02.11.2023 को आयोजित स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के प्रतिभागी)

(03.11.2023 को आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता के प्रतिभागी)

(सचिव (उ.मा.), संयुक्त सचिव और सीवीओ, उपभोक्ता मामले विभाग के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए)

2.2.4 संविधान दिवस समारोह

संविधान दिवस के अवसर पर, सचिव (उ.मा.) ने उपभोक्ता मामले विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ 26 नवंबर, 2023 को आभासी रूप में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। संविधान दिवस के आयोजन में सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों ने भी भाग लिया। आरआरएसएल, अहमदाबाद के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह। सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी।

2.2.5 संप्रतीक और नाम

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार संप्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम 1950 को लागू करता है।

उद्देश्य

- व्यापार व्यवसाय कॉलिंग या पेशे के उद्देश्य के लिए या किसी पेटेंट के शीर्षक में या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन में अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ नामों और प्रतीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिनियम 1950 में अधिनियमित किया गया था।
- यदि किसी सक्षम प्राधिकारी (किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के अन्य निकाय या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन को पंजीकृत करने या पेटेंट देने का अधिकार) के समक्ष कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई प्रतीक अनुसूची में निर्दिष्ट संप्रतीक है या उसकी रंगीन नकल है, तो सक्षम प्राधिकारी प्रश्न को इस विभाग को संदर्भित कर सकता है।
- विभाग को कुछ प्रस्तावित नामों के संबंध में मंजूरी या अन्यथा मांगते हुए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के कार्यालयों से पत्र प्राप्त होता है, जब भी वे प्रस्तावित नामों पर विचार करते हैं तो अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन हो सकता है। नाम और प्रतीकों पर विचार के लिए आवेदन हार्डकॉपी में प्राप्त हुए थे।
- मामलों पर विचार करने के लिए विभाग में एक समिति का गठन किया गया है। समिति का सामूहिक निर्णय तब सचिव (उपभोक्ता मामले) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक विभाग में 786 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 441 मामलों को अनापत्ति प्रमाण पत्र, 176 मामलों को आपत्ति प्रमाण पत्र दिए गए और 169 मामलों को स्पष्टीकरण/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए पंजीयकों, मंत्रालयों/विभागों को संदर्भित किया गया था।
- 2 दिसंबर, 2021 को उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के तहत व्यक्तियों, फर्मों/सोसाइटियों/कंपनी/सरकारी निकाय/अन्य निकाय के नाम और संप्रतीक के संबंध में विभाग से मंजूरी मांगने वाले प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।

2.2.6 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2023 को लोदी गार्डन, नई दिल्ली में योग दिवस का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

2.2.7 एकता दौड़

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, 31.10.2023 को एकता दौड़ का आयोजन किया गया था और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नेशनल स्टेडियम से इसे हरी झंडी दिखाई थी। विभाग के सचिव द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई।

(एकता दौड़ में उपभोक्ता मामले विभाग की भागीदारी)

2.2.8 महिला खेल प्रतियोगिता

कार्मिक विभाग द्वारा 20 दिसंबर, 2023 को सभी केंद्र सरकार के विभागों की महिला कर्मचारियों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी में आयोजित महिला खेल प्रतियोगिता में विभाग की नौ महिला अधिकारियों ने भाग लिया।

(महिला खेल प्रतियोगिता में उपभोक्ता मामले विभाग की महिला कर्मचारियों की भागीदारी)

(पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक विजेता [सुश्री कनिका भट्टाचार्य])

2.2.9 चिंतन शिविर

आईआईसीसी द्वारका में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया गया

उपभोक्ता मामले विभाग ने 17.07.2023 को आईआईसीसी द्वारका में चिंतन शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया। चिंतन शिविर का प्राथमिक उद्देश्य विभाग के काम की समीक्षा करना और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी "विजन 2047" को लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना था। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण), और श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव (उ.मा.) सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र रोहित कुमार सिंह, सचिव (उ.मा.) के गर्मजोशी भरे स्वागत भाषण के साथ शुरू हुआ, जिसमें उपस्थित लोगों से नवाचार, निरंतर सीखने और अपने दृष्टिकोण में विश्लेषणात्मक सोच को अपनाने के लिए उम्र की बाधाओं को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया।

"कार्यस्थल पर योग" पर सत्र का नेतृत्व आर्ट ऑफ लिविंग की वरिष्ठ प्राध्यापक सुश्री अरुणिमा सिन्हा ने किया, जिसमें स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने में योग के महत्व पर जोर दिया गया। दबाव में काम करते समय शांति और संयम बढ़ाने के लिए उपस्थित लोगों को सरल डेस्क योग अभ्यास से परिचित कराया गया।

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित चार इंटरैक्टिव सत्र शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित थाः—

(क) उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता शिकायतों का शीघ्र निपटान,

(ख) उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन

(ग) उभरते क्षेत्रों और नई प्रौद्योगिकियों में परीक्षण

(घ) उपभोक्ताओं के लिए मात्रा आश्वासन

इन सत्रों में विभाग की अब तक की उपलब्धियों का व्यापक विश्लेषण और वर्ष 2047 तक भारत की उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए कार्यनीतिक चर्चाएं शामिल थीं। इंटरैक्टिव सत्र के दौरान, कर्मचारियों को अपनी राय व्यक्त करने, सुझाव देने और प्रश्न पूछने का अवसर मिला, जिससे सार्थक चर्चा हुई जिस पर उचित विचार किया गया। सम्मानित अतिथि वक्ता, श्री सोनू शर्मा ने दर्शकों को प्रेरक शब्दों से मंत्रमुग्ध कर दिया तथा उन्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस आयोजन का एक रोमांचक आकर्षण माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा "भारत दाल बिक्री अभियान" और "चना प्रचार अभियान" का शुभारंभ था। ये अभियान न केवल चना उपभोग के स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नेक पहल का

भी समर्थन करते हैं। माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने विभाग के अधिकारियों के समर्पित प्रयासों की सराहना की, जिनमें एक दशक से अधिक समय तक सेवा करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं, साथ ही नए अधिकारियों द्वारा लाए गए नए दृष्टिकोण का स्वागत किया। उन्होंने 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के साथ सीधा संवाद करने वाला एकमात्र विभाग होने की अद्वितीय स्थिति पर प्रकाश डाला। माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) ने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए नवीन और सबसे अलग सोच को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उत्पादक राज्यों से टमाटर खरीदने और उन्हें रियायती दरों पर उच्च मूल्य वाले बाजारों में आपूर्ति करने में विभाग के मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप की भी सराहना की। माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) ने उपभोक्ता कल्याण के लिए हॉलमार्किंग और मानकों को बढ़ावा देने में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुकरणीय कार्य की सराहना की। माननीय मंत्री ने 24•7 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से उपभोक्ता शिकायतों के समाधान की प्रशंसा की, उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को प्रोत्साहित किया।

माननीय मंत्री ने विभाग के भीतर टीम वर्क और दूरदर्शी प्रगतिशील सोच के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभाग की क्षमताओं को और मजबूत करने तथा उपभोक्ता कल्याण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए ऐसे चिंतन शिविरों के नियमित आयोजन को प्रोत्साहित किया।

(माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) ने आईआईसीसी, द्वारका, नई दिल्ली में चिंतन शिविर के अवसर पर सार्वजनिक/निजी हितधारकों को संबोधित किया)

(माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) के साथ ग्रुप फोटो

(सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, द्वारका, नई दिल्ली में चिंतन शिविर को संबोधित किया)

(चिंतन शिविर में सार्वजनिक/निजी हितधारकों ने भाग लिया)

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

JAGO GRAHAK JAGO

उपभोक्ता आयोग में शिकायत निवारण में आसानी

विवाद समाधान में मध्यस्थता का प्रावधान

दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा के कारण हुई चोट के लिए मुआवजा

ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए नियम

- 5 लाख रुपये तक की शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क आवश्यक नहीं है।
- शिकायत दर्ज करना हुआ आसान - उपभोक्ता सुविधानुसार किसी भी जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है।
- उपभोक्ता स्वयं या किसी वकील या एजेंट के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है।
- कई उपभोक्ता आयोगों में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान भी उपलब्ध है।
- यदि शिकायत की स्वीकार्यता पर 21 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो शिकायत स्वीकार कर ली गई मानी जाएगी

- उपभोक्ता आयोग की अनुमति से दोनों पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का समाधान करा सकते हैं।
- मध्यस्थता के माध्यम से हुए समझौते के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी और उपभोक्ता आयोग में भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
- उपभोक्ता दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी के कारण लगी चोट के लिए उपभोक्ता आयोग में मुआवजे की मांग कर सकता है।
- मिलावटी/नकली सामान के निर्माता या विक्रेता को सक्षम न्यायालय द्वारा दण्ड का प्रावधान।

- प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई के लिए शिकायत निवारण तंत्र का होना अनिवार्य है।
- प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए अपनी वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी का नाम, संपर्क विवरण और पदनाम प्रदर्शित करना होगा।
- प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति की सूचना देनी होगी।
- प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर उसका निवारण करना होगा।
- प्रत्येक विक्रेता को उत्पाद के मूल देश का उल्लेख करना होगा

Issued in public interest by :
Department of Consumer Affairs
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
www.consumeraffairs.nic.in

@consaff
@jagograhakjago

National Consumer Helpline
1800-11-4000
(Toll Free)

1915
NCH
UMANG
www.consumerhelpline.gov.in

Mark is assurance of Quality

उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करें

JAGO GRAHAK JAGO

चरण दर चरण मार्गदर्शिका

1. कोई भी उत्पाद खरीदते समय हमेशा जांच लें कि पैकेट पर कंज्यूमर केयर नंबर अंकित है या नहीं और नंबर काम कर रहा है या नहीं।

याद रखें, उत्पाद के साथ किसी भी समस्या के मामले में निर्माता/पैकर/आयातक के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

2. उत्पाद के साथ किसी भी समस्या के मामले में, निर्माता/पैकर/आयातक की उपभोक्ता देखभाल से संपर्क करें और उनके पास अपनी शिकायत दर्ज करें।

उपभोक्ता देखभाल से संपर्क करने की तारीख और उपभोक्ता देखभाल द्वारा प्रदान किया गया संदर्भ नंबर नोट करें। समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित समय के बारे में उपभोक्ता देखभाल से पूछें।

3. यदि निर्माता/पैकर/आयातक द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1800114000 या 14404 पर अपनी शिकायत दर्ज करें।

शिकायत www.consumerhelpline.gov.in पर भी दर्ज की जा सकती है। शिकायत के पंजीकरण की तारीख और एनसीएच द्वारा प्रदान की गई संदर्भ संख्या नोट करें।

4. यदि शिकायत अनसुलझी रहती है, तो संबंधित उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (या उपभोक्ता आयोग) में शिकायत दर्ज करें।

आप अपनी सुविधा के अनुसार स्वयं या अपने वकील या अपने एजेंट के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Issued in public interest by :
Department of Consumer Affairs
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
www.consumeraffairs.nic.in

@consaff
@jagograhakjago

National Consumer Helpline
1800-11-4000
(Toll Free)

1915
NCH
UMANG
www.consumerhelpline.gov.in

ISI Mark is assurance of Quality

अध्याय–3

उपभोक्ता हिमायत

3.1 उपभोक्ता कल्याण कोष

उपभोक्ता कल्याण कोष नियम, 1992 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के तहत वर्ष 1991 में इसके संशोधन के तहत तैयार और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लागू होने पर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 57 के तहत उपभोक्ता कल्याण कोष (सीडब्ल्यूएफ) का गठन किया गया है। सीडब्ल्यूएफ के उपयोग का प्रावधान सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 58 में किया गया है, जो यह प्रावधान करता है कि सरकार द्वारा निधि का उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निर्धारित तरीके से किया जाएगा। तदनुसार, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 97 में निधि के उपयोग के तरीके को शासित करने वाले प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

2. सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 97 के उप–नियम (7ए) में प्रावधान है कि उप–नियम (4) के तहत गठित समिति माल और सेवा कर पर प्रचार या उपभोक्ता जागरूकता के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को 50 प्रतिशत उपलब्ध कराएगी, जो कोष में प्रत्येक वर्ष जमा होगी, बशर्ते उपभोक्ता मामले विभाग की उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता पच्चीस करोड़ रुपये प्रति वर्ष से कम न हो।

3. जो धन विनिर्माताओं आदि को वापस नहीं किया जा सकता है, उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए उपरोक्त नियमों और उसके तहत तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. स्थायी समिति के निर्णयों के आधार पर, सीडब्ल्यूएफ से वित्तीय सहायता उपभोक्ता मामले विभाग के विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता/प्रचार कार्यक्रमों, विश्वविद्यालयों/निगमों/शैक्षिक संस्थानों आदि जैसे स्वायत्त संस्थानों, केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों/संगठनों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, सरकारी निकायों और राज्य को दी जाती है ताकि देश में उपभोक्ता जागरूकता / संरक्षण उपभोक्ता अभियान को मजबूत बनाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता / संरक्षण गतिविधियों में संलग्न उपभोक्ता के हितों का संरक्षण कर उसे बढ़ावा दिया जा सके।

5. उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूएफ से वित्तीय सहायता दी गई है:–

i. उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए

प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता विधिक पीठों/उत्कृष्टता केंद्रों का सृजन।

ii. उपभोक्ता साक्षरता और जागरूकता फैलाने के लिए परियोजनाएं।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शेयरिंग, समय–समय पर यथानिर्धारित केंद्र और राज्य का हिस्सा, आधार पर कॉर्पस फंड की स्थापना।

6. उपभोक्ता मामले विभाग देश में एक जिम्मेदार और उत्तरदायी उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाता है।

3.2 राज्यों में उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोषः

संबंधित राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियमों के अधिनियमन के बाद, इन अधिनियमों के तहत राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई है।

वर्ष 2003 में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को राज्य स्तर पर एक उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ताकि उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए अग्रसक्रिय प्रयासों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमीनी स्तर पर सीडब्ल्यूएफ से वित्तीय सहायता के साथ मजबूत किया जा सके। अब तक केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बंटवारे का अनुपात 75:25 (विशेष श्रेणी के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 90:10) है, जो 20.00 करोड़ रुपये (10.00 करोड़ रूपये से बढ़ाया गया है) के उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष की स्थापना के लिए है। सीडब्ल्यूएफ और सीडब्ल्यू(सी)एफ को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग–अलग ब्याज वाले खातों में रखा जाता है। भारत सरकार की मदद से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और असम में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 (10.01.2024 तक) के दौरान, 32.00 करोड़ रुपये की राशि निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई हैः–

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	राशि (करोड़ रुपये में)
1	अरूणाचल प्रदेश	2.00
2	असम	10.00
3	महाराष्ट्र	10.00
4	गोवा	10.00

3.3 उपभोक्ता आयोग के सदस्यों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम

पूरे भारत के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:–

क्र.सं.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम	राशि रुपये में	कवर किए गए राज्य	आयोजित / निर्धारित
1.	डॉ. अम्बेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, पुडुचेरी	13,94,937	पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	27 से 29 अक्तूबर, 2023
2.	महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मुंबई	5,93,835	महाराष्ट्र और गोवा	3 से 5 नवंबर, 2023 (स्थगित)
3.	चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना	5,36,250	बिहार	24 से 26 नवंबर, 2023
4.	धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर	3,15,000	मध्य प्रदेश	1 से 3 दिसंबर, 2023
5.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची	7,82,340	झारखंड	15 से 17 दिसंबर, 2023
6.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ओडिशा, कटक	5,16,500	ओडिशा	12 से 14 जनवरी, 2024
7.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	12,10,000	राजस्थान	2 से 4 फरवरी, 2024

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को उपभोक्ता मामलों पर अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में उनके कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करना है। उपभोक्ता संरक्षण कानूनों और चुनौतियों का विकास, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चिकित्सा लापरवाही के लिए दायित्व, ई–कॉमर्स और उपभोक्ता संरक्षण, न्यायिक / अर्ध–न्यायिक प्रक्रिया के मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा में एआई की भूमिका, मामलों का त्वरित और कुशल निपटान आदि जैसे विषयों पर कार्यक्रम में चर्चा की गई।

कार्यकारी सार

उपभोक्ता को सभी संगत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है ताकि वह शोषण से बचने में सक्षम हो सके और उत्पाद खरीदते समय और बाजार से सेवाओं का लाभ उठाते हुए एक सुविचारित विकल्प चुन सके। उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करना सरकार की जिम्मेदारी है, विशेषकर भारत जैसे कल्याणकारी गणराज्य में, क्योंकि इससे सामाजिक और आर्थिक लाभ होता है। इन अनिवार्यताओं को दर्शाते हुए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 3 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए अधिदेश दिया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और वस्तुओं या सेवाओं की कीमत, जैसा भी मामला हो, के बारे में सूचित करने का अधिकार शामिल है, ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। उपभोक्ताओं को अपनी व्यक्तिगत इच्छा और जरूरतों के अनुसार संसूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी तक पहुंच, उपभोक्ता संरक्षण 2016 के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध सामान्य सिद्धांतों में से एक है।

उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकार करते हुए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक अलग योजना के रूप में उपभोक्ता जागरूकता को मंजूरी दी गई थी। उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण के लिए नोडल विभाग होने के नाते, इस योजना को लागू कर रहा है। विभाग द्वारा चलाया गया अभियान उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता सशक्तीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।

इस स्कीम का उद्देश्य एक प्रभावी, निरंतर और गहन उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाना है, जिसका प्रभाव शहरी के साथ–साथ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए।

3.4 सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ताओं और जनता के लाभ के लिए नीतियों को लागू करता है, जो इस प्रक्रिया में उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता को मजबूत बनाता है। उपभोक्ता मामले विभाग ने इस उद्देश्य से उपभोक्ता अधिकारों और सूचना गतिविधि को चलाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। हालाँकि, इन पहलों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़ क्षेत्रों में, आवश्यक है ताकि उपभोक्ता इन पहलों से लाभ उठा सके और उन्हें अपने विकल्पों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके।

2. उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकार करते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में "जागो ग्राहक जागो" शीर्षक से मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चला रहा है। सरल संदेशों के माध्यम से, उपभोक्ताओं को कपटपूर्ण प्रथाओं और समस्याओं और निवारण प्राप्त करने के लिए तंत्र से अवगत कराया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता योजना के तहत आईईसी गतिविधियों की पूरी कार्यनीति को एक प्रभावी और गहन उपभोक्ता

जागरूकता अभियान चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि शहरी, अर्ध–शहरी के साथ–साथ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच बनाई जा सके।

3. उपभोक्ता जागरूकता अभियान केंद्रीय संचार ब्यूरो (भूतपूर्व बीओसी), दूरदर्शन (डीडी), अखिल भारतीय रेडियो (एआईआर), राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

4. पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजट आवंटन और व्यय निम्नलिखित है:

(रु करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	बी. ई.	आर. ई.	वास्तविक व्यय
1.	2020-21	60.00	42.50	42.25
2.	2021-22	44.50	25.00	25.00
3.	2022-23	25.00	17.50	17.49
4.	2023-24	17.99	25.00	17.50 (31 दिसंबर, 2023 तक)

5. चलाये जा रहे अभियानों के विषय हैं: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019; केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण; उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित, सस्ते और परेशानी मुक्त पंजीकरण और निपटान के लिए ई– दाखिल; पैकबंद वस्तु नियम; राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन; सही बाट और माप; आईएसआई चिह्न और सोने की हॉलमार्किंग।

6. विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए प्रचार प्रभाग द्वारा किए गए विभिन्न अभियानों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–.

3.4.1 दूरदर्शन (डीडी) के माध्यम से अभियान

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर वीडियो स्पॉट प्रसारित करके उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में विभाग की विभिन्न पहलों को प्रचारित करने के लिए एक मीडिया अभियान चलाया गया था।

3.4.2 अखिल भारतीय रेडियो (एआईआर) के माध्यम से अभियान

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं, हॉलमार्क, एमआरपी, उत्पाद की समाप्ति तिथि आदि के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अखिल भारतीय रेडियो के माध्यम से अ.जा.–अ.ज.जा. बहुल क्षेत्रों में एफएम रेनबो, प्राथमिक चैनलों और विविध भारती स्टेशनों पर उपभोक्ता जागरूकता के लिए विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता विषयों पर ऑडियो

स्पॉट चलाए गए हैं। व्यापक पहुंच के लिए आईसीसी विश्व कप 2023 क्रिकेट मैचों के दौरान आकाशवाणी के माध्यम से ऑडियो स्पॉट भी चलाए गए थे।

3.4.3 सोशल मीडिया/विभागीय वेबसाइट

बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण, सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है और व्यक्ति या समाज को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। उपभोक्ताओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर रचनात्मक और श्रव्य/दृश्य के रूप में नियमित पोस्ट और विभाग की अन्य पहलों को विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया जा रहा है।

https://twitter.com/jagograhakjago,

https://www.facebook.com/ConsumerAdvocacy

https://www.instagram.com/consumeraffairs_goi

https://www.kooapp.com/profile/jagograhakjago और

https://public.app/user/profile/6pfd8IXJydcXTivS6KYXN8SSLPm2

इन ट्वीट्स का उद्देश्य उपभोक्ताओं को निवारण तंत्र सहित प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करना है।

3.5 उपभोक्ता जागरूकता सामग्री का निमार्ण

उपभोक्ता जागरूकता के विभिन्न विषयों पर ऑडियो और वीडियो स्पॉट तैयार किए गए हैं। ये ऑडियो और वीडियो स्पॉट "संगठन और इकाइयां" टैब के तहत उपलब्ध "प्रचार" के तहत "वीडियो और ऑडियो" लिंक के तहत उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। वैकल्पिक रूप से, उन्हें https://jagograhakjago.gov.in/ConsumerAwareness/video/index.html पर देखा जा सकता है। यह संपूर्ण सामग्री (ऑडियो स्पॉट, वीडियो स्पॉट और प्रिंट क्रिएटिव) किसी भी व्यक्ति/संगठन द्वारा अपनी जानकारी और आगे के प्रसार के लिए डाउनलोड की जा सकती है।

3.6 आयोजनों/मेलों/त्योहारों में भागीदारी

विभाग देश भर में विभिन्न मेलों/त्योहारों/कार्यक्रमों में भाग लेता है ताकि विभिन्न उपभोक्ताओं विशेष रूप से देश के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सके, जो उन कार्यक्रमों/मेलों/उत्सवों में एकत्र होते हैं। विभाग ने नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2023 में मेले की अवधि के दौरान टिकट और होर्डिंग पर प्रचार करके भाग लिया है। साथ ही, विभाग ने कोहिमा, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव में भाग लिया। विभाग फरीदाबाद, हरियाणा में सूरजकुंड मेला 2023 में भी भाग ले लिया है।

3.7 सिनेमा थिएटर के माध्यम से अभियान

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर सिनेमाघरों में फिल्मों की स्क्रीनिंग के दौरान विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता विषयों पर वीडियो स्पॉट चलाने के लिए एक मीडिया अभियान चलाया गया है।

3.8 कॉमिक पुस्तकों के माध्यम से अभियान

विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मुख्य पात्र के रूप में "जागृति शुभंकर" को शामिल करते हुए कॉमिक पुस्तकें डिजाइन और मुद्रित की जा रही हैं। ये कॉमिक पुस्तकें एकलव्य विद्यालयों में प्रस्तावित वितरण के साथ डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगी।

3.9 राज्य/संघशासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता अनुदान

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र के विस्तार में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता/सहायता अनुदान का प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के प्रमुख घटकों में से एक रहा है। 2023 के दौरान जारी किए गए सहायता अनुदान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं: –

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	राशि (रु लाख में)
1.	मध्य प्रदेश	40.00
2.	मिजोरम	40.00
3.	त्रिपुरा	40.00
4.	गोवा	40.00
5.	मेघालय	40.00
6.	अरूणाचल प्रदेश	40.00
	कुल	**240.00**

JAGO GRAHAK JAGO

अब उपभोक्ता अधिक शक्तिशाली है

नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 20 जुलाई, 2020 से लागू हुआ।

अधिनियम और नियमों की मुख्य विशेषताएं

अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है।

चोट या क्षति की मांग के लिए प्रावधान
दोषपूर्ण उत्पाद/सेवा के कारण हुआ

सक्षम न्यायालय द्वारा सज़ा
मिलावटी/नकली सामान के निर्माण या बिक्री के लिए

उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं
वह मूल्य रु. 5 लाख

शिकायतों की सुनवाई का प्रावधान
कई उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

अनिवार्य पावती
उपभोक्ता की शिकायतें प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर

निवारण के लिए ई-कॉमर्स इकाई
प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायतें

Issued in public interest by :
Department of Consumer Affairs
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
www.consumeraffairs.nic.in

@consaff
@jagograhakjago

National Consumer Helpline
1800-11-4000
(Toll Free)

www.consumerhelpline.gov.in

Mark is assurance of Quality

अध्याय–4

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (नया अधिनियम) जिसे 9 अगस्त, 2019 को अधिसूचित किया गया था, दिनांक 20.07.2020 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य समयबद्ध और प्रभावी प्रशासन और उपभोक्ताओं के विवाद के निपटारे के लिए प्राधिकरण स्थापित करके उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।

डिजिटल युग ने वाणिज्य और डिजिटल ब्रांडिंग के एक नए युग के साथ–साथ ग्राहकों की अपेक्षाओं के एक नए सेट की शुरुआत की है। डिजिटलीकरण ने आसान पहुंच, पसंद की एक विशाल विविधता, सुविधाजनक भुगतान तंत्र, बेहतर सेवाएं और सुविधा के अनुसार खरीदारी प्रदान की है। हालाँकि, विकास पथ के साथ यह उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित चुनौतियों को भी लेकर आया।

इसे ध्यान में रखते हुए तथा डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के नए सेट को संबोधित करने के लिए और बाजारों में बदलाव के साथ तालमेल रखने के लिए, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करने और क्लास एक्शन के रूप में तेजी से कार्यकारी हस्तक्षेप को सक्षम बनाने के लिए उपभोक्ता की हानि को रोकने और उपभोक्ताओं के एक वर्ग को निवारण प्रदान करने हेतु, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने 3 (तीन) दशक से अधिक पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधि ानियम, 1986 (अधिनियम) को निम्नलिखित प्रावधानों से बदल दिया।

उपबंध	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
विनियामक	केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए.) की स्थापना
उपभोक्ता आयोग	शिकायत उस उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराई जा सकती है जहां शिकायतकर्ता रहता हो अथवा कार्य करता हो।
उत्पाद देयता	उपभोक्ता उत्पाद अथवा सेवा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने की मांग कर सकता है।
आर्थिक क्षेत्राधिकार	जिला आयोग – 50 लाख रुपये तक राज्य आयोग – 50 लाख रुपये से अधिक और 02 करोड़ रुपये तक राष्ट्रीय आयोग 02 करोड़ रुपये से अधिक
ई–कॉमर्स	ई–कामर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियम

उपभोक्ता संरक्षण (सीपी) अधिनियम के तहत निम्नलिखित आवश्यक नियम और विनियम अधिसूचित किए गए हैं:

नियम

i. उपभोक्ता संरक्षण (सामान्य) नियम, 2020;

ii. उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2020;

iii. उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020;

iv. उपभोक्ता संरक्षण (ई–कॉमर्स) नियम, 2020

v. उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, इस्तीफा और राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना) नियम, 2020

vii. उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020

vii. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020

viii. सीसीपीए (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2021

ix. उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा तलाशी और जब्ती और अपराधों की कंपाउंडिंग और जुर्माना जमा करना) नियम, 2021

x. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (खातों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2021

xi. उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021

xii. उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार) नियम, 2021

xi. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022

xii. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023

xii राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023

xiv.. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (पंजीयक) भर्ती नियम, 2023

xv. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें) नियम, 2023

विनियम

i. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2020;

ii. उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020

iii. उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया) विनियम, 2020

iv. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (कार्य आवंटन और संचालन) विनियम, 2020

v. सीसीपीए (विशेषज्ञों और पेशेवरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2021

vi.. सीसीपीए (जांच खंड द्वारा जांच या अन्वेषण प्रस्तुत करना) विनियम, 2021

इसके अलावा, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए एक नियामक निकाय, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की दिनांक 24.07.2020 को स्थापना की गई है। सीसीपीए को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायत/अभियोग चलाने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देने, भ्रामक विज्ञापनों के विनिर्माताओं/समर्थकों(इंडोर्सर)/प्रकाशकों पर दंड लगाने का अधिकार है।

इसके अलावा, नए अधिनियम के प्रावधानों के तहत, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और एनसीडीआरसी में उपभोक्ता मामलों की ई–फाइलिंग शुरू की गई है।

सरकार इसलिए उपभोक्ता सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण से सर्वोत्तम उपभोक्ता प्रथाओं और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। बदलते बाजार परिदृश्य के साथ, डिजिटल युग में उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक यथार्थवादी अधिनियम की जरूरत को महसूस किया गया और नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 निश्चित रूप से विक्रेता जागरूकता से उपभोक्ता जागरूकता (कैविएट एम्प्टर के दिनों से कैविएट वेंडर होने) की दिशा में एक ठोस कदम है।

4.1 उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता आन्दोलन सरकार, व्यापार तथा उन स्वतंत्र संगठनों की व्यापक गतिविधियों का उल्लेख करता है जो उन नीतियों से व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं जो उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। समूचे विश्व में उपभोक्ता आन्दोलन स्थगित हो गया है। भारत कोई अपवाद नहीं है। सरकार उपभोक्ताओं के हितों का बेहतर तरीके से संरक्षित करने को उच्च प्राथमिकता देती रही है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि 33 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से बदलकर डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा

की जाए। इससे उपभोक्ता चालित व्यापार (जैसे खुदरा बिक्री, ई-कामर्स) कानूनी परिदृश्य में बदलावों से सतर्क रहने की और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं और अनैतिक व्यापार प्रथाओं के विरूद्ध अतिरिक्त सावधानियां बरतने के प्रयास की आशा की जाती है।

2. आज बाजार संसाधन तथा प्रभावों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता भी बढ़ रही है। इस दिशा में, सरकार उपभोक्ताओं को सशक्त करने के उद्देश्य से उनमें उचित जागरूकता पैदा करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है क्योंकि सरकार इस तथ्य को मानती है कि एक जागरूक उपभोक्ता समाज की सम्पत्ति है; वह अपने आपको न केवल शोषण से संरक्षित करता/करती है बल्कि कानूनी उपायों शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रमों आदि से उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभिन्न आयामों पर उपभोक्ता कल्याणकारी उपायों को आरंभ करते हुए समस्त प्रणाली में कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को प्रेरित करते हैं।

3. उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

i. उपयुक्त प्रशासकीय एवं विधिक तंत्र बनाना जिस तक उपभोक्ताओं की पहुंच आसानी से हो सके और उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों से सम्पर्क करना।

ii. उपभोक्ता संगठनों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को इस कार्यक्रम में शामिल करना और इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना।

iii. उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरुकता पैदा करना, उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने और वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता और मानक के संबंध में समझौता न करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा यदि अपेक्षित हो तो प्रतितोष प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता आयोगों में जाने के लिए प्रेरित करना।

iv. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सामाजिक दायित्वों के प्रति शिक्षित करना।

v. उपयुक्त विधान के माध्यम से लाभकारी उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान करना।

4.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात् भारत के माननीय राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (नया अधिनियम) 9 अगस्त, 2019 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। यह अधिनियम दिनांक 20.07.2020 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन 24.07.2020 को केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी. सी.पी.ए.) की स्थापना की गयी। सी.सी.पी.ए. को निम्नलिखित के संबंध में अधिकार प्राप्त है

(क) इस अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करना, संवर्धित करना तथा प्रवृत्त करना और उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाना;

(ख) अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा का कोई झूठा अथवा भ्रामक विज्ञापन न किया जाए जो इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों का उल्लंघन करते हो;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग न ले जो झूठा अथवा भ्रामक हो।

क) त्वरित अधिनिर्णयनः अधिनियम 2019 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायतें दायर करने और वीडियो–कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई और/अथवा पक्षकारों की जांच करने हेतु उपभोक्ताओं के लिए प्रावाधान को समर्थ बनाते हुए शिकायतों के त्वरित अधिनिर्णयन पर बल दिया गया है। इसमें उपभोक्ता को निवास–स्थान अथवा कार्य–स्थल पर स्थित आधिकारिक उपभोक्ता मंच में शिकायतें दायर करने की छूट का प्रावधान है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना और उपभोक्ताओं की असुविधा तथा उत्पीड़न को कम करना है।

ख) उत्पाद दायित्वः किसी भी उत्पाद से अथवा उसके परिणामस्वरूप हुई व्यक्तिगत क्षति, मृत्यु अथवा सम्पत्ति संबंधी क्षति के लिए अथवा उस "उत्पाद दायित्व"संबंधी प्रावधान आरंभ किया गया है। शब्द "उत्पाद विक्रेता" को उस व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए शामिल किया गया है जो वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु उत्पाद की प्रस्तुत करने में शामिल है और इस प्रकार, ई–कामर्स मंचों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें उत्पाद–दायित्व कार्रवाई के लिए आधार तथा दावाकर्ता के लिए विनिर्माता की देयता का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत किसी विनिर्माता या सेवा प्रदाता को एक उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति करनी है यदि उनकी वस्तु/सेवा से उपभोक्ता को विनिर्माण दोष अथवा घटिया सेवा के कारण क्षति अथवा नुकसान होता है।

ग) धन संबंधी अधिकार क्षेत्र में वृद्धिः नए अधिनियम के अन्तर्गत संशोधित धन–संबंधी सीमाएं नियत कर दी गई हैं। तदनुसार, जिला आयोग (पहले इसे जिला मंच के नाम से जाना जाता था) अब उपभोक्ताओं की उन शिकायतों को स्वीकार कर सकता है जहां वस्तु का मूल्य अथवा प्रदत्त सेवा 50 लाख रुपये से अधिक न हो। राज्य आयोग उन विवादों को स्वीकार कर सकता है जहां यह कीमत 50 लाख रुपये से अधिक हो और अधिकतम 2 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आयोग उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है जहां यह कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक हो।

घ) ई–कॉमर्स नियमः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए ई–कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने

के लिए ई–कॉमर्स नियमों को अधिसूचित किया गया है। ये नियम ई–कॉमर्स संस्थाओं (मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री मॉडल) और मार्केट प्लेस ई–कॉमर्स संस्थाओं के विक्रेताओं के कर्तव्यों और देनदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। जैसे, ई–कॉमर्स नियम, 2020 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक ई–कॉमर्स इकाई को अपने प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में विवरण प्रदान करना आवश्यक है। उनके लिए रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी और शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान विधियों की सुरक्षा, चार्ज–बैक विकल्प आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

ङ) प्रत्यक्ष बिक्री नियमः इन नियमों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया है। ये नियम उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के संबंध में प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और प्रत्यक्ष विक्रेताओं के विनियमन का प्रावधान करते हैं।

च) अनुचित व्यापार प्रथाएंः इस नए अधिनियम में अनुचित व्यापार प्रथाओं की एक विशिष्ट व्यापक परिभाषा आरंभ की गई है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा विश्वास के रूप में दी गई व्यक्तिगत सूचना को साझा करना शामिल है जब तक कि इस प्रकार किया गया प्रकटन किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार न हो।

छ) अन्य उपबंधः उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता विवाद अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कई उपबंध किए गए हैं इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ,–शिकायतों के त्वरित निपटान करने के लिए राज्य आयोगों के सदस्यों की न्यूनतम संख्या को बढ़ाना; राज्य और जिला आयोगों को अपने स्वयं के निर्णयों की पुनरीक्षा करने की शक्ति प्रदान करना; शिकायतों का त्वरित निपटान करने के लिए "सर्किट पीठों" का गठन करना; उपभोक्ताओं को इलैक्ट्रानिक रूप से शिकायतें दर्ज करवाने और उन्हें ऐसे उपभोक्ता न्यायालयों, जिनके क्षेत्राधिकार में शिकायतकर्ता का निवास आता है, में शिकायत दर्ज कराने हेतु सक्षम बनाने के लिए समर्थकारी प्रावधान करना तथा स्वीकार्यता के प्रश्न के संबंध में 21 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर कोई निर्णय न होने की स्थिति में शिकायत का स्वतः स्वीकृत हो जाना शामिल है।

एक स्मार्ट उपभोक्ता बनें

प्रत्येक प्री-पैकेज्ड वस्तु पर जांचे जाने वाले विवरण:

- निर्माता/पैकर/ आयातक का नाम और पता
- वस्तु का सामान्य या सामान्य नाम
- शुद्ध मात्रा
- निर्माण/पैकेजिंग/ आयात का महीना और वर्ष
- अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)
- उपभोक्ता देखभाल विवरण
- उद्गम देश
- वह महीना और वर्ष जिसके बाद वस्तु मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो सकती है

Issued in public interest by :
Department of Consumer Affairs
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
www.consumeraffairs.nic.in

@consaff
@jagograhakjago

National Consumer Helpline
1800-11-4000
(Toll Free)

1915
www.consumerhelpline.gov.in

Mark is assurance of Quality

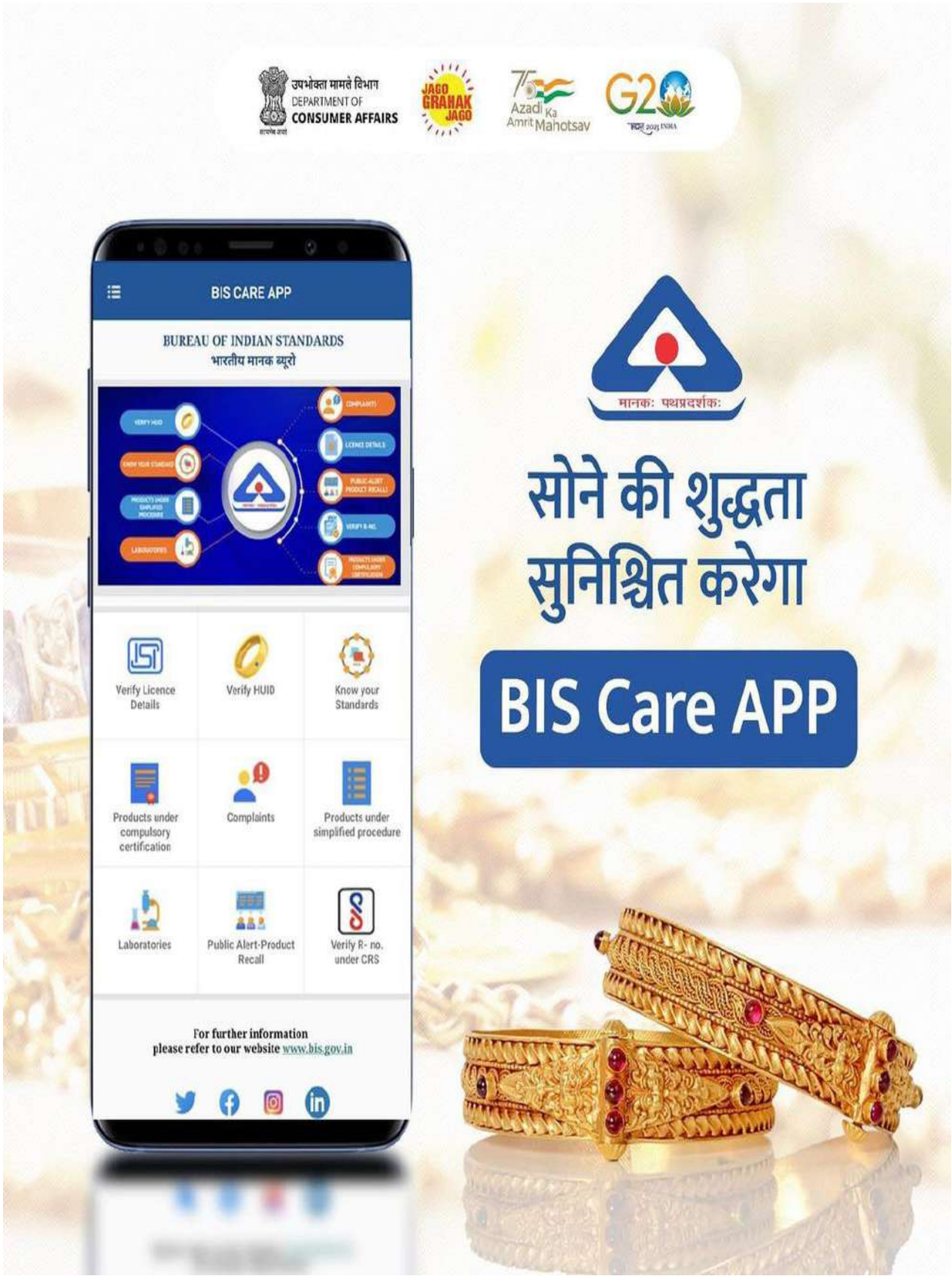
उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
JAGO GRAHAK JAGO
Azadi Ka Amrit Mahotsav
G20
BIS CARE APP
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
भारतीय मानक ब्यूरो
Verify Licence Details
Verify HUID
Know your Standards
Products under compulsory certification
Complaints
Products under simplified procedure
Laboratories
Public Alert-Product Recall
Verify R- no. under CRS
For further information
please refer to our website www.bis.gov.in
मानकः पथप्रदर्शकः
सोने की शुद्धता सुनिश्चित करेगा
BIS Care APP

अध्याय–5

उपभोक्ता विवाद निवारण

5.1 उपभोक्ता विवाद निवारण

कॉन्फोनेट पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, देश में उपभोक्ता आयोगों के सभी तीनों स्तरों में मामलों के निपटान का औसत प्रतिशत 106.96% है, जो कि प्रभावशाली है। वर्ष 2023 के दौरान राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों और जिला आयोगों में दायर और निपटाए गए मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	दायर और पुनः स्थापित किए गए मामले	निपटाए गए मामले	कुल निपटान प्रतिशत में
1	राष्ट्रीय आयोग	5241	6390	121.92%
2	राज्य आयोग	27304	28223	103.37%
3	जिला आयोग	140225	149991	106.96%
	कुल	**172770**	**184604**	**106.85%**

31 दिसंबर, 2023 तक, स्थापना के बाद से सभी उपभोक्ता आयोगों में दायर मामलों की कुल संख्या 27,51,500 थी जिनमें से 22,08,517 का निपटान किया गया और 5,42,983 लंबित थे।

5.2 उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं

यद्यपि जिला और राज्य स्तरों पर उपभोक्ता आयोग की स्थापना की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है, केंद्र सरकार उपभोक्ता आयोगों के कामकाज में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रही है:

5.2.1 उपभोक्ता आयोगों का सुदृढ़ीकरण:– केंद्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता आयोगों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता आयोग को न्यूनतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, जो उनके प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक हैं। इस योजना के तहत प्रदान की जा रही बुनियादी सुविधाओं में उपभोक्ता आयोग के नए भवन का निर्माण, मौजूदा भवनों का परिवर्धन/परिवर्तन/नवीनीकरण करना और गैर–भवन संपत्ति जैसे फर्नीचर, कार्यालय उपकरण प्राप्त करना, सीसीटीवी कैमरे की स्थापना आदि शामिल है।

5.3 वर्ष 2023–24 के दौरान उपलब्धियाँ

5.3.1 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15.03.2023 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में मनाया गया। कार्यक्रम का विषय था "स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना"। माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

(श्रीमती निधि खरे, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने 15 मार्च, 2023 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया।)

5.3.2 देश भर में विभिन्न सम्मेलन

1. उपभोक्ता मामले विभाग ने 08.02.2023 को उपभोक्ता और बीमा क्षेत्र पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संबंधित मंत्रालयों/विभागों जैसे वित्तीय सेवा विभाग, कृषि मंत्रालय, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), बीमा लोकपाल परिषद के बीमा लोकपाल, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, बीमा क्षेत्र की कंपनियां और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान, उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई जिन पर दावे अस्वीकार कर दिए गए हैं जैसेः (i) बीमा अनुबंध में अस्पष्टता यानी तकनीकी शब्दजाल और जटिल शब्दों का उपयोग, (ii) उपभोक्ता की पात्रता, पहले से मौजूद

बीमारियों के कारण खारिज किए गए दावे, (iii) मध्यस्थ ने अनुबंध की शर्तों का खुलासा नहीं किया, (iv) पात्रता (पहले से मौजूद बीमारियों के अलावा), (v) स्कीम से जुड़े फसल बीमा नियम।

3. उपभोक्ता मामले विभाग ने, महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से, 18 अप्रैल, 2023 को मुंबई में "रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण कैसे करें" विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में हितधारकों के एक विविध समूह की भागीदारी थी जिसमें सरकारी अधिकारी, दिल्ली आरईआरए के अध्यक्ष, महाराष्ट्र आरईआरए के अध्यक्ष, एमओएचयूए, आईबीबीआई के अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ, उद्योग अग्रणी और उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता शामिल थे, ताकि रियल एस्टेट क्षेत्र में घर खरीदारों और बिल्डरों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के कार्रवाई योग्य समाधान की पहचान की जा सके। सम्मेलन के दौरान रियल एस्टेट से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई, जैसे आवास क्षेत्र में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए प्रणालीगत नीतिगत हस्तक्षेप, विशेष रूप से आवास क्षेत्र के मामलों के लिए आरईआरए जैसे अलग प्राधिकरणों के अस्तित्व के बावजूद उपभोक्ता आयोगों के समक्ष दायर मामलों की उच्च संख्या का कारण, और आवास क्षेत्र के मामलों का प्रभावी और समय पर समाधान सुनिश्चित करना।

4. उपभोक्ता मामले विभाग (उ.मा.) ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के साथ मिलकर 13.06.2023 को मुंबई में "डार्क पैटर्न" पर हितधारकों के साथ एक इंटरैक्टिव परामर्शी का आयोजन किया। सत्र की अध्यक्षता उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने की। डार्क पैटर्न का मुकाबला करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग, ई–टिकटिंग, रेस्तरां और पर्यटन सहित कई श्रेणियों के लिए स्व–नियामक उपायों पर चर्चा की गई। इनमें विशिष्ट प्रकार के डार्क पैटर्न पर रोक लगाना, उपभोक्ता–अनुकूल डिजिटल विकल्प अवसंरचना को बढ़ावा देना और नियामकों को सशक्त बनाना शामिल है

Definitions of Dark Patterns

5. उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सहयोग से 29.09.2023 को विशाखापत्तनम में कई भारतीय राज्यों और संघशासित प्रदेशों में उपभोक्ता संरक्षण पर केंद्रित एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में उपभोक्ता संरक्षण संरचना, मानकों के विकास और प्रवर्तन, मूल्य निगरानी और विधिक मापविज्ञान में प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया गया। उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में एनसीडीआरसी के अध्यक्ष, दक्षिणी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य और जिला आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य शामिल थे। इस कार्यक्रम में मामले के निपटान दरों में उल्लेखनीय वृद्धि, मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए एआई समाधानों के उपयोग और उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य निगरानी को बढ़ाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों ने देश भर में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए अपने–अपने क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

अधिसूचित नियम/विनियम

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 2023 के दौरान निम्नलिखित नियम/विनियम/दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं:

i. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023

ii. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023

iii. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (पंजीयक) भर्ती नियम, 2023

iv. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के अन्य नियम और शर्तें) भर्ती नियम, 2023

5.4 डाक पैटर्न, 2023 की रोकथाम और विनियम के लिए दिशा–निर्देश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। सीसीपीए ने डार्क पैटर्न को विनियमित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(1) के तहत दिशानिर्देश जारी किए, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) और 2(47) क्रमशः के तहत परिभाषित "भ्रामक विज्ञापनों" या "अनुचित व्यापार प्रथा" की प्रकृति के समान भ्रामक प्रथाएं हैं। दिशानिर्देश 13 प्रकार के डार्क पैटर्न निर्दिष्ट करते हैं जिनमें झूठी तात्कालिकता, बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, इंटरफेस इंटरफेरेंस, बेट एवं स्विच, ड्रिप प्राइसिंग, प्रच्छन्न विज्ञापन और नैगिंग, ट्रिक वर्डिंग, एसएएएस बिलिंग और रोग मैलवेयर शामिल हैं। दिशानिर्देशों को उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाज़ार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है, विशेष रूप से तेजी से बढ़ते डिजिटल क्षेत्र में।

5.5 मध्यस्थता

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक उपभोक्ता आयोग (जिला, राज्य और राष्ट्रीय) में एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ होगा। उपभोक्ता मामले, जहां संबंधित पक्षों के बीच समझौते का एक तत्व मौजूद है, इन मध्यस्थता प्रकोष्ठों को अधिनिर्णय के लिए पक्षों की सहमति से भेजा जा सकता है। इसलिए यह एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में, देश में लगभग 574 मध्यस्थता प्रकोष्ठ हैं।

5.6 मामलों का निपटान

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों जैसे विभिन्न क्षेत्रीय कार्यशालाओं, राज्य विशिष्ट बैठकों और विभिन्न क्षेत्र–विशिष्ट सम्मेलनों के परिणामस्वरूप, जुलाई 2022 से मामलों के त्वरित और कुशल निपटान की दिशा में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आया है। कई राज्यों और जिला आयोगों में निपटान दर 100% से अधिक है। इस संदर्भ में, विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उद्देश्य यानी मामलों का त्वरित, प्रभावी और समय पर निपटान प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके।

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
JAGO GRAHAK JAGO
Azadi ka Amrit Mahotsav
G20
I DON'T WANT THIS PRODUCT
WHY?
PRODUCT IS DEFECTIVE
SORRY, WE DON'T HAVE A REFUND POLICY
SELLER CANNOT REFUSE A REFUND,
IF GOODS AND SERVICES ARE DEFECTIVE.

एनटीएच में लोक शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापनाः

राष्ट्रीय परीक्षणशाला एक अग्रणी वैज्ञानिक संस्थान है जो परीक्षण, अंशांकन, मूल्यांकन, गुणवत्ता आश्वासन, सामग्री और तैयार उत्पादों के मानकीकरण में लगा हुआ है। उपरोक्त सेवाओं और गतिविधियों के लिए जनता के साथ सीधा जुड़ाव है, जो नमूनों को जमा करने से शुरू होता है और नमूनों और परीक्षण शुल्क की प्राप्ति के साथ समाप्त होता है। ये सेवाएं एनटीएच की सभी इकाइयों में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध हैं और यह एक सिंगल विंडो "सैंपल रूम" के माध्यम से कार्य करती है। इसके बावजूद, पंजीकरण और शीघ्र निवारण हेतु लोक शिकायतों की निगरानी के लिए एनटीएच के प्रत्येक क्षेत्र में एक लोक शिकायत प्रकोष्ठ है। प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख इस प्रकोष्ठ की अध्यक्षता करते हैं।

उपलब्धिः

वर्ष 2023–24 के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक लोक शिकायत पर रिपोर्ट निम्नानुसार हैः

31.12.2022 को लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
01.01.22 से 31.12.2023 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	7
01.01.22 से 31.12.2023 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	7
31.12.2023 को लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

5.8 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच)

विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को नया रूप दिया है, जो मुकदमेबाजी–पूर्व चरण में शिकायत निवारण के लिए देश भर में उपभोक्ताओं तक पहुंच के एकल बिंदु के रूप में उभरा है। उपभोक्ता टोल–फ्री नंबर 1915 के माध्यम से देश भर से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इन शिकायतों को उनकी सुविधा के अनुसार व्हाट्स ऐप, एसएमएस, ईमेल, एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल, उमंग ऐप जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम), एक ओमनी चैनल आईटी सक्षम केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सकता है।

यह हेल्पलाइन राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह के सभी सात दिनों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक समर्पित तरीके से काम करती है। इस उद्देश्य के लिए, एक विशेष कॉल सेंटर स्थापित किया गया है और उपभोक्ताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कॉल बैक की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा, एनसीएच ने प्रमुख हितधारकों, जैसे निजी कंपनियों, नियामकों, लोकपाल सरकारी एजेंसियों के साथ भी साझेदारी की है, ताकि उन्हें एक ही ऑनलाइन आईटी प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, जहां सभी शिकायतों को यूनीक डॉकेट नंबर के साथ एक केंद्रीय भंडार में एकत्रित किया जाता

है। वर्तमान में 877 अभिसरण भागीदार उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान की पेशकश करने के लिए एनसीएच के साथ सहयोग में हैं।

एनसीएच के परिवर्तनकारी परिवर्तनों और तकनीकी उन्नयन से कॉल हैंडलिंग सुविधा में वृद्धि हुई है। एनसीएच पर प्राप्त कॉलों की संख्या नवंबर 2014 में 12,303 से तेजी से बढ़कर नवंबर 2022 में 90,973 हो गई है और दिसंबर 2023 में 1,44,370 हो गई है। विभाग द्वारा की गई पहलों ने उपभोक्ताओं को एनसीएच पर अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो एनसीएच में पंजीकृत शिकायतों की संख्या में वृद्धि के साथ प्रकट हुआ है।

5.9 ई–दाख़िल

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 शिकायतों की ई–फाइलिंग का प्रावधान करता है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020 राष्ट्रीय आयोगों, राज्य आयोग और जिला आयोग में शिकायतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने का प्रावधान करता है। शिकायतों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए ई–दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया। अब तक राष्ट्रीय आयोग के अलावा, 35 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में ई–फाइलिंग सुविधा चालू हो चुकी है। ई–दाखिल की विशेषताओं में अन्य बातों के साथ–साथ उपयोगकर्ता पंजीकरण, ऑनलाइन शुल्क भुगतान, आवेदन की स्थिति, प्रत्युत्तर, एसएमएस/मेल अलर्ट और शिकायत दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा शामिल है। यह मामलों का त्वरित, प्रभावी और परेशानी मुक्त समाधान प्रदान करता है।

वर्ष 2023 में ई–दाखिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की गई उपभोक्ता शिकायतों की कुल संख्या 70,251 है। वर्ष 2023 के लिए पंजीकृत उपयोगकर्ता 88,301 है।

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
सत्यमेव जयते
जागो ग्राहक जागो अंतर्गत
आज़ादी का अमृत महोत्सव
बीआईएस
केयर मोबाइल
एप्प तथा
शिकायत पोर्टल
के माध्यम से
शिकायत हेतु बीआईएस को
संपर्क करें
BIS CARE APP
@consumeradvocacy
@consumeraffairs_goi
@jagograhakjago
@nch1915

DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
Government of India
सत्यमेव जयते
JAGO GRAHAK JAGO
75 Azadi Ka Amrit Mahotsav
BIS CARE APP
बीआईएस
केयर मोबाइल
एप्प का प्रयोग करके
ज्वैलरी वस्तुओं पर
लगी बीआईएस
मुहरकी असलियत
की जाँच करें।
@consumeradvocacy
@consumeraffairs_goi
@jagograhakjago
@nch1915

अध्याय–6

उपभोक्ता सहकारिताएं

भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ मर्यादित, (एन.सी.सी.एफ.), नई दिल्ली एक राष्ट्र स्तरीय उपभोक्ता सहकारिता सोसायटी है, जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश है। इसका पंजीकरण अक्तूबर, 1965 में हुआ था और यह बहु–राज्यीय सहकारिता सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत कार्य कर रही है। दिनांक 31.03.2023 तक, एन.सी.सी.एफ. के 152 सदस्य हैं, जिसमें भारत सरकार, राष्ट्रीय स्तर के तीन सहकारिता संगठन – नामतः भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) शामिल हैं।

क. दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, एन.सी.सी.एफ. की कुल संदत्त शेयर पूंजी 15.02 करोड़ रुपये थी, जिसमें से भारत सरकार द्वारा दिया गया अंशदान 9.48 करोड़ रुपये (अर्थात् 63.12%) है।

ख. एन.सी.सी.एफ. का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश के विभिन्न भागों में इसकी 26 शाखाएं हैं। इसके पास पूरे भारत में स्थित कार्यालय भवन और औद्योगिक इकाइयों सहित विभिन्न भौतिक संपत्तियां हैं।

ग. वर्ष 2022–23 के दौरान 2309.63 करोड़ रुपये के मुकाबले बिक्री कारोबार 2811.39 करोड़ रुपये रहा। अधिकांश बिक्री किराना और सामान्य व्यापारिक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित है। वर्ष के दौरान, केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) होने के नाते एनसीसीएफ ने मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के तहत प्याज, दालों आदि की खरीद की। एनसीसीएफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में भी निर्माण गतिविधियां चला रहा है।

घ. विगत तीन वर्षों के दौरान एन.सी.सी.एफ. के कारोबार तथा इसकी लाभदेयता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(रु करोड़ में)

श्रेणी	2020–21	2021–22	2022–23
बिक्री	2295.92	2309.62	2811.39
कर से पहले लाभ	25.00	31.53	40.76
कर के बाद लाभ	17.01	23.58	29.26

ङ. वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 22.09.2023 को आयोजित एनसीसीएफ की वार्षिक सामान्य बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, एनसीसीएफ के सभी शेयरधारकों को 10% की दर से लाभांश जारी करने का निर्णय और अनुमोदन किया गया है। भारत सरकार की शेयर पूंजी की गणना के अनुसार अर्थात ₹9,48,50,000/–, लाभांश 10% की दर से ₹94,85,000/– है। तदनुसार, एनसीसीएफ ने दिनांक 22.12.2023 को bhartkosh.gov.in के माध्यम से भारत सरकार को शेयर पूंजी के 10% की दर से लाभांश के रूप में ₹94,85,000/– (चौरानवे लाख पचासी हजार रुपये) का भुगतान किया है।

(22 सितंबर, 2023 को आयोजित 53वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक)

(4.01.2024 को किसानों के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ)

(18.10.2023 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ बैठक)

(18.10.2023 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ बैठक)

(18.10.2023 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ बैठक)

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS

JAGO GRAHAK JAGO

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20

क्या आप जानते हैं?

भारत सरकार ने 7 से 14 वर्ष के बच्चों के खिलौनों के लिए BIS ACT, 2016 की धारा 16 के तहत TOYS QUALITY CONTROL ORDER (QCO), 2020 जारी किया है

खिलौनों पर ISI MARK होगा अनिवार्य

उल्लंघन करने पर BIS ACT, 2016 के तहत होगी कार्रवाई

बिना ISI MARK -› उत्पादन / बिक्री / व्यापार / आयात और भण्डारण/स्टॉक नहीं किया जा सकेगा

आप भी अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदते समय उन पर ISI MARK ज़रूर देखें और बिना ISI MARK के खिलौनों की खरीद या बिक्री होते देखें तो तुरंत NATIONAL CONSUMER HELPLINE 1915 पर कॉल करें|

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS

JAGO GRAHAK JAGO

Azadi Ka Amrit Mahotsav

पैकबंद

वस्तु खरीदते समय यह जरूर देखें कि वह वस्तु किस देश में निर्मित है।

@consumeradvocacy @consumeraffairs_goi @jagograhakjago @nch1915

अध्याय–7

भारतीय मानक ब्यूरो

7.1 सामान्य

भारतीय मानक संस्थान (आई.एस.आई.), जो वर्ष 1947 में अस्तित्व में आया, की परिसम्पत्तियों और देयताओं का अधिग्रहण करके भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) की स्थापना की गई थी। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 36 शाखा कार्यालय और 8 प्रयोगशाला और एक प्रशिक्षण संस्थान का नेटवर्क है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 दिनांक 12 अक्तूबर, 2017 को प्रवृत्त हुआ, तदन्तर अधिशासी परिषद का पुनर्गठन किया गया और इसकी तृतीय बैठक 01 मार्च 2021 को बीआईएस, मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित की गई।

भारतीय मानक ब्यूरो को वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाले मानक तैयार करने का अधिदेश प्राप्त है। ब्यूरो, मानकों को अद्यतन बनाकर, उभरते क्षेत्रों के लिए नए मानक विकसित करके और गुणवत्ता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माल और सेवा क्षेत्र को प्रमाणन प्रदान करके उद्योग और सेवा क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसी प्रमुख गतिविधियों और भारतीय मानक ब्यूरो का कार्य–निष्पादन नीचे दिया गया है:

7.2 मानकों का निर्माण

राष्ट्रीय मानक के रूप में बीआईएस तकनीकी समितियों के एक परामर्श तंत्र के माध्यम से भारतीय मानकों को विकसित करता है जिसमें संगत विषय में अभिरूचि रखने वाले विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाता है ताकि सभी के विचारों पर उचित विचार किया जा सके और एक मानक तैयार करते समय आम सहमति बनाई जा सके। राष्ट्रीय मानकीकरण में शामिल हितधारकों को व्यापक रूप से उद्योग, उप भोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों (अनुसंधान एवं विकास और वैज्ञानिक संस्थानों, शिक्षाविदों, व्यक्तिगत विषय विशेषज्ञों, आदि) और सरकारी विभागों/विनियामकों के रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है। बीआईएस के मानकों के विकास की प्रक्रिया स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है जो स्वतंत्र, पारदर्शिता, निष्पक्षता और आम सहमति के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। प्रक्रिया दिए गए क्षेत्र या विषय की मानकीकरण आवश्यकताओं की पहचान के साथ शुरू होती है, जिसके बाद संबंधित तकनीकी समिति द्वारा मानक के विकास और योजना

बनाई जाती है। तकनीकी समितियों में परामर्श के अलावा, मसौदा मानक पर जनता के विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता है।

जनवरी 2023 से 31 दिसंबर, 2023 के दौरान 1897 मानक (747 नए और 1150 संशोधित) तैयार किए गए। साथ ही इस दौरान कुल 3912 मानकों की समीक्षा की गई। 25 दिसंबर, 2023 तक लागू मानकों की कुल संख्या 22057 है। इस अवधि के दौरान प्रकाशित महत्वपूर्ण मानकों की सूची **अनुलग्नक–I** में दी गई है।

बीआईएस की मानक निर्माण गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों और आईएसओ/आईईसी मार्गदर्शन 59 में निर्धारित सिफारिश की गई प्रथाओं का पालन करती है। डब्ल्यूटीओ–टीबीटी समझौते की आचार संहिता के अनुसार और एक नीति के रूप में, बीआईएस तकनीकी समितियां जहां उपलब्ध हो और जहां तक संभव हो, भारतीय परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय आईएसओ और आईईसी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ मानक अनुरूपता बनाती हैं।

इस प्रक्रिया में, यदि अंतर्राष्ट्रीय (आईएसओ/आईईसी) स्तर पर एक समान मानक मौजूद है, 799 भारतीय मानकों को छोड़कर, 8,676 आईएसओ/आईईसी मानकों के अनुरूप हैं। 9,475 मौजूदा भारतीय मानक हैं जिनके लिए संबंधित आईएसओ या आईईसी मानक मौजूद हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय मानकों को अपनाने और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान पूरे भारत में 100 से ज्यादा वेबिनार, सेमिनार और बैठकें आयोजित कीं, जिसमें भवन विनियम, आत्मनिर्भर सुरक्षा – विद्युत सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय विद्युत के क्षेत्र में मानकीकरण भारत की संहिता, फैटी एसिड, कृषि उपोत्पाद से बने बर्तन और जैविक खेती, अमोनिया प्रशीतन प्रणाली, मांस उद्योग के क्षेत्र में मानकीकरण, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में मानकीकरण की भूमिका, आईओटी, डिजिटल ट्विन, एआई, मेटावर्स, एआर/वीआर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां, स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0, प्रिंटिंग मशीनरी के क्षेत्र में मानकीकरण की भूमिका, कंप्रेसर के क्षेत्र में उभरते रुझान और प्रौद्योगिकियां, सतत प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग के लिए सर्कुलर इकोनॉमी, सिलाई मशीन – उभरते मुद्दे, इलेक्ट्रो मेडिकल, डायग्नोस्टिक इमेजिंग और रेडियोथेरेपी उपकरण, इस्पात क्षेत्र में स्थिरता, रबर उद्योग के लिए एसडीजी, बेयरिंग का मानकीकरणः चुनौतियां और अवसर, ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाएं – मानक और अनुरूपता मूल्यांकन, खतरनाक वस्तुओं का परिवहन, मीडिया और मनोरंजन सेवाओं में मानक, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग, ऑटोमोटिव टायर, कपास बाल्स, शहरी बाढ़ आदि के क्षेत्र में मानकीकरण जैसे व्यापक विषयों को शामिल किया गया।

अनुलग्नक ।

प्रकाशित किए गए महत्वपूर्ण मानक

क्र सं	आई एस सं	शीर्षक
1.	आईएस 17893 : 2023	कार्य परमिट प्रणाली – अभ्यास संहिता
2.	आईएस 18462 : 2023	इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर
3.	आईएस 18283 : 2023	पेयजल के ऑनसाइट परीक्षण के लिए पोर्टेबल फील्ड परीक्षण किट – विनिर्देश
4.	आईएस 18250: 2023	सिंथेटिक मेन्थॉल – विनिर्देश
5.	आईएस 18267 : 2023	कृषि उपोत्पादों से बने भोजन परोसने वाले बर्तन – विनिर्देश
6.	आईएस 17192 (भाग 4) : 2023	सर्विस रोबोट के लिए रोबोटिक्स प्रदर्शन मानदंड और संबंधित परीक्षण विधियां भाग 4: लोअर–बैक सपोर्ट रोबोट
7.	आईएस 18294: 2023	इलेक्ट्रिक रिक्शा ई–कार्ट निर्माण और कार्यात्मक सुरक्षा आवश्यकताएँ विनिर्देश
8.	आईएस 18381 (भाग 1) :2023	मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) – सामान्य आवश्यकताएँ भाग 1 सैन्य उद्देश्यों के अलावा अन्य अनुप्रयोग
9.	आईएस 18385 : 2023	ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए हॉट–डिप गैल्वेनाइज्ड / गैल्वेनल्ड स्टील्स शीट और स्ट्रिप्स– विनिर्देश
10.	आईएस 18224 : 2023	वेल्डिंग निरीक्षण कर्मियों की योग्यता और प्रमाणन के लिए सामान्य मानक
11.	आईएस 18380 : 2023	फिक्स्ड और रिमूवेबल कनस्तर प्रकार के साथ घरेलू इथेनॉल कुकस्टोव – विनिर्देश
12.	आईएस 18183 : 2023	आर्सेनिक न्यूनीकरण के लिए जल शोधन प्रणाली के उपयोग का बिंदु – विनिर्देश
13.	आईएस 19022 : 2023	मेडिकल टेक्सटाइल्स – बैरियर फेस कवरिंग
14.	आईएस 18266 : 2023	कपड़ा – चिकित्सा श्वासयंत्र – विनिर्देश

15.	आईएस 18309 : 2023	अत्यधिक नरम प्लास्टिक मिट्टी के त्वरित समेकन के लिए पूर्वनिर्मित ऊर्ध्वाधर नालियां
16.	आईएस 15026 (भाग 2) : 2023	चट्टानों में सुरंग बनाना – दिशानिर्देशरू भाग 2 टनल बोरिंग मशीनों द्वारा यंत्रीकृत सुरंग बनाने की विधियाँ
17.	आईएस 18189 : 2023	पोर्टलैंड कैलक्लाइंड क्ले चूना पत्थर सीमेंट – विनिर्देश
18.	आईएस 18289 : 2023	भूकंप के बाद इमारतों की सुरक्षा का आकलन – दिशानिर्देश
19.	आईएस 17953 : 2023	विंडोज़ और दरवाजों के लिए यूपीवीसी प्रोफाइल – विनिर्देश
20.	आईएस 18153 : 2023	कच्चे घरों की चक्रवाती प्रतिरोध क्षमता में सुधार – दिशानिर्देश
21.	आईएस 18168 : 2023	इस्पात भवनों का भूकंप प्रतिरोधी डिज़ाइन और विवरण – अभ्यास संहिता
22.	आईएस 18271 : 2023	वाणिज्यिक रसोई में अग्नि सुरक्षा – दिशानिर्देश
23.	आईएस 17277 (भाग 2) : 2023	मशीन टूल्स सुरक्षा प्रेस भाग 2 मैकेनिकल प्रेस के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ
24.	आईएस 18312 : 2023	स्मार्ट सामुदायिक अवसंरचना – कॉम्पैक्ट शहरों के लिए स्मार्ट परिवहन – दिशानिर्देश
25.	आईएस 18311 : 2023	स्मार्ट सामुदायिक अवसंरचना – स्मार्ट परिवहन के लिए बड़े शहरी क्षेत्रों और उनके आसपास के क्षेत्रों में और उनके बीच तीव्र पारगमन – दिशानिर्देश
26.	आईएस 18387 : 2023	जिप्सम छत टाइलें – विनिर्देश
27.	आईएस 7954 : 2023	सूटकेस – विशिष्टता (पहला संशोधन)
28.	आईएस 10702 : 2023	हवाई चप्पल– विनिर्देश
29.	आईएस 6721 : 2023	सैंडल और चप्पल – विनिर्देश (पहला संशोधन)
30.	आईएस 18269 : 2023	तैयार दाल वड़ा बैटर – विनिर्देश
31.	आईएस 18252 : 2023	पैकबंद नारियल पानी – विनिर्देश
32.	आईएस 1159 : 2023	बेकिंग पाउडर – विनिर्देश (दूसरा संशोधन)

33.	आईएस 2347 : 2023	घरेलू प्रेशर कुकर – विनिर्देश (सातवां संशोधन)
34.	आईएस 6808 : 2023	घरेलू हैंड ग्राइंडर – विनिर्देश (पहला संशोधन)
35.	आईएस 18308 : 2023	पॉलीग्राफ
36.	आईएस 14741 : 2023 / आईएसओ 8654 : 2018	आभूषण – सोने की मिश्रधातु के रंग – परिभाषा, रंगों की रेंज और हिदायत (पहला संशोधन)
37.	आईएस 18233 : 2023	ब्यूटाडाइन रबर – विनिर्देश
38.	आईएस 7466 : 2023	प्रेशर कुकर के लिए रबर गैस्केट – विनिर्देश (दूसरा संशोधन)
39.	आईएस 14534 : 2023	प्लास्टिक कचरे की पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण के लिए प्लास्टिक दिशानिर्देश
40.	आईएस 18429 : 2023	त्वचा जेल – विनिर्देश
41.	आईएस 18164 : 2023	ज्यामितीय उत्पाद विनिर्देश (जीपीएस) जीपीएस मापने वाले उपकरण के लिए सामान्य अवधारणाएं और आवश्यकताएं
42.	आईएस 18165 : 2023	थर्मल कटिंग मशीनों की सुरक्षा
43.	आईएस 18382 : 2023 / आईएसओ 21620 : 2021	पर्यटन और संबंधित सेवाएँ – हेरिटेज होटल – उपकरण और सेवा आवश्यकताएँ
44.	आईएस 18326 : 2023 / आईएसओ 10794 : 2018	अंतरिक्ष प्रणालियाँ – कार्यक्रम प्रबंधन – सामग्री, यांत्रिक भाग और प्रक्रियाएँ
45.	आईएस 18328 (भाग 1) अंतरिक्ष प्रणालियाँ – कार्यक्रम प्रबंधन – सामग्री, यांत्रिक भाग और प्रक्रियाएँ 2023 / आईएसओ 14620–1 : 2018	अंतरिक्ष प्रणालियाँ – सुरक्षा आवश्यकताएँ भाग 1 सिस्टम सुरक्षा
46.	आईएस 18327 (भाग 2) : 2023 / आईएसओ 14300–2 : 2011	अंतरिक्ष प्रणाली – कार्यक्रम प्रबंधन भाग 2 उत्पाद आश्वासन
47.	आईएस 8995 : 2023	कपड़ा – फैन बेल्ट और वी–बेल्ट के लिए सूती कवर कपड़े – विनिर्देश (पहला संशोधन)
48.	आईएस 9230 : 2023	कपड़ा – सूती शौफर कपड़ा – विनिर्देश (पहला संशोधन)

49.	आईएस 3442 : 2023	कपड़ा – कपड़े से निकाले गये सूत की सिकुड़न और रैखिक घनत्व के निर्धारण की विधि
50.	आईएस 6359 : 2023	वस्त्रों की कंडीशनिंग की विधि
51.	आईएस 18162 : 2023	कपड़ा – 50 किलोग्राम दाल और सोयाबीन की पैकिंग के लिए हल्के जूट वजन के जूट सैकिंग बैग – विनिर्देश
52.	आईएस 18161 : 2023	कपड़ा – 50 किलो सरसों के बीज, नाइजर बीज और रागी की पैकिंग के लिए हल्के वजन के जूट सैकिंग बैग – विनिर्देश
53.	आईएस 5176 : 2023	कपड़ा – हॉसर लाइड हेम्प रस्सी – विनिर्देश (आईएस 5176:1985 का संशोधन)
54.	आईएस 18158 : 2023	कपड़ा फर्श कवरिंग – लैंडस्केप के लिए सिंथेटिक यार्न से बना कृत्रिम घास कालीन – विनिर्देश
55.	आईएस 17479 : 2023	कपड़ा फर्श कवरिंग – सिंथेटिक यार्न विनिर्देशन से बनी कालीन टाइलें (आईएस 17479 का संशोधनः 2020)
56-	आईएस 18310 (भाग 1) : 2023	एग्रो टेक्सटाइल्स – कृषि और बागवानी प्रयोजन हेतु बर्ड प्रोटेक्शन नेट– विनिर्देश भाग 1 बुना हुआ बर्ड प्रोटेक्शन नेट

7.2.1 मानक निर्माण में नई पहलें

(क) मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (एसएनएपी) 2022–27

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 ने बीआईएस को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय (एनएसबी) के रूप में अद्वितीय नेतृत्व स्थिति में स्थापित किया है। अधिनियम ने बीआईएस को गुणवत्ता क्षेत्र में उपलब्ध कई संभावित भागीदारों के माध्यम से भारत में श्मानक' कार्य का नेतृत्व करने का विशाल कार्य सौंपा है। भारत के एनएसबी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए, बीआईएस द्वारा मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (एसएनएपी) 2022–27 विकसित की गई है।

बीआईएस ने इस कार्य योजना को विकसित करने के लिए नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, उद्योग, उद्योग संघों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, सरकारी निकायों आदि को शामिल करते हुए व्यापक हितधारक परामर्श किया है। सरकारी नीतियों और प्राथमिकताओं पर भी समुचित ध्यान दिया गया है। मानक विकास के चिन्हित विषयों पर मानकीकरण कार्य को

प्राथमिकता देने के लिए, इस संबंध में उपलब्ध आईएसओ दिशानिर्देशों के विरुद्ध माध्यमिक अनुसंधान की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं का आकलन किया गया था।

कार्य योजना ऐसे कार्यों का एक सेट प्रस्तावित करती है जो बीआईएस को विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी, और राष्ट्रीय मानकीकरण कार्य और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण कार्य में भागीदारी को आगे बढ़ाएगी। दस्तावेज़ में प्रदान किए गए अध्ययन से निकलने वाले कार्रवाई योग्य बिंदुओं से मानकीकरण प्रक्रियाओं को कुशल और तेज़ बनाने, मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके कार्यान्वयन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में भागीदारी बढ़ाने तथा देश में सामंजस्यपूर्ण मानकीकरण गतिविधियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कार्य योजना में इंजीनियरिंग से लेकर सेवाओं, आईओटी से एआई और स्मार्ट शहरों से लेकर ई–मोबिलिटी तक मानकीकरण के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। 'स्थिरता' 'स्वास्थ्य, रक्षा और सुरक्षा' 'डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं और उन्नत प्रौद्योगिकियां' और 'सेवाएं' भविष्य के मानकीकरण में सर्वोच्च प्राथमिकताएं होंगी।

एसएनएपी 2022–27 को 6 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित बीआईएस के 76वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया था।

(ख) प्रमुख तकनीकी संस्थानों में बीआईएस मानकीकरण अध्यक्ष की स्थापना

बीआईएस ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में एक चेयर की नियुक्ति करके समानता और पारस्परिकता के आधार पर मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोगात्मक गतिविधियों को विकसित करने के लिए देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक 79 राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। बीआईएस मानकीकरण चेयर की स्थापना देश में नागरिक, विद्युत, यांत्रिक, रसायन, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और प्रबंधन, अवसंरचना विकास, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी, बायोमटेरियल्स आदि (जैसा कि आपसी सहमति से तय हो) के क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए की गई है।

बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर से अपेक्षा की जाती है कि वे नए भारतीय मानकों के मसौदे या भारतीय मानकों के परिशोधन/संशोधन के लिए मानकों और इनपुट के विकास की दिशा में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के समन्वय में नेतृत्व प्रदान करें, मानकों के साथ मौजूदा अनुसंधान एवं विकास परियोजना आउटपुट के एकीकरण की पहचान करें और उन्हें सुगम बनाएं तथा भारतीय मानकों की समीक्षा करें जिसमें उत्पाद/प्रक्रियाओं/प्रथाओं/

उपयोग या अनुप्रयोग/परीक्षण/इनपुट सामग्रियों में हुए तकनीकी विकास, समीक्षाधीन मानक से संबंधित उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय मानकों आदि का गहन विश्लेषण करना शामिल है।

निम्नलिखित संस्थानों में बीआईएस चेयर प्रोफेसर सृजित किए गये हैं:

i. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की
ii. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
iii. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास
iv. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद
v. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–बीएचयू वाराणसी
vi. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर
vii. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी
viii. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर
ix भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना
x. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला
xi. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली
xii. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट
xiii. मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) जयपुर

अन्य संस्थानों में, नोडल संकायों को इसी कार्य में लगाया गया है। बीआईएस इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय ख्याति के और अधिक संस्थानों को जोड़ने की प्रक्रिया में भी है। बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर से अपेक्षा की जाती है कि वे नए भारतीय मानकों के मसौदे या भारतीय मानकों के परिशोधन/संशोधन के लिए मानकों और इनपुट के विकास की दिशा में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के समन्वय में नेतृत्व प्रदान करें, मानकों के साथ मौजूदा अनुसंधान एवं विकास परियोजना आउटपुट के एकीकरण की पहचान करें और उन्हें सुगम बनाएं तथा भारतीय मानकों की समीक्षा करें जिसमें उत्पाद/प्रक्रियाओं/प्रथाओं/उपयोग या अनुप्रयोग/परीक्षण/इनपुट सामग्रियों में हुए तकनीकी विकास, समीक्षाधीन मानक से संबंधित उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय मानकों आदि का गहन विश्लेषण करना शामिल है।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा मानकीकरण के लिए वार्षिक कार्यक्रम का संस्थानीकरण

मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे बीआईएस को मानकीकरण के लिए

एक वार्षिक कार्यक्रम प्रदान करें, जिसमें उन उत्पादों/प्रक्रियाओं/प्रणालियों/सेवाओं को संबोधित किया जाए जिन पर बीआईएस को भारतीय मानक तैयार करने या संशोधित करने की आवश्यकता है। मंत्रालय/विभागों से इनपुट के इस तरह के संस्थागतकरण के परिणामस्वरूप एक वित्तीय वर्ष में भारतीय मानकों को अपनाने और विकसित करने का एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण तैयार होगा। यदि किसी मंत्रालय/विभाग की वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में कोई मानक तैयार या संशोधित किया गया है, तो संबंधित मंत्रालय/विभाग इसके कार्यान्वयन के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएगा।

(घ) मानकों के निर्माण और समीक्षा के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में मानकीकरण सेल को सशक्त करना

भारतीय राष्ट्रीय मानकीकरण कार्यनीति (आईएनएसएस) देश में एक सशक्त गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में एक सामंजस्यपूर्ण, गतिशील और परिपक्व मानक तंत्र की भूमिका एवं वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी आर्थिक क्रियाकलापों के प्रमुख चालक के रूप में मानकों को स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। राष्ट्रीय मानक कार्य योजना (एसएनएपी) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्योग संघों में मानकीकरण सेल को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखती है।

उद्योग संघों में बनाए गए मानकीकरण सेल मानकों के विकास के लिए नए क्षेत्रों की पहचान, मौजूदा मानकों के संशोधन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ भारतीय मानकों के सामंजस्य पर उद्योग के सदस्यों के बीच परामर्श और संवाद की सुविधा प्रदान करेंगे, और मानक विकास प्रक्रिया और तकनीकी समितियों के साथ बेहतर समन्वय में उद्योगों की भागीदारी को अनुकूलित करने में भी मदद करेंगे। मानकीकरण सेल से राष्ट्रीय मानकीकरण प्रयासों के सक्रिय चालक बनने की उम्मीद है।

(ङ) सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित मानकों के अनुरूप मानकों को संरेखित करना

स्थिरता को संबोधित करने से कई चुनौतियाँ पैदा होती हैं और मानकों को बनाने के तरीके में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता होगी। अनिवार्य रूप से, स्थिरता का समर्थन करने वाला एक मानक एक दस्तावेज होगा जो स्थिरता के सभी तीन पहलुओं, अर्थात् पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक को संबोधित करता है। ऐसा मानक एक उत्पाद, प्रक्रिया, प्रणाली या यहां तक कि सेवा मानक (पर्यटन, आतिथ्य आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाला) भी हो सकता है। ऐसे मानक क्षैतिज और क्रॉस–कटिंग हो सकते हैं जो सभी प्रकार के संगठनों को उनके आकार या स्थान (जैसे सिस्टम मानक) की परवाह किए बिना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं या विशिष्ट हो सकते हैं (जैसे उत्पाद, प्रक्रिया या परीक्षण विधि मानक)।

बीआईएस, तैयार किए गए मानक और सभी हितधारकों द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के तरीके को बदल रहा है। अब यह अत्यंत आवश्यक है कि भारतीय मानकों में स्थिरता के

आयाम को गंभीरतापूर्वक शामिल किया जाए ताकि इससे उद्योग का समावेशी विकास हो सके और परिणामस्वरूप व्यवस्थित और संवहनीय विकास प्राप्त हो सके।

(च) केंद्र सरकार के मिशनों, कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए मानकों का मानचित्रण

इसका उद्देश्य प्रत्येक सरकारी मिशन, कार्यक्रम और स्कीम के लिए मानकीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं पर तैयार किए गए भारतीय मानकों, विकास के तहत मानकों और विकसित किए जाने वाले मानकों की एक सूची तैयार करना है, जिससे उन्हें उनके उद्देश्य और देश में एक जीवंत गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने वाले कार्य में सहायता मिल सके।

7.2.2 मानकों की गुणवत्ता को उत्कृष्ट बनाने के लिए सुधार के उपाय

(क) अनुभागीय समितियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और विशेषज्ञता सुनिश्चित करना

सभी तकनीकी समितियाँ मानकों के विकास और प्रासंगिक उभरते क्षेत्रों में मानक बनाने के लिए विचार प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों में विशेषज्ञता रखने वाले शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों की पहचान करती हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित समितियों में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए जिसमें सरकार, नियामक, उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, उपभोक्ता समूह, परीक्षण प्रयोगशालाएं आदि के प्रतिनिधि शामिल हों।

(ख) अनुभागीय समिति की बैठकों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना

तकनीकी समिति की बैठक में उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी समिति का हिस्सा बनने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। आम तौर पर यदि किसी सदस्य की लगातार तीन बैठकों में भागीदारी नहीं होती है, तो समिति उस सदस्य के स्थान पर उसी श्रेणी के किसी अन्य सदस्य को नियुक्त करने का निर्णय ले सकती है।

(ग) मानकीकरण पोर्टल के माध्यम से अनुभागीय समितियों की लगातार बैठक और सदस्यों के साथ सामयीक पत्राचार सुनिश्चित करना

यह वांछित है कि सभी अनुभागीय समितियाँ प्रत्येक तिमाही में/अक्सर या तो भौतिक रूप से या हाइब्रिड मोड में मिलें। इस संबंध में सभी पत्राचार जैसे बैठक नोटिस, एजेंडा और चर्चा के लिए दस्तावेज सदस्य लॉग–इन के साथ मानकीकरण पोर्टल के माध्यम से सदस्यों को प्रसारित किए जाते हैं।

(घ) चरणवार समयसीमा के माध्यम से मानक निर्माण के कार्य की प्रगति पर नज़र रखना और मानकीकरण पोर्टल के माध्यम से प्रगति की निगरानी का प्रावधान

मानक निर्माण के कार्य की प्रगति की निगरानी मानकीकरण पोर्टल के माध्यम से निर्दिष्ट

समयसीमा और सौंपी गई प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। मानक निर्माण के किसी भी चरण में जब भी समयसीमा सीमा पार करती है तो पोर्टल के माध्यम से अलर्ट सृजित होते हैं।

(ङ) कार्रवाई अनुसंधान आधारित दृष्टिकोण का पालन करते हुए मानकीकरण पोर्टल में समीक्षा मॉड्यूल के माध्यम से मानकों की समीक्षा

सभी मानकों की अब एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट (एआरपी) आधारित दृष्टिकोण पर समीक्षा की जाती है और एआरपी को संबंधित विषय के बीआईएस अधिकारियों सहित पहचाने गए हितधारकों को आवंटित किया जाता है। एआरपी में, उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय और अन्य मानकों की जांच और तुलना की जाती है, साहित्य सर्वेक्षण किया जाता है और संबंधित अनुसंधान और सरकारी नीति दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है, किसी भी बदलाव के लिए संदर्भित मानकों का अध्ययन किया जाता है और संबंधित विनिर्माण इकाइयों और तकनीकी विकास का अध्ययन के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं का दौरा भी किया जाता है।

(च) एससीएमडी के तहत समर्पित समूहों का निर्माण

मानकीकरण क्रियाकलापों में राष्ट्रीय मानक कार्य योजना 2022–27 को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं प्रगति की निगरानी करने और नए शुरू किए गए सुधारों को लागू करने के लिए, मानक समन्वय और निगरानी विभाग के तहत वैज्ञानिक अधिकारियों और प्रबंधन अधिकारियों से युक्त निम्नलिखित पांच समर्पित समूह बनाए गए हैं:

1. हितधारक सहभागिता समूह
2. शिक्षा आउटरीच समूह
3. अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण समूह
4. विपणन एवं संचार समूह
5. प्रक्रिया एवं डिजिटलीकरण समूह

(छ) टीसी बैठकों का वार्षिक कैलेंडर

प्रत्येक टीसी और विभाग अब एसएनएपी और अन्य क्षेत्रों में मानक निर्माण के लिए पहचाने गए क्षेत्रों के आधार पर एक रोलिंग कार्य योजना तैयार करेगा, जिसमें 2023–24 में मानक निर्माण के लिए लाये जाने वाले क्षेत्रों का संकेत दिया जाएगा। यह ऑनलाइन उपलब्ध होगा। जैसा कि आईएसओ या आईईसी में प्रथा है, प्रत्येक विभाग 2023–24 के लिए टीसी बैठकों का एक समेकित कार्यक्रम तैयार करेगा और इसे मानकीकरण पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। जबकि प्रयास त्रैमासिक बैठकों की योजना बनाने का होना चाहिए, कार्य के दायरे के महत्व के आधार पर अधिक या कम बैठकें निर्धारित की जा सकती हैं।

(ज) मानक मंथन

विभिन्न हितधारकों की परामर्शी बैठक के रूप में शाखा कार्यालयों द्वारा नए मानकों के औपचारिक लॉन्च और पुनरीक्षणों, संशोधनों और व्यापक प्रसार मसौदों पर विचार–विमर्श के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है। मानक मंथन कार्यक्रमों में उनके समक्ष आने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाती है और संबंधित तकनीकी विभागों द्वारा परिणामों पर ध्यान दिया जाता है।

(झ) मानक मन्त्रणा

मानकों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीआईएस के शाखा कार्यालयों, प्रयोगशालाओं और मानकीकरण विभागों के बीच महीने में दो बार औपचारिक चर्चा की जाती है।

(ञ) विकास के शुरुआती चरणों में आईएसओ/आईईसी के साथ सामंजस्य स्थापित करना

नए कार्य मद प्रस्ताव चरण में आईएसओ/आईईसी से मसौदा मानक प्राप्त होने पर तुरंत मानक को अपनाने या पुनरीक्षण करने की कार्रवाई को संस्थागत कर दिया गया है। प्रासंगिक मानकों को अपनाने के साथ/सामंजस्य बनाया जाएगा जब प्रकाशित मानक इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रकाशन के साथ उपलब्ध हों।

7.3 अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां(आईआरडी)

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी:

बीआईएस, भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में अपनी क्षमता में, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) में और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) में आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभिन्न तकनीकी समितियों और उप–समितियों में भाग लेने वाले (पी) सदस्य या पर्यवेक्षक (कों) सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल है और इन संगठनों के विभिन्न समितियों/कार्यकारी समूहों में तकनीकी विशेषज्ञों को नामित करता है। बीआईएस इन अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों की विभिन्न नीति–निर्माण समितियों में भी भाग लेता है और कुछ आईएसओ समितियों, जो भारत के हितों से संबंधित विषयों को देखते हैं, का सचिवालय इसके पास है।

दिसंबर 2023 तक, बीआईएस आईएसओ परिषद (आईएसओ की शीर्ष शासन संस्था), आईएसओ काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी (आईएसओ सीएससी/एसपी) और आईएसओ टेक्निकल मैनेजमेंट बोर्ड (टीएमबी) (आईएसओ में तकनीकी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय)का सदस्य है।

बीआईएस (भारत) आईईसी बोर्ड (आईईसी की शीर्ष शासन उत्तरदायी संस्था),आईईसी

मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड (एसएमबी) (आईईसी में तकनीकी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय) और आईईसी मार्केट स्ट्रैटेजी बोर्ड (एमएसबी) (प्रमुख तकनीकी रुझानों और बाजार की जरूरतों की पहचान और जांच के लिए जिम्मेदार निकाय) का भी सदस्य है।

वर्तमान में एक भारतीय सदस्य 01 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए आईईसी उपाध्यक्ष और एसएमबी अध्यक्ष है। बीआईएस (भारत) के सदस्यों ने आईईसी के अन्य महत्वपूर्ण नीति निर्माण निकायों अर्थात् व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) एवं शासन समीक्षा एवं लेखापरीक्षा समिति (जीआरएसी) में भी सदस्यता प्राप्त कर ली है।

दिसंबर,2023 तक, बीआईएस आईएसओ (कैस्को, कोपोल्को और डेवको) की तीन नीति विकास समितियों, आईएसओ की 555 तकनीकी समितियों / उपसमितियों और आईईसी की 120 तकनीकी समितियों / उपसमितियों का प्रतिभागी (पी) सदस्य, और आईएसओ की 147 तकनीकी समितियों/उपसमितियों और आईईसी की 55 तकनीकी समितियों/उपसमितियों में एक ओ– सदस्य है। बीआईएस ने आईएसओ के 31 कार्यशील समूहों/तदर्थ समूहों/सलाहकार समूहों और आईईसी के 11 कार्यशील समूहों/प्रणाली मूल्यांकन समूहों में संयोजकों को नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में बीआईएस की इस तरह की भागीदारी से भारतीय व्यापार और उद्योग के हितों की रक्षा करने में मदद मिलती है।

भारत की जी20 अध्यक्षता के संरचना के भीतर, भारतीय मानक ब्यूरो ने 02–03 नवंबर 2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में जी20 मानक संवाद 2023 का आयोजन किया। संवाद में पता चला कि 'शून्य दोष और शून्य प्रभाव' प्राप्त करने के लिए समावेशी मानकीकरण और अच्छी नियामक प्रथाओं के माध्यम से स्थिरता को कैसे संबोधित किया जा सकता है।

महानिदेशक बीआईएस, उप महानिदेशक (मानकीकरण–।) और प्रमुख, आईआर एंड टीआईएसडी से गठित भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 22–26 अक्टूबर 2023 के दौरान आयोजित आईईसी आम बैठक की विभिन्न बैठकों और कार्यशालाओं में आभासी रूप से भाग लिया।

उप महानिदेशक (आईआर एंड टीआईएस, एमएससी और एससीएम) और प्रमुख (आईआर एंड टीआईएसडी) से गठित एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 18–21 सितंबर 2023 के दौरान ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित आईएसओ वार्षिक बैठक 2023 में भाग लिया। बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने आईएसओ महासभा, तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टीएमबी) और डेवको (विकासशील देश मामलों पर आईएसओ समिति) की कार्यवाही में योगदान दिया और आईएसओ वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं और पैनल चर्चाओं में भाग लिया। बीआईएस प्रतिनिधिमंडल ने पीएएससी ईसी 75वीं बैठक में भी भाग लिया।

आईएसओ वार्षिक बैठक के मौके पर, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आईएसओ के

प्रतिनिधियों, यूरोपीय संघ के क्षेत्रीय मानक निकायों (सीईएन–सीईएनईएलईसी) के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, जापान, दक्षिण कोरिया, भूटान, जॉर्डन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की।

उप महानिदेशक, मानकीकरण–। ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में 13 से 15 फरवरी 2023 तक एसएमबी की 176वीं बैठक और संबंधित बैठकों एवं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 10 से 12 जून 2023 तक एसएमबी की 177वीं बैठक और संबंधित बैठकों में भाग लिया।

महामारी की स्थिति में सुधार के बीच, कुछ तकनीकी बैठकें वर्चुअल रूप से आयोजित की जाती रहीं, जबकि अन्य हाइब्रिड या पूरी तरह से भौतिक मोड में आयोजित की गईं। वर्तमान भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय हित में तकनीकी बैठकों में 68 भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने भौतिक रूप से भाग लिया। अन्य मामलों में, बीआईएस ने आभासी रूप से भाग लेना जारी रखा।

द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमः

बीआईएस मानकीकरण, परीक्षण, प्रमाणन, प्रशिक्षण आदि से संबंधित क्षेत्रीय और द्वि पक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से शामिल है और नियमित आधार पर भागीदार एजेंसियों के संपर्क में रहा है।

बीआईएस ब्रिक्स, आईबीएसए, पीएएससी और एसएआरएसओ के साथ क्षेत्रीय सहयोग और अन्य देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ द्विपक्षीय सहयोग में भी संलग्न है। वर्तमान में, बीआईएस के पास राष्ट्रीय मानक निकायों और अन्य देशों के अन्य मानक विकास संगठनों के साथ 33 समझौता ज्ञापन (एमओयू) और 09 द्विपक्षीय सहयोग समझौते (बीसीए) हस्ताक्षरित हैं। निकट सहयोग को सुविधाजनक बनाने और एक तंत्र प्रदान करने के लिए 5 दिसंबर 2023 को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और केन्या मानक ब्यूरो (केईबीएस) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके द्वारा पार्टियां मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन गतिविधियों को सशक्त करने और विशेषज्ञता साझा करने तथा आपसी व्यापार को सुविधाजनक बनाने की सुगमता के सामान्य उद्देश्य की दिशा में मिलकर काम कर सकती हैं।

बीआईएस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (एसएआरएसओ) और प्रशांत क्षेत्र मानक कांग्रेस (पीएएससी) के तहत क्षेत्रीय मानकीकरण गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बीआईएस ने प्रशांत क्षेत्र मानक कांग्रेस, कार्यकारी परिषद और वार्षिक आम बैठकों की आभासी बैठकों में भाग लिया।

भारत में ईरान के माननीय राजदूत महामहिम डॉ. इराज इलाही के नेतृत्व में एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने 17 जनवरी 2023 को शिष्टाचार भेंट के लिए महानिदेशक, बीआईएस से

मुलाकात की। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने आपसी हित के मामलों पर बीआईएस और ईरान राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएनएसओ) के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की।

सुश्री एनोह टी एबोंग, निदेशक (यूएसटीडीए) के नेतृत्व में अमेरिकी व्यापार और विकास एजेंसी और अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 18 जनवरी 2023 को महानिदेशक (बीआईएस) से मुलाकात की। बैठक के दौरान, आपसी अनुबंधों के पथ, प्राथमिकता वाले क्षेत्र और आपसी हित के अन्य मामले पर चर्चा हुई।

बीआईएस और एसएई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए 28 फरवरी 2023 को श्री क्रिश्चियन थीले [निदेशक, ग्लोबल ग्राउंड व्हीकल स्टैंडर्ड्स, एसएई इंटरनेशनल, यूएसए] के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी, जो बीआईएस द्वारा एसएई मानकों को अपनाने की अनुमति देगी।

महानिदेशक, बीआईएस ने 14–16 मार्च 2023 के दौरान कुआलालंपुर, मलेशिया में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रीय मानक निकायों (एनएसबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए आईएसओ फोरम में भाग लिया। सीईओ फोरम एनएसबी के प्रमुखों के लिए एक अनूठा मंच है जहां वे अपने संगठन से संबंधित कार्यनीतिक मुद्दों पर आपस में और आईएसओ महासचिव के साथ मिलकर चर्चा कर सकते हैं।

बीआईएस–सीईएन–सीईएनईएलईसी समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग के रोडमैप पर चर्चा के लिए 19 मई 2023 को महानिदेशक (बीआईएस) के नेतृत्व में बीआईएस पक्ष और सीईएन–सेनेलेक पक्ष (भारत में द्वितीय यूरोपीय मानकीकरण विशेषज्ञ और भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रतिनिधित्व) के बीच बीआईएस मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी।

आईएसओ और बीआईएस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और पहचाने गए क्षेत्रों में से एक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण है। एमओयू के कार्यान्वयन के लिए, आईआर एंड टीआईएसडी ने आईएसओ द्वारा बीआईएस प्रशिक्षण केंद्र के उपयोग के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को देखने के लिए 25 मई 2023 को श्री सर्जियो मुजिका, महासचिव, आईएसओ को एनआईटीएस, नोएडा की यात्रा की सुविधा प्रदान की गई।

प्रौद्योगिकी और मानक के लिए कोरियाई एजेंसी– केएटीएस के प्रतिनिधियों ने 12–13 अप्रैल 2023 को बीआईएस का दौरा किया और समझौता ज्ञापन, मानकीकरण, टीबीटी मुद्दों, अनुरूपता मूल्यांकन, हितधारक अनुबंध आदि पर चर्चा की।

उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव (उ.मा) के नेतृत्व में चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 24 से 27 अप्रैल 2023 तक जर्मनी में गुणवत्ता अवसंरचना और संबंधित बैठकों पर इंडो–जर्मन वर्किंग ग्रुप की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। वर्ष 2023 के लिए

गुणवत्ता अवसंरचना पर इंडो जर्मन वर्किंग ग्रुप की कार्य योजना पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष के दौरान, आपसी सहयोग बढ़ाने और आईएसओ/आईईसी से समर्थन प्राप्त करने के लिए बीआईएस द्वारा भूटान, नेपाल, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस, जॉर्डन, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, इज़राइल, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया और मॉरीशस के राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ आभासी द्विपक्षीय बैठकें की गईं।

विश्व व्यापार संगठन टीबीटी से संबंधित मुद्दों पर बीआईएस ने वाणिज्य विभाग के साथ समन्वय बनाए रखा है।

बीआईएस ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामलों पर विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ अपना सहयोग जारी रखा।

बीआईएस द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकें:

i) गोवा में 16–20 जनवरी 2023 के दौरान आईईसी/एससी 121ए/कार्य समूह 2 'संविदाकर्ता, स्टार्टर्स और समान उपकरण' की बैठक

ii) नई दिल्ली में 23–26 मई 2023 के दौरान आईएसओ कोपोल्को प्लेनरी

iii) 31 अगस्त 2023 को आईएसओ/टीसी 34/एससी 8/डब्ल्यूजी 15 'थीनिन' की बैठक (आभासी)

iv) नई दिल्ली में 08–12 अक्टूबर 2023 के दौरान आईएसओ/टीसी 127 "अर्थ मूविंग मशीनरी" की प्लेनरी बैठक

v) जयपुर में 17 से 20 अक्टूबर 2023 के दौरान आईएसओ/टीसी 5 'लौह धातु पाइप और धातु फिटिंग' और आईएसओ/टीसी 5/एससी 2 'कास्ट आयरन पाइप और फिटिंग उपसमिति' और संबंधित कार्य समूहों की प्लेनरी बैठक

vi) 02–03 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में जी20 मानक संवाद 2023

vii) इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 03–08 दिसंबर 2023 के दौरान आईएसओ/टीसी 211 'भौगोलिक सूचना/जियोमैटिक्स' और इसके डब्ल्यूजी की 57वीं प्लेनरी बैठक

7.4 अनुरूपता मूल्यांकन

उत्पाद प्रमाणन

बीआईएस, बीआईएस अधिनियम 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों

और विनियमों के तहत उत्पाद प्रमाणन स्कीम (स्कीम– I) का संचालन कर रहा है, जिसका उद्देश्य प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और इस प्रकार उपभोक्ताओं को एक तृतीय पक्ष आश्वासन प्रदान करना है।

उत्पाद प्रमाणन स्कीम में, बीआईएस विनिर्माताओं को उनके उत्पादों पर आईएसआई चिह्न के उपयोग के लिए प्रमाणन प्रदान करता है। विनिर्माण परिसर के दौरे के माध्यम से प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार लगातार उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए फर्म की विनिर्माण क्षमताओं के आकलन के बाद प्रमाणन प्रदान किया जाता है। भारतीय मानकों के अनुसार परीक्षण करने के लिए परीक्षण उपकरण और सक्षम जनशक्ति की उपलब्धता सहित गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं का भी दौरे के दौरान मूल्यांकन किया जाता है। प्रासंगिक भारतीय मानक में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ उत्पाद की अनुरूपता को कारखाने में परीक्षण के साथ–साथ एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्रयोगशाला में पूर्ण परीक्षण के माध्यम से भी सत्यापित किया जाता है।

बीआईएस उत्पाद प्रमाणन स्कीम के संचालन की निगरानी के लिए कारखाने और बाजार दोनों में निगरानी दौरे भी करता है। निगरानी के दौरान लिए गए नमूनों का स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद लागू भारतीय मानक के अनुरूप है। प्रमाणन स्कीम, उन 685 उत्पादों को छोड़कर, स्वैच्छिक प्रकृति की है, जिन्हें विभिन्न विचारों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य बना दिया गया है।

01 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान, 6619 नए लाइसेंस प्रदान किए गए, जिसमें स्कीम के तहत पहली बार कवर किए गए 72 उत्पाद शामिल हैं। बीआईएस प्रमाणन चिह्न स्कीम के तहत कवर किए गए भारतीय मानकों की कुल संख्या 1204 है और घरेलू विनिर्माताओं द्वारा धारित संचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 43222 है।

ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस

बीआईएस ने 72 "ऑल इंडिया फर्स्ट" लाइसेंस प्रदान किए हैं अर्थात् उन उत्पादों के लिए प्रमाणन जिन्हें 2023 में पहली बार प्रमाणित किया जा रहा है। प्रमाणित किए गए कुछ महत्वपूर्ण नए उत्पाद निम्न थे:

i. **आईएस 6721:2023 के अनुसार सैंडल और चप्पल** – सैंडल और चप्पल व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले खुले प्रकार के फूटविअर हैं। सैंडल खुले प्रकार के फूटविअर हैं जिनका ऊपरी हिस्सा पूरे पैर को नहीं ढकता है और जिसमें पीछे की ओर एक पट्टा होता है जबकि चप्पल खुले प्रकार के फूटविअर होते हैं जिनका ऊपरी हिस्सा पूरे पैर को नहीं ढकता है और जिनमें पीछे का पट्टा नहीं होता है लेकिन पीछे की तरफ एक सपोर्ट हो सकता है।

ii. **आईएस 10702:2023 के अनुसार हवाई चप्पल**– हवाई चप्पल जो सामान्य उपयोग के लिए हल्के फूटविअर के रूप में काम करता है, भारत में बहुत लोकप्रिय है। यह चप्पल धोने योग्य, जल–रोधी हो सकती है और इसे किसी पॉलिश की आवश्यकता नहीं होती है। इन चप्पलों की पट्टियाँ बदली जा सकती हैं और उपयोगकर्ताओं द्वारा इन्हें बदला जा सकता है।

iii. **स्पोर्ट्स फुटविअर पार्ट** – 2 परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स फुटविअर आईएस 15844 के अनुसार (भाग 2):2023– देश में स्पोर्ट्स फुटविअर की बढ़ती मांग और उपयोग एवं विकास की संभावनाओं को देखते हुए, 2023 में बीआईएस द्वारा इस मानक को तैयार किया गया था, जिसमें उपयोग किए जाने वाले परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स फुटविअर को शामिल किया गया था। जॉगिंग, ट्रेल रनिंग सहित दौड़, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, चढ़ाई आदि। आम तौर पर, हल्के वजन वाले फूटविअर के रूप में स्पोर्ट्स शू को अर्हता प्राप्त करने के लिए, पुरुषों के लिए स्पोर्ट्स शू की एक जोड़ी का वजन 300 ग्राम और महिलाओं के लिए 275 ग्राम से अधिक नहीं हो सकता है।

iv. **आईएस 16874:2018 के अनुसार अग्निशामकों के लिए सुरक्षात्मक दस्ताने** – यह देखा गया है कि अग्निशामकों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों में दस्ताने शायद सबसे गलत समझा जाने वाली वस्तुओं में से एक है। लेकिन अग्निशमन के दौरान हाथ की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हाथ की जलन और अन्य चोटें, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कम हो गई हैं, फिर भी आग लगने से होने वाली सभी चोटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आईएस 16874:2018 दस्ताने के छह अद्वितीय और विशिष्ट आकार निर्धारित करता है और इसमें अग्निशमन कार्यों में चोट से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए सुरक्षात्मक दस्ताने के लिए सामान्य दस्ताने डिज़ाइन, थर्मल, मैकेनिकल, बैरियर, एर्गोनोमिक और वैकल्पिक दृश्यता आवश्यकताएं शामिल हैं।

v. **पीने योग्य पानी की बोतलें (तांबा, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम) – आईएस 17803:2022 के अनुसार विशिष्टता:** पीने योग्य पानी की बोतल एक कंटेनर है जिसका उपयोग खपत के लिए स्थिर तापमान में पानी ले जाने और रखने के लिए किया जाता है। यह किसी व्यक्ति को प्यास लगने पर पीने के लिए पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या परिवहन करने की

अनुमति देता है। आईएस 17803: 2022 में 1,500 मिलीलीटर तक पेयजल ले जाने के लिए पीने योग्य तांबे, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम की बोतल की न्यूनतम आवश्यकताएं शामिल हैं।

vi. **आईएस 17293:2020 के अनुसार रेटेड वोल्टेज 1500 वी डीसी के लिए फोटोवोल्टिक सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक केबल:** एक सौर केबल फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन में उपयोग की जाने वाली इंटरकनेक्शन केबल है। ये केबल सौर पैनलों और फोटोवोल्टिक प्रणाली के अन्य विद्युत घटकों को आपस में जोड़ते हैं। किसी भी फोटोवोल्टिक प्रणाली में, महत्वपूर्ण भागों में से एक डी.सी. साइड का सिस्टम पर जुड़ा सौर केबल है। ये केबल बाहरी दीर्घकालिक संस्थापनाओं के लिए उपयुक्त हैं जो सीधे सौर विकिरण और आर्द्रता के संपर्क में हैं। आईएस 17293: 2020 सुनिश्चित करता है कि केबल मौसम और यूवी प्रतिरोधी हैं।

उद्योग अनुकूल पहल

क. माइक्रो स्केल उद्यमों के लिए न्यूनतम अंकन शुल्क का युक्तिकरण– माइक्रो स्केल क्षेत्र के तहत विनिर्माण इकाइयों के प्रवेश की सुविधा के लिए, बीआईएस ने सभी ऑपरेटिव उत्पाद प्रमाणन स्कीमों के तहत सूक्ष्म स्केल इकाइयों के लिए न्यूनतम अंकन शुल्क को 80% तक कम करने का निर्णय लिया।

ख. एमएसएमई विनिर्माताओं के लिए, इन–हाउस परीक्षण प्रयोगशाला बनाए रखने की आवश्यकता को वैकल्पिक बना दिया गया है: एमएसएमई विनिर्माताओं के लिए इन–हाउस परीक्षण सुविधाओं के निर्माण को वैकल्पिक बना दिया गया है। अब उनके पास नामित बाहरी प्रयोगशालाओं को परीक्षण का उपठेका देने की सुविधा होगी।

ग. विनिर्माता अपने स्वयं के नियंत्रण–स्तर को परिभाषित कर सकते हैं: उत्पाद विशिष्ट दिशानिर्देश विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण के स्तरों की रूपरेखा तैयार करते हैं ताकि उनके उत्पादों की अनुरूपता सुनिश्चित हो सके। विनिर्माता अपने स्वयं के नियंत्रण स्तर चुनने और अपने नियमित उत्पादन के दौरान उनका पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विदेशी विनिर्माताओं के प्रमाणन की स्कीम (एफएमसीएस)

बीआईएस विदेशी विनिर्माताओं के लिए अलग स्कीम संचालित करता रहा है। इस स्कीम के तहत, विदेशी विनिर्माता अपने उत्पादों पर बीआईएस मानक चिह्न के उपयोग के लिए बीआईएस से प्रमाणीकरण प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान, एफएमसीएस के तहत 531 लाइसेंस दिए गए, जिससे 61 देशों में 202 भारतीय मानकों के मुकाबले ऑपरेटिव लाइसेंस की कुल संख्या 1595 हो गई। वर्ष के दौरान प्रदान किए गए लाइसेंसों में दुनिया भर के 50 देशों से विभिन्न उत्पाद जैसे केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, स्टील और स्टील उत्पाद, सड़क परिवहन के लिए सेफ्टी ग्लास, व्हील रिम्स, एसी और हीट एक्सचेंजर,इलेक्ट्रिक उत्पाद,खिलौने, सीमैंट, हर्मेटिक कम्प्रेसर, फूटविअर, ऑटोमोबाइल वाहनों के लिए टायर,खाद्य संबंधी उत्पाद, औद्योगिक हेलमेट, रेफ्रिजरेटिंग अप्लाएंसेस आदि कवर किए गए हैं।

7.5 अनिवार्य पंजीकरण स्कीम (सीआरएस)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) पूर्व में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), ने 03 अक्टूबर 2012 को 'इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012 अधिसूचित किया, जिसमें संगत भारतीय मानकों के अनुपालन के आधार पर उत्पाद श्रेणियों के लिए बीआईएस से अनिवार्य पंजीकरण अधिदेशित किया गया है। अब तक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सामानों को सीआरएस के दायरे में लाया गया है।

अनिवार्य पंजीकरण स्कीम (सीआरएस) बीआईएस द्वारा बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची–।। की स्कीम–।। के अनुसार संचालित की जा रही है। यह स्कीम आईटी जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण का एक विकल्प है और उपभोक्ताओं को भारत या विदेश में निर्मित नकली और घटिया उत्पादों से संरक्षण प्रदान करना है। यह स्कीम मुख्य रूप से उत्पादों के सुरक्षा पहलुओं को कवर करती है।

इस स्कीम में यह परिकल्पना की गई है कि कोई भी व्यक्ति उन सामानों का विनिर्माण, आयात, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं हैं और पंजीकरण संख्या के साथ बीआईएस मानक चिह्न नहीं रखते हैं। सीआरएस के तहत कुल 73 उत्पाद श्रेणियां और 35 भारतीय मानक शामिल हैं। सीआरएस के तहत पहला लाइसेंस 12 जून 2013 को बीआईएस द्वारा प्रदान किया गया था।

सीआरएस के दायरे में पहले से ही शामिल उत्पादों के अलावा,इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 26 अप्रैल 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2021 के तहत एक और उत्पाद श्रेणी– आईएस 18112:2022 के अनुसार टेलीविजन सेट को अधिसूचित किया।

31 दिसंबर 2023 तक, बीआईएस के पास भारत सहित 71 देशों में 23131 ऑपरेटिव लाइसेंस हैं। यहाँ इन–

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा अधिसूचित उत्पादों के लिए 22,648 लाइसेंस संचालित हैं।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा अधिसूचित उत्पादों के लिए 466 लाइसेंस संचालित हैं।
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उत्पादों के लिए 17 लाइसेंस संचालित हैं।

01 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान कुल 4443 आवेदन प्राप्त हुए और कुल 4178 लाइसेंस प्रदान किये गये।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण आदेश की आवश्यकताएं), 2021 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए समानांतर परीक्षणः

शुरुआत में 19 दिसंबर 2022 को मोबाइल फोन उत्पाद श्रेणी में आवेदकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के समानांतर परीक्षण के लिए एक पायलट परियोजना सक्षम की गई थी, जिसे छह महीने 01 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, अतिरिक्त दो और उत्पाद श्रेणियों, वायरलेस ईयरफोन और हेडफोन और लैपटॉप/नोटबुक/टैबलेट के साथ परियोजना को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था।

पायलट प्रोजेक्ट को 09 जनवरी 2024 से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल(अनिवार्य पंजीकरण आदेश की आवश्यकताएं), 2021 के तहत सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए स्थायी स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है। इससे व्यापार करने में आसानी होगी और बाज़ार से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के टर्नअराउंड समय में कमी आएगी।

1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए अनुमानः–

अनुमान है कि पंजीकरण विभाग 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 के बीच 30% अधिक आवेदन स्वीकृत करेगा, जो 01 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक दिए गए 4178 लाइसेंस के वर्तमान आंकड़े को जोड़ देगा।

7.6 हॉलमार्किंग

स्वर्ण/चांदी के आभूषणों/कलाकृतियों की हॉलमार्किंग

स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता अथवा उत्कृष्टता के संबंध में उपभोक्ताओं को तृतीय पक्ष का आश्वासन प्रदान करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग अप्रैल, 2000 को प्रारम्भ की गई थी। चांदी के आभूषणों/कलाकृतियों के हॉलमार्किंग की स्कीम अक्तूबर, 2005 में आरंभ की गई थी। इस स्कीम के तहत, ज्वैलरों को हॉलमार्क किए गए आभूषणों को बेचने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तथापि, लाइसेंसी ज्वैलर द्वारा प्रस्तुत किए गए आभूषणों की घोषित उत्कृष्टता सहित शुद्धता के आकलन की घोषणा करने और संगत भारतीय मानक के अनुरूप पाये जाने वाले आभूषणों पर हॉलमार्क लगाने के लिए एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों को मान्यता प्रदान की गई है।

1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान हॉलमार्किंग पंजीकरण की संख्या 1,50,790 से बढ़कर 1,85,005 हो गई है, जबकि बीआईएस मान्यता प्राप्त एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 1351 से बढ़कर 1497 हो गई है। इसी अवधि के दौरान, स्वर्ण और चांदी के आभूषणों/कलाकृतियों की 15.06 करोड़ वस्तुओं की हॉलमार्किंग की गई है।

(i) अनिवार्य हॉलमार्किंग

भारत सरकार द्वारा 23 जून 2021 को स्वर्ण आभूषणों/कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया गया था, जिसने देश के 256 जिलों, जहाँ कम से कम एक एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र है, में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। दिनांक 04 अप्रैल 2022 के सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2022, माध्यम से अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण 01 जून 2022 से 288 जिलों में लागू किया गया था। दिनांक 06 सितंबर, 2023 सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (तीसरा संशोधन) आदेश, 2023, के माध्यम से अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण 06 सितंबर, 2023 से 343 जिलों में लागू किया गया था।

(ii) एचयूआईडी आधारित प्रणाली

अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश के कार्यान्वयन के मद्देनजर, एएचसी में परख और हॉलमार्किंग गतिविधियों के स्वचालन के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली को छह अंकों के एचयूआईडी (हॉलमार्किंग यूनिक आईडी) से युक्त नए हॉलमार्क के साथ कार्यात्मक बनाया गया है। हॉलमार्किंग की एचयूआईडी–आधारित प्रणाली आवश्यक महसूस की गई क्योंकि हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के साथ, पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी की एक सशक्त प्रणाली के साथ–साथ आभूषण के हर टुकड़े पर हॉलमार्क की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जानी थी। इसे उपभोक्ताओं के हित में पेश किया गया है। 1 जुलाई, 2021 हॉलमार्किंग के लिए एचयूआईडी आधारित प्रणाली की शुरुआत के बाद से 31 दिसंबर 2023 तक सोने के आभूषणों/कलाकृतियों के 31.66 करोड़ वस्तुओं की हॉलमार्किंग की गई है।

मोबाइल बीआईएस केयर ऐप में एक प्रावधान किया गया है जिसमें एचयूआईडी को डालकर उपभोक्ता गहनों की शुद्धता, आभूषणों के प्रकार, एएचसी का विवरण जिसने आभूषणों का परीक्षण किया है, ज्वैलर्स का नाम जिसने आभूषणों की पहचान की है, हॉलमार्किंग की तारीख आदि जैसे विवरणों को सत्यापित कर सकता है। इससे उपभोक्ता को खरीदारी के समय हॉलमार्क की प्रामाणिकता की जांच करने में मदद मिलेगी।

(iii) स्वर्ण बुलियन की हॉलमार्किंग

आई.एस. 1417:2016 के अनुसार 999 और 995 की शुद्धता में स्वर्ण बुलियन की हॉलमार्किंग अक्तूबर, 2015 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, उन रिफाइनरियों/टकसालों को लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉलिटिक अथवा एक्वारेजिया प्रक्रिया द्वारा स्वर्ण को परिशुद्ध करती हैं और जिनके पास पूर्ण परीक्षण सुविधा है तथा एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाएं हैं। अभी तक, 31 दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, स्वर्ण बुलियन और सिक्के के लिए रिफाइनरियों/भारत सरकार टकसाल को अभी तक 53 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

(iv) स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम

भारत सरकार ने 5 नवंबर, 2015 से स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम की शुरुआत की है। भारतीय मानक ब्यूरो ने आर्थिक कार्य विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम को अंतिम रूप देने और उसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस स्कीम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग और केन्द्रों को संग्रहण और शुद्ध ता परीक्षण केंद्रों (सी.पी.टी.सी.) की तरह कार्य करने के योग्य बनाया गया है। अभी तक 49 एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों तथा एक ज्वैलर को सी.पी.टी.सी. के रूप में कार्य करने के योग्य बनाया गया। सी.पी.टी.सी. द्वारा एकत्रित किए गए स्वर्ण को भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त रिफाइनरियों द्वारा शुद्ध किया जाना होता है।

(v) हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन देना

स्वर्ण आभूषण व्यापार में प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण के लिए देश में हॉलमार्किंग को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश भर में स्थित अपने विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के जरिए ज्वैलरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान, 290 ऐसे ज्वैलर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(vi) योजनागत स्कीम

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा केंद्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण एसेइंग और हॉलमार्किंग (ए एंड एच) केंद्रों की स्थापना के लिए एक योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इस स्कीम के घटक निम्नलिखित हैं:

क) अवसंरचना निर्माण – एसेइंग और हॉलमार्किंग (ए एवं एच) केंद्रों की स्थापना करना।

ख) क्षमता निर्माण

i) कारीगरों का प्रशिक्षण

ii) प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण (भारतीय मानक ब्यूरो लेखापरीक्षक)

iii) एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों के कार्मिकों का प्रशिक्षण।

इस अवधि के दौरान, हॉलमार्किंग की योजनागत स्कीम के तहत, अवसंरचना निर्माण में चार आवेदकों को कमी वाले जिलों में एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई जबकि क्षमता निर्माण के लिए, कारीगरों के प्रशिक्षण हेतु, एसेइंग और हॉलमार्किंग कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए और भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित कार्यक्रमों की संख्या क्रमशः 04, 05 और 01 थी।

7.7 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (एमएससीडी)

बीआईएस की प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजनाएं "आईएसओ/आईईसी 17021–1:2015 अनुरूपता मूल्यांकन – प्रबंधन प्रणालियों का ऑडिट और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों के लिए आवश्यकताएं" के अनुसार संचालित की जाती हैं।

वर्ष 1991 में क्यूएमएस की स्थापना के बाद से तीन दशकों में, बीआईएस सामान्य और साथ ही सेक्टर विशिष्ट प्रमाणन स्कीमों को शामिल करते हुए 20 से अधिक प्रमाणन स्कीमों में आगे बढ़ा है। बीआईएस द्वारा संचालित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीमों की सूची नीचे दी गई है:

क्र सं	प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम	संगत भारतीय मानक (आईएस)	कार्यान्वयन का वर्ष
1.	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)	आईएस/आईएसओ 9001	1991
2.	पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)	आईएस/आईएसओ 14001	1997
3.	जोखिम विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी)	आईएस 15000	1998
4.	पेशेवर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस)	आईएस/आईएसओ 45001	2003
5.	खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस)	आईएस/आईएसओ 22000	2006

क्र सं	प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम	संगत भारतीय मानक (आईएस)	कार्यान्वयन का वर्ष
6.	सेवा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एसक्यूएमएस)	आईएस 15700	2007
7.	ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस)	आईएस / आईएसओ 50001	2013
8.	सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंधन प्रणाली (एसएएमएस)	आईएस 16001	2016
9.	चिकित्सा उपकरण प्रबंधन प्रणाली (एमडीएमएस)	आईएस / आईएसओ 13485	2016
10.	सड़क यातायात सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आरटीएसएमएस)	आईएस / आईएसओ 39001	2018
11.	तैयार मिश्रित कंक्रीट (आरएमसी)	आईएस / आईएसओ 9001+ आईएस 4926	2018
12.	एडवेंचरस ट्यूरिज्म सेफ्टी मैनेजमेंट प्रणाली (एटीएसएमएस)	आईएस / आईएसओ 21101	2018
13.	रिश्वत–रोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस)	आईएस / आईएसओ 37001	2019
14.	सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस)	आईएस / आईएसओ / आईईसी 27001	2019
15.	शैक्षिक संगठन प्रबंधन प्रणाली (ईओएमएस)	आईएस / आईएसओ 21001	2019
16.	सुरक्षा और कार्यनिष्पादन के आवश्यक सिद्धांतों वाली चिकित्सा उपकरण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एमडीएसपीएमएस)	आईएस 23485	2020
17.	पाइप्ड पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली (पीडीडब्ल्यूएसएमएस)	आईएस 17482	2020
18.	तैयार मिक्स्ड कंक्रीट प्रक्रिया प्रमाणन	आईएस 4926	2021

क्र सं	प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम	संगत भारतीय मानक (आईएस)	कार्यान्वयन का वर्ष
19.	दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम (सीएएसएमएमपी)	डेयरी क्षेत्र के लिए भारतीय मानक, आईएस / आईएसओ 22000 और प्रक्रिया प्रमाणन	2021
20.	ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा प्रक्रिया	आईएस 19000	2023

बीआईएस एमएससी योजनाओं की मान्यता स्थिति

बीआईएस एमएससी गतिविधि निम्नलिखित योजनाओं के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी), क्यूसीआई से मान्यता प्राप्त है:

i. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस–25 स्कोप सेक्टरों के लिए),

ii. पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस–7 स्कोप सेक्टर),

iii. खाद्य सुरक्षा प्रबंधन सिस्टम (एफएसएमएस स्कोप सेक्टर),

iv. पेशेवर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएमएसएस–17 स्कोप सेक्टर),

v. बीआईएस की ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीमें (ईएनएमएस – 8 स्कोप सेक्टर),

7.8 प्रयोगशाला (एलपीपीडी)

संगत मानकों के अनुरूप उत्पादों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद का परीक्षण करना, अनुरूपता मूल्यांकन के मुख्य आधारों में से एक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के जरिए उत्पादित नमूनों की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सन् 1962 में साहिबाबाद में केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना से आरम्भ करते हुए देश में आठ प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। इसके उपरांत, मोहाली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं तथा पटना, बैंगलोर और गुवाहाटी में तीन शाखा कार्यालय प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में रसायन, माइक्रोबॉयोलॉजिकल, इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल विधाओं के क्षेत्र में आने वाले उत्पादों का परीक्षण करने की सुविधाएं हैं। उत्पाद परीक्षण के अतिरिक्त, बी.आई.एस. ने अपनी 07 प्रयोगशालाओं और 02 शाखा कार्यालयों में स्वर्ण एसेईंग प्रयोगशाला स्थापित की है। चेन्नई में स्थित स्वर्ण एसेईंग प्रयोगशाला एक रेफरल प्रयोगशाला है और यह चांदी के आभूषणों का परीक्षण भी करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीआईएस प्रयोगशाला सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

विकास के साथ तालमेल बनाए रखें, साहिबाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोहाली, बैंगलोर, पटना और गुवाहाटी में प्रयोगशालाओं को आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार मान्यता दी गई है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला मान्यता स्कीम (एल.आर.एस.) भी संचालित की जाती है।

बीआईएस प्रयोगशाला मान्यता के तहत 311 बीआईएस प्रयोगशालाएं हैं और पैनल में 266 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास संगठन, तकनीकी संस्थान, सरकारी प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। ऐसी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां यह किफायती है और भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में वैसी परीक्षण सुविधाएं विकसित करना व्यवहार्य नहीं है।

विकसित की गई परीक्षण सुविधाएं:

- गुवाहाटी में भवन निर्माण सामग्री परीक्षण सुविधा।
- खाद्य उत्पाद, लेमिनेटेड लकड़ी, खिलौनों और विद्युत उपकरणों में रासायनिक परीक्षण, मोहाली
- कोलकाता में फिडींग बोतलें, जूट बैग, कृषि बर्तन, वायरिंग सहायक उपकरण
- साहिबाबाद में वॉटर डिसपेरिशएबल पाउडर
- बैंगलोर में सिंचाई उपकरण, औद्योगिक रसायन

नई उपलब्धियाँ और पहल

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बीआईएस प्रयोगशालाओं ने एक महीने में 7000 से अधिक नमूनों का उच्चतम समग्र परीक्षण आउटपुट हासिल किया है। बीआईएस केंद्रीय प्रयोगशाला ने 2000 से अधिक नमूनों का ऑउटपुट हासिल किया है और पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला ने 1100 से अधिक नमूनों का ऑउटपुट हासिल किया है।
2. बीआईएस प्रयोगशालाओं में परीक्षण क्रियाकलाप को आधुनिक बनाने की दृष्टि से, सभी बीआईएस प्रयोगशालाओं में परीक्षण उपकरणों की खरीद के लिए एक प्रमुख प्रक्रिया चल रही है और कुल 432 उपकरण खरीदे जा चुके हैं और सभी बीआईएस प्रयोगशालाओं में उपयोग में हैं। बीआईएस प्रयोगशालाओं के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए, वैश्विक निविदा जांच की मेजबानी के लिए छूट मांगने का एक प्रस्ताव सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय को भेजा गया था। प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और उपकरणों की खरीद प्रक्रियाधीन है।
3. प्रयोगशाला के अवसंरचना की उन्नति और परीक्षण के साथ–साथ नमूना तैयार

करने में उभरते रुझानों, सर्वोत्तम प्रथाओं और स्वचालन में नवीनतम प्रगति को शामिल करने के तरीकों की खोज के संबंध में, बीआईएस प्रयोगशालाओं ने विभिन्न परीक्षण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित करना शुरू किया है। 2023–24 में, बीआईएस प्रयोगशालाओं ने केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और स्वर्ण परीक्षण के साथ–साथ नमूना तैयार करने की प्रक्रियाओं के क्षेत्र में 09 सम्मेलन आयोजित किए हैं।

4. विशिष्ट भारतीय मानकों में परीक्षण प्रक्रियाओं और उनकी प्रयोज्यता से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए, बीआईएस प्रयोगशालाओं ने 'मानक मंथन' कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया है। 2023–24 में, बीआईएस प्रयोगशालाओं में स्टील ट्यूब, मवेशी फ़ीड और माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण को कवर करते हुए तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

5. एलआरएस की फीस संरचना को संशोधित किया गया है और एमएसएमई और महिला उद्यमियों के लिए मान्यता शुल्क को रु.1,00,000.00/– से घटाकर रु.60,000.00/– कर दिया गया है। मान्यता के दायरे में अधिक से अधिक भारतीय मानकों/उत्पादों को शामिल करने के लिए प्रयोगशाला को प्रोत्साहित करने के लिए समावेशन आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

6. आईएस 12171 के अनुसार कपास बेलों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जिसे गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के माध्यम से अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत लाया गया है, बीआईएस ने बीआईएस एलआरएस के तहत प्रयोगशाला की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क को 40,000 रुपये से 5,000 रुपये तक कम करने के लिए सक्रिय रूप से उपाय किए हैं और मान्यता शुल्क तीन वर्ष के लिए 1,00,000 रुपये से घटाकर एक वर्ष के लिए 20,000 रुपये कर दिया गया है। हितधारकों के साथ बातचीत के आधार पर, आईएस 12171:2019 के अनुसार कपास बेलों के लिए बीआईएस मान्यता के लिए आवेदन करने वाली प्रयोगशालाओं के लिए एक वर्ष के लिए आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार मान्यता की आवश्यकता में छूट भी दी गई है।

7. देश के ज्ञान और कौशल आधार को और समृद्ध करने के लिए, कॉलेज के छात्रों को बीआईएस की प्रयोगशाला गतिविधि से अवगत कराने के लिए सभी बीआईएस प्रयोगशालाओं में एक इंटर्नशिप स्कीम लागू की गई है। इन प्रशिक्षुओं को विभिन्न

बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के तहत बीआईएस प्रयोगशालाओं द्वारा प्राप्त विभिन्न उत्पादों का नियमित परीक्षण करना आवश्यक है।

8. जीआईजेड के सहयोग से इंडो–जर्मन एक्सपर्ट एक्सचेंज के तहत बीआईएस अधिकारियों के लिए गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज कार्यशाला और भारत में प्रमुख प्रयोगशालाओं और विनिर्माताओं का दौरा आयोजित किया गया है ताकि उन्हें विश्लेषणात्मक, धातुकर्म, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद से संबंधित अत्याधुनिक परीक्षण अवसंरचना से परिचित कराया जा सके।

9. देश में कार्यरत सरकारी प्रयोगशालाओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई सुविधाएं बनाने और उनके परीक्षण अवसंरचना के उन्नयन में सहायता करने के लिए, बीआईएस ने परीक्षण उपकरणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, बीआईएस द्वारा राष्ट्रीय परीक्षणशाला, मुंबई में परीक्षण सुविधाओं के निर्माण के लिए 4.7 करोड़ रु. के उपकरणों की खरीद वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा, 24 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 116.25 करोड़ रुपये के प्रस्ताव है । इस स्कीम के तहत कपड़ा समिति की 21 प्रयोगशालाओं के लिए 38.72 करोड़ रु. और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के लिए 37.49 करोड़ रु. की मंजूरी दी गई है।

10. परीक्षण संचालन में मानवीय हस्तक्षेप को और कम करने के लिए, बीआईएस ने प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस) पोर्टल के साथ परीक्षण उपकरणों के एकीकरण की परियोजना शुरू की है। इस सुविधा के जुड़ने से, परीक्षण अवलोकन सीधे परीक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा जिससे समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी और डेटा स्थानांतरण में त्रुटियों को रोका जा सकेगा।

11. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (सीए, एफ और पीडी) के निर्देश पर, बीआईएस को 8 और 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में पेयजल का परीक्षण करने का काम सौंपा गया था। भारत मंडपम में बीआईएस द्वारा एक ऑनसाइट परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और फील्ड–टेस्टिंग किट (एफटीके) और रैपिड परीक्षण उपकरण का उपयोग करके रासायनिक मापदंडों के लिए आपूर्ति लाइन के विभिन्न बिंदुओं से लिए गए पानी के नमूनों का विश्लेषण किया गया था। जैविक और रेडियो लॉजिकल मापदंडों के साथ–साथ शेष रासायनिक परीक्षणों के लिए, निकाले गए नमूनों का ऑफसाइट परीक्षण किया गया।

12. सोने के आभूषणों के परीक्षण से निकलने वाले सह–उत्पादों के प्रभावों का आकलन करने के लिए बीआईएस की सभी रेफरल परख प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदूषण अध्ययन किया गया था। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों द्वारा निष्प्रभावी करने से पहले और बाद में स्वास्थ्य और सुरक्षा सहनशीलता के संबंध में प्रदूषक सामग्रियों और यौगिकों की सांद्रता की जांच की गई। सभी प्रयोगशालाओं की अध्ययन रिपोर्टों की जांच तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की गई है और सभी बीआईएस प्रयोगशालाओं में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। अब सभी बीआईएस प्रयोगशालाओं में किए जा रहे विश्लेषणात्मक परीक्षण के सह–उत्पादों के लिए एक समान अध्ययन की योजना बनाई जा रही है।

13. बीआईएस ने पीवीसी/प्लास्टिक उत्पादों और कपड़ा उत्पादों के लिए हैदराबाद में परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए काम शुरू किया है, जिसके लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं।

14. स्कूल/कॉलेज के छात्रों और उद्योग कर्मियों के लिए बीआईएस प्रयोगशालाओं में 56 एक्सपोज़र विजिट आयोजित की गई है।

15. वर्ष 2023–24 के दौरान, 22 बाहरी प्रयोगशालाओं (ओएसएल) को प्रयोगशाला मान्यता स्कीम के तहत मान्यता दी गई है और 07 सरकारी प्रयोगशालाओं को बीआईएस की विभिन्न अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमों के तहत उत्पादों के परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

7.9 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन से संबंधित प्रशिक्षण के लिए उद्योग की बढ़ती जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बीआईएस की प्रशिक्षण शाखा, राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) की स्थापना 1995 में की गई थी। एनआईटीएस उद्योग से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर मानक निर्माण, अनुरूपता मूल्यांकन, प्रयोगशाला सेवाओं, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन और अन्य अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो अच्छी तरह से अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित प्रध्यापकों की एक टीम द्वारा संचालित किए जाते हैं।

एनआईटीएस एक सभागार, एक अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला, आधुनिक सम्मेलन कक्ष और विविध प्रकार के बैठने की क्षमता वाले कई प्रशिक्षण हॉल और एक आवासीय छात्रावास सहित विश्व स्तरीय प्रशिक्षण अवसंरचना से सुसज्जित है।

इस अवधि के दौरान, एनआईटीएस ने उद्योग, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों, पीएसयू, तकनीकी समिति के अध्यक्षों और सदस्यों एवं बीआईएस अधिकारियों के लिए 141 कार्यक्रम आयोजित किए। मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रयोगशालाओं पर एनआईटीएस में विकासशील देशों के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवधि के दौरान 3125 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

7.10 नई पहलें

इस अवधि के दौरान की गई नई पहलों में शामिल हैं–

1. आचरण संहिता पर कैप्सूल पाठ्यक्रम
2. नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) और नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड (एनईसी) पर पाठ्यक्रम
3. केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
4. सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
5. केंद्रीय मंत्रालयों के मानकीकरण सेल के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
6. उद्योग संघों के मानकीकरण सेल के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
7. शैक्षणिक संस्थानों के फैक्लटी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
8. आईआईएम में बीआईएस अधिकारियों का प्रशिक्षण
9. प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम
10. प्रशिक्षण हॉलों का नवीनीकरण और परिसर के सौंदर्यीकरण सहित अवसंरचना का उन्नयन

7.11 प्रशिक्षण

मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण के लिए उद्योग–जगत की बढ़ती जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 1995 में भारतीय मानक ब्यूरो के प्रशिक्षण विंग के तत्वावधान में राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (निट्स), की स्थापना की गई थी। निट्स अच्छी तरह से अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित संकाय की एक टीम द्वारा आयोजित मानक निर्माण, अनुरूपता मूल्यांकन, प्रयोगशाला सेवाओं, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

निट्स विश्व स्तर के प्रशिक्षण अवसंरचना से सुसज्जित है जिसमें एक सभागार, अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला, आधुनिक कान्फ्रेंस कक्ष, विभिन्न बैठने की क्षमता वाले कई प्रशिक्षण हॉल और एक आवासीय छात्रावास शामिल है।

इस अवधि के दौरान, एनआईटीएस ने उद्योग, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों, पीएसयू, तकनीकी समिति के अध्यक्षों और सदस्यों और बीआईएस अधिकारियों के लिए 141 कार्यक्रम आयोजित किए। मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रयोगशालाओं पर एनआईटीएस में विकासशील देशों के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवधि के दौरान 3125 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

कैप्सूल कोर्स

गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों की तकनीकी विशेषज्ञता की कमी को बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करने/संचालित करने के दौरान उद्योग के समक्ष आने वाली बाधाओं में से एक के रूप में इंगित किया गया है। कई नए उत्पादों के अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण के तहत आने से यह अंतर बढ़ रहा है। इस अंतर को पूरा करने के लिए, बीआईएस पूरे भारत में एनआईटीएस और इसके शाखा कार्यालयों के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों के लिए अल्पावधि कैप्सूल पाठ्यक्रम (2–दिवसीय) आयोजित कर रहा है।

ये कैप्सूल पाठ्यक्रम प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 99 कैप्सूल कोर्स कराये जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में 2000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

नई पहलें

इस अवधि के दौरान की गई नई पहलों में शामिल हैं–

1. आचरण संहिता पर कैप्सूल पाठ्यक्रम
2. नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) और नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड (एनईसी) पर पाठ्यक्रम
3. केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
4. सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
5. केंद्रीय मंत्रालयों के मानकीकरण सेल के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
6. उद्योग संघों के मानकीकरण सेल के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
7. शैक्षणिक संस्थानों के फैकल्टी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
8. आईआईएम में बीआईएस अधिकारियों का प्रशिक्षण

9. प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम

10. प्रशिक्षण हॉलों का नवीनीकरण और परिसर के सौंदर्यीकरण सहित अवसंरचना का उन्नयन

उपभोक्ता मामले एवं जनसंपर्क

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अपने विविध हितधारकों जैसे शिक्षा जगत, उपभोक्ताओं, उद्योगों, सरकार के पदाधिकारी आदि के साथ जुड़ा हुआ है। यह जागरूकता कार्यक्रम, उपभोक्ता संरक्षण, बीआईएस के हितधारकों के साथ बातचीत, विश्व मानक दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और प्रचार संबंधी क्रियाकलाप जैसे विभिन्न उपभोक्ता संबंधी गतिविधियों को संभालता है।

निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत कार्यक्रम और क्रियाकलाप आयोजित की गई हैं:

1. छात्रों और शिक्षा जगत तक पहुँच

i. **मानक क्लब:** मानकीकरण पर आधारित गुणवत्ता चेतना, त्वरित आर्थिक विकास के स्तंभों में से एक है और छात्रों को गुणवत्ता, मानकों और मानकीकरण के महत्व की सराहना करने के लिए प्रेरित करना इन विषयों पर सामाजिक जागरूकता में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। बीआईएस का लक्ष्य शैक्षिक संस्थानों में मानक क्लबों के रूप में पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के माध्यम से गुणवत्ता और मानकीकरण के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को सीखने के अवसर प्रदान करना है। इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों ने मानक क्लबों के गठन के लिए उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों, व्यावसायिक संस्थानों और ऐसे संस्थानों से संपर्क किया है जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 4014 मानक क्लब बनाए गए हैं, जिससे पूरे भारत में कुल 9000 से अधिक मानक क्लब बन गए हैं।

ii. **शैक्षणिक समुदाय के साथ आयोजित मानक संवर्धन गतिविधियाँ** : भारतीय मानक ब्यूरो युवा छात्रों के बीच मानकीकरण की अवधारणाओं और लाभों को विकसित करने के लिए कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के छात्रों और संकाय के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के दौरान मानक क्लब क्रियाकलापों, छात्रों का एक्सपोजर विजिट, शिक्षण उपयोगिता कार्यक्रम आदि सहित 5816 गतिविधियों का आयोजन किया था।

iii. **मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना:** नई पहलों में से एक मानकों के उपयोग के माध्यम से विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना है। "मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना" नामक पहल का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न उत्पादों के डिजाइन, कार्यप्रणाली, विनिर्माण और परीक्षण और प्रासंगिक भारतीय मानकों में बताई गई आवश्यकताओं के लिए विज्ञान के सिद्धांत और नियमों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझने में मदद करना है।

इस पहल के तहत 52 पाठ योजनाएं बनाई गई हैं। "मानक के माध्यम से विज्ञान सीखना" पहल विज्ञान शिक्षा में सिद्धांत और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच अंतर को पाटने और छात्रों को देश में गुणवत्ता और मानकीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने की दिशा में एक कदम है।

यह पहल छात्रों को शिक्षित करने के लिए भारतीय मानकों का उपयोग करने का एक अभिनव तरीका है और यह छात्रों को विज्ञान सिद्धांतो को बेहतर ढंग से समझने में मदद करके देश में विज्ञान शिक्षा के लिए एक सशक्त आधार बनाने में काफी मदद करेगा और भारतीय मानकों और विभिन्न उद्योग और सेक्टरों में उनके महत्व के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देगा।

iv. **राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी:** अगस्त 2023 के महीने में, बीआईएस ने भारतीय नागरिकों के लिए बीआईएस, इसकी संबंद्ध गतिविधियों, गुणवत्ता और मानकीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर 15 अगस्त, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक माईगॉव पर 'गुणवत्ता और मानकों' पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आयोजित की। इस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य बीआईएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज में गुणवत्ता और मानकों के महत्व को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की ओर भारतीय नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना है। इस क्विज़ में देश भर से 30000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिससे यह एक बड़ी सफलता रही।

02 अक्टूबर 2023 को डब्ल्यूएसडी 23 के अवसर पर स्टैंडर्ड्स क्लब के छात्र सदस्यों के लिए विशेष रूप से क्विज़ प्रतियोगिताओं का दूसरा दौर आयोजित किया गया था।

स्टैंडर्ड्स क्लब के छात्रों के लिए बीआईएस स्थापना दिवस के अवसर पर बहु–स्तरीय क्विज़ प्रतियोगिताओं का तीसरा दौर अर्थात् क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर आयोजित किया गया था।

v. **स्कूली छात्रों और उद्योग प्रतिनिधियों के लिए एक्सपोजर विजिटः** इस वाक्यांश के अनुसार कि *देखना ही विश्वास* है, बीआईएस ने उद्योग और शिक्षा जगत के लिए उनकी गुणवत्ता चेतना को बढ़ाने के लिए एक्सपोजर विजिट की अवधारणा शुरू की है। एक्सपोज़र विजिट में उद्योग और छात्रों को बीआईएस कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में लाना शामिल है जिन्हें सीखने के स्थान के रूप में विकसित किया गया है।

प्रयोगशालाओं का दौरा आगंतुकों को बीआईएस और बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उपलब्ध अवसंरचना और परीक्षण सुविधाओं को देखने एवं परीक्षण प्रगति देखने का अवसर प्रदान करता है। शैक्षिक संस्थानों के छात्रों को विनिर्माताओं द्वारा उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रियाओं और इन–हाउस परीक्षण को देखने के लिए औद्योगिक इकाइयों का दौरा करने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।

बीआईएस उद्योग प्रतिनिधियों के लिए एक्सपोज़र विजिट के महत्व को भी पहचानता है जो उन्हें उभरती प्रौद्योगिकी और उन्नत परीक्षण विधियों, उद्योगों और बीआईएस प्रयोगशालाओं के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान का ज्ञान प्रदान करता है।

1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक छात्रों के लिए कुल 672 दौरे और उद्योग प्रतिनिधियों के लिए 40 दौरे आयोजित किए गए।

2. उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों तक पहुंचः

i. **उपभोक्ताओं के साथ आयोजित मानक संवर्धन गतिविधियाँः** मानकीकरण, प्रमाणन की अवधारणा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के बीच गुणवत्तापूर्ण चेतना उत्पन्न करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से नियमित आधार पर जागरूकता कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के दौरान देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखा कार्यालयों द्वारा ऐसे 432 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

ii. **उपभोक्ता संगठनों के साथ बैठकः** उपभोक्ता संगठनों (सीओ) के लिए 02 मार्च 2023 को एक वेबिनार आयोजित किया गया था। देश भर के विभिन्न सीओ के कुल 26 प्रतिनिधियों ने वेबिनार में भाग लिया और उनसे बीआईएस मानक प्रचार गतिविधियों पर परियोजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

09 और 10 मई 2023 को बीआईएस के साथ मिलकर काम करने के लिए उपभोक्ता संगठन/एनजीओ/वीओ के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें देश भर के सीओ/एनजीओ/वीओ के 70 से अधिक प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

iii. **गुणवत्ता कनेक्ट अभियानः** उपभोक्ता बीआईएस की सभी क्रियाकलापों के अंतिम लाभार्थी हैं जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद और सेवाएं सुरक्षित होने के साथ–साथ संबंधित राष्ट्रीय मानकों के तहत परिभाषित गुणवत्ता के वांछित स्तर को पूरा करते हैं। हाल की बीआईएस पहलों में से एक "क्वालिटी कनेक्ट अभियान" है, जो उपभोक्ताओं को मानकों के महत्व पर शिक्षित करने और गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है। इस अभियान में युवा स्वयंसेवकों (जिन्हें मानक मित्र कहा जाता है) द्वारा घर–घर जाकर परिवारों से व्यक्तिगत संपर्क करना, उन्हें उपभोक्ता–केंद्रित जानकारी जो विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराई गई है, दिखाना शामिल है।

"क्वालिटी कनेक्ट अभियान 1.0" अक्टूबर 2022 में विश्व मानक दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। 4000 से अधिक स्वयंसेवकों ने अभियान में भाग लिया और बीआईएस शाखा कार्यालयों (बीओ) के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में एक लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा। पहले अभियान की सफलता के आधार पर, 6 जनवरी 2023 को बीआईएस द्वारा मनाए गए 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक और अभियान शुरू किया गया, जिसके दौरान 16,000 से अधिक स्वयंसेवक 4.3 लाख से अधिक परिवारों से जुड़े। यह अभियान 6 जनवरी 2023 से एक सप्ताह के लिए बीआईएस शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में आयोजित किया गया और 14 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ, जिसमें शाखाओं के प्रमुख जिलों को शामिल किया गया और इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर उच्चतम स्तर के स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया।

क्वालिटी कनेक्ट अभियान 3.0 का तीसरा दौर 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के अवसर पर अर्थात् 15 मार्च 2023 को शुरू किया गया था, जिसमें 15000 से अधिक मानक मित्रों ने भाग लिया और 4 लाख से अधिक परिवारों को कवर किया।

तीसरे दौर के क्वालिटी कनेक्ट अभियान 3.0 की सफलता बीआईएस द्वारा विभिन्न अवसरों पर आयोजित पहले के दो अभियानों की तरह ही आश्चर्यजनक थी। 46 विभिन्न उपभोक्ता संगठन और गैर सरकारी संगठनों को शाखा कार्यालयों द्वारा क्वालिटी कनेक्ट अभियान 3.0 के दौरान शामिल किया गया था।

ये सीओ/एनजीओ स्वयंसेवकों (मानक मित्र) की पहचान करने और उन्हें संगठित करने, गुणवत्ता कनेक्ट अभियान के लिए मानक मित्रों को प्रशिक्षण देने, अभियान के दौरान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने, प्रमुख स्थानों पर इस अभियान के शुभारंभ वाले कार्यक्रम आयोजित करने और मानक मित्र के रूप में भाग लेने में सहायता प्रदान करते हैं।

अभियान के तीसरे दौर के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया और अनुभवों से उत्साहित होकर, अभियान को 3 खंडों अर्थात युवा से युवा जुड़ें, परिवार जुड़े और व्यापारी जुड़े में विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

क्वालिटी कनेक्ट अभियान 4.0 का चौथा दौर गुणवत्ता और मानकों के पारिस्थितिकी तंत्र पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अधिक हितधारकों तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया था। क्वालिटी कनेक्ट अभियान 4.0 जिसमें तीन अलग–अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, अर्थात् युवा से युवा जुड़ें, परिवार जुड़े और व्यापारी जुड़े । बीआईएस ने प्रमुख विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों से जुड़ने और उन्हें दैनिक जीवन में गुणवत्ता और मानकों के महत्व को समझाने के लिए स्वयंसेवकों (मानक मित्र नाम) को नियुक्त किया। 26 राज्यों के 315 जिलों के 481 संस्थानों से बीस हजार से अधिक माणक मित्र युवा से युवा जुड़े के माध्यम से 2.8 लाख से अधिक छात्रों से जुड़े हुए थे। इसके अलावा, कई शाखा कार्यालयों ने बीआईएस वेबसाइट और बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत आने वाले उत्पादों के बारे में व्यापारियों और परिवारों को जागरूक करने के लिए स्वयंसेवकों को नियुक्त किया। स्वयंसेवकों ने क्वालिटी कनेक्ट ऐप का उपयोग करके अभियान के दौरान लगभग 1.15 लाख से अधिक परिवारों और 8500 से अधिक व्यापारियों को जोड़ा।

प्रत्येक अभियान का उद्देश्य महत्वाकांक्षी था, जिसका लक्ष्य आम घरेलू उत्पादों के मानकों, गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ–साथ बीआईएस की गतिविधियों और बीआईएस केयर ऐप के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा छात्रों,

मध्यम आय वाले परिवारों और व्यापारियों से जुड़ना था। यह अभियान उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने पर केंद्रित है जो उन्हें उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के बारे में संसूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा।

iv. **उद्योग–जगत के साथ आयोजित मानक संवर्धन गतिविधियाँ** : उद्योगों के बीच मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन और अन्य बीआईएस गतिविधियों की अवधारणा का प्रचार करने के लिए, ज्वेलर / कारीगरों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों सहित 697 गतिविधियां 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के दौरान आयोजित की गई थीं। कार्यक्रमों में व्याख्यान और चर्चाएं शामिल थीं। ऐसे कार्यक्रमों के दौरान क्षेत्र में उद्योगों की संकेंद्रण के आधार पर विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित मानकों पर भी प्रकाश डाला गया था।

v. **सरकार के साथ आयोजित मानक संवर्धन गतिविधियाँ** : 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के दौरान, भारतीय मानक ब्यूरो ने प्राथमिक हितधारक के रूप में सरकार के साथ 708 गतिविधियों का आयोजन किया। गतिविधियों में सरकारी विभागों के साथ बैठकें, जिला उद्योग केंद्रों के साथ बैठकें, जागरूकता कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम शामिल थे।

vi. **मानकीकरण पर राज्य स्तरीय समितियां (एसएलसीएस)**: देश में एक सुदृढ़ गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन के साधन के रूप में भारतीय मानकों के उपयोग को बढ़ावा देने और मानकों के निर्माण और उपयोग में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों (लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर) में 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक मानकीकरण पर राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। ऐसी समितियों के कार्य की देखरेख भारतीय मानक ब्यूरो के शाखा कार्यालयों द्वारा की जा रही है, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रभारी सचिव क्रमशः एसएलसीएस के अध्यक्ष और सदस्य सचिव और क्षेत्र के उप महानिदेशक पदेन क्षमता में सदस्य के रूप में हैं। संरचित एजेंडा राज्य की स्थानीय जरूरतों को पूरा करने और सामान्य गुणवत्ता वाले पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए तैयार किया गया है। इन बैठकों से राज्य सरकार के विभागों के साथ बेहतर समन्वय होता है और सरकारी खरीद में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों की खरीद के

माध्यम से भारतीय मानकों को बढ़ावा मिलता है। 31 दिसंबर 2023 तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में समितियों के पुनर्गठन के बाद कुल 19 एसएलसीएस बैठकें आयोजित की गई हैं।

vii. **ग्राम पंचायतों को संवेदनशील बनानाः** ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं और स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए, भारतीय मानकों और उनके कार्यान्वयन के बारे में ग्राम पंचायतों को संवेदनशील बनाना एक महत्वपूर्ण पहलू है। देश भर में विशेष अभियान चलाकर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सचिव के संवेदीकरण कार्यक्रम चलाए गए। ग्रामीण स्तर पर आमतौर पर उपयोगी मानकों की सूची के साथ 2.3 लाख से अधिक पत्र देश भर में ग्राम पंचायत को भेजे गए थे। जमीनी स्तर पर मानकों और गुणवत्ता के महत्व को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए माननीय उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री द्वारा 06 जनवरी 2024 को ग्रामपंचायत अधिकारियों की संवेदनशीलता पर वीडियो फिल्म जारी की गई थी।

31 दिसंबर 2023 तक देश भर में 500 से अधिक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 21,366 कार्यक्रम आयोजित कर के ग्राम पंचायत को संवेदनशील बनाया गया है।

3. विशेष अवसरों का जश्न मनाना

i. **विश्व मानक दिवसः** भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने प्रत्येक वर्ष की तरह, मानकीकरण में विश्व भर में शामिल हजारों विशेषज्ञों के सहयोगात्मक प्रयासों को स्वीकार करने और भविष्य के पथ पर विचार करने के लिए 14 अक्टूबर 2023 को विश्व मानक दिवस (डब्ल्यूएसडी) मनाया। इस वर्ष के डब्लूएसडी 23 का विषय "बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोणः एसडीजी के लिए मानक" था।

मुख्य समारोह भारत मंडपम, आईटीपीओ, नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता मामले,खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विमोचन, लॉन्च और सम्मान समारोह आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में 1200 से अधिक विविध प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और मेहमानों जैसे उपभोक्ता मामले विभाग और अन्य मंत्रालयों

के अधिकारी, विभिन्न उद्योग और उनके संघ, लाइसेंसधारी, प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन, बीआईएस मानक क्लब के सलाहकार और छात्र, प्रेस कर्मी, बीआईएस अधिकारी, पूर्व –बीआईएस अधिकारी आदि ने भाग लिया । इस कार्यक्रम में प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कार्यक्रम का कवरेज प्रदान करने के लिए 60 से अधिक मीडिया कर्मियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम को विभिन्न सोशल मीडिया चौनलों के माध्यम से भी प्रसारित किया गया।

सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों (आरओ और बीओ) ने भी विश्व मानक दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया। डब्लूएसडी 2023 के उत्सव के दौरान 14 अक्टूबर 2023 से दो सप्ताह पहले और बाद में मानक महोत्सव, क्वालिटी कनेक्ट अभियान 4.0, शैक्षणिक संस्थान में दिन भर चलने वाली गतिविधियाँ, नुक्कड़ नाटक, ग्राम पंचायत सदस्यों का संवेदीकरण, गैर–हॉलमार्किंग जिलों में बाजार सर्वेक्षण आदि जैसी विविध गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

शाखा कार्यालय ने मानकों और प्रमाणित उत्पादों के उपयोग पर ग्राम पंचायत अध्यक्षों और सचिवों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए। अब तक, 4000 से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सचिवों को जागरूक किया जा चुका है।

विश्व मानक दिवस 23 के अवसर पर उपभोक्ताओं के लिए मानकों और प्रमाणित उत्पादों के उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कई प्रमुख उद्योगों और उनके संघों ने अपने परिसरों और कार्यालयों में बैनर प्रदर्शित किए और कार्यक्रम आयोजित किए।

देश भर में प्रत्येक बीआईएस कार्यालय भवन को 13 से 14 अक्टूबर तक खूबसूरती से सजाया और रौशन किया गया था और विश्व मानक दिवस 2023 मनाने के महत्व के बारे में संदेश प्रदर्शित करने वाले प्रमुख स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए थे।

ii. **बीआईएस स्थापना दिवस 2023**: बीआईएस स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 06 जनवरी को मनाया जाता है। यह वस्तुओं, सेवाओं, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के लिए मानकों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की स्थापना और राष्ट्र के लिए इसकी सेवाओं की याद दिलाता है।

इस वर्ष स्थापना दिवस 06 जनवरी 2023 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में मनाया गया। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। माननीय उपभोक्ता मामले, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

कार्यक्रम के दौरान, माननीय मंत्री द्वारा बीआईएस की प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई जैसे राष्ट्रीय मानक कार्य योजना (एसएनएपी) 2022–2027, भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता, 2023, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड (एनईसी) पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, स्टैंडर्ड क्लब पर ओरिएंटेशन फिल्म, औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण के लिए पोर्टल, एनबीसी के पुनरीक्षण अभ्यास का उद्घाटन। माननीय मंत्री ने बीआईएस स्थापना दिवस के अवसर पर बीआईएस द्वारा शुरू किए गए क्वालिटी कनेक्ट अभियान 2.0 के मानक मित्र के साथ भी बातचीत की।

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय स्तर पर, क्वालिटी कनेक्ट 2.0 को हरी झंडी दिखाकर बीआईएस स्थापना दिवस मनाया गया। आम लोगों के मध्य बीआईएस क्रियाकलापों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न शाखा कर्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए। पहली बार, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों ने अपने परिसरों में मानकों के अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए बैनर प्रदर्शित करके बड़े उत्साह के साथ बीआईएस स्थापना दिवस के समारोह में भाग लिया।

iii. **विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस:** विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (डब्ल्यूसीआरडी) प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। यह उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विश्व भर में उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुरक्षा की वकालत करने का दिन है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रत्येक वर्ष की तरह 15 मार्च 2023 को मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय स्तर पर बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम मनाया। इस अवसर पर उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दिल्ली के वाणिज्य भवन में 15 मार्च 2023 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। माननीय उपभोक्ता मामले, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

कार्यक्रम के दौरान माननीय राज्य मंत्री द्वारा मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना कार्यक्रम के तहत दस मानक आधारित पाठ योजनाएं शुरू की गईं। माननीय राज्य मंत्री द्वारा बीआईएस के प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन का नया पोर्टल, प्रशिक्षण का नया पोर्टल आईएस 9478: 2023 'बायोगैस (बायोमेथेन) संयंत्र का डिजाइन, निर्माण, संस्थापन और संचालन– अभ्यास संहिता (तीसरा संशोधन)' लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के दौरान नए प्रदान किए गए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस और प्रबंधन लाइसेंस क्रमशः उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को सौंपे गए।

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय स्तर पर क्वालिटी कनेक्ट अभियान 3.0 15 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था। डब्ल्यूसीआरडी 2023 समारोह के भाग के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा मानक मंथन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

iv. **आज़ादी का अमृत महोत्सव – भारत @ 75:** भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए बीआईएस ने जनवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक हर हफ्ते अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/प्रयोगशालाओं में देश भर में कई नवीन गतिविधियाँ आयोजित कीं। इस संबंध में बीआईएस द्वारा की गई कुछ गतिविधियां थीम आधारित सेमिनार/वेबिनार, स्कूलों/कॉलेजों में मानक क्लब गतिविधियां, उद्योग बैठकें आदि हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कुल 28 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मानकों और अन्य सामग्रियों का प्रकाशन

बीआईएस, अपने प्रकाशनों के माध्यम से, भारतीय मानकों के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और उनके संशोधनों को और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित मानकों और संशोधनों की अधिसूचना का कार्य देखता है । 01 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान, बीआईएस ने 2099 मानक तैयार किए, जिनमें से 830 नए थे और 1269 संशोधित किए गए थे। इसके अलावा, बीआईएस ने 186 संशोधन तैयार किए हैं। इस अवधि के दौरान कुल 324 मानक वापस लिए गए हैं और 182 को हटा दिया गया है। 31 दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार लागू मानकों की कुल संख्या 22057 है।

01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 के दौरान 01 विशेष प्रकाशन (एसपी) एसपी 73 'मानकीकृत विकास एवं भवन विनियम, 2023' प्रकाशित किया गया है।

बिक्री

बीआईएस मुख्यालय (एचक्यू), क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में स्थित 25 विभिन्न बिक्री आउटलेट्स के माध्यम से भारतीय मानक (आईएस) और विशेष प्रकाशन (एसपी) की बिक्री करता है। बिक्री भारत के प्रमुख शहरों में फैले पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से भी की जाती है। बीआईएस भारत में बीआईएस मुख्यालय (एचक्यू) से विदेशी मानक (आईएसओ, आईईसी, बीएसआई लंदन, डीआईएन जर्मनी, जेआईएस जापान) भी बेचता है। इसके अलावा, भारतीय मानक और विशेष प्रकाशन ई–पोर्टल (www.standardsbis.bsbedge.com) के माध्यम से भी बेचे जाते हैं। भारतीय मानक अब ई–पोर्टल के माध्यम से गैर–वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए डाउनलोड करने योग्य संस्करण में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

कैशलेस लेनदेन के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल पर कैशलेस लेनदेन को सक्षम करने के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा सभी बीआईएस बिक्री काउंटरों पर उपलब्ध कराई गई है।

सतर्कता गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की सतर्कता स्थापना मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में है और इसमें बीआईएस मुख्यालय में सतर्कता विभाग और समूह ख और ग कर्मचारियों के लिए प्रत्येक अनुशासनात्मक प्राधिकरण के सचिवालय (संबंधित उप महानिदेशक) में एक सतर्कता अनुभाग शामिल है।

सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करता है। इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग/डीओपीटी आदि द्वारा इस विषय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्यूरो की सभी सतर्कता संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं:

- निवारक सतर्कता (उदाहरण के लिए – प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, प्रशिक्षण, 'सहमत सूची' तैयार करना और 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची', आदि)
- दंडात्मक सतर्कता (उदाहरण के लिए – प्राप्त शिकायतों की जांच, अन्वेषण, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि)
- निगरानी करना और पता लगाना (जैसे सतर्कता ऑडिट, वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच, निगरानी, समीक्षा बैठकें आदि)

निवारक सतर्कता गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान डब्ल्यूआरओ, डब्ल्यूआरओएल, एमयूबीओ–। एमयूबीओ –।। के निवारक सतर्कता लेखापरीक्षा की गई। इन लेखापरीक्षाओं के परिणामस्वरूप, बीआईएस की प्रमुख गतिविधियों से संबंधित विभिन्न व्यवस्थित सुधारों का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षित कार्यालयों के कामकाज में पाई गई विसंगतियों के संबंध में अनुवर्ती सुधारात्मक कार्रवाई की सलाह दी गई थी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग 3 महीने का अभियान

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रदूत के रूप में, सीवीसी दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार 16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023 तक 3 महीने के अभियान के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

क. जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प के बारे में जागरूकता निर्माण – सभी 34 शाखा कार्यालयों, 05 क्षेत्रीय कार्यालयों और 06 प्रयोगशालाओं ने पीआईडीपीआई जानकारी के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम पर बैनर प्रदर्शित किए हैं। पीआईडीपीआई पोस्टर का 11 क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, असमिया, गुजराती और मराठी) में अनुवाद किया गया था।

ख. क्षमता निर्माण कार्यक्रम – क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत, अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया:

i. नैतिकता और शासन;

ii. साइबर स्वच्छता और सुरक्षा;

iii. जीईएम और जीएफआर

iv. प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन, मापन अनिश्चितता, अंतर प्रयोगशाला तुलना/प्रवीणता परीक्षण और परियोजना और समय प्रबंधन

ग. प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन – पिछले मामलों के विश्लेषण के आधार पर भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाया गया।

घ. शिकायत निपटान के लिए आईटी का लाभ उठाना – अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए बीआईएस के सतर्कता पोर्टल को अद्यतन किया गया था।

ङ. परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअलों का अद्यतनीकरण – अभियान अवधि के दौरान बीआईएस इंट्रानेट पर 122 परिपत्र/दिशानिर्देश अपलोड किए गए।

रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की प्रस्तावना के रूप में, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आईएस/आईएसओ 37001 के अनुसार विश्व स्तर पर प्रासंगिक रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणालियों (एबीएमएस) के कार्यान्वयन पर जागरूकता उत्पन्न करना था। इस संगोष्ठि का आयोजन 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस), नोएडा में किया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न संगठनों के सीवीओ, सतर्कता पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक शानदार सभा देखी गई। कार्यक्रम के दौरान एसजेवीएन लिमिटेड को बीआईएस से एबीएमएस प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सम्मानित भी किया गया। एबीएमएस प्रमाणपत्र श्री प्रेम प्रकाश, सीवीओ, एसजेवीएन को श्री प्रमोद कुमार तिवारी, महानिदेशक, बीआईएस से प्राप्त हुआ।

सरदार पटेल क्रिकेट टूर्नामेंट बीआईएस

सतर्कता जागरूकता और टीम भावना को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में, 06 अक्टूबर 2023 को सरदार पटेल क्रिकेट टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन करके एक अनूठी पहल की गई। सीवीसी के निर्देशों के अनुरूप सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित बीआईएस के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला खेल आयोजन है। मानकीकरण, प्रमाणन, प्रयोगशाला और ए एंड एफ का प्रतिनिधित्व करने वाली चार टीमों के बीच खेला गया था। टूर्नामेंट की शोभा श्री प्रमोद कुमार तिवारी, महानिदेशक बीआईएस; श्री आशीष त्रिपाठी, सीवीओ बीआईएस; श्री एच.जे.एस. पसरीचा, उप महानिदेशक (प्रमाणन); और श्री विनोद कुमार, उप महानिदेशक (वित्त) रहें। "टीम–प्रशासन एवं वित्त" ने एक मनोरंजक फाइनल मैच में पहली सरदार पटेल ट्रॉफी जीती, जिसमें "टीम–प्रमाणन" उपविजेता रही।

सतर्कता प्रशासन एवं अनुशासनात्मक मामलों पर कार्यशाला

11 अक्टूबर 2023 को बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में बीआईएस अधिकारियों के लिए इस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। डॉ. उपेंदर वेन्नम (आईपीओएस), सीवीओ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) और मिश्र धातु निगम लिमिटेड (एमआईडीएचएएनआई), हैदराबाद ने संकाय के रूप में कार्यशाला की शोभा बढ़ाई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 – भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सीवीसी द्वारा सूचित इस वर्ष की "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" "say no to corruption; commit to the nation" थीम पर 30 अक्टूबर 2023 से 05 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 मनाया।

महानिदेशक, बीआईएस द्वारा बीआईएस अधिकारियों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई – बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के उद्घाटन के अवसर पर, महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी (आईएएस), बीआईएस द्वारा बीआईएस के

सभी अधिकारियों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई।

वॉकाथॉन – सतर्कता जागरूकता उत्पन्न करने के इरादे से, 31 अक्टूबर 2023 को बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में एक वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बीआईएस के सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी देखी गई। वॉकाथॉन मानक भवन से शुरू हुआ और बहादुर शाह जफर मार्ग और कोटला मार्ग से होकर गुजरा और वापस बीआईएस मुख्यालय पर समाप्त हुआ। इस वर्ष की थीम "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" पर नारे, पर्चे और बैनर इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण थे।

बीआईएस में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में अधिकारियों की भागीदारी रही। वीएडब्ल्यू समापन समारोह 06 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था और इसमें सीवीओ, बीआईएस के साथ–साथ उप महानिदेशक, विभागाध्यक्ष और बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली के अधिकारी उपस्थित थे। ऑनलाइन शतरंज, क्विज़, निबंध लेखन, टेबल टेनिस और कैरम जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मंच पर उपस्थित उप महानिदेशक द्वारा पुरस्कृत किया गया। श्री आशीष त्रिपाठी (आईआरएस), सीवीओ, बीआईएस ने सम्मानित सभा को संबोधित किया और किसी संगठन के बेहतर कामकाज के लिए निवारक सतर्कता की भूमिका और महत्व पर जोर दिया। श्री एच.जे.एस. पसरीचा, उप महानिदेशक (प्रमाणन), बीआईएस ने न केवल वीएडब्ल्यू 2023 के दौरान, बल्कि बीआईएस में सतर्कता जागरूकता, क्षमता और टीम निर्माण के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान आयोजित अद्भुत कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए सतर्कता विभाग को बधाई दी।

विज़ आई वाणी

सीवीओ, बीआईएस ने वर्ष 2024 के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की पत्रिका 'विज़ आई वाणी' में प्रकाशन के लिए 'परिपत्रों/दिशानिर्देशों का प्रणालीगत सुधार और अद्यतन करना' के विशिष्ट विषय क्षेत्रों पर 2 लेखों को तैयार करने में संपादकीय टीम के रूप में योगदान दिया।

लोक शिकायत

बीआईएस को बीआईएस प्रमाणित उत्पादों की गुणवत्ता, बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन आदि से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी शिकायतों को अच्छी तरह से स्थापित शिकायत निवारण प्रक्रिया के अनुसार निपटान किया जाता है। बीआईएस केयर मोबाइल ऐप और बीआईएस का मानक संवर्धन पोर्टल पहले से ही कार्य कर रहा है जो शिकायतों की बेहतर निगरानी की सुविधा प्रदान करता है और उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के आसान और त्वरित तरीके से अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाता है। बीआईएस केयर ऐप उपयोगकर्ताओं को केवल विनिर्माता के लाइसेंस/पंजीकरण संख्या दर्ज करके लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं/

पंजीकृत विनिर्माताओं के विवरण को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है। वर्ष के दौरान, बीआईएस प्रमाणित उत्पादों की गुणवत्ता, बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन से संबंधित 393 शिकायतें प्राप्त हुईं और 371 शिकायतों का निपटान किया गया। 31 दिसंबर 2023 तक प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 3096 है और 2709 शिकायतें अधूरी जानकारी/बीआईएस से संबंधित नहीं होने के कारण खारिज कर दी गईं और 393 शिकायतों का निवारण किया गया। इन श्रेणियों की 233 शिकायतों की विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के अंतर्गत विभिन्न चरणों में जांच चल रही है। इसके अलावा, बीआईएस को वर्ष के दौरान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 208 शिकायतें प्राप्त हुई प्राप्त और 199 शिकायतों का निवारण किया।

प्रवर्तनः

बीआईएस मानक चिह्न गुणवत्ता और विश्वास के प्रतीक हैं। क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से, बीआईएस बेईमान विनिर्माताओं द्वारा बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए प्रवर्तन गतिविधि संचालित करता है। वर्ष के दौरान, भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस मानक चिह्नों का दुरुपयोग करने वाले विनिर्माताओं के परिसरों में 127 तलाशी और जब्ती अभियान अभियान चलाए और नकली बीआईएस मानक चिह्नों वाली सामग्री को जब्त किया। इसमें गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले विनिर्माताओं के परिसरों में की गई तलाशी और जब्ती भी शामिल है। व्यापक प्रचार करने और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संबंधित न्यायालयों में समय पर अभियोजन शुरू करने के भी प्रयास किए गए थे।

7.12 पुस्तकालय सेवाएं

बीआईएस तकनीकी पुस्तकालय

बीआईएस मुख्यालय में स्थित बीआईएस तकनीकी पुस्तकालय मानकों और संबंधित मामलों की जानकारी के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र है और उद्योग, व्यापार, सरकार, शोधकर्ताओं और उपभोक्ताओं की सेवा करता है। यह 1,000 वर्ग मीटर के फर्श क्षेत्र के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मानकों का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। 2023–24 की अवधि के दौरान, बीआईएस पुस्तकालय की सेवाओं का उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा किया गया और लगभग 5129 मानक और पुस्तकें जारी की गई। पुस्तकालय नियमित रूप से प्राप्त प्रकाशनों (पुस्तकें और मानक) के मेकानाइज्ड डेटाबेस को अद्यतन करता है।

डिजिटल लाइब्रेरी

लाइब्रेरी पोर्टल को बीआईएस वेबसाइट के साथ एकीकृत किया गया– लाइब्रेरी

पोर्टल को बीआईएस वेबसाइट के साथ एकीकृत किया गया है। लाइब्रेरी पोर्टल पर महत्वपूर्ण इवेंटों/तस्वीरों को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। पोर्टल पर बीआईएस के प्रकाशन (पुराने) भी उपलब्ध हैं।

लॉगिन आईडी का निर्माण– बीआईएस अधिकारियों और तकनीकी समिति के सदस्यों की लॉगिन आईडी बनाई गई है। कार्य पूरा होने पर, लाइब्रेरी की पुस्तकों और मानकों का ग्रंथसूची विवरण डिजिटल लाइब्रेरी (ओपीएसी) पर उपलब्ध होगा।

पुस्तकालय सदस्यता

पुस्तकालय की सदस्यता केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और संगठनों के लिए उपलब्ध है।

विशेष समारोह

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस – 6 से 10 मार्च, 2023 तक 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था।

योग दिवस और वाचन दिवस – 19 जून 2023 से 18 जुलाई 2023 तक 'योग दिवस और वाचन दिवस' के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था।

स्वतंत्रता दिवस – 14 अगस्त 2023 से 18 अगस्त 2023 तक 'स्वतंत्रता दिवस' के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था।

अतिथि व्याख्यान–राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस के अवसर पर पुस्तकालय सेवा केन्द्र द्वारा अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान डॉ. ए.पी.यादव, लाइब्रेरियन, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. एस.आर. रंगनाथन पर दिया गया था।

विशेष अभियानः विशेष अभियान के दौरान, एलएससी में स्वच्छता अभियान नियमित आधार पर आयोजित किया जाता है। एलएससी द्वारा वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया गया। विशेष अभियान के दौरान पुराने प्रकाशनों (समाचार पत्र/पत्रिका) को हटाने का कार्य भी किया गया।

ई–प्रकाशन

मानक निर्माण विभागों के उपयोग के लिए पुस्तकालय में ई–जर्नल और ई–मानक खरीदे जाते हैं।

नई पहल

वापस किए गए किताबों का प्रदर्शन – वापस किए गए किताबों के लिए लाइब्रेरी में 'लाइब्रेरी का संग्रह, पाठकों का चयन' शीर्षक के तहत विशेष कॉर्नर बनाया गया है।

पुस्तकों का प्रदर्शन–पुस्तकालय में पुस्तकों को विशेष विषय के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है।

परियोजना प्रबंधन

बीआईएस में निर्माण और नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्विकास की परियोजनाओं की देखभाल परियोजना प्रबंधन और निर्माण विभाग द्वारा की जाती है । इसे मुख्य रूप से जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, जिन्हें आमतौर पर निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है:

बीआईएस के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं के लिए नए भवनों/परिसरों के निर्माण, भूमि की खरीद और इसके कार्यालयों और प्रयोगशालाओं के लिए निर्मित स्थान, बीआईएस के मौजूदा भवनों/परिसरों के नवीनीकरण के माध्यम से पूंजीगत व्यय करना।

बीआईएस के मौजूदा भवनों/परिसरों की प्रमुख मरम्मत, बीआईएस के मौजूदा भवनों/परिसरों में स्थापित नागरिक संपत्तियों और सेवा उपयोगिताओं के नियमित संचालन और रखरखाव के माध्यम से राजस्व व्यय करना।

उपरोक्त श्रेणियों के तहत 01 जनवरी – 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान की गई विभिन्न पहलों में, किए गए उल्लेखनीय कार्यों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित बीआईएस की प्रयोगशालाओं में सिविल, इलेक्ट्रिकल और आईटी अवसंरचना तथा नोएडा में स्थित प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण ; बीआईएस के विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कार्यों की शुरुआत, साथ ही मौजूदा सम्मेलन कक्षों और अग्निशमन प्रणाली, एचवीएसी प्रणाली, लिफ्ट आदि जैसी मौजूदा सेवा उपयोगिताओं के नए या उन्नयन के प्रावधान शामिल है।

किए गए अन्य उल्लेखनीय पहलों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में एक्सेसिबिलिटी इंडिया अभियान में परिकल्पित दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार बीआईएस मुख्यालय में कार्यालय भवनों और बीआईएस के स्वामित्व वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालय, शाखा कार्यालय और प्रयोगशाला भवनों में सुलभ शौचालय प्रदान करना शामिल है।

01 जनवरी – 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान उठाए जाने वाले प्रस्तावित प्रमुख पहलों में बढ़े हुए कार्यबल और सभी वैधानिक और नियामक भवन मानदंडों के अनुरूप नई परीक्षण सुविधाओं को पूरा करने के लिए प्रयोगशाला परिसर में नए भवन ब्लॉकों का निर्माण शामिल है।

स्थापना

इस संबंध में, 01 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के लिए समूह क (प्रशासनिक, वित्त और अन्य पद), ख, और ग के संबंध में पी एंड सी को अपेक्षित जानकारी प्रदान की जानी है और 01 जनवरी 2023 की अवधि के लिए प्रॉजेक्शन या अनुमान प्रदान करना है। जनवरी–31 मार्च 2024 निम्नानुसार दिया गया है:

समूह	जन शक्ति स्थिति (31.12.2023 तक)		स्ट्रेंथ प्रॉजेक्शन या अनुमान (31.03.2024 तक)	
	मौजूदा स्ट्रेंथ	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीएच / भूतपूर्व सर्विसमेन का प्रतिनिधित्व।	स्ट्रेंथ	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीएच / भूतपूर्व सर्विसमेन का प्रतिनिधित्व।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क (वैज्ञानिक कैडर)	534	324	543	330
क (प्रशासनिक, वित्त और अन्य पद)	36	18	36	18
ख	353	173	348	169
ग	260	178	246	169
कुल	**1183**	**693**	**1173**	**686**

बीआईएस में कार्यकलाप वार कर्मचारी (31.12.2023 तक)

कार्यकलाप	वैज्ञानिक कैडर	प्रशासनिक, वित्त और अन्य
प्रशासन और वित्त	–	114
प्रमाणीकरण	275	167
कारपोरेट	–	75
प्रयोगशाला टेस्टिंग	68	208
मानक फार्मूलेशन	138	20
तकनीकी सहायता सेवा	53	62
कुल	**620**	**646**

बीआईएस ने मानव संसाधन के विकास में अपने प्रयास को जारी रखा है। मानव संसाधन के विकास के एक भाग के रूप में, बीआईएस कार्मिकों को एनआईटीएस, नोएडा में इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है, और उन्हें समय–समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाता है।

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS

JAGO GRAHAK JAGO

हर राज्य और शहर के उपभोक्ताओं को सशक्त बना रहा है ई-दाखिल पोर्टल

35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय रूप से सुविधाएं उपलब्ध।

शिकायात दर्ज करने के लिए विजिट करें-
https://edaakhil.nic.in/

अध्याय–8

राष्ट्रीय परीक्षण शाला

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (राष्ट्रीय परीक्षणशाला), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय, देश का एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1912 में तत्कालीन रेलवे बोर्ड के तहत की गई थी और तब से यह राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय या ग्राहक मानक और विशिष्टताओं के अनुसार परीक्षण प्रमाणपत्र जारी करके विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, अंशांकन, मूल्यांकन और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की प्रयोगशाला बन गई है।

यह उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और मानकीकरण से जुड़ी प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल है। इसने स्वदेशी उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और औद्योगिक अनुसंधान और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण के तहत तैयार उत्पादों के निर्माण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला वर्तमान में उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर अपने संचालन का आधुनिकीकरण कर रहा है। विगत दो वर्षों में, हमने अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और स्थानीय समाधान प्रदान कर सकें। हमारा लक्ष्य 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षण वातावरण बनाना है।

8.1 हमारा आउटरीच और नेटवर्क :

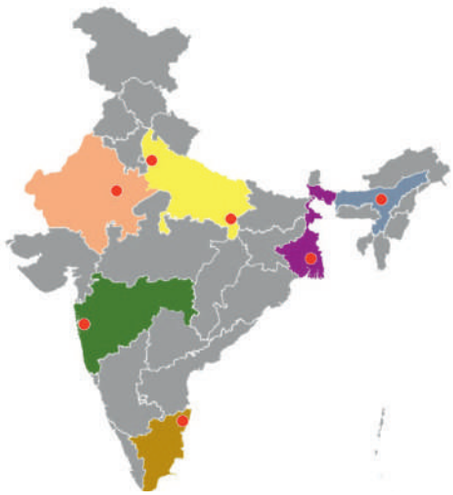

राष्ट्रीय परीक्षणशाला गुणवत्ता परीक्षण करता है और पूरे राष्ट्र में विनिर्माण, सेवा उद्योगों और सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले नए और मौजूदा दोनों उत्पादों का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर और गुवाहाटी में स्थित छह क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता साल्ट लेक और अलीपुर, कोलकाता में 02 केंद्रों से संचालित होता है। 2021 में, वाराणसी के पिंडरा में एक सैटेलाइट सेंटर

स्थापित किया गया था।

हम भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को भी अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं और निकट भविष्य में और अधिक देशों में विस्तार करने की योजना है।

हाल ही में, हमने आरआरएसएल, बेंगलुरु में एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए आरआरएसएल, बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके जून 2024 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है।

8.2 राष्ट्रीय परीक्षणशाला के मुख्य कार्यः

1. परीक्षण एवं अंशांकन सेवाएँः

अन्य संबद्ध सेवाओं के बीच राष्ट्रीय परीक्षणशाला द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी सेवा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय या ग्राहक मानक और विशिष्टताओं के अनुसार दवाओं, हथियारों और गोला–बारूद को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों का परीक्षण, अंशांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन है। निम्नलिखित विषयों पर इन–हाउस और ऑन–साइट परीक्षण सेवाएँ प्रदान करते हैंः

i. **परीक्षण सेवाएँः**

- रसायन
- सूक्ष्म जैविक
- असैनिक अभियंत्रण
- विद्युत अभियन्त्रण
- यात्रिंक अभियंत्रण
- गैर–विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी)
- रबर, प्लास्टिक, कागज और कपड़ा (आरपीपीटी)
- ग्राहकों के परिसर/साइट पर परीक्षण

ii. **अंशांकन सेवाएँः**

- इलेक्ट्रो तकनीकी माप
- यांत्रिक माप
- थर्मल माप

- ग्राहक के परिसर/साइट पर अंशांकन
- आईएसओ / आईईसी 17025:2017 के अनुसार इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई) का पता लगाने की क्षमता

2. विफलता विश्लेषण:

- इंजीनियरिंग सामग्री/उत्पादों की विफलता से संबंधित जांच कार्य।

3. वेल्डर का प्रमाणीकरण:

- भारतीय बॉयलर विनियमन अधिनियम 1950 के तहत वेल्डर प्रमाणन "वेल्डरों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण"।

4. उत्पाद विकास सहायता:

- नए सामान और उत्पाद बनाने में विनिर्माण उद्योगों और क्षेत्रों की सहायता करना।

5. परीक्षण प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास:

- परीक्षण प्रौद्योगिकी/पद्धति में विकास के लिए अनुसंधान कार्य शुरू किया गया।

6. प्रशिक्षण:

- इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों, युवा इंजीनियरों और विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों के पेशेवरों के कौशल स्तर में सुधार के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:
- रासायनिक उत्पाद परीक्षण
- सिविल इंजीनियरिंग उत्पाद परीक्षण
- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उत्पाद परीक्षण
- मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्पाद परीक्षण
- गैर–विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी)
- रबर, प्लास्टिक, कागज और कपड़ा (आरपीपीटी) परीक्षण

- मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल माप के क्षेत्र में मापविज्ञान और अंशांकन
- आईएसओ 17025:2017 के अनुसार आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण

7. परामर्श सेवाएँ:

राष्ट्रीय परीक्षणशाला में, हमने विभिन्न प्रकार की परामर्श सेवाएँ प्रदान कीं, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है:

- प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- आयात प्रतिस्थापन।
- असफलता विश्लेषण।
- गुणवत्ता उन्नयन।
- छोटे पैमाने पर औद्योगिक विकास।
- परीक्षण विधियों का विकास।
- रेडियोग्राफिक छवियों की ग्रेडिंग।
- पुराने और विरासत भवन के साथ–साथ औद्योगिक संरचनाओं का संरचनात्मक उन्नयन।

8. मानकीकरण:

- भारतीय मानकों के निर्माण में बीआईएस सक्रिय रूप से भाग लेता है और उसका समर्थन करता है।

9. प्रत्यायन:

- राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) के तहत राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेता है और समर्थन करता है।

राष्ट्रीय परीक्षण गृह में उपलब्ध प्रमुख परीक्षण सुविधाएं:

राष्ट्रीय परीक्षणशाला कई उपभोक्ता उत्पादों और सामग्रियों के परीक्षण और मूल्यांकन द्वारा विभिन्न पहलुओं में ग्राहकों और समाज की जरूरतों को पूरा करता है। यह कई विषयों में गतिविधियों का व्यापक दायरा प्रदान करता है। प्रयोगशाला और विषय–वार गतिविधियों का दायरा नीचे सूचीबद्ध है।

रासायनिक एवं सूक्ष्मजैविक प्रयोगशाला:
• पेयजल, पैकबंद पेयजल और पैकबंद प्राकृतिक मिनरल वॉटर
• धातु और मिश्र धातु (लौह, अलौह, अयस्क, खनिज),
• निर्माण सामग्री (सीमेंट, फ्लाई ऐश, एग्रीगेट्स, कंक्रीट), निर्माण उद्देश्य के लिए पानी
• उर्वरक एवं मिट्टी
• पॉली एल्यूमीनियम क्लोराइड, फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपोक्लोराइट, कीटाणुनाशक तरल पदार्थ सैनिटाइजर (घोल/तरल)
• कार्बनिक/अकार्बनिक रसायन
• कीमती धातुएँ (सोना, चाँदी)
• भारतीय साड़ियों में ज़री और सोने की पर्त का उपयोग किया जाता है
• पेट्रोलियम उत्पाद (कोलतार और संबद्ध उत्पाद)
• कीटनाशक
• पेंट्स (एनामेल्स, पीयू, एपॉक्सी, रोड मार्किंग, सीमेंट पेंट, वार्निश) और सतह कोटिंग्स
• मसाले, खाद्य तेल, अनाज, बिस्कुट, ब्रेड,
• अल्कोहलयुक्त एवं गैर–अल्कोहलिक पेय पदार्थ,
• खाद्य पैकेजिंग सामग्री
यांत्रिक प्रयोगशाला:
• थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) और हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड (एचवाईएसडी) बार्स
• स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/तारें

• एचटी स्टील स्ट्रैंड वायर
• प्रोफ़ाइल शीट
• कांटेदार तार/कंसर्टिना क्वाईल
• संरचनात्मक स्टील–बीम, एंगल, प्लेट आदि
• नट बोल्ट
• गढ़ा हुआ एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु
• कच्चा लोहा (सीआई), जस्ती लोहा (जीआई), स्टेनलेस स्टील (एसएस)/ जीआई/एमएस /पाइप और फिटिंग्स
• नाले का पाइप
• एसीएसआर कंडक्टर
• डक्टाइल आयरन (डीआई) पाइप्स
• स्टील चेन, हथकड़ी, हुक का लोड परीक्षण
• प्रेशर कुकर, घरेलू गैस स्टोव, यूटिलिटी लाइटर, कुकरी बर्तन और सिलाई मशीनें
• डाईमेंशन, द्रव्यमान, दबाव और बल के अंशांकन के लिए उपकरण
रबर, प्लास्टिक, कागज और कपड़ा (आरपीपीटी):
• रबर उत्पाद
• कन्वेयर बेल्टें
• कागज और कागज उत्पाद
• प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद
• जूते/फूटविअर
• कपड़ा और कपड़ा उत्पाद
• ऊनी स्वेटर
• सैनिटरी नैपकिन
• मनीला रोप
• एफआरपी शीट
• जीओ–टेक्सटाईल/जिओ–मेम्ब्रेन

• स्कूल बैग
• एपीपी मेम्ब्रेन
• पीवीसी वॉटर स्टॉप
• वॉटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन
• एचडीपीई पाइप/एचडीपीई बैग एचडीपीई शीट
• सीपीवीसी और पीपीआर पाइप
• फिलर बोर्ड
• रेन कोट
• मोज़े
इलेक्ट्रो तकनीकी एवं थर्मल अंशांकनः
• वोल्टेज (एसी और डीसी)
• करंट (एसी और डीसी)
• प्रतिरोध डीसी
• आवृत्ति
• शक्ति
• तापमान

डिजिटलीकरण और आईटी से संबंधित कार्यः

अब, बदलते तकनीकी परिदृश्य के साथ तालमेल रखते हुए, राष्ट्रीय परीक्षणशाला अपनी सभी कार्यात्मकताओं के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है। अपनी पहुंच बढ़ाने और अपनी सेवाओं को प्रचारित करने के लिए, राष्ट्रीय परीक्षणशाला ने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित बातें पेश की हैं, जिससे राष्ट्रीय परीक्षणशाला के व्यक्तियों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और आम उपभोक्ताओं और समाज के लाभ के लिए एक विस्तृत क्षेत्र खुल गया है।

➢ प्रयोगशाला प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस):

राष्ट्रीय परीक्षणशाला–एमआईएस पोर्टल ग्राहकों को देश के किसी भी हिस्से से राष्ट्रीय परीक्षणशाला की प्रयोगशालाओं के साथ निर्बाध और डिजिटल रूप से सेवा अनुरोध ऑनलाइन करने की अनुमति देता है। यह उन्हें प्रयोगशाला से संपर्क किए बिना अपने प्रस्तुत

नमूनों की परीक्षण स्थिति को ट्रैक करने में भी सक्षम बनाता है।

यह पोर्टल सहायक भी है और राष्ट्रीय परीक्षणशाला की प्रयोगशालाओं के भीतर नमूनों और संबंधित डेटा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

- **ई–फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली:**

सभी राष्ट्रीय परीक्षणशाला कार्यालयों ने यह सुविधा शुरू कर दी है, जो न केवल हमें अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय तेजी से लेने में सक्षम बनाती है, बल्कि हमें कागज रहित होने में भी मदद करती है। यह दैनिक आधिकारिक कार्य–संबंधी गतिविधियों की नियमावली को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में परिवर्तित कर रहा है जो अधिक प्रभावी है।

- **ई–स्पैरो और ई–एचआरएमएस:**

सभी राष्ट्रीय परीक्षणशाला कार्यालयों ने पूरे देश में सभी कर्मचारियों के एपीएआर के प्रसंस्करण के लिए ई–स्पैरो वेब–आधारित एप्लिकेशन शुरू किया है।

कर्मचारियों को आद्योपांत एचआर सेवाएं प्रदान करने के लिए, ई–एचआरएमएस का कार्यान्वयन निष्पादन प्रक्रिया के तहत है और फरवरी 2024 तक पूरी तरह कार्यात्मक हो जाएगा।

- **मोबाइल ऐप: एनटीएच ई समाधान:**

राष्ट्रीय परीक्षणशाला ने उपयोगकर्ता इंटरैक्शन को बेहतर बनाने, राष्ट्रीय परीक्षणशाला को बढ़ावा देने, अपडेट और सूचनाएं प्रदान करने और ग्राहकों के लिए व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए अपना मोबाइल एप्लिकेशन पेश किया। इसमें हमारी सुविधाओं के बारे में सारी जानकारी और विशिष्टताएं शामिल होंगी, जिसमें वहां पहुंचने का तरीका भी शामिल होगा।

- **ई–ब्रोशर:**

वर्तमान और भविष्य के ग्राहकों, विशेषकर नए ग्राहकों को राष्ट्रीय परीक्षणशाला के संचालन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रोशर बनाया गया है। यह अन्य चीजों के अलावा विभिन्न प्रयोगशालाओं में सुलभ संसाधन और विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षणशाला शाखाओं के लिए संपर्क जानकारी प्रदान करता है।

8.3 वर्ष 2023 के दौरान प्रयोगशालाओं द्वारा बनाई गई परीक्षण सुविधाएं:

नई परीक्षण सुविधाएं बनाने और उत्पाद–विशिष्ट पूर्ण परीक्षण सुविधाएं विकसित करके अंतर को भरने के लिए, सभी राष्ट्रीय परीक्षणशाला प्रयोगशालाओं ने उद्योगों और सामान्य उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अपनी सेवाओं में सुधार किया। जिनकी विशिष्टताएँ नीचे सूचीबद्ध हैं।

1. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (द.क्षे), चेन्नई ने लाइटनिंग इंपल्स (1400 केवीपी तक), स्विचिंग इंपल्स (1050 केवीपी तक) और करंट इंपल्स (10केए तक) के सिमुलेशन के लिए एक अत्याधुनिक 'उच्च वोल्टेज परीक्षण प्रयोगशाला' बनाई है। इस उपकरण का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन उपकरणों की स्थिरता के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, जो उनके संचालन के दौरान बिजली गिरने और स्विचिंग सर्ज के अधीन होते हैं।

2. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पू.क्षे.), कोलकाता ने अलीपुर परिसर में 'ट्रांसफॉर्मर रूटीन परीक्षण सुविधा' और साल्ट लेक परिसर कोलकाता में 'फुटविअर परीक्षण सुविधा' बनाई है।

3. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उ.क्षे.), गाजियाबाद की विद्युत प्रयोगशाला ने केबल जैकेटिंग और इन्सुलेशन के परीक्षण के लिए विद्युत केबलों के परीक्षण का एक नया क्षेत्र 'जीरो हैलोजन टेस्ट' खोला है, जो ऐसी सामग्री से बना है जो आग या उच्च तापमान के संपर्क में आने पर कोई विषाक्त हैलोजन उत्पन्न नहीं करता है।

4. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पू.क्षे.), कोलकाता की आरपीपीटी प्रयोगशाला ने फुटविअर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का परीक्षण करने एवं अनुपालन और प्रदर्शन मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक 'फुटविअर परीक्षण' सुविधा स्थापित की है।

5. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (प.क्षे.), मुंबई की विद्युत प्रयोगशाला ने विद्युत घरेलू उपकरणों के परीक्षण और उनके तृतीय–पक्ष गुणवत्ता आश्वासन के लिए विशेष प्रयोगशाला सेवा बनाई है।

6. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वोत्तर क्षे.), गुवाहाटी की माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला ने परीक्षण के नए क्षेत्र के तहत आईएस 14648:2011 के अनुसार 'सौंदर्य प्रसाधन और कॉस्मेटिक कच्चे माल' की माइक्रोबियल सामग्री के निर्धारण के लिए एक परीक्षण सुविधा विकसित की है।

7. राष्ट्रीय परीक्षणशाला क्षेत्रों जैसे कोलकाता, गाजियाबाद, चेन्नई, मुंबई, जयपुर और गुवाहाटी में उर्वरक परीक्षण के लिए एक उन्नत परीक्षण सुविधा 1.50 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ बनाई गई है। यह परियोजना 'एक राष्ट्र

एक उर्वरक' योजना का भी समर्थन कर रही है।

8. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (प.क्षे.), मुंबई में मैकेनिकल प्रयोगशाला में 'यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन (यूटीएम)', 2000केएन की खरीद करके अत्याधुनिक सुविधा बनाई गई है और 60.0 लाख रुपये की राशि के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया है। इसे फरवरी 2024 तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा।

9. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वोत्तर क्षे.), गुवाहाटी में रासायनिक प्रयोगशाला में जल परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधा के उन्नयन के तहत "फूरियर–ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एफटीआईआर)" को 25.0 लाख रुपये की अनुमानित लागत के साथ सफलतापूर्वक संस्थापित किया गया है।

10. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (प.क्षे.), मुंबई में रासायनिक प्रयोगशाला ने 30.0 लाख रुपये की अनुमानित लागत के साथ अपनी पेंट परीक्षण सुविधा को बढ़ाया और आधुनिक बनाया एवं एक "त्वरित वेदरिंग परीक्षक" को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।

11. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (द.क्षे.), चेन्नई की यांत्रिक प्रयोगशाला ने घरेलू उपकरणों के परीक्षण और उनके तृतीय–पक्ष गुणवत्ता आश्वासन के लिए विशेष प्रयोगशाला सेवा बनाई है। यह सुविधा घरेलू गैस स्टोव, घरेलू प्रेशर कुकर, गढ़े हुए एल्यूमीनियम बर्तन, खाद्य भंडारण के लिए इंसुलेटेड कंटेनर, यूटिलिटी लाइटर और अन्य घरेलू उपकरणों के लिए परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रही है।

12. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पू.क्षे.), कोलकाता में रासायनिक प्रयोगशाला ने अपनी कोयला परीक्षण सुविधा को बढ़ाया और आधुनिक बनाया है एवं एक 'डिजिटल और स्वचालित बम कैलोरीमीटर' को 25.0 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।

13. राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वोत्तर क्षे.) गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 'विद्युत प्रयोगशाला' स्थापित करके अपनी सेवाओं को बढ़ाया है। प्रयोगशाला चरणों में बनाई जाएगी। पहले चरण में, एक केबल और उच्च वोल्टेज कंडक्टर परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है, और ट्रांसफार्मर रूटिंग परीक्षण निष्पादन चरण में है, जिसका संचालन वित्त वर्ष 2023–24 में शुरू होने की उम्मीद है।

8.3.1 वर्ष 2023 के दौरान नये क्षितिजों में विस्तारः

- **ड्रोन परीक्षण और प्रमाणनः** ड्रोन नियम 2021 ने भारत में ड्रोन के लिए विश्व भर में प्रमाणन और मान्यता प्राप्त करना आसान बना दिया है, जिससे आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हुए विभिन्न ड्रोन प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा मिला है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उ.क्षे.) गाजियाबाद को 'ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम' के तहत मान्यता मिली है। राष्ट्रीय परीक्षणशाला की ड्रोन प्रमाणन सेवाएं ड्रोन विनिर्माताओं, विशेषकर स्टार्टअप्स के लिए टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त करना आसान, सुलभ और किफायती बनाएगी। यह योजना विनिर्माताओं और आयातकों को ड्रोन उत्पादों के तकनीकी प्रमाणन, ऑडिटिंग और अनुपालन के लिए एक केंद्रीकृत सेवा प्रदान करेगी।

- **जैविक खाद्य परीक्षणः** बाजार की मांग के अनुसार, सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में चरणों में "अत्याधुनिक" जैविक खाद्य परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, जयपुर प्रयोगशाला अब चालू हो गई है। यह प्रयोगशाला खतरनाक पदार्थों का पता लगाकर सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले जैविक खाद्य उत्पादों की पहचान में सहायता करेगी।

- **उर्वरक परीक्षणः** सभी सात राष्ट्रीय परीक्षणशाला प्रयोगशालाएं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के साथ तीसरे रेफरी विश्लेषण के रूप में उर्वरकों की गुणवत्ता परीक्षण करती हैं और कृषि मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पूरे देश में उर्वरकों के परीक्षण के लिए एक रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है।

8.3.2 अन्य संगठनों के साथ सहयोगः

- एनटीएच ने आरआरएसएल के साथ देश भर में प्रयोगशाला विकास के लिए जगह साझा करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, और इस समझौते के हिस्से के रूप में, एनटीएच आरआरएसएल बैंगलुरू में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला ईवी बैटरी और चार्जिंग स्टेशन परीक्षण सुविधा स्थापित करेगा।

- एनटीएच (प. क्षे.), मुंबई ने अगस्त 2023 में महाराष्ट्र में वैतरणा से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण कार्यों के लिए

नमूनों की गुणवत्ता परीक्षण करने हेतु डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल), मुंबई (दक्षिण) यूनिट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

8.3.3 कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमः

1. एनटीएच (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर ने जुलाई, 2023 में सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं (एमईएस) के विभिन्न स्तर के अधिकारियों सहित 60 प्रतिभागियों के लिए सभी विषयों में प्रयोगशाला दौरा और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर एक कार्यक्रम आयोजित किया।

2. एनटीएच (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद ने अगस्त 2023 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तीन इंजीनियरिंग छात्रों (बी.टेक – तृतीय वर्ष) के लिए पेंट, भवन निर्माण सामग्री और उर्वरक परीक्षण के क्षेत्र में इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

3. एनटीएच (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई की सिविल प्रयोगशाला ने सितंबर 2023 में दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई के कॉलेज के छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

4. एनटीएच (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई की विद्युत प्रयोगशाला ने सितंबर 2023 में मेसर्स मीओन प्रयोगशाला, चेन्नई से आए कामकाजी पेशेवरों के लिए 'विभिन्न प्रकार के विद्युत केबलों की गुणवत्ता परीक्षण' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

5. मूल्य वर्धित कार्य के तहत एनटीएच (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई की एनडीटी प्रयोगशाला ने जुलाई 2023 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के 62 वेल्डरों के लिए आईबीआर 1950 के अनुसार वेल्डर योग्यता प्रमाणपत्र प्रमाणित और जारी किया है।

6. सभी एनटीएच क्षेत्रों में 23 प्रतिभागियों के लिए 27 जुलाई, 2023 को मानव रहित विमान प्रणालियों (ड्रोन) के लिए प्रमाणन स्कीम के विषय पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) द्वारा एक केंद्रीकृत आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

7. एनटीएच (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर की रासायनिक प्रयोगशाला ने 13 सितंबर 2023 को पीडब्ल्यूडी वाटर, राजस्थान सरकार और बीआईएस जयपुर के साथ एक ग्राहक बैठक आयोजित की, जिसमें साझा हास्य और सामान्य हितों की खोज के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया गया।

8. एनटीएच (मुख्यालय) और पूर्वी क्षेत्र–कोलकाता के वैज्ञानिकों ने 22–23 अगस्त, 2023 को यूएल स्टैंडर्ड्स एंड एंगेजमेंट (यूएलएसई) द्वारा 'भारत में ईवी के लिए मजबूत सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण' विषय पर एक तकनीकी संगोष्ठी और सम्मेलन में भाग लिया।

9. एनटीएच (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर ने 29 जून 2023 को जयपुर, राजस्थान में अत्याधुनिक 'पावर ट्रांसमिशन और वितरण क्षेत्रों के लिए एकीकृत परीक्षण सुविधा' की स्थापना के संबंध में राजस्थान के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ एक बिजनेस मीट का आयोजन किया है।

10. एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता ने 'आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं की क्षमता के लिए सामान्य आवश्यकताएं' पर एक हाइब्रिड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें 30 मई–02 जून, 2023 के दौरान सभी एनटीएच क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं से 85 आंतरिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

11. एनटीएच (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई की मैकेनिकल प्रयोगशाला ने 26–30 जून, 2023 के दौरान 5 दिनों के लिए 'मैकेनिकल परीक्षण और अंशांकन' विषय पर एसएसएन इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई के कॉलेज के छात्रों के लिए एक युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

12. एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी की रासायनिक प्रयोगशाला ने 23 जून, 2023 को बीआईएस के सहयोग से बीआईएस लाइसेंसधारियों के लिए 'पैकबंद पेयजल के परीक्षण' पर एक व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल पचास (50) प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8.4 अन्य गतिविधियों में भागीदारिता:

1. एनटीएच की सभी सात क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं ने 'मेरी लाइफ' अभियान का आयोजन किया और उसमें भाग लिया। सभी एनटीएच प्रयोगशालाओं में

व्याख्यान, सार्वजनिक शिक्षा अभियान, आम जनता के लिए पैम्फलेट वितरण और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। 25 मई, 2023 को हुए पहले कार्यक्रम के बाद से 5 जून, 2023 तक, एनटीएच ने अपनी सभी प्रयोगशालाओं में 32 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें सत्रह सौ (1,700) से अधिक लोगों ने भाग लिया है।

2. एनटीएच ने 21 जून, 2023 को सभी एनटीएच क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में योग दिवस मनाया। एनटीएच के सभी कर्मचारियों ने सभी एनटीएच क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रमुखों के नेतृत्व में सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार एक साथ भाग लिया। योग दिवस के उत्सव को सफल बनाने के लिए 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

3. 'स्वच्छता पखवाड़ा' के उत्सव के एक भाग के रूप में, 15 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' के दौरान सभी छह एनटीएच क्षेत्रों में जागरूकता अभियान सहित विभिन्न सफाई गतिविधियां आयोजित की गईं।

4. 'विशेष अभियान 3.0' के दौरान सभी एनटीएच क्षेत्रों ने देश भर में जागरूकता अभियान सहित विभिन्न सफाई गतिविधियों का आयोजन किया। अभियान में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे सार्वजनिक शिकायतों का प्रभावी निपटान, कार्यस्थल में स्वच्छता अभियान, स्क्रैप का निपटान और फाइलों की छंटनी।

5. एनटीएच (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद ने गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, 26 से 31 जनवरी, 2023 तक दिल्ली के लाल किले में छह दिवसीय मेगा–इवेंट, भारत पर्व 2023 में भाग लिया। एनटीएच स्टॉल विभिन्न क्षेत्रों में दी जाने वाली गतिविधियों और सेवाओं का प्रचार और प्रदर्शन करता है।

6. एनटीएच (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद ने वाइब्रेंट इंडिया फेयर, 2023 में भाग लिया और एक प्रदर्शनी स्टॉल लगाया, जिसमें एनटीएच उपभोक्ताओं, व्यवसायों आदि को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उपयोग के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित गतिविधियों को दिखाता है।

7. एनटीएच (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद ने 17 जुलाई 2023 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (यशोभूमि), नई दिल्ली में डोका द्वारा आयोजित चिंतन शिविर 2023 में भाग लिया।

8.5 वर्ष 2023 के दौरान एनटीएच के आधिकारिक दौरे:

1. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण की संसदीय स्थायी समिति ने 09 जनवरी, 2023 को एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता का दौरा किया। अध्यक्ष और समिति के सदस्यों ने प्राप्त प्रमुख उत्पादों के परीक्षण और अंशांकन क्षेत्रों के साथ–साथ सभी प्रयोगशालाओं में परीक्षण उपकरणों की स्थापना का दौरा किया और अवलोकन किया।

2. उपभोक्ता मामलों (सीए), खाद्य और सार्वजनिक वितरण (एफ एंड पीडी) की संसदीय स्थायी समिति ने 10 से 11 अप्रैल, 2023 तक ऊटी का एक अध्ययन दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, 11 अप्रैल, 2023 को 'उत्पादों का परीक्षण और अंशांकन' विषय के संबंध में समिति ने एनटीएच के प्रतिनिधि के साथ एक अनौपचारिक चर्चा की।

3. उपभोक्ता मामलों (सीए), खाद्य और सार्वजनिक वितरण (एफ एंड पीडी) की संसदीय स्थायी समिति ने 20 से 22 नवंबर, 2023 तक श्रीनगर का एक अध्ययन दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, 20 नवंबर, 2023 को 'उत्पादों का परीक्षण और अंशांकन' विषय के संबंध में समिति ने एनटीएच के प्रतिनिधि के साथ अनौपचारिक चर्चा की।

4. श्री रोहित कुमार सिंह, माननीय सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने 17 फरवरी, 2023 को मुंबई में एनटीएच प्रयोगशालाओं, 02 मार्च, 2023 को चेन्नई, 28 अक्टूबर, 2023 को एनटीएच (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर और 05 जनवरी 2023 को एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता का दौरा किया।

5. सुश्री निधि खरे, माननीय विशेष सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने 19 अगस्त, 2023 को एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता साल्ट लेक और अलीपुर परिसर का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), अलीपुर और में ट्रांसफार्मर रूटीन परीक्षण सुविधा एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), साल्ट लेक, कोलकाता में जूते परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन किया।

6. 09 अक्टूबर 2023 को मांडा, राजस्थान में श्री विनीत माथुर, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव, महानिदेशक (एनटीएच), डॉ. एबीएस शालिनी, उप सचिव (एनटीएच) ने एनटीएच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 'क्ले क्राफ्ट प्रोडक्शन यूनिट' का औद्योगिक दौरा किया।

8.6 सेमिनार/कार्यशालाओं में भागीदारी:

1. अमृता विश्वविद्यालय, कोयंबटूर, तमिलनाडु ने 21–23 जून, 2023 के दौरान ऊर्जा रूपांतरण और भंडारण (आईसी–ईसीएस–2023) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एनटीएच के महानिदेशक डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इस तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान विभिन्न आईआईटीएस, आईआईएसईआर और प्रतिष्ठित भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं, शिक्षकों ने नवाचार करते हुए अपने आविष्कारों, भविष्य की दिशाओं और अनुभवों पर चर्चा की। उन्होंने आने वाले प्रतिनिधियों के साथ अपनी विशेषज्ञता भी साझा की।

2. एनटीएच के महानिदेशक डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव ने 16 अगस्त, 2023 को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'ईवी बैटरी मानक, परीक्षण और चार्जिंग सुविधाओं' पर आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में 'एनटीएच में बैटरी परीक्षण और ईवी चार्जिंग स्टेशन परीक्षण' पर एक प्रस्तुति प्रस्तुत की।

3. एनटीएच ने 10 अप्रैल, 2023 को चंडीगढ़ में 'उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण" कार्यशालाओं और 29 सितंबर, 2023 को विशाखापत्तनम में 'दक्षिणी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में उपभोक्ता संरक्षण' कार्यशालाओं में भाग लिया। दोनों कार्यशालाओं में 'सरकारी परियोजनाओं एवं परीक्षण में प्रयुक्त सामग्री में राष्ट्रीय परीक्षणशाला जयपुर/गाजियाबाद/चेन्नई का उपयोग' विषय पर सत्र आयोजित किया गया। सत्र में संबंधित क्षेत्रीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कई उद्योगों/उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

4. एनटीएच उ.प. क्षेत्र), जयपुर के वैज्ञानिकों ने 13 अक्टूबर 2023 को 'विश्व मानक दिवस' के उत्सव के दौरान बीआईएस, जयपुर द्वारा आयोजित 'बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोणः एसडीजी3 को शामिल करना' विषय पर एक सेमिनार में भाग लिया।

8.7 राजस्व एवं परीक्षण किये गये नमूने के आँकड़े:

- राष्ट्रीय परीक्षण शाला(एनटीएच), वाणिज्यिक परीक्षण कर प्रत्येक वर्ष राजस्व उत्पन्न कर रहा है, इसकी राशि सीधे भारतकोश में जमा की जाती है।

- हमारा लक्ष्य प्रत्येक वर्ष उत्पन्न राजस्व और आयोजित किए गए परीक्षण मापदंडों

की संख्या को 50% तक बढ़ाना है।

- दिसंबर 2023 तक विभिन्न क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या पिछले वर्ष (दिसंबर, 2022) 12435 की तुलना में 17398 है, जो पिछले वर्ष में परीक्षण किए गए नमूनों की तुलना में 39% की वृद्धि है।
- परीक्षण और अंशांकन सेवाओं से 19.54 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ, जो पिछले वर्ष के राजस्व से 40.37% (13.92 करोड़ रुपये) की वृद्धि है।
- एनटीएच ने राजस्व और परीक्षण किए गए नमूने दोनों को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, और वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 25.0 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है।

8.8 वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बजटीय व्यय (दिसंबर 2023 तक):

स्कीम मद के तहत एनटीएच को आवंटित बजट का बीई के अनुसार 80% उपयोग किया जा चुका है, और आवंटित आरई राशि का वित्त वर्ष 2023–24 के अंत तक पूरी तरह से उपयोग किया जाना निर्धारित है। एनटीएच की बजटीय व्यय रिपोर्ट नीचे सारणीबद्ध है।

क्र. सं	स्कीम शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
क	**राजस्व शीर्ष(3425):**			
1	कार्यालय व्यय (ओई)	500.00	733.00	556.07
2	घरेलू यात्रा व्यय (डीटीई)	47.00	54.00	46.09
3	विदेश यात्रा व्यय (एफटीई)	5.00	5.00	2.68
4	डिजिटल उपकरण (डीई)	10.00	22.00	9.11
5	लघु सिविल एवं विद्युत कार्य (मेगावाट)	312.00	397.00	174.34
6	मरम्मत एवं रखरखाव (आर एंड एम)	50.00	130.00	59.78
कुल राजस्व शीर्ष (3425)		**924.00**	**1341.00**	**848.08**
ख	**पूंजी शीर्ष(5425):**			
1	मशीनरी और उपकरण (एम एंड ई)	450.00	615.00	426.28

2	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी)	120.00	193.00	119.66
3	भवन और संरचनाएं (बी एंड एस)	10.00	75.00	9.51
4	मोटर वाहन (एमवी)	10.00	10.00	0.00
5	फर्नीचर और फिक्स्चर (एफ एंड एफ)	10ण्00	10ण्00	6.63
6	भूमि	5.00	5.00	0.00
7	अन्य पूंजीगत व्यय (ओसीई)	1.00	1.00	0.00
	कुल पूंजी शीर्ष (5425)	**606.00**	**909.00**	**562.08**
ग	**एनईआर शीर्ष (4552):**			
1	मशीनरी और उपकरण (एम एंड ई)	170.00	250.00	91.62
2	भूमि एवं भवन (एलएंडबी)	0.00	0.00	0.00
	कुल एनईआर शीर्ष	**170.00**	**250.00**	**91.62**
	कुल स्कीम बजट (क+ख+ग)	**1700.00**	**2500.00**	**1501.78**

8.9 एनटीएच की भविष्य की योजनाएं:

उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता, त्रुटिहीन सेवा अनुभव प्रदान करने और बदलते तकनीकी परिदृश्यों के साथ खुद को तालमेल रखने के लिए, एनटीएच अब परीक्षण और अंशांकन सेवाओं में अपनी पारंपरिक ताकत के साथ–साथ ईवी बैटरी परीक्षण, ड्रोन परीक्षण जैसे विभिन्न नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है।

1. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी परीक्षण सुविधा:

एनटीएच मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में ईवी बैटरी के लिए 'अत्याधुनिक' परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की संभावना तलाश रहा है। विशिष्टताओं के अनुसार महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद को अंतिम रूप दे दिया गया है और वर्तमान में जीईएम के माध्यम से बोली चरण में है।

2. ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन उपकरण परीक्षण सुविधा:

इस आवंटन से क्षेत्र में 10 एमवीए तक के ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट सहित बिजली पारेषण और वितरण क्षेत्रों के लिए अत्याधुनिक एकीकृत परीक्षण सुविधा स्थापित करने में मदद मिलेगी। प्रयोगशाला के डिजाइन और विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने के साथ–साथ

क्षेत्र के चारों ओर एक सीमा दीवार का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

3. यूएवी/ड्रोन परीक्षण सुविधाः

ड्रोन परीक्षण प्रयोगशाला एनटीएच (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद में स्थापित की जाएगी। वर्तमान में जेम पोर्टल के माध्यम से बोली लगाने के लिए पूंजीगत उपकरण और विशिष्टताओं की खरीद को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

4. शॉर्ट सर्किट वितरण ट्रांसफार्मर परीक्षण सुविधाः

एनटीएच, एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता में "200 केवीए तक वितरण ट्रांसफार्मर के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा' बनाने के लिए काम कर रहा है। यह परियोजना 'पीएम गति शक्ति एनएमपी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी" के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य नजदीकी परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र और आसपास के राज्य ट्रांसफार्मर विनिर्माताओं के लिए समय और परिवहन लागत बचाना है।

5. कम वोल्टेज स्विच गियर परीक्षण सुविधाः

बीआईएस स्कीम के तहत "कम वोल्टेज स्विच गियर परीक्षण सुविधा'' के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला एनटीएच (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई में बनाई जा रही है ताकि ''महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाओं के निर्माण/संवर्द्धन'' के लिए अन्य सरकारी प्रयोगशालाओं को सहायता प्रदान की जा सके।

6. जैविक खाद्य परीक्षण सुविधाः

बाजार की आवश्यकता के अनुसार सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में चरणबद्ध तरीके से 'अत्याधुनिक' जैविक खाद्य परीक्षण सुविधा बनाई जाएगी। प्रस्ताव "महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाओं के सृजन/संवर्द्धन के लिए अन्य सरकारी प्रयोगशालाओं को सहायता" के लिए बीआईएस योजना के तहत डीओसीए में अनुमोदन के लिए अंतिम रूप देने की स्थिति में है।

7. प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरणः

भारतीय मानकों (आईएस) के अनुसार पूर्ण परीक्षण सुविधाएं बनाने के लिए केंद्रीय और क्षेत्रीय खरीद समितियों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों की खरीद प्रगति पर है, जिसका लक्ष्य कमियों को पाटना और प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करना है। बजटीय निधि की उपलब्धता के अधीन, समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से कार्यान्वयन योजनाएं और निगरानी की जाती है।

8. ब्लॉक–चेन आधारित डिजिटल प्रमाणपत्रः

ग्राहकों को लाभ पहुंचाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए, एनटीएच ब्लॉकचेन–आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र लागू कर रहा है, जो दस सेकंड से भी कम समय में त्वरित पुष्टि सुनिश्चित करता है।

8.10 वर्ष 2023 के दौरान आयोजित गतिविधियों की क्षेत्रवार तस्वीरें:

एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता:

1. 09 जनवरी 2023 को एनटीएच (ईआर), कोलकाता में पीएससी का दौरा।
2. श्री रोहित कुमार सिंह, माननीय सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने 05 जनवरी, 2023 को कोलकाता में एनटीएच प्रयोगशालाओं का दौरा किया।
3. सुश्री निधि खरे, माननीय विशेष सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने 19 अगस्त, 2023 को एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता का दौरा किया।
4. मेट्रो प्रोजेक्ट, कोलकाता में पीआईडी (यात्री सूचना प्रदर्शन) फिक्सचर का लोड परीक्षण।

एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता:

1. मरीन उद्योग के प्रतिनिधियों के लिए एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र) में अंशांकन प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2. सेंट थॉमस स्कूल टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल के सहयोग से वेल्डरों का प्रमाणीकरण।
3. 2023 में एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र) में स्वच्छता अभियान

4. मेरी लाइफ अभियान के दौरान 05 जून 2023 को एनटीएच साल्ट लेक कोलकाता में वृक्षारोपण।
5. एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता में योग दिवस समारोह।
6. रसायनिक प्रभाग, एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता द्वारा मोबाइल जल परीक्षण आयोजित किया गया

एनटीएच (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबादः

1. एनटीएच (उत्तरी क्षेत्र) गाजियाबाद के वैज्ञानिकों ने 17 फरवरी 2023 को आईआईसीसी, द्वारका में चिंतन शिविर में भाग लिया।
2. 15 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस में भागीदारी।
3. एएमयू, अलीगढ़ के बीटेक छात्रों के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रमाणपत्र वितरण किया गया।
4. दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल जल परीक्षण।

एनटीएच (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबादः

1. सुश्री निधि खरे, माननीय विशेष सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने 28 नवंबर 2023 को एनटीएच (एनआर), गाजियाबाद का दौरा किया।
2. 31 अगस्त 2023 को स्थापना दिवस का आयोजन।
3. दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल जल परीक्षण।

एनटीएच (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबईः

1. श्री पीयूष गोयल, माननीय मंत्री, उपभोक्ता मामले विभाग, ने 24 दिसंबर,2023 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, एनटीएच (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई की घरेलू उपकरण प्रयोगशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया।
2. श्री रोहित कुमार सिंह, माननीय सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने 17 फरवरी, 2023 को मुंबई में एनटीएच प्रयोगशालाओं का दौरा किया।
3. एनटीएच, मुंबई द्वारा अनिश्चितता माप पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
4. 15 अगस्त 2023 को मुंबई में सभी एनटीएच कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

एनटीएच(पश्चिमी क्षेत्र), मुंबईः

1. अक्टूबर 2023 के दौरान विशेष अभियान 3.0 के दौरान आउटडोर स्वच्छता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।
2. 31 अक्टूबर 2023 को एनटीएच (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस का जश्न।
3. 31 अगस्त 2023 को एनटीएच के स्थापना दिवस का उत्सव मनाया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण किया गया।
4. मुंबई में विद्युत घरेलू उपकरण प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक।

एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई:

1. श्री रोहित कुमार सिंह, माननीय सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने 02 मार्च, 2023 को चेन्नई में उच्च वोल्टेज प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
2. 10 से 11 अप्रैल 2023 के दौरान तमिलनाडु के ऊटी में पीएससी का अध्ययन दौरा।
3. रसायन प्रयोगशाला, चेन्नई द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

4. 31 अगस्त 2023 को एनटीएच का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया।
5. एनटीएच (एसआर), चेन्नई द्वारा सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नईः

1. अक्टूबर 2023 के दौरान विशेष अभियान 3.0 के दौरान आउटडोर स्वच्छता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।
2. 31 अक्टूबर 2023 को एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया।
3. इंपल्स वोल्टेज जनरेटर से सुसज्जित हाई वोल्टेज बिल्डिंग ने मच 2023 से काम करना शुरू कर दिया।
4. चेन्नई में नई खुली विद्युत घरेलू उपकरण प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक।

एनटीएच(उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुरः

1. श्री रोहित कुमार सिंह, माननीय सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने 28 अक्टूबर 2023 को मुंबई में एनटीएच प्रयोगशालाओं का दौरा किया।

2. उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने महानिदेशक, एनटीएच के साथ 09 अक्टूबर 2023 को नई ट्रांसफार्मर परीक्षण प्रयोगशाला के लिए मांडा, राजस्थान में साइट का दौरा किया।

3. एमईएस और बीआईएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने 27 जुलाई 2023 को गुणवत्ता परीक्षण विषय पर एनटीएच जयपुर का दौरा किया।

4. एनटीएच, जयपुर ने 24 से 29 अगस्त 2023 के दौरान राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया।

एनटीएच(उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुरः

1. 31 अक्टूबर 2023 को एनटीएच (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया।
2. 21 जून 2023 को एनटीएच (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर में योग दिवस समारोह।
3. जयपुर में नई खुली जैविक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक।

एनटीएच (पूर्वोत्तर), गुवाहटीः

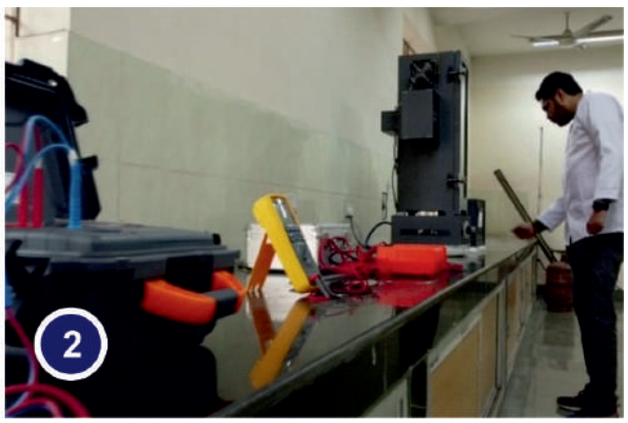

1. एनटीएच (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी में जल परीक्षण के लिए खोली गई नई माइक्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशाला।
2. गुवाहाटी में नई खुली विद्युत प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक।
3. एनटीएच (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी की रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल जल परीक्षण।

4. 03 नवंबर 2023 को निवारक सतर्कता उपायों पर कार्यशाला सह संवेदीकरण कार्यक्रम।
5. 21 जून 2023 को एनटीएच (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न।
6. एनटीएच (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

एनटीएच (पूर्वोत्तर), गुवाहटी:

1. अक्टूबर 2023 के दौरान विशेष अभियान 3.0 के दौरान आउटडोर स्वच्छता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्राहकों की आवश्यकताओं के संबंध में ग्राहक बैठक 31 अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी।
3. 03 नवंबर 2023 को निवारक सतर्कता उपायों पर कार्यशाला सह संवेदीकरण कार्यक्रम।

महानिदेशक, एनटीएच द्वारा उपस्थित कार्यक्रमों की तस्वीरें:

डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव, महानिदेशक–एनटीएच ने वर्ष 2023 में चंडीगढ़ और विशाखापत्तनम में उपभोक्ता संरक्षण पर कार्यशाला में भाग लिया।

वाइब्रेंट इंडिया फेयर, 2023, नई दिल्ली में महानिदेशक, एनटीएच और एनटीएच स्टॉल

महानिदेशक, एनटीएच 22 नवंबर, 2023 को अखिल भारतीय ट्रांसफार्मर विनिर्माण संघ की कार्यशाला में भाषण देते हुए।

एनटीएच गतिविधियाँ प्रिंट मीडिया में प्रकाशित और सोशल मीडिया में साझा की गईं:

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया एनटीएच की नई जांच सुविधाओं का उदघाटन

गाजियाबाद (जर्नी ऑफ सक्सैस)। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2023 के अवसर पर उपभोक्ता मंत्रालय की प्रयोगशाला राष्ट्रीय परीक्षण शाला द्वारा सोमवार से प्रारम्भ जा रही जांच की नई सुविधाओं को द्वारका सेक्टर 25 दिल्ली स्थित यशोभूमि केंद्र से केंद्रीय मंत्री केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने एक भव्य कार्यक्रम में राष्ट्र को समर्पित किया।

इस अवसर पर उन्होंने उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों से देशवासियों का परिचय कराया। इस अवसर पर राष्ट्रीय परीक्षण शाला गाजियाबाद में ड्रोन सर्टिफिकेशन फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया है। वहीं आरएसएल और एन टी एच के बीच में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की टेस्टिंग के लिए एम ओ यू पर साइन किए गए।

देश की जनता को औरगिनिक फुड की जांच की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला की जयपुर शाखा में ऑर्गेनिक फूड टेस्टिंग लैबोरेट्री को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया।

इस कार्यक्रम में उपभोक्ता मामले विभाग एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ,संयुक्त सचिव विनीत माथुर राष्ट्रीय परीक्षण शाला के महानिदेशक डॉ आलोक कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

जागरण सिटी गाजियाबाद/आसपास

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2024 दैनिक जागरण

राष्ट्रीय परीक्षणशाला को मिला ड्रोन को सर्टिफिकेशन करने का अधिकार

कमला नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एनटीएच) • जागरण

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : आधुनिक टेक्नोलाजी के युग में ड्रोन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। आपात स्थिति से लेकर सुरक्षा और कृषि के क्षेत्र में भी ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही ड्रोन सर्टिफिकेशन करती थीं, लेकिन अब राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एनटीएच) को भी यह अधिकार मिल गया है। यह देश की पहली राष्ट्रीय संस्था है जिसे यह अधिकार मिला है। इसके अलावा ड्रोन की गुणवत्ता की जांच के लिए राष्ट्रीय परीक्षणशाला में एक लैब भी बनाई जा रही है। बहुत जल्द इसके लिए लैब तैयार कर ली जाएगी।

केंद्र सरकार भारत में विश्व की अग्रणी ड्रोन इको सिस्टम तैयार कर रही है। इसकी वजह ड्रोन के वाणिज्यिक उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में एनटीएच गाजियाबाद को ड्रोन का सर्टिफिकेशन करने का अधिकार मिल गया है। – आलोक श्रीवास्तव, महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षणशाला

ड्रोन का इस्तेमाल इन दिनों खेतों में खाद और दवा का छिड़काव करने के लिए किया जाने लगा है, आकस्मिक स्थिति में मेडिकल संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। विशेष तौर पर सुरक्षा के क्षेत्र में ड्रोन की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश की सीमा पर नजर रखनी हो या फिर कहीं पर बवाल होने की आशंका पर सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र और संदिग्धों की जानकारी करनी हो, इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किया जाता है। ड्रोन की बढ़ती मांग को देखते हुए इसका उत्पादन भी अधिक होने लगा है, लेकिन ड्रोन को बाजार में उतारने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करना और सर्टिफिकेशन पाना कंपनियों के लिए चुनौती है। बड़ी संख्या में ड्रोन की जांच हो सके और यह सुरक्षा की कसौटी पर खरे उतरें, इसलिए अब केंद्र सरकार के निर्देश पर गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षणशाला की यूनिट में ड्रोन की जांच के लिए लैब स्थापित करने का काम चल रहा है। ड्रोन को उड़ाकर भी उसकी जांच हो सके, इसके लिए जगह चिह्नित की जा चुकी है। सर्टिफिकेशन का अधिकार मिलने से खासतौर पर दिल्ली- एनसीआर में ड्रोन बना रही कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और इसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

Rohit Kumar Singh
@rohitksingh

Visited National Test House, Kolkata. It is heartening to steer them into new and emerging technologies like EV batteries & charging stations and testing of drones; doing remarkably well in civil, electrical, metallurgical and micro-biological testing. @jagograhakjago @PMOIndia

12:18 am · 06 Jan 24 · **2,791** Views

Consumer Affairs @jagog... · 30 Oct 23

National Test House (NWR) Jaipur has organised Mobile Water Testing for the awareness of the water quality to public at Vishwakarma Industrial Area, Jaipur on 30.10.2023.
#NationalTestHouse

हिंदी कार्यक्रमों के फोटोः

8.11 एनटीएच में सतर्कता स्थापनाः

एनटीएच (मुख्यालय) का सतर्कता विभाग सीधे राष्ट्रीय परीक्षणशाला के महानिदेशक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसमें एक सतर्कता अधिकारी (वीओ) और दो अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं। सभी छह एनटीएच क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में सहायक सतर्कता अधिकारी (एवीओ) नामित अधिकारी हैं, जो सीधे एनटीएच (मुख्यालय), कोलकाता के सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। अपने नियमित कर्तव्यों के अलावा, क्षेत्रों में सभी छह सहायक सतर्कता अधिकारी, साथ ही एनटीएच (मुख्यालय) में सतर्कता अधिकारी, पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने सतर्कता कर्तव्यों का पालन करते हैं। 31 दिसंबर, 2023 तक, एनटीएच में कोई सतर्कता मामला लंबित नहीं है।

8.12 वर्ष 2023 के दौरान लेखापरीक्षा अवलोकन रिपोटः

आंतरिक या बाहरी ऑडिट के दौरान पाई गई किसी भी अनियमितता, अक्षमता, चूक या प्रश्न उठने पर आम तौर पर ध्यान दिया जाता है और छह एनटीएच क्षेत्रों से जुड़े अनसुलझे ऑडिट मापदंडों को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा बताते हुए एक रिपोर्ट के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

31 दिसंबर 2023 तक विभिन्न क्षेत्रों में स्थित लंबित ऑडिट पैरा का निपटान करने के लिए एनटीएच क्षेत्रवार स्थिति नीचे सारणीबद्ध है:

क्र सं	एनटीएच क्षेत्र	बकाया ऑडिट पैरा की संख्या	निपटाए गए ऑडिट पैरा की संख्या	लंबित ऑडिट पैरा की संख्या
1.	एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	19	12	7
2.	एनटीएच (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई	16	9	7
3.	एनटीएच (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई	5	3	2
4.	एनटीएच (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	36	0	36
5.	एनटीएच (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर	22	18	4
6.	एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी	12	0	12

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS

JAGO GRAHAK JAGO

गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से पहले इन 3 चिह्नों की जाँच करें:

"सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य है।"

हॉलमार्किंग का निशान शुद्धता की पहचान है

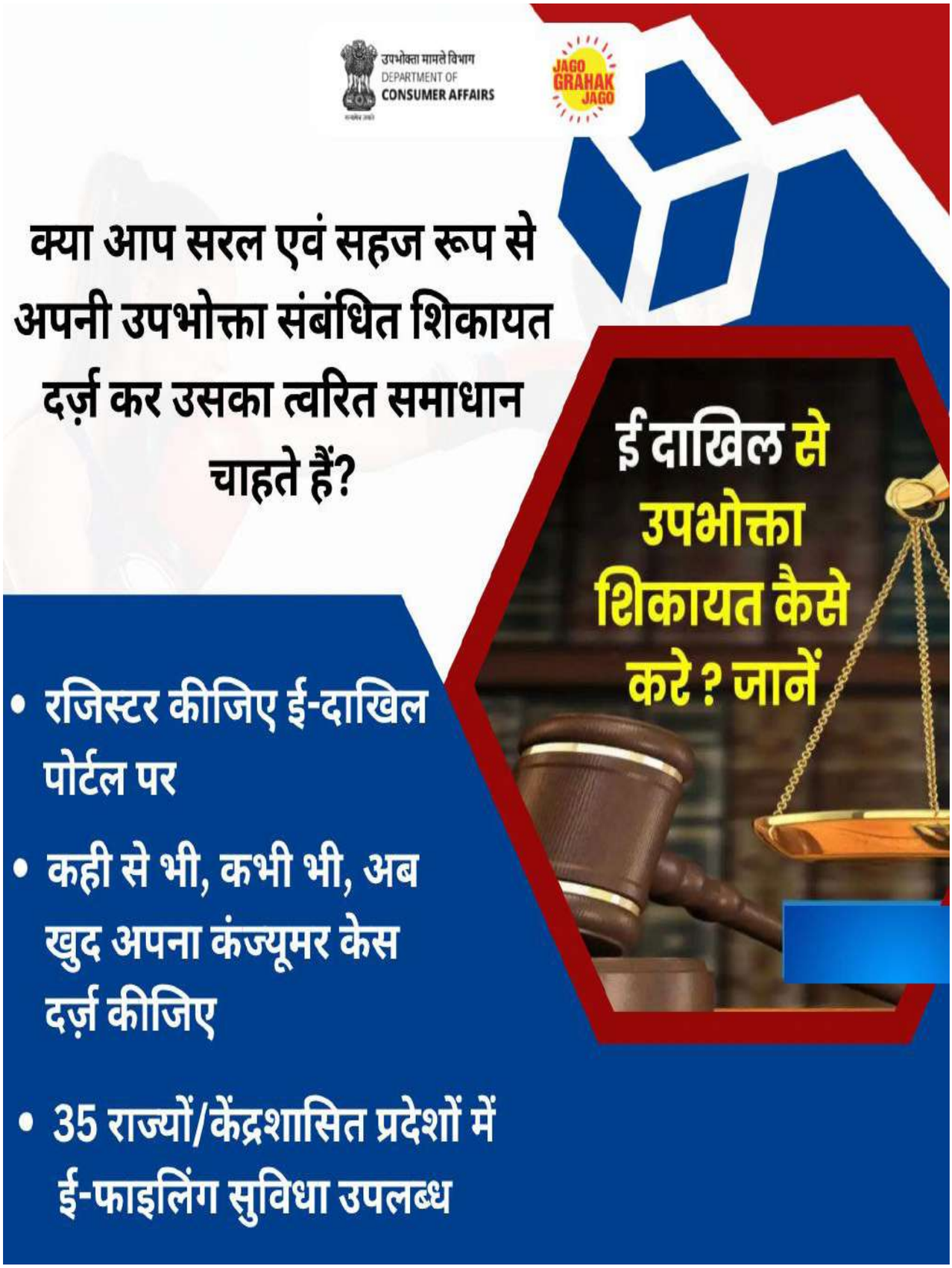
उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
JAGO GRAHAK JAGO
क्या आप सरल एवं सहज रूप से अपनी उपभोक्ता संबंधित शिकायत दर्ज़ कर उसका त्वरित समाधान चाहते हैं?
ई दाखिल से उपभोक्ता शिकायत कैसे करे? जानें
• रजिस्टर कीजिए ई-दाखिल पोर्टल पर
• कही से भी, कभी भी, अब खुद अपना कंज्यूमर केस दर्ज़ कीजिए
• 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ई-फाइलिंग सुविधा उपलब्ध

अध्याय–9

बाट और माप

9.1 बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 एवं बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 को निरस्त करते हुए, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009, (2010 का 1) लागू किया गया। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सात नियम बनाए हैं। राज्य सरकारों ने भी अपने स्वयं के विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम बनाए हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निम्नलिखित नियमों का सृजन किया गया है:–

क) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011

ख) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011

ग) विधिक मापविज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011

घ) विधिक मापविज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011

ड.) विधिक मापविज्ञान (अंकीकरण) नियम, 2011

च) भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान नियम, 2011

छ) विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013

विभाग ने विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में अन्तर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन (ओ.आई.एल.एम.) की सिफारिशों के अनुसार बाट तथा माप की तकनीकी विनिर्देशओं के नए विनिर्देशनों को पहले ही अपना लिया है। नियमों में, स्वचालित रेल–वेब्रिजों, नैदानिक थर्मामीटरों, स्वचालित ग्रेवीमैट्रिक फिलिंग उपकरणों, ऊँची क्षमता वाली तोलन मशीनों के परीक्षण के लिए मानक बाट, गतिशील सड़क वाहनों का भार मापन, डिसकंटीनुअस टोटलाइजिंग स्वचालित तोलन उपकरणों, स्फिगमोमैनोमीटर (रक्तचाप मापने के उपकरणों) और सीएनजी गैस डिस्पेंसर्स आदि जैसे नए विनिर्देशनों को शामिल किया गया है।

विधिक मापविज्ञान (बाट तथा माप) कानूनों का प्रवर्तन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि लेन–देन तथा संरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सभी बाट तथा माप सही और विश्वसनीय हों ताकि प्रयोगकर्ताओं को सही वजन तथा माप की गारंटी मिल सके। यह उपभोक्ता को उस सही मात्रा को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है।

भारत में विधिक मापविज्ञान (बाट तथा माप) विनियमन 'पूर्व पैकबंद' रूप में वस्तुओं की बिक्री को भी विनियमित करते हैं। विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 की अपेक्षा के अनुसार उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा उपायों के लिए पैकेजों पर कतिपय बुनियादी जानकारी नामतः विनिर्माता/आयातक/पैककर्ता का नाम, वस्तु का सामान्य अथवा जैनरिक नाम, निवल मात्रा, वह माह/वर्ष जिसमें वस्तु विनिर्मित/पूर्व–पैकबंद/आयात की गई है तथा पैकेज की खुदरा बिक्री, वह देश जहां आयातित उत्पाद मूल रूप में तैयार किया गया था जो वस्तुएं कुछ समय बाद मानव – उपयोग के योग्य नहीं रह जाती उनके संदर्भ में वह तारीख जिससे पहले या जिस तक प्रयोग करना सर्वोत्तम है, कीमत एवं पैकेजों पर ग्राहक सेवा केंद्र के विवरण इत्यादि की घोषणा करना अनिवार्य है। नियमों में आयातकों के लिए आयातित पैकेजों पर भी घरेलू पैकेजों की तर्ज पर ही कुछ बुनियादी घोषणाएं करना अपेक्षित है।

विधिक मापविज्ञान प्रभाग को उत्पाद प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से आईएसओःआईईसी 17065:2012 मान्यता प्राप्त है। एलएम प्रभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है

9.2 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं

(i) केंद्र सरकार ने अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएं (आरआरएसएल) स्थापित की हैं। ये आरआरएसएल विधिक मापविज्ञान के राष्ट्रीय मानकों के मूल्यों के वाणिज्यिक स्तर तक प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वाराणसी, (उत्तर प्रदेश) और नागपुर, (महाराष्ट्र) में दो और प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। प्रयोगशालाएं राज्यों के विधिक मानकों का सत्यापन, तोलन और मापन उपकरणों का अंशाकन, तोलन और मापन उपकरणोंका मॉडल अनुमोदन परीक्षण, बाट तथा माप संबंधी प्रशिक्षण एवं सेमिनारों हेतु उपयुक्त यथार्थता के लिए निर्देशित मानकों को बनाए रखती हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला, क्षेत्र के उद्योगों को अंशाकन सेवाएं प्रदान करती हैं। रिपोर्ट अनुलग्नक में दी गई है।

(ii) क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

(iii) आरआरएसएल, वाराणसी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23.12.2021 को किया गया था।

9.3 भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान (आई.आई.एल.एम.), रांची

विधिक मापविज्ञान (बाट तथा माप) के प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, संस्थान चार माह की अवधि का एक बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है। संस्थान, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गठित राज्य आयोगों, जिला मंचों के गैर–न्यायिक सदस्यों के

लिए उपभोक्ता संरक्षण पर प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित करता है। इसके अलावा, संस्थान, विधिक मापविज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर प्रवर्तन अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए विशिष्ट विषयों पर अल्पकालिक कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित करता है। यह संस्थान प्रतिवर्ष औसतन 200 कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है।

9.4 वर्ष 2021–26 के दौरान

छत्रक (अम्ब्रेला) स्कीम 'विधिक मापविज्ञान विनियमन एवं प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण' के तहत निम्नलिखित संघटकों के साथ "विधिक मापविज्ञान और गुणत्ता आश्वासन" नामक उप–स्कीम कार्यान्वित की गई।

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक मापविज्ञान अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।

(ii) क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं और भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान का सुदृढ़ीकरण।

(iii) समय प्रसार

उक्त उप–स्कीम के तहत विधिक मापविज्ञान विभाग को इसके सुदृढ़ीकरण के लिए 195 करोड़ रुपये आबंटित किए गए।

9.5 समय प्रसारः

भारत में, सात आधार इकाइयों में से एक, समय प्रसार को केवल एक स्तर पर बनाए रखा जा रहा है जो कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में है। 2016 में मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गठित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सचिवों के समूह ने यह अनुशंसा की है कि, 'वर्तमान में, भारतीय मानक समय (आईएसटी) को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और 'इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा अनिवार्य रूप से नहीं अपनाया जा रहा है। विभिन्न प्रणालियों में समय की एकरूपता न होना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साइबर अपराध की जांच में समस्याएं पैदा करती है। इसलिए, देश के भीतर सभी नेटवर्क और कंप्यूटर को राष्ट्रीय घड़ी के साथ जोड़ना, विशेष रूप से रणनीतिक क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा में वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए बहुत आवश्यक है।

सटीक समय प्रसार के साथ–साथ सटीक समय सामंजस्य का सभी सामाजिक, औद्योगिक, सामरिक और कई अन्य क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जैसे पावर ग्रिड विफलताओं की निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग प्रणाली, सड़क और रेलवे में स्वचालित सिग्नलिंग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए मजबूत, विश्वसनीय और सटीक समय प्रणाली की आवश्यकता होती है।

डी.एस.आई.आर. के अनुरोध पर, इस विभाग ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन.पी.एल) के सहयोग से अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में स्थित विधिक मापविज्ञान (एल.एम.) की पांच प्रयोगशालाओं के माध्यम से भारतीय मानक समय का प्रसार करने का निर्णय लिया है, और इसके लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। भारतीय मानक समय के प्रसार हेतु स्वचालित घड़ियों की स्थापना की परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए सी.एस.आई.आर– एन.पी.एल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस समझौता ज्ञापन के तहत, एन.पी.एल. द्वारा समय को सुनिश्चित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद की जाएगी और वे विधिक मापविज्ञान कर्मियों को उपकरण संचालन संबंधी प्रशिक्षण सहित उसकी स्थापना और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। एन.पी.एल., विधिक मापविज्ञान की देख–रेख करेगा और अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन में आर.आर.एस.एल., बेंगलुरु में एक आपदा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) स्थापित करने की भी परिकल्पना की गयी है। आर.आर.एस.एल. द्वारा संचालित प्रयोगशाला को स्थान और तकनीकी जनशक्ति प्रदान की जाएगी और इस परियोजना को इस विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

भारतीय मानक समय के कार्यान्वयन और प्रसार से, समय प्रसार में होने वाली त्रुटि को मिली सेकेंड से कम करके केवल कुछ माइक्रो सेकंड तक कर दिया जाएगा। सटीक समय प्रसार राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और साइबर सुरक्षा में वृद्धि करेगा।

9.6 आईएसओः 9001 प्रमाणन

विधिक मापविज्ञान प्रभाग, सभी क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं एवं भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची आईएसओ 9001 प्रमाणित संगठन/प्रयोगशालाएँ हैं।

9.7 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

उपभोक्ता मामले विभाग का विधिक मापविज्ञान प्रभाग, अन्तर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन (ओआई.एल.एम.) की सिफारिशों के अनुसार कार्य करता है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन (ओ.आई.एल.एम.) का सदस्य देश है। निदेशक (विधिक मापविज्ञान), ओ.आई.एल.एम. की अंतर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान समिति (सी.आई.एम.एल.) और अन्य तकनीकी समितियों के सदस्य हैं।

9.8 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, वाराणसी की स्थापना

(i) बाट तथा माप की सटीकता बनाए रखने के लिए और राष्ट्रीय नमूना से वाणिज्य में व्यापार में उपयोग किए जाने वाले वजन और माप के लिए ट्रेसबिलिटी श्रृंखला को पूरा करने के लिए, अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय

निर्देश मानक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

(ii) ये प्रयोगशालाएं राज्यों के कानूनी मानकों का सत्यापन प्रदान करने और बाटों और मापों को जांचने के लिए उपयुक्त सटीकता के निर्देश मानकों को बनाए रखती हैं

(iii) ये प्रयोगशालाएँ विनिर्माण/आयात से पहले अनुमोदन के लिए बाटों और मापों के मॉडलों का परीक्षण करती हैं

(iv) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि के पूर्वी भाग के अविकसित क्षेत्रों को बेहतर विधिक मापविज्ञान सुविधाएं प्रदान करने के लिए और इस हिस्से में औद्योगिक विकास के लिए वाराणसी में एक नई क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23.12.2021 को किया गया है।

9.9 उद्योगों और उपभोक्ताओं के हित में इन नियमों में निम्नलिखित संसोधन किए गए:

व्यापार करने में सुगमता के लिए और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए और साथ ही उपभोक्ताओं के हित में विधिक मापविज्ञान नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

(i) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 में संशोधन किया गया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उद्योगों को एक वर्ष की अवधि के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल रूप में कुछ अनिवार्य घोषणाओं यदि पैकेज में घोषित नहीं किया गया हो, की घोषणा करने की अनुमति दी जा सके। यह अनुमति क्यूआर कोड के माध्यम से अनिवार्य घोषणा की घोषणा करने के लिए इस डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग को सक्षम करने के लिए है, जिसे घोषणाओं को देखने के लिए स्कैन किया जा सकता है।

(ii) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 को संशोधित किया गया था, जिसमें गारमेंट या होजरी उद्योग को इन वस्तुओं को लूज या खुले में बेचने पर, कमोडिटी के सामान्य/जेनेरिक नाम, की घोषणा करने निवल मात्रा, यूनिट बिक्री मूल्य की घोषणा करने निर्माण का महीना और वर्ष और कन्ज्यूमर केयर का नाम और पता से छूट दी गई थी। यह परिधान/होजरी उद्योग के अनुपालन बोझ को कम करेगा और इस क्षेत्र में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देगा।

हालांकि, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वे विनिर्माता/विपणक/ब्रांड मालिक/मूल देश के साथ आयातक का नाम और पता कन्ज्यूमर केयर ईमेल आईडी और फोन नंबर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचानने योग्य आकार संकेतकों और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के साथ प्रदर्शित करना जारी रखेंगे।

(iii) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 49 कंपनियों को अपने किसी भी निदेशक को कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित करने की अनुमति देती है। विभिन्न उद्योगों से उस व्यक्ति को नामांकित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था, जिसके पास वास्तव में प्रतिष्ठान या शाखा का अधिकार और जिम्मेदारी है। अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए, विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है, जिससे कंपनियों को विभिन्न प्रतिष्ठानों या शाखाओं या किसी भी प्रतिष्ठान या शाखा में विभिन्न इकाइयों को एक ऐसे अधिकारी को नामित करने की अनुमति मिलती है, जिसके पास प्रतिष्ठानों या शाखाओं या विभिन्न इकाइयों की गतिविधियाँ के नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए अधिकार और जिम्मेदारी है।

(iv) ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अनिवार्य जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया।

(v) जिन चिकित्सा उपकरणों को औषधि घोषित किया गया है, उन्हें नियमों के अंतर्गत लाया गया है।

(vi) जिन बाटों या मापों का उपयोग उद्योगों द्वारा अपने आंतरिक उपयोग के लिए किया जाता है, उन्हें पुनरू सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है ।

(vii) समान बाटों और मापों पर दोहरी मोहर लगाने से बचने के लिए पूरे देश में एक समान प्रक्रिया अपनाना।

(viii) सभी पूर्व पैकबंद वस्तुओं पर इकाई बिक्री मूल्य और निर्माण का माह और वर्ष की घोषणा अनिवार्य है।

9.10 भारत– एक ओआईएमएल अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण:

ओआईएमएल एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारत 1956 में इसका सदस्य बना। इसमें 63 सदस्य देश और 64 संबंधित सदस्य हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बाट या माप बेचने के लिए ओआईएमएल पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र अनिवार्य है। भारत ने हाल ही में दुनिया में कहीं भी बाट और माप बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ओआईएमएल प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम प्राधिकरण बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

घरेलू विनिर्माता अब अतिरिक्त परीक्षण शुल्क के बिना अपने बाट और माप उपकरण को दुनिया भर में निर्यात कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लागत बचत होगी। भारत हमारी ओआईएमएल अनुमोदित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला से परीक्षण के बाद

ओआईएमएल पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करके विदेशी विनिर्माताओं का भी समर्थन कर सकता है। विदेशी विनिर्माताओं को बाट और माप उपकरण के ओआईएमएल अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करके भारत शुल्क आदि के मामले में विदेशी मुद्रा भी उत्पन्न करेगा।

भारत अब ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया सहित देशों के एक विशेष समूह में शामिल हो गया है, जो दुनिया भर में 13 वां देश है, जो ओआईएमएल पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत है।

यह उपलब्धि विधिक मापविज्ञान के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करती है तथा बाट और माप उपकरणों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में इसकी भूमिका को बढ़ाती है।

ओआईएमएल पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने वाले दुनिया भर के 13वें देश के रूप में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि विधिक मापविज्ञान में एक मील का पत्थर है, जिससे इसकी वैश्विक स्थिति में वृद्धि हुई है और बाट और माप उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा मिली है।

9.11 विधिक मापविज्ञान अधिनियम को अपराध की श्रेणी से बाहर रखना:

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 को 2023 के अधिनियम संख्या 18 के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 सहित 19 मंत्रालयों/विभागों में 42 अधिनियमों में संशोधन शामिल हैं। उक्त अधिनियम के तहत, विधिक मापविज्ञान अधनियम, 2009 की 7 धाराओं को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) के अनुसार, संबंधित मंत्रालय/विभाग अधिसूचनाएं जारी कर सकते हैं, जिसमें संशोधनों को लागू करने की तारीख संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तय की जा सकती है। उक्त अधिसूचना जारी कर दी गई है और उक्त संशोधन 01.10.2023 से लागू है।

9.12.1 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद का कार्य निष्पादन (पिछले 6 वर्षों के दौरान)

विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24 (16.02. 24 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	87	110	26	144	228	133
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	674	125	60		63	65
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या (अंशांकन जीएटीसी सत्यापन)	1123	252	59	1388 (88+ 1300)	12134 (253+ 11881)	852 (652 +200)
स्वीकृत मॉडलों की संख्या	63	13	1	113	113	122
आयोजित संगोष्ठी की संख्या	2	.	..	16	52	52
एकत्रित राजस्व – लाख में	59.19	16.26	3.09	59.52	61.92	61.12

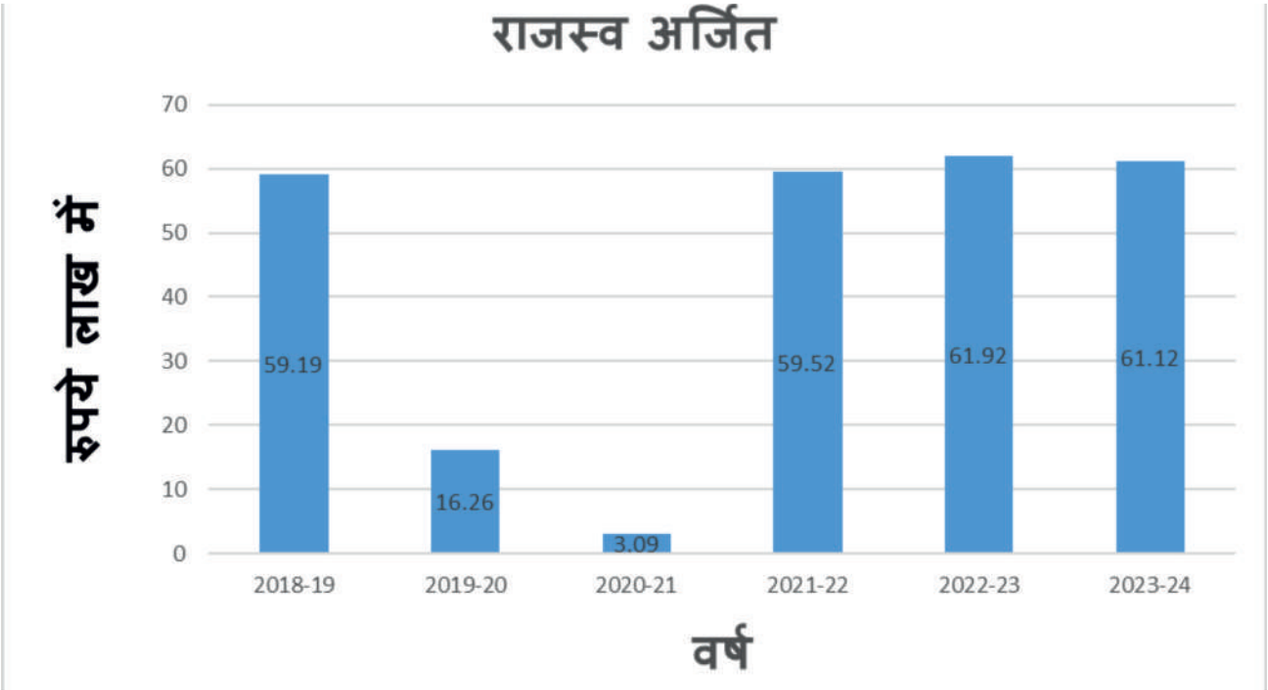

9.12.2 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बंगलूरू पिछले 5 वर्षों के दौरान आरआरएसएल, बंगलूरू की उपलब्धियां

उपलब्धियां	2018.19	2019.20	2020.21	2021.22	2022.23	2023–24 31 जनवरी 2024 तक
सत्यापित विधिक मानकों की संख्या	126	79	54	62	85	89
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	7698	1309	1343	1518	1220	1048
कैलिब्रेट किए गए उपकरणों की संख्या	5609	6872	6505	6784	8618	7745
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	672	567	537	628	574	503
अनुमोदन के लिए परीक्षण किए गए मॉडलों की संख्या	97	188	105	323	123	145

संग्रहीत परीक्षण शुल्क	7872497	8796785	9747846	15391170	11058885	8684379
आयोजित सेमिनारों की संख्या	04	03	04	06	11	14

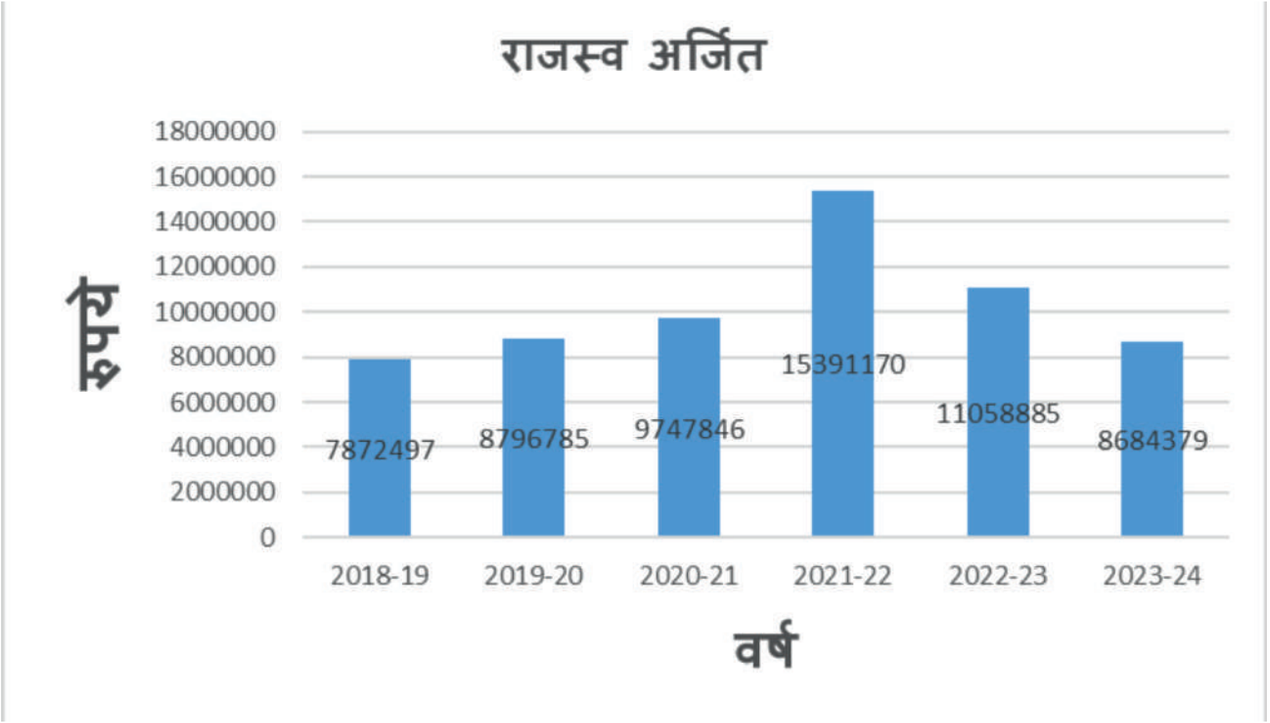

9.12. 3 वर्ष 2018–19 से 31 दिसंबर 2023 तक क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट

विवरण	2018.19	2019.20	2020.21	2021.22	2022.23	2023.2024
सत्यापित मानकों की संख्या	66	45	28	35	54	50
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	220	250	220	310	180	200
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	632	757	241	310	302	398
परीक्षण किए गए मॉडल की संख्या	82	141	281	235	151	150

आयोजित संगोष्ठी की संख्या	01	01	02	02	08	08
कुल एकत्रित राजस्व – लाख में	24.80	40.20	92.46	84.27	52.50	51.30

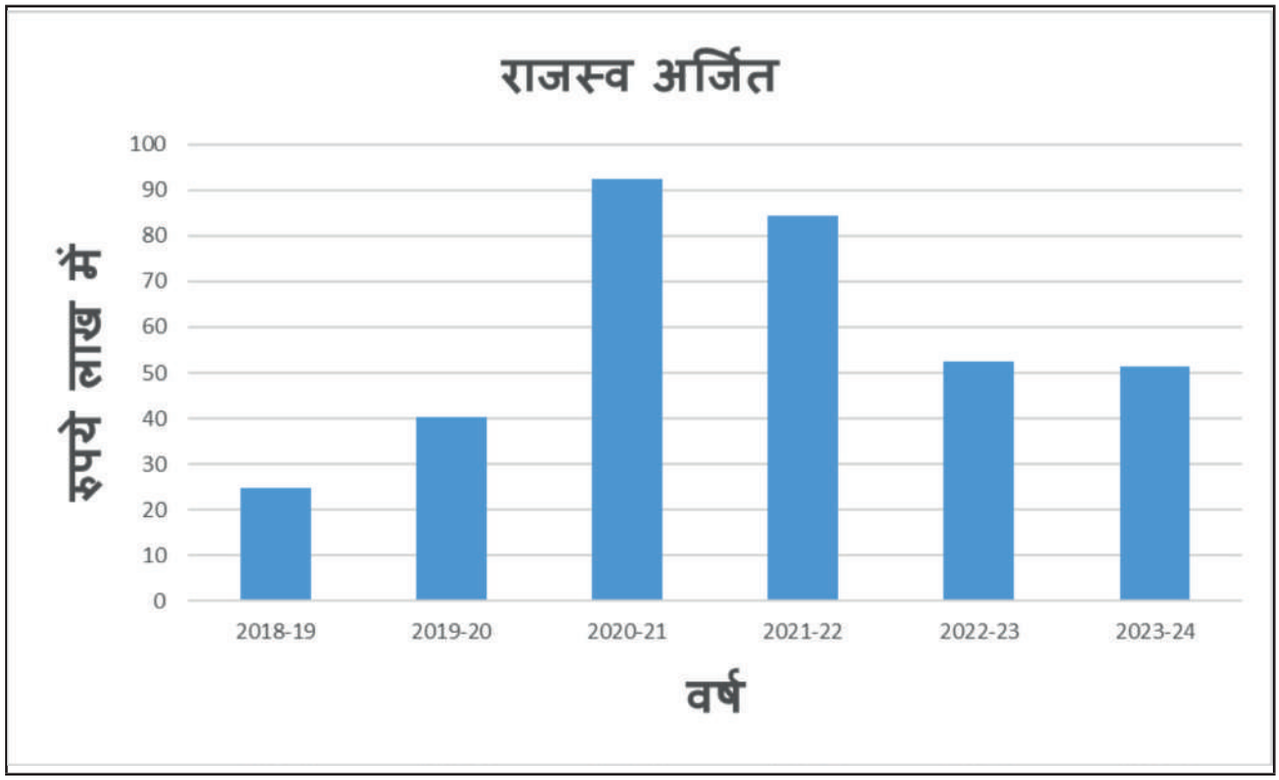

9.12.4 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, फरीदाबाद का कार्यनिष्पादन

विवरण	2018.19	2019.20	2020.21	2021.22	2022.23	2023.2024 (15.02.24)
सत्यापित मानकों की संख्या	108	19	86	111	96	114
जारी अंशांकित प्रमाणपत्रों की संख्या	151	278	67	55	241	94
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	358	377	315	327	360	160

जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	466	472	374	383	491	342
परीक्षण किए गए मॉडल की संख्या संख्या	207	175	221	217	154	134
आयोजित संगोष्ठी की संख्या	01	02	01	14	12	09
एकत्रित राजस्व (रुपये लाख में)	38.88	37.18	62.69	64.15	49.23	40.39

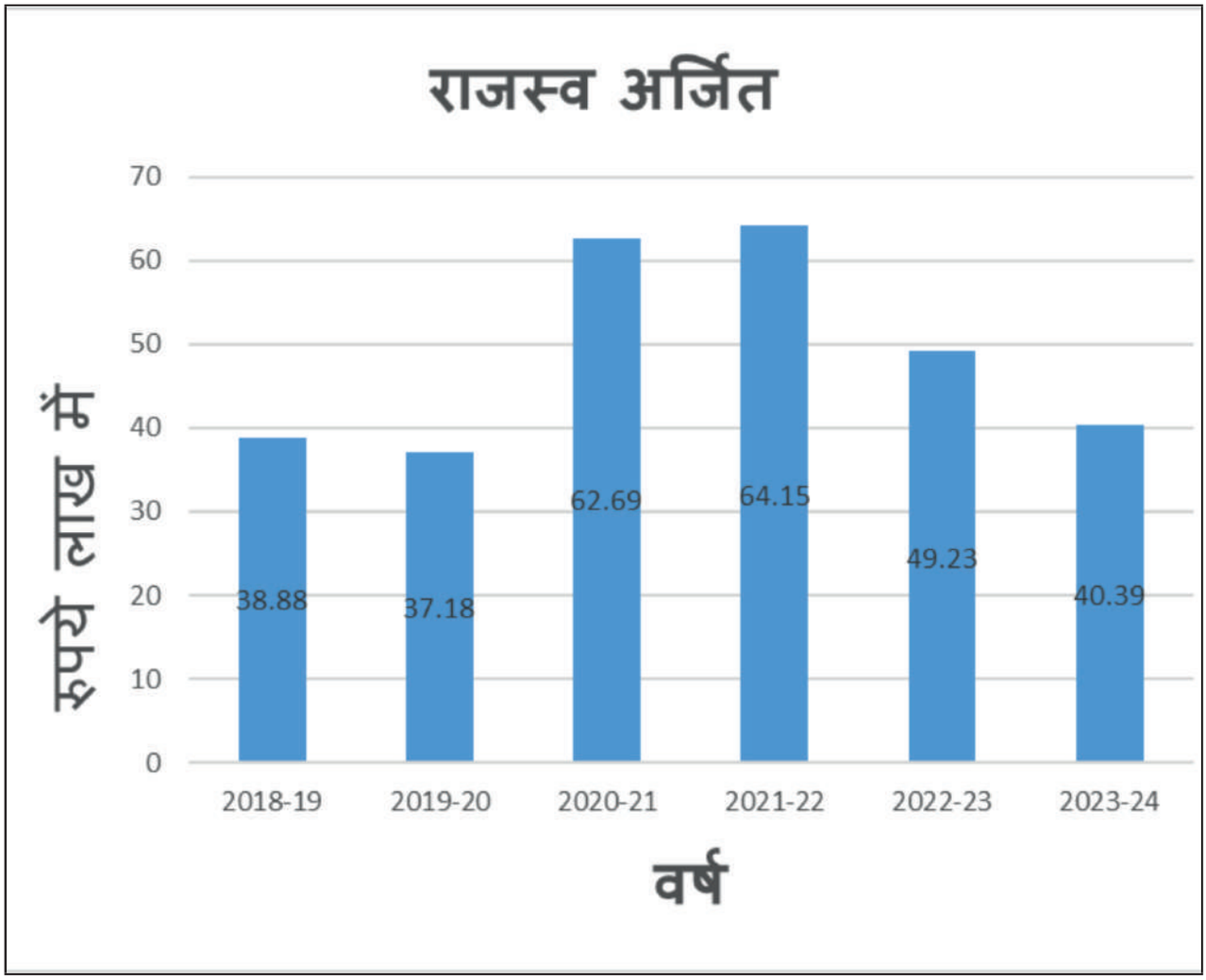

9.12.5 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी का कार्यनिष्पादन खपिछले 6 वर्षों के दौरान–2023–24 (जनवरी 2024 तक),

विवरण	2018.19	2019.20	2020.21	2021.22	2022.23	2023–24 (जनवरी 2024 तक)
सत्यापित विधिक मानकों की संख्या	21	5	5	16	15	21
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	40	25	23	33	23	26
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	15	9	12	14	5	04
स्वीकृत मॉडलों की संख्या	3	5	8	8	.	..
संगोष्ठी / प्रशिक्षण / जागरूकता कार्यक्रम की संख्या	2	.	.	6	1	02
अर्जित राजस्व (लाख में)	2.19	1.98	3.11	3.35	1.86	2.05

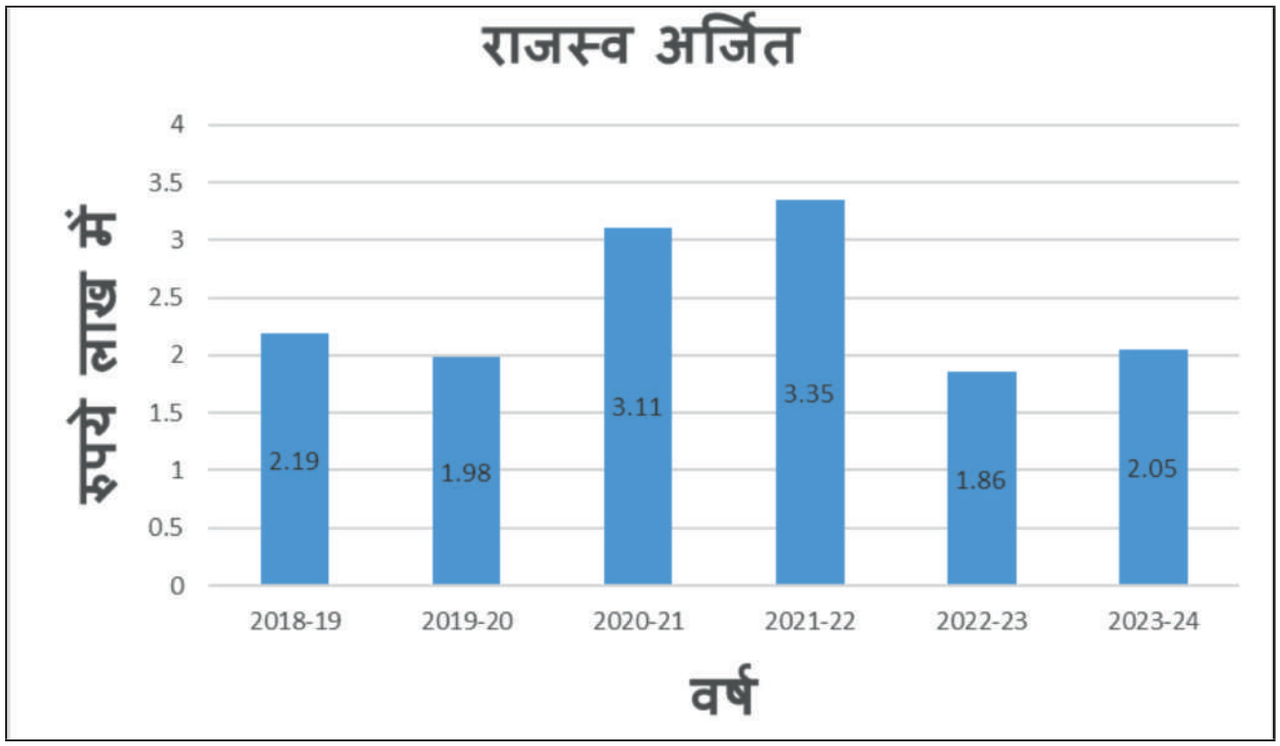

9.12.6 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, नागपुर का प्रदर्शन (2023–24)

विवरण	2018.19	2019.20	2020.21	2021.22	2022–23 (दिसंबर 2022	2023.24
सत्यापित मानकों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	शून्य	05	11	25	27	शून्य
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वीकृत मॉडलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आयोजित संगोष्ठी की संख्या	शून्य	01	02	12	11	शून्य
संग्रहीत राजस्व (लाख में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी: क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला (आरआरएसएल), नागपुर निर्माणाधीन/स्थापना के अधीन है और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा विकसित की जा रही है।

9.12.7 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, वाराणसी का कार्यनिष्पादन (पिछले 6 वर्षों के दौरान)

विवरण	2018.19	2019.20	2020.21	2021.22	2022.23	2023.24
सत्यापित मानकों की संख्या	0	0	0	0	0	0
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	46	60	51	37	0	0
कैलिब्रेट किए गए उपकरणों की संख्या	0	0	0	0	52	40
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	38	54	48	37	45	33

स्वीकृत मॉडलों की संख्या	48	62	76	55	65	35
आयोजित संगोष्ठी की संख्या	0	0	0	5	12	08
संग्रहीत राजस्व (लाख में)	11.6	14.02	15.12	15.37	19.91	10.00

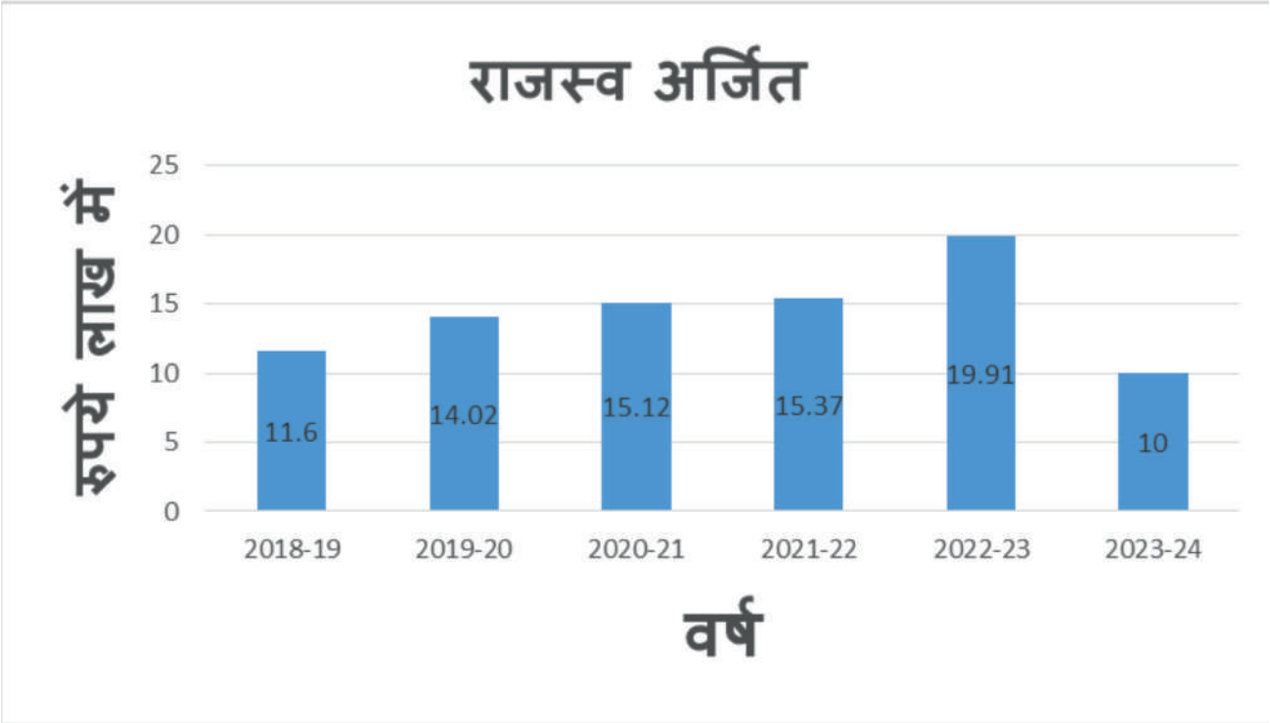

आरआरएसएल अहमदाबाद

(आरआरएसएल, अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान)

सचिव, उपभोक्ता मामले का दौराः–

(सचिव उपभोक्ता मामले ने उद्योगों, राज्य विधिक मापविज्ञान विभाग और वीसीओ के साथ बैठक को संबोधित किया)

WELCOME
Shree Rohit Kumar Singh (IAS)
Meetings with Industries,
State Legal Met rology Department & VCOs etc.
Place: RRSL, Ahmedabad

Government of India
Standard Laboratory Ahmedabad

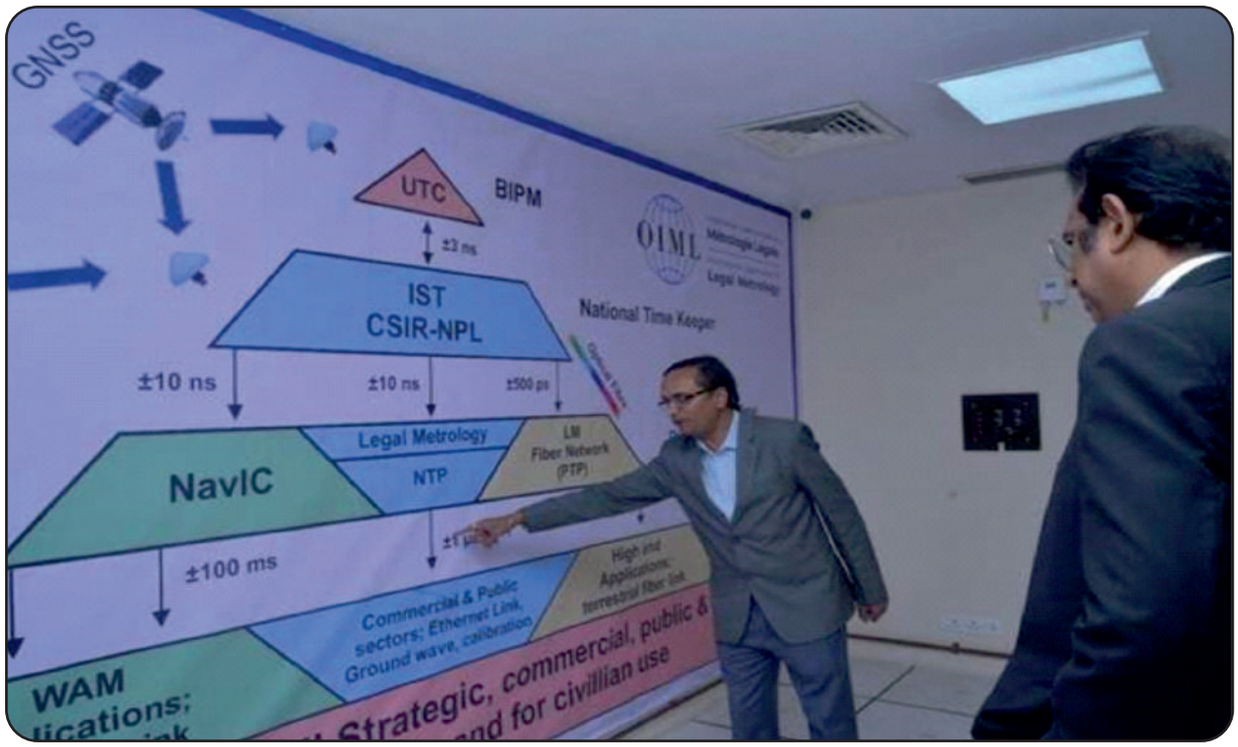
GNSS
UTC
BIPM
±2 ns
IST
CSIR-NPL
National Time Keeper
±10 ns
±10 ns
±500 ps
Legal Metrology
NTP
LM
Fiber Network
(PTP)
NavIC
±100 ms
Commercial & Public
sectors; Ethernet Link,
Ground wave, calibration
WAM
Strategic, commercial, public &
for civillian use

आरआरएसएल भुवनेश्वर

"स्वच्छता पखवाड़ा" का अवलोकन

आरआरएसएल भुवनेश्वर के अधिकारी "पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली" को बढ़ावा देने वाले मेरी लाइफ के शुभंकर के साथ

योग दिवस समारोह

(आरआरएसएल, भुवनेश्वर द्वारा विभिन्न जागरूकता/आउटरीच कार्यक्रमों के दौरान स्वच्छता पत्रक वितरित किये गये)

"राष्ट्रीय एकता दिवस" प्रतिज्ञा

आरआरएसएल, भुवनेश्वर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अवलोकन

आरआरएसएल बैंगलोर

आरआरएसएल बैंगलोर में माननीय सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा वृक्षारोपण

आरआरएसएल बैंगलोर में लेजर इंटरफेरोमीटर की स्थापना

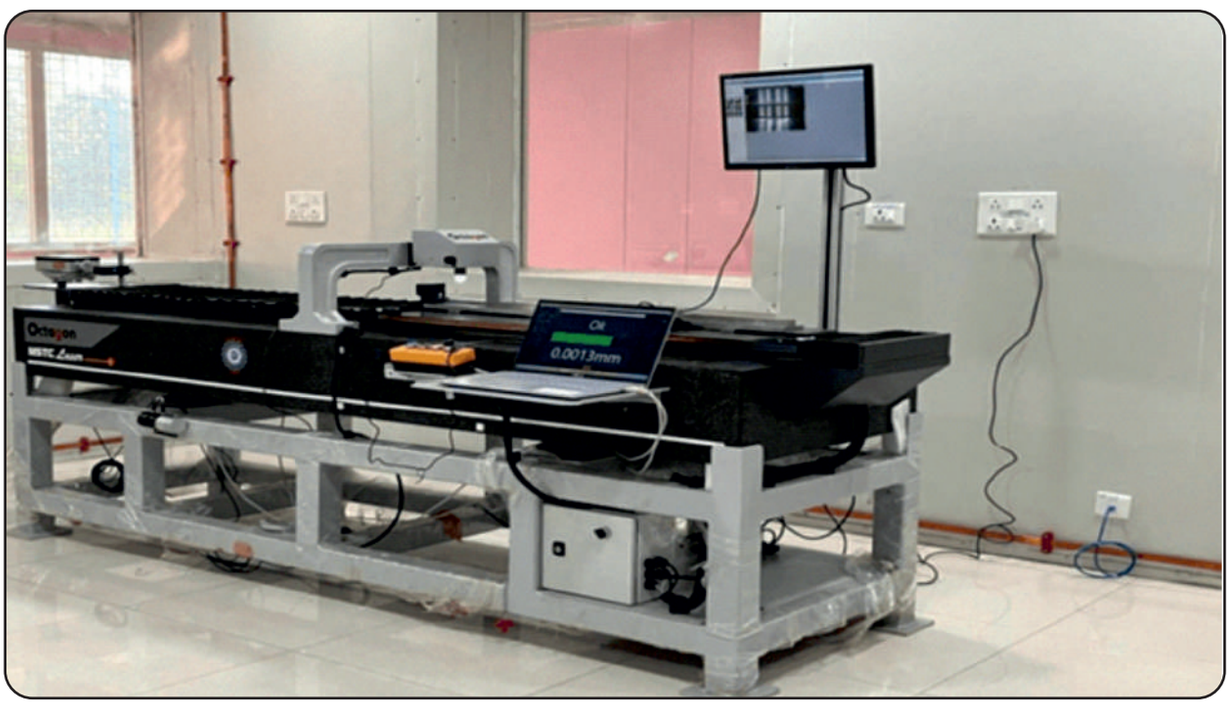

टीम व्रेम्या, रूस द्वारा हाइड्रोजन मेसर की स्थापना

टीम व्रेम्या, रूस के साथ ग्रुप फोटो

आरआरएसएल बैंगलोर में 20 केवीए रूफ टॉप सौर संयंत्र की स्थापना

आरआरएसएल बैंगलोर में एनएडब्ल्यूआई का परीक्षण

आरआरएसएल फ़रीदाबाद

समय प्रसार प्रयोगशाला के निरीक्षण के लिए सचिव (सीए) का दौरा

आरआरएसएल परिसर में स्वच्छता शपथ

राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान ली गई प्रतिज्ञा

आरआरएसएल वाराणसी

आयोजित कार्यक्रमों की तस्वीरों की कुछ झलकियाँ:

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस–छात्र दौरा

एक तारीख–एक घंटा–एक साथ श्रमदान और कपसेठी–भदोही रोड, वाराणसी पर जन जागरूकता गतिविधि बढ़ाना

एकता दिवस

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS

JAGO GRAHAK JAGO

उपभोक्ता नीचे दिए गए **steps** का पालन करके , उत्पादों के खिलाफ अपनी शिकायत **BIS CARE APP** पर दर्ज कर सकते हैं:

APPLICATION DOWNLOAD करेंऔर शिकायत पर टैप करें

अपने पंजीकृत ईमेल/मोबाइल नंबर से SIGN IN करें OR रजिस्टर करने के लिए नया उपयोगकर्ता पंजीकरण पर टैप करें

पंजीकरण करने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें और जमा करें पर क्लिक करें।

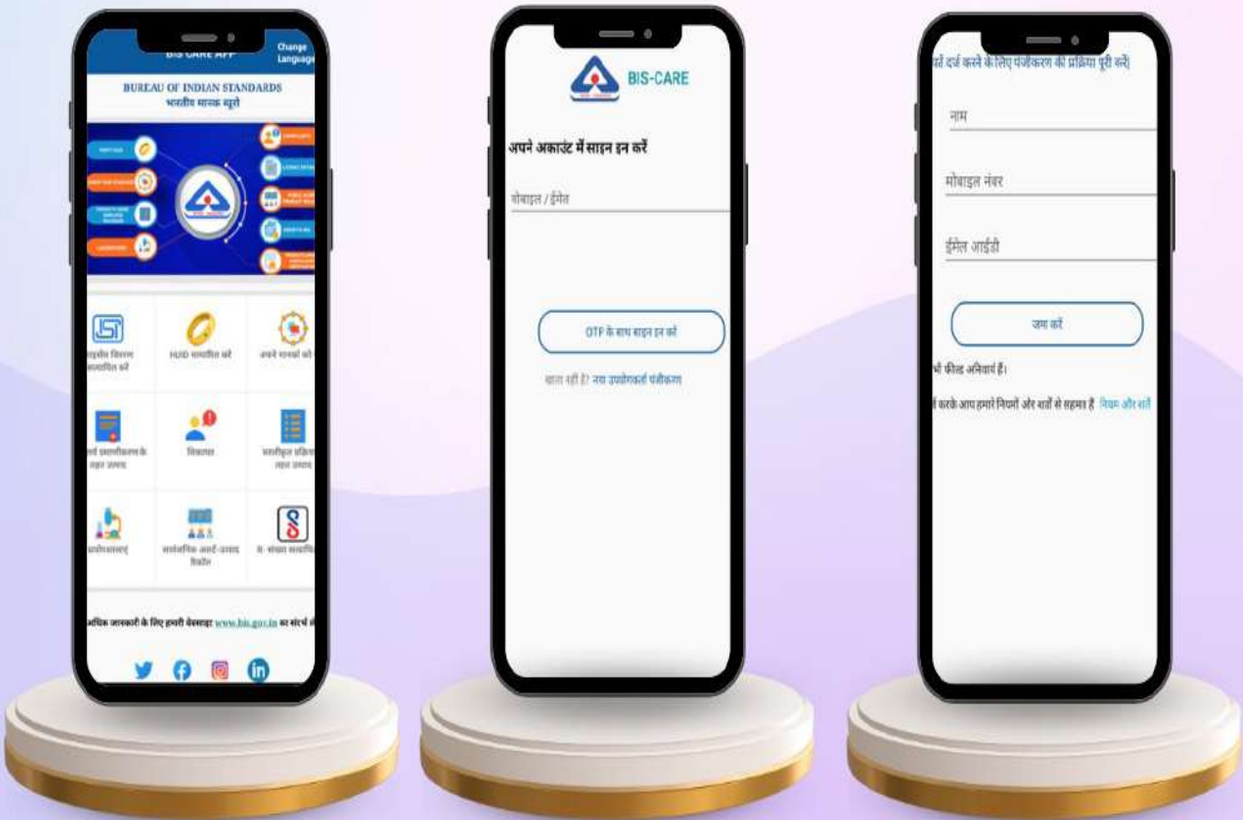

अध्याय–10

मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी)

मूल्य निगरानी प्रभाग केंद्रीय क्षेत्र की दो योजनाओं नामतः मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ (पीएमसी) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के तहत यह विभाग 22 आवश्यक वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों को 550 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों से मोबाइल ऐप अर्थात् मूल्य निगरानी प्रणाली (पीएमएस) के माध्यम से एकत्र करता है। ये दैनिक कीमतें मूल्य वृद्धि को कम करने, बाजार में हस्तक्षेप, आयात–निर्यात शुल्कों को प्रतिबंधित करने और मौद्रिक नीति को कैलिब्रेट करने के लिए निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट का प्रदान करती है। मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत, सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कृषि–बागवानी वस्तुओं जैसे प्याज, आलू और दालों की कीमतों में उतार–चढ़ाव के लिए बाजार हस्तक्षेप करती है। बाजार हस्तक्षेप में मुख्यतः बफर स्टॉक के लिए इन वस्तुओं की खरीद और मूल्य अस्थिरता को रोकने के लिए रणनीतिक बाजार निपटान शामिल है।

10.1 मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ

मूल्य निगरानी प्रभाग की स्थापना 1998 में चयनित खाद्य पदार्थों की कीमतों के साथ–साथ उनकी उपलब्धता को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक और अन्य बाधाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए की गई थी। बाजार की उपलब्धता में सुधार के लिए समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने और इस तरह कीमतों को कम करने के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभ में, पीएमडी को देश के 18 केंद्रों में 14 आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों की निगरानी करने का काम सौंपा गया था। लगभग 21 वर्षों की अवधि में, पीएमडी द्वारा निगरानी की जाने वाली वस्तुओं का दायरा 22 हो गया है और रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या बढ़कर 550 हो गई है। पीएमडी द्वारा निगरानी की जा रही 22 वस्तुओं में पांच वस्तु समूह, जैसे अनाज (चावल और गेहूं), दालें (चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर), खाद्य तेल (मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल, ताड़ का तेल), सब्जियां (आलू, प्याज, टमाटर), और अन्य सामान (आटा, चीनी) गुड़, दूध, चाय और नमक) शामिल हैं। देश भर में 550 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों (वर्षवार) की सूची अनुलग्नक–। में है।

10.1.1 खुदरा और थोक मूल्यः

550 केंद्रों से संकलित जानकारी के आधार पर 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों के खुदरा और

थोक मूल्य प्रतिदिन शाम 5.00 बजे तक जारी किए जाते हैं। मूल्य डेटा को विभाग की वेब साइट http://fcamin.nic.in पर देखा जा सकता है जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। रिपोर्ट में शामिल हैं: –

- एक महीने पहले और एक वर्ष पहले की मौजूदा कीमतों की तुलना में 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों की दैनिक अखिल भारतीय खुदरा और थोक औसत कीमतें।
- एक सप्ताह के दौरान में 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों के अखिल भारतीय औसत खुदरा और थोक मूल्य।

10.1.2 पीएमएस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मूल्य डेटा का संग्रहः

विभाग ने मूल्य रिपोर्टिंग के लिए एक मोबाइल एप तैयार किया है, जो 1 जनवरी, 2021 से चालू हो गया। ऐप में तीन बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के औसत की गणना करने के लिए अन्तर्निहित विशेषताएं हैं और उस स्थान को जियो–टैग भी किया गया है जहां से कीमतें एकत्र और अपलोड की जाती हैं। मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। मोबाइल ऐप के माध्यम से मूल्य डेटा की रिपोर्ट करने वाले केंद्रों की संख्या में वृद्धि के साथ मूल्य डेटा की सत्यता में सुधार होता है।

10.1.3 बाजार आसूचना इनपुट और पूर्वानुमानित मूल्य पूर्वानुमानः

विभाग ने बाजार आसूचना एजेंसी के साथ साप्ताहिक संवाद स्थापित किया है जिसमें कृषि विभाग, नेफेड, एनसीसीएफ भी भाग लेते हैं। साप्ताहिक प्रस्तुति एग्रीवॉच में फसल के आकार, मूल्य परिदृश्य और अनुमानों, प्याज, आलू और टमाटर जैसी दालों और सब्जियों के संबंध में आयात और समग्र उपलब्धता की स्थिति के बाजार अनुमान शामिल हैं। बातचीत के माध्यम से प्राप्त जानकारी को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा करने के लिए अंतर–मंत्रालयी समिति की साप्ताहिक बैठक में उचित रूप से शामिल किया जाता है।

10.1.4 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों का विस्तार और क्षमता निर्माणः

वर्तमान में, पूरे भारत में 550 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र हैं। इस विभाग ने 2022–23 के दौरान देश के प्रत्येक जिले में मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका मूल उद्देश्य मूल्य संग्रह में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, इस विभाग द्वारा 2023–24 में दिनांक 10 अप्रैल 2023 को चंडीगढ़ में और 29 सितंबर 2023 को विशाखापट्टनम में 2 जोनल कांफ्रेंस आयोजित किये गये ताकि राज्य के अधिकारियों को मूल्य पद्धति से अवगत करायसा जा सके और मूल्य रिपोटिंग की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एप का उपयोग किया जा सके।

10.2 मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी0एस0एफ0)

10.2.1 उपभोक़्ताओं के हित की रक्षा के लिए प्याज, आलू और दालों जैसी महत्वपूर्ण कृषि–बागबानी वस्तुओं के मूल्यों में उतार–चढ़ाव से निपटने के लिए 500 करोड़ रु0 की आरंभिक कायिक निधि से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। इन वस्तुओं की खरीद कृषकों/कृषक संस्थाओं से उपज के समय की जाती है और इन वस्तुओं की कमी के मौसम में इनकी कीमतों को कम करने के लिए नियमित रिलीज के लिए इन्हें भंडारित किया जाता है। सरकार द्वारा बाजार में किया गया इस प्रकार का हस्तक्षेप केवल यथोचित बाजार संदेश देने में सहयोग ही नहीं करेगा अपितु सट्टेबाजी/जमाखोरी जैसी गतिविधियों को भी रोकेगा। सबसे पहले, कोष का प्रयोग केवल प्याज और आलू जैसी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली कृषि–बागवानी वस्तुओं, जिनकी कीमतों में अत्यधिक उतार–चढ़ाव आते हैं, के मामले में बाजार हस्तक्षेप के लिए किया जाना था। बाद में दालों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत, इस प्रकार के बाजार हस्तक्षेपों के संचालनों के लिए केन्द्रीय एजेंसियों, राज्य/संघ राज्य सरकारों/एजेंसियों को कार्यशीलपूंजी का ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान किया जाता है। किसानों/थोक मंडियों से घरेलू अधिप्रापण के अतिरिक्त, मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत आयात भी किए जा सकते हैं।

10.2.2. बजट प्रावधान और विचार–विमर्श

पी0एस0एफ0 के तहत, वर्ष 2014–15 से 2023–24 तक, कॉर्पस से 27,489.15 करोड़ रूपये का बजट आबंटन किया जा चुका है। इस निधि का अधिकाधिक उपयोग दालों और प्याज के गतिशील बफर के सृजन के लिए किया गया। पी0एस0एफ0 के तहत निधियों के वित्त वर्ष–वार आबंटन इस प्रकार है:- वर्ष 2023–24(आरई) में रूपये 0.01 करोड़,वर्ष 2022–23 के दौरान 0.01 करोड़ रु. वर्ष 2021–22 के दौरान 2030.83 करोड़ रूपये; वर्ष 2020–21 के दौरान 11135.30 करोड़ रूपये; वर्ष 2019–20 के दौरान 1713 करोड़ रूपये; वर्ष 2018–19 के दौरान 1500 करोड़ रूपये वर्ष 2017–18 के दौरान 3500 करोड़ रु. और वर्ष 2016–17 के दौरान 6900 करोड़ रूपये और वर्ष 2015–16 के दौरान 660 करोड़ रूपये। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोष, दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से उपभोक्ता मामले विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। मूल्य स्थिरीकरण संचालनों का निर्णय, केन्द्र में उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (पी0एस0एफ0एम0सी0), जिसे स्कीम के हस्तांतरण के बाद पुनर्गठित किया गया था, द्वारा किया जाता है। कायिक निधि का प्रबंधन, स्माल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कॉन्सोरटियम (एस0एफ0ए0सी0) द्वारा किया जाता है। मूल्य स्थिरीकरण कोष से अधिशेष निवेश के लिए, वित्त सलाहकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उप–समिति भी गठित की गई है। पुनर्गठित पी0एस0एम0एफ0सी0 की अब तक 59 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मूल्य स्थिरीकरण संचालनों का प्रबंधन राज्य स्तरीय पी0एस0एफ0एम0 सी0 द्वारा किया जाता है और उन्हें

राज्य स्तरीय कायिक निधि से संचालित किया जाता है। मूल्य स्थिरीकरण कोष से केन्द्रीय एजेंसियों और राज्य स्तरीय कार्पस, दोनों के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम दिया जा सकता है। राज्य स्तरीय कार्पस का सृजन भारत सरकार और राज्य के बीच परस्पर भागीदारी के तरीके के अनुसार 50:50 के अनुपात में किया जाता है जो पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 है। सरकार द्वारा दिनांक 9 दिसंबर, 2015 को दालों के 1.5 लाख टन के बफर स्टॉक को सृजित करने की मंजूरी दी गई। तत्पश्चात, अपेक्षित चर्चा के उपरांत, यह सिफारश की गई कि प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के लिए दालों के लगभग 20 लाख टन से अधिक के बफर स्टॉक की आवश्यकता होगी। इसे सरकार द्वारा दिनांक 12.09.2016 को अनुमोदित कर दिया गया। रबी विपणन मौसम 2017–18 तक, सरकार ने घरेलू अधिप्राप्ति और आयातों, दोनों, के माध्यम से कुल 20.50 लाख मीट्रिक टन बफर का सृजन किया है जिसमें से नियमित निपटान किया गया।

10.2.3 बफर स्टॉक का निपटान

सरकार के निर्णय के अनुसार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को बफर स्टॉक से दालों की पेशकश की जा रही है। दालों का आबंटन/रिलीज केंद्रीय एजेंसियों, सरकारी निकायों एवं उसकी शाखाओं/एजेंसियों को भी किया जा रहा है और उन्हें खुले बाजार में भी बेचा जा रहा है। दिनांक 10 नवंबर, 2017 को सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पोषाहार घटक अथवा खाद्य/कैटरिंग/आतिथ्य सेवाओं संबंधी स्कीमों का संचालन करने वाले सभी मंत्रालय/विभाग, पी.एस.एफ. स्कीम के तहत सृजित केंद्रीय बफर से दालों का उपयोग करेंगे। उसके तहत मीड–डे मील (एमडीएम) स्कीम और समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के लिए बफर से दालों की आपूर्ति की गई।

10.2.4 भारत दाल ब्रांड के तहत खुदरा निपटान के लिए चना और मूंग स्टॉक का परिवर्तन

(i) चना दाल

सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने के लिए 17.07.2023 को भारत दाल के ब्रांड नाम के तहत खुदरा बाजार में चना दाल की बिक्री 1 किलोग्राम पैक के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम पैक के लिए 55 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दरों पर शुरू की है। भारत दाल (चना दाल) उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए और नेफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार, सफल और तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य नियंत्रित सहकारी समितियों के माध्यम से सेना, सीएपीएफ और कल्याणकारी स्कीमों को आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था के तहत, चना दाल राज्य सरकार को उनकी कल्याणकारी स्कीमों, पुलिस, जेलों के तहत आपूर्ति के लिए और राज्य सरकार नियंत्रित सहकारी समितियों और निगमों के खुदरा दुकानों के

माध्यम से वितरण के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है। दिसंबर, 2023 तक खुदरा बिक्री की मात्रा के आधार पर यह आकलन किया गया है कि देश में चना दाल की औसत मासिक घरेलू खपत में भारत दाल की हिस्सेदारी लगभग एक–चौथाई है।

(ii) मूंग दाल

भारत दाल ब्रांड के तहत खुदरा निपटान के लिए मूंग स्टॉक को मूंग दाल (धुली) और मूंग दाल (साबूत) में बदलने को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। खुदरा बाजार में मूंग दाल की मौजूदा कीमतों को ध्यान में रखते हुए, भारत मूंग दाल (धुली) के लिए एमआरपी 107 रुपये प्रति किलोग्राम और मूंग स्टॉक के निर्गम मूल्य पर 1500 रुपये/क्विंटल (अर्थात् स्टॉक का एमएसपी) की छूट देकर भारत मूंग दाल (साबुत), 93 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है। भारत मूंग दाल नेफेड, एनसीसीएफ, सफल आदि के खुदरा दुकानों और ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध कराई गई।

10.2.5 पीएसएफ दाल बफर में प्रमुख उपलब्धियां

चरण 1 (2016–18) के दौरान एफसीआई, नेफेड और एसएफएसी द्वारा 16.71 लाख टन की घरेलू खरीद और एमएमटीसी और एसटीसी द्वारा 3.79 लाख टन के आयात के माध्यम से 20.50 लाख टन दालों का बफर स्टॉक बनाया गया था। बफर के लिए घरेलू खरीद 2015–16 और 2016–17 के खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) के साथ–साथ 2016–17 और 2017–18 के रबी विपणन सीजन (आरएमएस) के दौरान किसानों और किसान संघों से की गई थी। आयात केवल 2015–16 और 2016–17 के दौरान किया गया था। इस स्टॉक का निपटान कर दिया गया है।

तत्पश्चात 2018–19 और उसके बाद, सरकार ने निर्णय लिया है कि एमएसपी पर खरीद डीएसीएफडब्ल्यू के पीएसएस के तहत होगी और यदि पीएसएफ के तहत खरीद की आवश्यकता नहीं है तो उपयुक्त बफर बनाने की आवश्यकता पीएसएस स्टॉक से पूरी की जाएगी। रबी के बाद से खरीद –17 पीएसएस के एमएसपी संचालन के तहत था, कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) की मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत खरीदी गई दालों को बफर आवश्यकताओं को पूरा करने की सीमा तक पीएसएफ में डाल दिया गया है। इसने स्थिरीकरण प्रयासों के लिए पीएसएस स्टॉक का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया है क्योंकि पीएसएफ से अंशांकित रिलीज किए जाते हैं। इस प्रकार, पीएसएस और पीएसएफ के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया है और किसानों को लाभकारी कीमतों का आश्वासन दिया गया है और उपभोक्ता हित में उनकी कीमतों को प्रबंधित करने के लिए आपूर्ति पक्ष में हस्तक्षेप किया गया है।

चरण 2 के दौरान, पीएमजीकेएवाई/एएनबी स्कीमों के तहत पीएसएफ बफर स्टॉक/

आवंटन के पुनर्गठन के लिए पीएसएस स्टॉक से लगभग 62.24 एलएमटी दालों को स्थानांतरित/पुनर्भरण कर दिया गया है। इसके अलावा, पीएसएफ के तहत, 4.43 एलएमटी दालों की खरीद की गई है और आयातित दालों से लगभग 3.94 एलएमटी की खरीद की गई है। चरण 2 में, लगभग 62.18 एलएमटी दालों का निपटान किया गया है और पीएसएफ बफर में 8.43 एलएमटी दालें उपलब्ध हैं। वर्ष के दौरान, 31.12.2023 तक पीएसएस, डीए एंड एफडब्ल्यू से पीएसएफ, उपभोक्ता मामले विभाग को हस्तांतरित 8.80 एलएमटी दालें, पीएसएफ के तहत खरीदी गई 1.02 एलएमटी दालें, आयातित दालों से खरीदी गई 1.89 एलएमटी दालें और 13.24 एलएमटी दालों का निपटान किया जा चुका है।

10.2.6 राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण निधि

मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना में एक घटक है जिसके तहत राज्य स्तरीय पीएसएफ की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य (पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में 75:25 अनुपात) के बीच 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर पीएसएफ कॉर्पस से ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी अग्रिम प्रदान की जाती है। अब तक, 7 राज्यों ने विभिन्न आवश्यक खाद्य वस्तुओं में बाजार हस्तक्षेप के लिए राज्य–स्तरीय पीएसएफ स्थापित करने के लिए निधि का लाभ उठाया है। आंध्र प्रदेश (₹50 करोड़), तेलंगाना (₹9.15 करोड़), पश्चिम बंगाल (₹2.50 करोड़), ओडिशा (₹25 करोड़), तमिलनाडु (₹2.50 करोड़), असम (₹75 करोड़) और नागालैंड (₹37.50 करोड़) राज्य स्तरीय पीएसएफ की स्थापना के लिए को धनराशि प्रदान की गई है।

10.2.7 पीएसएफ प्याज संचालनः–

प्याज की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए सरकार पीएसएफ के तहत प्याज बफर बनाए रखती है। बफर आकार को साल दर साल 2020–21 में 1.00 एलएमटी से बढ़ाकर 2022–23 में 2.50 एलएमटी और 2023–24 में 7 एलएमटी तक बढ़ाया गया है। कीमतों को कम करने के लिए बफर से प्याज सितंबर से दिसंबर तक कम खपत वाले मौसम के दौरान प्रमुख खपत केंद्रों में एक कैलिब्रेटेड और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है। 2017–18 से पीएसएफ के तहत प्राप्त प्याज बफर का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2017–18 से पीएसएफ अंतर्गत उपार्जित प्याज की वर्षवार मात्रा	
वर्ष	**खरीद (मीट्रिक टन)**
2017–18	5,136.74
2018–19	13,507.77
2019–20	57,372.94
2019–20	914.98
2019–20	13,013.25
2019–20	5,513.24
2020–21	98,740.60
2020–21	104.24
2020–21	2,950.35
2020–21	15.91
2021–22	2,08,033.33
2022–23	2,51,056.78
2023–24	5,51,100,16*
कुल	12,07,460.29

*10.01.2024 तक की खरीद मात्रा

10.2.8 प्याज की खुदरा बिक्री

वर्ष 2023 के मंदी के मौसम के दौरान खुदरा कीमतों में तेजी से वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने निर्णय लिया कि एनसीसीएफ और एनएएफईडी द्वारा प्याज के खुदरा निपटान को मात्रा और कवरेज दोनों को काफी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि प्याज को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा सके। तदनुसार, प्याज की खुदरा बिक्री 01.11.2023 को शुरू हुई। दिसंबर, 2023 (28.12.2023) तक, कुल 23 राज्यों, 213 शहरों, 1971 खुदरा बिंदुओं और 2,88,76,809 किलोग्राम की बिक्री मात्रा को प्याज की खुदरा बिक्री के तहत कवर किया गया था। प्याज की खुदरा बिक्री में शामिल मुख्य एजेंसियां नेफेड, एनसीसीएफ, केन्द्रीय भंडार और सफल आदि थीं।

10.2.9 पीएसएफ टमाटर ऑपरेशनः–

टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत टमाटर की खरीद और साथ–साथ निपटान का कार्य करती है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ)

लगातार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीद रहे हैं और प्रमुख शहरों में उनका निपटान कर रहे हैं जहां खुदरा कीमतों में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा कुल 1603.42 मीट्रिक टन टमाटर की खरीद की गई थी। खरीदे गए टमाटर खुदरा उपभोक्ताओं को रियायती मूल्य पर बेचे गएय शुरुआत 90 रुपये प्रति किलोग्राम से हुई और धीरे–धीरे कम होकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अधिकतम उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए, टमाटरों को मोबाइल वैन, स्टेशनरी आउटलेट और प्रमुख शहरों और कस्बों में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किया गया। हस्तक्षेप के माध्यम से, 10.09.2023 तक टमाटर की खुदरा कीमतों को 140 रुपये प्रति किलोग्राम (अखिल भारतीय औसत) के शिखर से घटाकर लगभग 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया। इस हस्तक्षेप से लगभग 7.5 लाख परिवारों को लाभ हुआ।

एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा टमाटर निपटान का विवरण

एजेंसी	बिक्री केंद्र (13 जुलाई से 22 अगस्त, 2023)	कुल निपटान मात्रा (मीट्रिक टन में)
एनसीसीएफ	दिल्ली–एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, जयपुर	1282.58
नेफेड	पटना, मुज़फ़्फ़रपुर, आरा, बक्सर, प्रयागराज	320.84

10.2.10 टमाटर ग्रैंड चैलेंज

उपभोक्ता मामले विभाग ने किसानों के लिए फसल और बाजार अंतर्दृष्टि से लेकर बेहतर पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण तक टमाटर मूल्य श्रृंखला में व्यापक और केंद्रित क्षेत्र हस्तक्षेप के लिए विचारों को आमंत्रित करने के लिए 30 जून, 2023 को टमाटर ग्रैंड चैलेंज आरंभ किया है। टोमेटो ग्रैंड चैलेंज छात्रों, अनुसंधान विद्वानों, संकाय सदस्यों, उद्योग के व्यक्तियों, भारतीय स्टार्ट–अप, पेशेवरों आदि के लिए खुला है। ग्रैंड चैलेंज का समग्र उद्देश्य उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर टमाटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कुल 1400 विचार प्राप्त हुए हैं।

अनुलग्नक– I

550 रिपोर्टिंग केंद्रों का वर्ष–वार ब्यौरा

वर्ष	मौजूदा केंद्रों की कुल संख्या	जोड़े गए/हटाए गए रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या	जोड़े गये रिपोर्टिंग केंद्रों के नाम	जोड़ने/हटाने के बाद केंद्रों की कुल संख्या
1998	–	18	अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना , शिलांग,शिमला और तिरूवनंतपुरम	18
1999	18	शून्य	शून्य	18
2000	18	शून्य	शून्य	18
2001	18	शून्य	शून्य	18
2002	18	शून्य	शून्य	18
2003	18	शून्य	शून्य	18
2004	18	शून्य	शून्य	18
2005	18	शून्य	शून्य	18
2006	18	9	अमृतसर, चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू, कोहिमा, लुधियाना, रायपुर, रांची और श्रीनगर	27
2007	27	शून्य	शून्य	27
2008	27	शून्य	शून्य	27
2009	27	शून्य	शून्य	27
2010	27	23	कानपुर, डिंडीगुल, राजकोट, विजयवाड़ा, आगरा, भटिंडा, भागलपुर, कटक, धारवाड़, दीमापुर, हिसार, इंदौर, इटानगर, जोधपुर, करनाल, कोटा, मंडी, नागपुर, संबलपुर, सिलीगुड़ी, थिरुचिरापल्ली, वाराणसी और एर्नाकुलम	50

2011	50	1 (हटाया गया)	कोहिमा	49
2012	49	6	पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी, पणजी, ग्वालियर, जबलपुर और कोझिकोड	55
2013	55	2	राउरकेला और विशाखापत्तनम	57
2014	57	7	गुड़गांव, पंचकुला, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, रीवा, सागर और पूर्णिया	64
2015	64	21	त्रिशूर, वायनाड, पलक्कड़, हल्द्वानी, धर्मशाला, मैसूर, मैंगलोर, सूरत, भुज, करीमनगर, वारंगल, अदिलाबाद, सूर्यापेट, जादचेरला, रुद्रपुर, हरिद्वार, झांसी, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर और सोलन	85
2016	85	15	पुणे, नासिक, कुरनूल, तिरुपति, दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर, उदयपुर, पुरुलिया, खड़गपुर, रामपुरहाट, मालदा, रायगंज और गंगटोक	100
2017	100	1	इंफाल	101
2018	101	8	दरभंगा, तुरा, गया, मुजफ्फरपुर, जोवाई, बालासोर, जयपुर और बेरहामपुर	109
2019	109	9	कुड्डालोर, धर्मपुरी, वेल्लोर, रामनाथपुरम और मायाबंदर	114
2020	114	8	पुंछ, होशंगाबाद, उज्जैन, झाबुआ, शहडोल, उना, बारीपदा और बलांगीर	122
2021	122	57	गुमला, साहिबगंज, बोकारो, लोहरदगा, सिमडेगा, बैंगलोर (ईस्ट रेंज), बेलगावी, कालाबुरागी, तुमकुरु, बेल्लारी, धावानगेरे, शिवमोग्गा, विजयपुर, बिलासपुर–हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर, बरेली, अयोध्या, मुरादाबाद, अलीगढ़, मिर्जापुर, मोरेना , भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, सारण, मुंगेर, सहरसा, मधुबनी, रोहतास, मोतिहारी, समस्तीपुर,	

			कटिहार, अररिया, नवादा, खगड़िया, मानगांव, सेलम्बा, बोडेली, वाघई, वापी, धनबाद, जमशेदपुर, कुपवाड़ा, दंतेवाड़ा, चंबा, हमीरपुर, आजमगढ़, बांदा, गोंडा, कासरगोड, कोट्टायम, पाठामथिट्टा, गिरिडिह, धरणी, सोहरा, मैरांग, माहे	179
2022	179	10 (हटाया गया)	माही, कोहिमा, त्युएनसांग, जम्मलामाडुगु, लातूर, तिनसुकिया, बारपेटा, अलापुझा, कोल्लम, दमन, सिलवासा, लुंगलेई, कोलासिब, ममित, कार निकोबार, अकलुज, सिरमौर, कुल्लू, नामसाई, पाशीघाट, तवांग, बांका, अरवल, दाउनगर औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, आरा, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मेधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढी, सीवान, सुपौल, वैशाली, पश्चिम चंपारण, दीव, किन्नौर, नोंगपोह, अर्नी यवतमाल, चंद्रपुर, कराड सतारा, अहमदनगर, खुल्ताबाद, चंपाही, सेरचिप, सियाहा, मोकोचुंग, चुमुकेडिमा, मोन, पेरेन, फेक, त्सेमिन्यु, वोखा, जुन्हेबोटो, बरनाल, अमेठी, बाराबंकी, भदोही, चंदौली, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, धुबरी, गोलपारा, गोलाघाटा, मंगलदई, मुशालपुर, उदलगुरी, मडगांव, लाहौल और स्पीति, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, खलीहरियात , होशियारपुर, अंबेडकरनगर, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बदायूं, एटा, फतेहपुर, गाजियाबाद, हरदोई, जालौन, कौशांबी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, टांडा रामपुर, फरीदकोट, मनसा,	178

2022			श्री मुक्तसर साहिब, धर्मानगर, बहराइच, बस्ती, इटावा, मुजफ्फरनगर, धमतरी, राज नंदगांव, बिलिमोरा, इदर, झालोद, सोंगाश, डाल्टनगंज, देवघर, रामगढ, पाकुड़, विलियमनगर, किफिरे, लोंगलेंग, निउलैंड, शमाटोर, धर्मावरम, प्रकाशम, इडुक्की, कन्नूर, मालापुरम, चित्रकूट, हमीरपुर, लौंगतलई, बेलोनिया, टीआर–उदयपुर, देवरिया, हापुड़, अनूपपुर, भिंड, धर, हरदा, कटनी, खंडवा, मंडला, राजगढ़, सीधी, बूंदी, राजसमंद, बजाली, होजई, जोरहाट, नोंगस्टोइन, ग्यालशिंग, नामची, सोरेंग, खम्मम, मेडचल, निजामाबाद, संगारेड्डी, कोरिया, बीदर, रामानगरा, कोप्पल, यादगीर, चिक्कमंगलूर, मांड्या, कोलार, हावेरी, चामराजनगर, रायचूर, बागलकोट, महोबा, ललितपुर, रायबरेली, हाथरस, कानपुर देहात, बुलंदशहर, हनुमानगढ़, बारां, धोलपुर, जैसलमेर, चूरू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, करौली, सीकर, भीलवाड़ा, सिरोही, झालावाड़, नागौर, अलवर, पाली, जालौर, टोंक, झुंझुंनु, श्री गंगानगर, शाजापुर, उमरिया, देवास, आगर मालवा, श्योपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, करगोन, सिंगरौली, बुरहानपुर, नीमच, छतरपुर, परतुर–जालना, कंकावली, इस्लामपुर, गौतम बुद्धगनर, छिंदवाड़ा, गोंदिया, जलगांव, बोंगाईगांव, मोरीगांव, सोनरी, तामुलपुर, चंदेल, जिरीबम, कांगपोकपी, सेनापति, तामेंगलोंग, थौबल, उखरूल	

2023	410	140	सीहोर, उडुपी, चिक्कबल्लापुर, चित्रदुर्ग, कोडागु, गडग, उत्तर कन्नड़, बेंगलुरु ग्रामीण, हसन, विजयनगर, सवाईमाधोपुर, अकोला, सोनितपुर, तेजपुर, बिश्वनाथ चारियाली, डिब्रूगढ़, माजुली, करीमगंज, शिवसागर, सैतुअल, ख्वाजावल, हनाथियाल, महराजगंज, औरैया , मंगन, सोनपुर, पुरी, नयागढ़, जगतसिंहपुर, ढेंकनाल, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, मलकानगिरी, कंधमाल, क्योंझर, गजपति, रायगड़ा, बौडगढ़, अंगुल, डेराबस्सी, संगरूर, झारसुगुड़ा, भद्रक, अशोक नगर, कन्नौज, बलरामपुर, मथुरा, लातेहार , जामताड़ा, नोकलाक जिला, उत्तरी लखीमपुर, हाफलोंग, फिरोजाबाद, कासगंजमैनपुरी, शामली, बलिया, अलीपुरद्वार, आसनसोल, बालुरघाट, बांकुरा, बारासात, बर्धमान, बारुईपुर, बरहामपुर, चिनसुराह, कूच बिहार, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, झाड़ग्राम, कलिम्पोंग, कृष्णानगर, तमलुक, मऊ, बालाघाट, गुना, रतलाम, सतना, विदिशा ,गोंड़ा, कोडरमा, केंद्रपाड़ा, दीफू, दक्षिण सलमारा मनकाचर, नलबाड़ी, मावकिरवाट, इरोड, करूर, नीलगिरी, पेरम्बलुर, पुदुक्कोट्टई, शिवगंगई, तंजावुर, थूथुकुडी, विलुप्पुरम, विरुधुनगर, बैतूल, सिवनी, दमोह, डिंडोरी, अलीराजपुर, निवारी, कन्याकुमारी, नमक्कल, तिरुवन्नामलाई, जाजपुर, कालाहांडी, कामरूप, रोपड़, बारामुला, डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, राजौरी, रामबन,	550

			रियासी, सांबा, शोपियां, उधमपुर, पन्ना, अरियालुर, कृष्णागिरी, मदुरै, नागपट्टिनम, तेनकासी, तिरुप्पुर, तिरुवरूर, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, अमरगढ़, कपूरथला, टीकमगढ़, थेनी, कल्लाकुरिची, कांचीपुरम, सेलम, चेंगलपट्टू, मयिलादुथुराई, रानीपेट, तिरुपत्तूर, तिरुवल्लूर	
कुल– 550				

अनुलग्नक– ।।

22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें

22 आवश्यक खाद्य पदार्थों के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य जनवरी–दिसम्बर, 2023 (रुपये प्रति किग्रा)

चावल

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	35.48	36.32	38.26	39	39	38.73	38.84	39	39	39	39	39
मुंबई	34.9	35	35	36.3	37	37.47	41.97	42.39	40.8	40	40	40
कोलकाता	40.82	42.4	41.2	42.84	41.67	42.92	47.41	48	47.94	48.13	48	48.15
चेन्नई	57.67	57	57.71	58.67	56.58	58.3	59.45	61	62.38	63	63.67	65
अखिल भारतीय औसत	38.09	38.63	38.82	39.04	39.22	39.74	40.73	41.5	42.17	42.59	43.03	43.38

गेंहू

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	29.1	30.57	29.39	28.6	28	28	28	28	28	28.1	30	30
मुंबई	45.87	46	46	45.53	45	45.97	46	46	46.17	47.97	48.03	48
कोलकाता	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
चेन्नई	41.53	40.93	41.52	40.83	40.29	39.37	40.1	41.16	41.62	44.33	45.57	45.17
अखिल भारतीय औसत	32.79	33.21	32.21	31.32	31.27	31.67	31.96	32.31	32.66	32.93	33.64	33.72

(आटा) गेंहू

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	33–9	33–46	30–45	29–53	29–19	30–7	30–81	31	31	31–13	33	32–19
मुंबई	52–65	52	52	53–73	54	55–3	56	55–84	52–13	51–03	52	52
कोलकाता	36–27	37	33–24	33–95	32–88	34	34–09	34	34	34–13	34–89	35–7
चेन्नई	40–23	35–32	36–29	37–53	38–23	39–5	40–26	40–61	41–59	43–6	44–07	42–24
अखिल भारतीय औसत	37–51	37–8	37–07	36–55	36–42	36–95	37–18	37–71	38–08	38–31	38–98	38–98

चना दाल

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	72	71.75	72	72	72	72.33	72.29	76.42	86.1	88	88	84.87
मुंबई	91.61	89.54	91.39	96.53	97.13	98.03	100.8	102.55	108.4	120.29	124.9	122.68
कोलकाता	71.77	71.6	70.36	73.89	72	69.79	72.68	74.38	84.35	88.44	88.67	86.25
चेन्नई	72.9	69.18	69.32	71.8	70.65	71.8	70.52	75.9	86.38	88	90.67	86.07
अखिल भारतीय औसत	72.49	72.36	72.6	73.33	73.97	74.47	74.8	76.39	80.48	82.42	83.45	83.43

तूर/अरहर दाल

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	117.97	118.07	120.58	127.27	131.74	143.6	148	155.48	166.9	175.32	172.8	163.32
मुंबई	128	128.46	133.26	139	139.97	145.73	154.5	170.23	174.67	176.9	176.5	177.84
कोलकाता	114	116.24	118.48	120.79	124.29	133.67	140.5	143.43	160.41	178.63	182	176.45
चेन्नई	119.5	114.68	119.16	128.4	136.65	152.67	158.8	164.29	180.62	184.2	190.3	185
अखिल भारतीय औसत	111.46	111.65	113.47	116.44	119.24	126.89	134.1	138.09	146.29	151.63	155.2	154.68

उड़द दाल

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	121.84	120	120.87	123	123	123	125.8	128.35	132.37	134.68	141.33	141.45
मुंबई	129.1	129.57	130.52	135.7	136.19	139.77	146.3	154.03	168.3	176.19	173.23	172.61
कोलकाता	103.5	100.88	99.04	100.53	104.96	109.88	109.3	110.71	116.71	125.81	136.28	138.2
चेन्नई	119.53	104	113.65	120.83	120.61	128.4	128.3	131.39	137.66	140.53	154.07	145.83
अखिल भारतीय औसत	107.13	106.72	107.17	108.21	109.33	111.46	113.6	115.03	117.22	118.95	122.37	123.04

मूंग दाल

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	103	103.71	105.61	110.73	112.65	113	115.8	116.23	119.27	122.52	123	118
मुंबई	126.87	128.46	131.58	136.97	138.48	139.7	148	155.65	157.33	164.74	165.47	162.39
कोलकाता	107.41	111.4	109.84	113.53	111.92	111.46	113.5	116.48	118.82	122.13	120	121
चेन्नई	109.6	102.36	111.55	111.8	116.29	117.77	117.8	121.03	127.55	129.2	130.5	120.79
अखिल भारतीय औसत	103.44	104.22	105.06	107.1	108.36	109.36	110.5	111.29	113.63	115.56	116.54	116.48

मसूर दाल

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	91.42	90.07	88.45	88.73	90.32	88.57	87.39	87.03	90.87	90	90	86.52
मुंबई	105.84	103.14	103.13	102.67	102.1	103.8	108.2	109.55	108.7	113.97	115.37	110.58
कोलकाता	100.27	100.84	98.48	98.11	96.29	99.79	101.8	102	102.06	105.19	102.83	102.32
चेन्नई	91.17	84.36	85.87	96.7	98.94	90.27	80.42	84.9	93.24	98.1	102	97.86
अखिल भारतीय औसत	94.19	93.13	92.78	92.96	92.59	92.01	92	92.02	93.41	94.14	94.25	94.11

मूंगफली का तेल (पैकबंद)

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	208.13	208.89	215.68	220	220	218.6	216.8	216.71	217.47	214.97	214	213.23
मुंबई	195.23	200.29	202.13	198.7	189.68	191.83	200.2	211.9	203.53	189.77	181.97	195.45
कोलकाता												
चेन्नई	184.97	188.29	198.13	192.23	193.26	190.2	190.1	195.32	190.72	187.93	184.47	177.86
अखिल भारतीय औसत	189.54	188.82	189.18	190.52	190.77	190.7	191.1	191.9	192.19	192.42	193.02	192.27

सरसों का तेल (पैकबंद)

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	178.77	167.75	148.39	139.97	134.32	131.5	132.7	140.71	144.17	143.32	144.47	145.65
मुंबई	180.68	172.18	164.35	164.13	155.71	153.07	161.6	169.58	163.03	160.23	166.1	164.87
कोलकाता	161.04	153.44	145.12	141.84	133.38	127.5	130.6	132	131.71	129.56	131.5	131.4
चेन्नई	181.53	181.79	176.45	179.37	169.97	165.57	158.3	156.48	159.86	154.8	152.8	152.38
अखिल भारतीय औसत	173.92	171.15	167.27	163.21	159.47	154.23	151	150.92	149.87	148.38	148.73	148.05

वनस्पति (पैकबंद)

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	137.45	134.14	133.29	134	133.55	130.1	130	130.03	128.93	126.03	126	125.23
मुंबई	168.68	167.07	166.81	166.73	161.61	155.77	153.3	154.32	151.33	148.84	148.4	147.68
कोलकाता	135.57	129	129.28	131.21	126.42	124	124.1	123.67	122.12	121.31	120.5	120
चेन्नई	122.07	118.25	113.03	117.17	116.55	106.23	109	112.58	110.72	107.7	107.9	107.28
अखिल भारतीय औसत	138.63	136.72	135	132.87	132.26	131.01	129.7	129.26	128.35	126.98	126.76	126.08

सोया ऑयल (पैकबंद)

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	160	154.21	149.06	142.67	132.84	126.8	128	129.42	128.07	124.26	125.07	127.65
मुंबई	161.81	148.46	142.68	139.9	129.35	126.4	136.7	134.13	124.03	124.03	129.93	128.71
कोलकाता	146.13	142.12	134.36	128.68	121.88	112.88	117	117.9	114.71	110.94	116.89	120.35
चेन्नई												
अखिल भारतीय औसत	153.54	151.02	148.21	144.91	141.1	136.84	134.4	133.35	131.11	128.57	128.24	127.97

सूरजमुखी का तेल (पैकबंद)

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	198	189.5	178.39	167.73	160.39	147.53	144.4	143.71	142.77	139.61	139	137.13
मुंबई	162.71	149.39	144.45	141.4	138.16	132	140.3	142.29	132.83	133.84	139.5	138.71
कोलकाता	168.26	155.6	145.24	141.95	135.13	127.21	127.5	128.81	125.82	122.13	121.33	122.7
चेन्नई	152.53	143.75	131.52	129.73	120.19	111.7	112.9	115.97	113.24	110.23	111	111.62
अखिल भारतीय औसत	172.82	168.69	164.65	160.91	156.56	151.4	147.8	146.53	144.41	141.86	140.44	139.96

पॉम ऑयल (पैकबंद)

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	112	113.57	113.65	113.17	110.19	106	106.3	105.42	100.93	99	99	98.87
मुंबई	108.26	106.11	105.55	101.4	94.45	87.77	100.3	103.13	97.7	97.84	100.87	103.23
कोलकाता	108.87	106.74	106.24	106.58	103.92	100.63	101.8	102.38	96.59	91.63	94.33	92.25
चेन्नई	97.47	96.75	98.1	98.27	94.65	88.4	89.48	89.1	85.62	86.4	86.77	86.41
अखिल भारतीय औसत	118.3	115.51	115.42	114.81	113.26	11053	109	108.3	107.36	105.66	104.99	104.32

आलू

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	19.32	17.18	16.9	17.07	21.65	22.3	25.16	27	26	27	28	18.77
मुंबई	29.71	29.46	27.03	28.13	24.03	21.47	25.1	26.35	23.27	22.61	31.37	30.87
कोलकाता	13.74	12.2	15.96	20.42	23.04	23	23	23	22.82	21.31	21.06	21.4
चेन्नई	32.27	25.46	21.9	24.2	25	24.57	28.39	31.71	30.72	35.97	41.03	37
अखिल भारतीय औसत	23.21	20.86	19.13	19.13	20.46	21.63	23.65	24.29	24.32	24.42	24.95	24.01

प्याज

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	30.9	27.89	24.84	26.27	25.77	25.9	32.35	33.29	37.87	45.26	64.07	47.35
मुंबई	32.32	25.75	27.13	26.97	22.97	20.67	25.42	28.39	34.1	38.9	66.37	52.68
कोलकाता	31.26	28.2	28.88	30.26	30.25	27.88	28.82	33.81	38.47	46.06	69.94	57.75
चेन्नई	27.53	22.39	24.42	22.47	19.48	21.8	25.19	31.97	36.1	43.9	66.6	51.31
अखिल भारतीय औसत	26.97	25.41	23.27	22.3	21.97	22.9	26.51	29.86	33.38	37.26	58.99	50.95

टमाटर

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	23.32	23.93	25.58	25.73	22.94	32.9	136.3	111.29	31.43	29.84	47.3	36.58
मुंबई	23	26.04	27.68	27.63	24.48	28.6	133.3	139.23	32.93	22.77	38.37	39.58
कोलकाता	22.22	20.04	27.36	31	32.96	56.46	148.4	121.05	40.88	38.75	59.5	49.35
चेन्नई	25.5	30.54	28.35	19.63	17.48	41.33	123	76.77	22.38	22.33	37.73	31.59
अखिल भारतीय औसत	24.72	23.45	23.32	23.16	23.61	32.58	109.5	102.02	38.81	29.3	39.48	38.38

चीनी

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	41	41	41	41	41	41	41	41	42.27	43.52	45	45
मुंबई	43.26	44	44	44.87	45.9	46.5	47.13	48.03	48.67	46.29	47.73	48
कोलकाता	43	43.12	44.16	44.84	44.29	44.29	45.05	45.1	45.12	46.13	47.67	48.1
चेन्नई	38.67	40.39	39.52	40.67	40.19	41.1	40.97	41.06	43.21	43.6	43.57	43.07
अखिल भारतीय औसत	41.83	41.72	41.61	41.92	42.38	42.72	42.99	43.18	43.57	43.96	44.62	44.68

गुड़

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	47.23	47	48.71	48.27	51.39	53.27	57.16	59.81	59.73	57.48	57	56.94
मुंबई	72.16	71.18	70.48	73.63	75.55	76	76	76.06	78.7	80	83.07	80.97
कोलकाता	52	52.4	55.88	57.21	57	58.13	58.41	59.57	60.06	62.69	63	62.6
चेन्नई	61.7	61.61	56.19	56.8	55.65	61.7	58.9	62.35	66.52	69.4	67ण्5	62.07
अखिल भारतीय औसत	48.44	48.2	48.34	48.7	49.28	50.36	51.28	51.9	52.75	53.11	53.14	52.59

दूध

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	52.77	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53.94
मुंबई	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
कोलकाता	50	50.8	51.16	50.74	50.83	51	51	51.14	50.88	51.19	51	51.4
चेन्नई	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
अखिल भारतीय औसत	55.77	55.98	56.33	56.7	57.04	57.48	57.78	57.97	58.21	58.36	58.38	58.34

खुली चाय

केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	228.68	237.14	242.42	243	243	242.33	242	242.97	247	243.45	243	243
मुंबई	310	310	310	310	310	310	310	310	320	320	320	320
कोलकाता	267	267.67	265	258.58	258.13	260.63	260.2	260.95	259.41	261.25	260	263
चेन्नई	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	300.13	280.62
अखिल भारतीय औसत	276.5	274.54	275.11	275.66	274.56	275.8	276.4	277.64	277.62	278.09	279.5	279

नमक पैक (आयोडाइज्ड)												
केन्द्र	जनवरी –23	फरवरी –23	मार्च –23	अप्रैल –23	मई –23	जून –23	जुलाई –23	अगस्त –23	सितंबर –23	अक्तूबर –23	नवंबर –23	दिसंबर –23
दिल्ली	26	26	26	26	26	25.97	25.81	26	26	26	26	26
मुंबई	26	26	26	26	26	26	26.77	27	27	27	27	27
कोलकाता	20	20.29	20.6	19.58	19.83	20	20	20.24	19.82	20.31	20	20.26
चेन्नई	25.73	26	26	26	26.23	27	27	27	27	27	27	27
अखिल भारतीय औसत	21.47	21.66	21.72	21.9	21.95	21.92	22.04	22.26	22.27	22.34	22.38	22.46

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
JAGO GRAHAK JAGO
अपने सामान को खरीदने से पहले उस पर
CRS मार्किंग ज़रूर जांच लें।
IS ----------
R - XXXXXXXX
खरीददारी का ये पहला कदम
CRS निशान याद रखेंगे हम

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
JAGO GRAHAK JAGO
WARNING
Never share your
Mobile number
क्या आप कृपया
मुझे अपना फोन
नंबर दे सकते हैं?
खरीददारी के समय उपभोक्ता रखें ध्यान!
दुकानदार बिल बनाने से पहले
उपभोक्ता को अपना मोबाइल नंबर देने के
लिए बाध्य नहीं कर सकता।

अध्याय–11

आवश्यक वस्तु विनियम तथा प्रवर्तन

यह विभाग अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित अधिनियमों को भी प्रशासित कर रहा है:

(क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

(ख) चोर–बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (पीबीएम अधिनियम, 1980)

2. भारत के संविधान का उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना है। इसे प्राप्त करने के लिए, सरकार के लिए तंत्र और सिद्धांतों के संगत उपबंधों में निम्नलिखित शामिल हैंरू–

(i) अनुच्छेद 38:– "राज्य सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेंगे और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अपितु विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।"

(ii) अनुच्छेद 39:– "राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से (क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होय (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन–साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो।"

(iii) अनुच्छेद 46:– "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा"

3. भारत के लोगों द्वारा अंगीकार की गई भारत के संविधान की प्रस्तावना, अन्य बातों के साथ–साथ, इसके सभी नागरिकों के लिए: सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय

सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:

अनुच्छेद 19. (1)(छ) :– सभी नागरिकों को कोई वृत्ति अथवा किसी उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने का अधिकार प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 21:– किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर, वंचित नहीं किया जाएगा।

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को संविधान की अनुसची IX में रखा गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत, लोकहित, लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता हेतु उक्त उल्लिखित मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार राज्य के पास है। यह अधिनियम लोकहित के संरक्षण के लिए लोक व्यवस्था तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्गों जैसे अंत्योदय अन्न योजना परिवारों तथा सरकारी स्कीमों के ऐसे अन्य लाभार्थियों के प्राणों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन, सी.आर.पी.सी. के अध्यधीन, एक दंडनीय अपराध है।

5. उपर्युक्त उल्लिखित संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों की है जिसमें देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/लोगों को सभी आवश्यक वस्तुओं की उचित कीमतों पर पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना शामिल है। इस राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा मानव–जाति के रूप में आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा व्यापार और वाणिज्य को संवैधानिक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए, सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अनुच्छेद 246, प्रविष्टि सं. 33 के तहत संसद ने 1 अप्रैल, 1955 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 पारित किया था। इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार की शक्तियां, व्यापक रूप से, राज्य सरकारों को दिनांक 09.06.1978 के आदेश और 'खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त' के लिए आदेश दिनांक 30.11.1974 द्वारा प्रत्यायोजित की गई है।

6. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सरकार को, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए तथा उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को विनियमित करने के लिए सशक्त बनाता है। अधिनियम के तहत अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस निर्देश के साथ प्रत्यायोजित की गई हैं कि वे अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्पादन, वितरण मूल्य आदि को विनियमित करने

के लिए केंद्रीय आदेश जारी किए हैं और वस्तुओं को आवश्यक वस्तुएं घोषित किया है। वर्तमान में, कृषकों, आम जनता और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के हितों का संरक्षण करने के लिए केवल सात आवश्यक वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत रखा गया है। आम जनता को आबंटित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की उचित दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विभिन्न विनियामक आदेश जारी करने, नीतियां और तंत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में अधिसूचित किया गया है (उत्पाद के संबंध में नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए व्यापार नियमों के आबंटन के अनुसार अधिकृत केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के नामों के साथ) ।

क्र.सं.	वस्तु	प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय
1	औषधि	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
2	उर्वरक, चाहे अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित	डीएसीएफडब्ल्यू
3	'खाद्य पदार्थ' जिसमें खाद्य तिलहन और तेल शामिल हैं	डीएसीएफडब्ल्यू, एमओएफपीआई, डीएफपीडी , डीओसीए
4	हैंक यार्न पूरी तरह से कपास से बना है	वस्त्र मंत्रालय
5	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
6	कच्चा जूट और जूट का कपडा	वस्त्र मंत्रालय
7	(i) खाद्य फसलों, फलों और सब्जियों के बीज	डीएसीएफडब्ल्यू
	(ii) पशुओं के चारे के बीज	
	(iii) जूट के बीजय और	
	(iv) कपास का बीज	

7. मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 29 सितंबर, 2016 को आदेश सा.का.नि. 929 (अ) जारी किया और सभी सुसंगत आदेशों को मिला दिया गया तथा यह अनुमति दी गई कि कोई भी व्यापारी स्वतंत्र रूप से किसी भी मात्रा में गेहूं, गेहूं उत्पादों (नामतः मैदा, रावा, सूजी, आटा, परिणामी आटा और भूसी), धान, चावल, मोटे अनाज, गुड, हाइड्रोजेनेटिड वनस्पति तेल अथवा वनस्पति, प्याज, खाद्य तिलहनें, खाद्य तेल, दालें तथा चीनी और आलू खरीद सकता है, स्टॉक कर सकता है, बेच सकता है, परिवहन कर सकता है, वितरण कर सकता है, बेच सकता है, खरीद कर सकता है, प्रयोग कर सकता है या

उपभोग कर सकता है और इसलिए, इस अधिनियम के तहत जारी किसी आदेश के तहत उसे परमिट अथवा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

8. इस विभाग ने हाल ही में संबंधित राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एवं लाइफ स्टॉक कॉट्रेक्ट फामिंग एंड सर्विसेस (प्रोमोशन एंड फेसिलिटेशन) एक्ट के तहत पंजीकृत अनुबंध कृषि के खरीददार को दिनांक 06.08.2019 के केन्द्रीय आदेश द्वारा खरीदे गये स्टॉक सीमा की मात्रा के स्तर में छूट प्रदान की है। यह कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग में विनिवेश को बढावा देकर किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

9. दिनांक 16–12–2019 के केन्द्रीय आदेश द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा से विनिर्दिष्ट उत्पाद के स्टॉक (इस आदेश के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट) पर छूट भी प्रदान की गई है, जिनमें व्युत्पन्न व्यापार अनुमत्य प्रत्यायित भंडागारण में रखे गये और विनिमय मंचों पर डिलीवरी के लिए भंडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है और यह छूट तब तक लागू होगा जब तक ये शर्तें पूरी की जाएंगी।

10. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाइसेंसों की वार्षिक/आवधिक नवीकरण की आवश्यकता के बारे में चिंताओं को कम करने और व्यापार करने में आसानी के साथ–साथ 'मेक इन इंडिया' पर जोर देते हुए सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनके अनुरूप संशोधन करने की सलाह दी गई थी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संबंधित केन्द्रीय आदेश, जो यदि आवश्यक हो तो लाइसेंसों के नवीकरण को जारी लाइसेंस को जारी होने की तिथि से लगभग पांच वर्षों की अवधि अर्थात् आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस की वैधता था आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी आदेश लगभग पांच वर्षों के लिए है। सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों ने लाइसेंस की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

11. वायदा व्यापार, कालाबाजारी, जमाखोरी और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कार्टेलिंग की निगरानी के लिए, 2016 में सचिव (उ.मा.) की अध्यक्षता में ईडी, आयकर विभाग, एनसीआर राज्यों की पुलिस, सीमा शुल्क आदि के प्रतिनिधियों के साथ कार्टेलाइजेशन पर एक समूह गठित किया गया था। इसकी बैठक अनिवार्यताओं के आधार पर होती है, कीमतों में संभावित हेरफेर के संबंध में बाजार परिदृश्य की समीक्षा करती है और राज्यों और अन्य एजेंसियों को असामान्य मूल्य वृद्धि की चपेट में आने वाली चुनिंदा आवश्यक खाद्य वस्तुओं में जमाखोरी, कार्टेलिंग और सट्टा व्यापार की जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे में सलाह देती है। आवश्यकता के आधार पर समूह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य से परामर्श भी करता है। 2016 से अब तक इस समूह की 21 बैठकें हो चुकी हैं।

12. राज्य सरकारों के साथ आपसी समन्वय में आयातकों, मिल मालिकों, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा रखे गए तूर के स्टॉक की निगरानी के लिए अपर सचिव, श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति। यह निर्णय अच्छी मात्रा में आयात के नियमित आगमन के बावजूद बाजार खिलाडियों द्वारा स्टॉक जारी नहीं करने की रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में आया है। दिनांक 02.06.2023, 25.09.2023 और 06.11.2023 के आदेशों के तहत 31.12.2023 तक तूर और उडद नामक दालों पर स्टॉक सीमा लगा दी गई थी।

13. व्यापक जनहित में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। आवश्यक खाद्य पदार्थों के व्यापारियों/डीलरों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करके राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इस उद्देश्य की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के तरीकों में से एक है, ताकि उनसे (व्यापारियों/डीलरों) इन वस्तुओं की कीमत और उपलब्धता पर फीडबैक प्राप्त किया जा सके और उन्हें जमाखोरी, सट्टा व्यापार, मुनाफाखोरी, कार्टेलिंग जैसी अनुचित और अवैध व्यापार प्रथाओं से दूर रहने की आवश्यकता पर प्रभावित किया जा सके। इस संदर्भ में, सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से राज्य और जिला स्तर पर आवश्यक खाद्य पदार्थों के हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

14. कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम, 1980 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का पूरक है। इसे जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी अवैध और अनैतिक व्यापार प्रथाओं की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। अधिनियम के तहत छह महीने के लिए निवारक हिरासत के आदेश के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का विपणन आदि। अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जिनकी गतिविधियाँ पीडीएस के तहत लक्षित समूहों सहित सामान्य रूप से समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए प्रतिकूल पाई जाती हैं।

15. इन अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए सक्रिय रहना होगा और उपभोक्ता मामले विभाग को नियमित रूप से अवगत कराना होगा। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2023 (12.01.2024 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार) के दौरान 121616 छापे मारे गए, 17934 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 10101 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, 2507 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 12995.05 लाख रुपये का माल जब्त किया गया, पीबीएमएमएसईसी अधिनियम के तहत हिरासत के आदेश 104 व्यक्तियों के खिलाफ जारी किए गए।

16. तमिलनाडु में, आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में कदाचार की जांच करने और शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचित किसी भी आदेश के उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस विभाग की एक अलग शाखा, अर्थात्

नागरिक आपूर्ति अपराध जांच विभाग (सीएससीआईडी) की स्थापना की गई है। आवश्यक वस्तुओं के व्यापार और आपूर्ति में कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करना, ताकि सरकारी स्कीमों का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके। ऐसी संस्था अन्य किसी राज्य में नहीं है। राज्यों से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं के लिए पुलिसिंग के तमिलनाडु मॉडल को अपनाने का आग्रह किया गया है।

17. अधिकारी जिनसे संपर्क किया जाएः– दोनों अधिनियमों – आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर–बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत सक्षम प्राधिकारी– (i) आर्थिक सलाहकार/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001, (ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए, राज्यों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति/उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव/संयुक्त सचिव (iii) संबंधित क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर/आई.जी., पुलिस और (iv) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/जिला क्लेक्टर – हैं। इन प्राधिकारियों के अतिरिक्त, इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार, राज्य में जितने चाहे उतने अधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकती है। नागरिकों/नागरिकों के समूहों/संघों आदि द्वारा जमाखोरों, चोर–बाजारियों, मुनाफाखोरों आदि, जिनकी गतिविधियां आम जनता और बी.पी.एल. परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त और उचित दरों पर उपलब्धता के संबंध में सरकार की स्कीमों के लाभों से वंचित कर सकती हैं, के विरूद्ध सरकारी आदेशों के उल्लंघन के संबंध में की जाने वाली शिकायतें लिखित में अथवा ई–मेल द्वारा किसी भी प्राधिकारी को की जा सकती हैं। इन दोनों अधिनियमों का कार्यान्वयन, आम जनता की जागरूकता और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस की अग्र–सक्रियता और संबंधित विभागों नामतः नागरिक आपूर्ति, उर्वरक/कृषि, स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है।

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS

JAGO GRAHAK JAGO

ज़िद करो, जागरूक ग्राहक बनो

एक ज़िद,

यदि सोना खरीदें तो

हॉलमार्क वाला ही लें

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS

JAGO GRAHAK JAGO

National Consumer Helpline

Toll free number 1915

Whatsapp 8800001915

- सप्ताह के सातों दिन 24*7 सेवाएं उपलब्ध
- 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा
- 8800001915 पर SMS करने पर उपभोक्ताओं को Call Back सुविधा

अध्याय–12

बजट एवं वित्तीय पुनरीक्षा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रमुख, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार है।

12.1 कार्य

- यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय द्वारा बजट तैयार करने के लिए निर्धारित समय सीमा का अनुपालन किया जा रहा है औार बजट वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुरूप तैयार किया जाता है।
- वित्त मंत्रालय को भेजने से पूर्व सारे बजट प्रस्तावों की बारीकी से जांच करना।
- यह सुनिश्चित करना कि विभागीय लेखों का रख–रखाव सामान्य वित्तीय नियमों (जी.एफ.आर.) के अनुसरण में अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाए। विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंत्रालय द्वारा न केवल उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किए जाने वाले अनुदानों अथवा विनियोजनों में से किए गए व्यय के लेखों का रख–रखाव किया जा रहा है अपितु इसके द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किए गए व्यय के आंकडे भी प्राप्त किए जाएं ताकि मंत्रालय के पास अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले व्यय की प्रगति की माह–दर–माह तस्वीर हो;
- आवश्यक नियंत्रण रजिस्टर रखकर स्वीकृत अनुदानों की तुलना में अनुदानों में से किए गए खर्च की प्रगति की निगरानी और पुनरीक्षा करना तथा जहां व्यय की प्रगति सामान्य न हो, वहां नियंत्रण प्राधिकारियों को समय रहते चेतावनी देना;
- बजट अनुमानों की वास्तविक तैयारी करने, बुक डेबिटों पर नजर रखने और प्रत्याशित बचतों को समय पर वापिस करने में सुविधा के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के तहत अपेक्षित, देनदारियों और प्रतिबद्धताओं के रजिस्टर का उचित रख–रखाव सुनिश्चित करना;
- अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों हेतु प्रस्तावों की जांच करना;
- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को सलाह देना। इसमें मंत्रालय को कार्यालय अध्यक्ष की हैसियत से प्राप्त शक्तियों के अलावा सभी शक्तियां शामिल हैं। आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वीकृति में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि यह आंतरिक वित्त प्रभाग के परामर्श से जारी किया गया है;

- अपेक्षित दृढता के साथ स्कीमों/परियोजनाओं का उच्च गुणवत्ता मूल्यांकन और मूल्यांकन सुनिश्चित करना;
- अधीनस्थ प्राधिकारियों को शक्तियों के पुनरू प्रत्यायोजन के प्रस्तावों की जांच करना;
- स्वयं को स्कीमों के साथ व्यापक रूप से सम्बद्ध रखना और और महत्वपूर्ण व्यय के प्रस्तावों के साथ उनके आरम्भिक स्तर से जुडे रहना;
- परियोजनाओं और अन्य सतत् स्कीमों के मामले में स्वयं को प्रगति/निष्पादन के मूल्यांकन से जोडे रखना और यह देखना कि बजट तैयार करते समय ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों को दृष्टिगत रखा जाता है;
- विभाग और इसके प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाले संगठनों के अधिकारियों के विदेश प्रतिनियुक्ति प्रस्तावों की जांच करना।
- वित्त समिति और भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारी समिति में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों और लेखों के पुनर्विनियोजन के संबंध में त्वरित कार्रवाई करना।
- सहमति अथवा सलाह के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाने के लिए अपेक्षित, व्यय के सभी प्रस्तावों की जांच करना।
- वित्त मंत्रालय द्वारा वांछित निर्धारित विवरणों, रिपोर्टों और विवरणियों को नियमित रूप से और निर्धारित समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।

12.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश

(सीएजी की शेष ऑडिट रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ)

उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों में एटीएनएस की स्थिति (31.03.2024 तक)।

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष 2019 का सीएजी रिपोर्ट	वर्ष 2020 का सीएजी रिपोर्ट	वर्ष 2021 का सीएजी रिपोट	वर्ष 2022 का सीएजी रिपोर्ट	वर्ष 2023 का सीएजी रिपोर्ट	कुल सीएजी रिपोर्ट
उपभोक्ता मामले विभाग	आज तक, सीएजी रिपोर्ट पर कोई की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) लंबित नहीं है।					

12.3 वित्तीय वर्ष 2019–2020 से 2023–24 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में बीई, आरई और वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण (31 दिसंबर, 2023 तक अनंतिम)

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	मांग संख्या	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक		
		स्कीम	गैर–स्कीम	कुल	स्कीम	गैर–स्कीम	कुल	स्कीम	गैर–स्कीम	कुल
2019–2020	14	2176.00	115.82	2291.82	1950.00	119.50	2069.50	1827.00	115.37	1942.37
2020–2021	14	2195.00	366.00	2561.00	11941.65	357.26	12298.91	11273.17	115.70	11388.87
2021–2022	14	2870.50	367.10	3237.60	2348.25	368.89	2717.14	2127.20	135.49	2262.69
2022–2023	14	1599.00	163.38	1762.38	98.34	158.21	256.55	96.69	153.04	249.73
2023–2024	14	113.50	174.16	287.66	182.61	184.52	367.13	91.66	138.29	229.95*

* प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा सूचनानुसार 31 दिसंबर, 2023 तक के अनंतिम व्यय में अन्य मंत्रालयों/विभागों के पक्ष में अधिकृत 14.88 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

12.4 स्कीमों का ब्यौरा

स्कीम/परियोजना/कार्यक्रम का नाम	2022.23				2023.24		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के संबंध में प्रतिशतता	बजट अनुमान	31.12.23	बजट अनुमान के संबंध में प्रतिशतता
उपभोक्ता जागरूकता (प्रचार)	25.00	17.50	17.50	100.00	17.99	11.06	61.48
कॉन्फोनेट	27.00	29.26	29.26	100.00	29.40	29.27	99.56
उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आईसीजीआरएस)	7.00	5.40	5.38	99.63	7.60	4.75	62.50
उपभोक्ता संरक्षण मंच	6.00	3.16	3.16	100.00	7.00	4.03	57.57
मूल्य निगरानी संरचना का सुदृढीकरण	1.50	3.00	3.00	100.00	6.00	5.69	94.83
बाट और माप	17.00	19.50	18.93	97.08	28.00	22.33	79.75
राष्ट्रीय परीक्षण शाला	14.75	20.50	19.44	94.83	17.00	14.03	82.53
भारतीय मानक ब्यूरो	0.75	0.01	0.01	100.00	0.50	0.50	100.00
मूल्य स्थिरीकरण कोष	1500.00	0.01	0.01	100.00	0.01	0.00	0.00
कुल	1599.00	98.34	96.69	98.32	113.50	91.66	80.76

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
JAGO GRAHAK JAGO
dis satisfied
CONSUMER
NCH 1915
उपभोक्ता संबंधित समस्या के समाधान के लिए NCH-1915 पर कॉल किया या नहीं?

अध्याय–13

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

13. राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन

इस विभाग का हिन्दी प्रभाग आर्थिक सलाहकार एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पर्यवेक्षण में कार्यरत है, जिनकी सहायता के लिए वर्तमान में एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, एक कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, एक वैयक्तिक सहायक एवं एक आशुलिपिक हैं। हिन्दी अनुभाग, विभाग के सभी अनुवाद कार्यों को संपन्न करता है और विभाग में तथा इसके साथ–साथ सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं उनके क्षेत्रीय संगठनों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। वर्ष के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:

1. वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गई।

2. राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग में जांच बिन्दुओं की स्थापना की गई है और इन जांच बिन्दुओं को विभाग में परिचालित किया गया एवं इन जांच बिन्दुओं के प्रभावी अनुपालन के लिए कारगर कदम उठाए गए ।

13.1 पुनरीक्षा

1. राजभाषा विभाग द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए वर्ष 2023–24 के वार्षिक कार्यक्रम पर जारी किए गए आदेशों को विभाग तथा इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन के लिए परिचालित किया गया। इस संबंध में हुई प्रगति पर तिमाही रिपोर्टों के जरिए निगरानी रखी गई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में उन पर समीक्षात्मक/आलोचनात्मक चर्चा की गई।

2. वर्ष के दौरान विभाग तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभाग में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। इन

बैठकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने पर जोर दिया गया। रा.भा.का.स की अंतिम बैठक 18.05.2023, 12.09.2023, 17.11.2023 और 13.03.2024 को आयोजित की गई थी।

3. राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुसार, मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 28.06.2021 को किया गया है और जैसा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सूचित किया है, इस समिति की बैठक दिनांक 23.02.2023 और 13.10.2023 को आयोजित की गई।

13.2 प्रोत्साहन स्कीमें

1. वर्ष के दौरान विभाग में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लिखने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी नकद पुरस्कार स्कीम जारी रखी गई।

2. विभाग के कर्मचारियों को अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में टाइपिंग का कार्य करने के लिए विशेष प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाता रहा।

3. विभाग ने 14.09.2023 से 28.09.2023 तक हिंदी पखवाडा मनाया। इस पखवाडे के दौरान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चार प्रतियोगिताओं, अर्थात् हिंदी निबन्ध, हिंदी स्लोगन, हिंदी टिप्पण एवं मसौदा लेखन और श्रुतलेख का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 23 कर्मचारियों ने भाग लिया था और उनमें से 15 प्रतिभागियों को विजेता घोषित किया गया और पुरस्कार प्रदान किये गये।

CONSUMER AFFAIRS
Azadi ka Amrit Mahotsav
G20
• हिंदी निबंध प्रतियोगिता •

CONSUMER AFFAIRS
Azadi ka Amrit Mahotsav
G20
हिंदी टिप्पण व मसौदा लेखन
प्रतियोगिता

हिंदी स्लोगन प्रतियोगिता

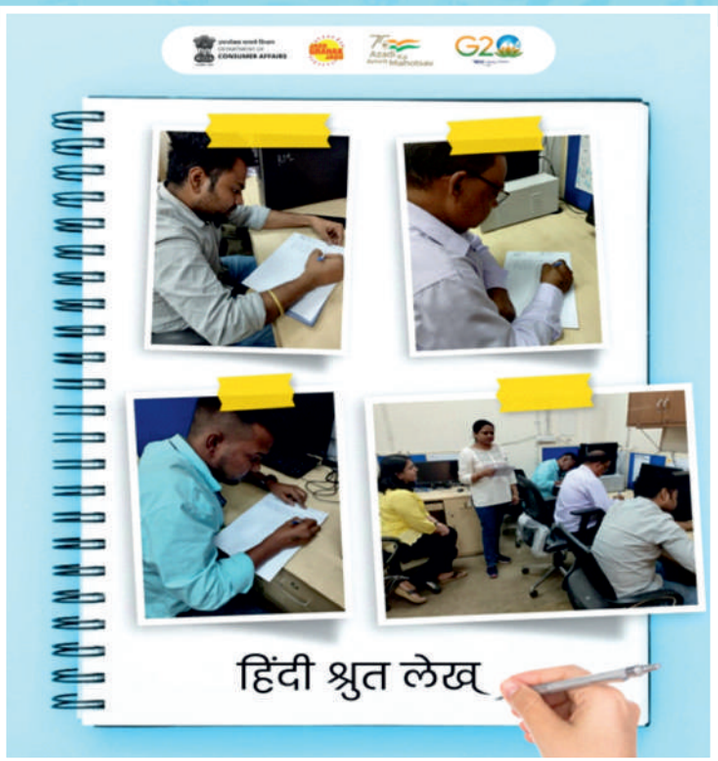
हिंदी श्रुत लेख

13.3 अन्य गतिविधियां

1. हिन्दी में टिप्पण/आलेखन (नोटिंग/ड्राफ्टिंग) का अभ्यास कराने, कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने और तिमाही रिपोर्ट भरने की जानकारी देने के लिए विभाग में समय–समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

2. विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से रूचिकर पुस्तकों की जानकारी मांगी गई और पुस्तकालय को वे पुस्तकें खरीदने के लिए कहा गया। विभाग के पुस्तकालय द्वारा हिन्दी समाचार–पत्र, पत्रिकाएं तथा जरनल नियमित रूप से खरीदे गए।

3. विभाग में ही नहीं, वरन् इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढावा देने के लिए निरंतर प्रयत्न किए गए।

13.4 राष्ट्रीय परीक्षण शाला, मुख्यालय और पूर्वी क्षेत्र में आयोजित की गई राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार से संबंधित

वर्ष–2023 (जनवरी–दिसम्बर) में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन एवं प्रचार–प्रसार से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम

- इस वर्ष हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गईं। एनटीएच प्रतिनिधि क्रमशः 23 फरवरी 2023 को मदुरै (तमिलनाडु) और 13 अक्टूबर 2023 को स्वराज द्वीप (हैवलॉक), अंडमान और निकोबार में आयोजित बैठकों में शामिल हुए थे।

- भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में 13 और 14 सितंबर 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में हिंदी दिवस समारोह और हिंदी पखवाडा 2023 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री सुनील कुमार सिंह, सहायक निदेशक, राजभाषा, एनटीएच ने भाग लिया।

- हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित विभिन्न हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में योग्य कार्मिकों का नामांकन किया गया।

- वर्ष 2023 के दौरान प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया।

- वर्ष 2023 के दौरान प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में सभी अनुभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी

में काम करने के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया गया।

- राजभाषा हिंदी में सरकारी कार्य करने वाले कर्मचारियों को भारत सरकार के राजभाषा विभाग के नियमानुसार नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया।
- हिन्दी की घरेलू पत्रिका "वातायन" का सफलतापूर्वक प्रकाशन हुआ। इस पत्रिका में कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वयं द्वारा रचित रोचक कविताएँ, कहानियाँ आदि उपलब्ध करायीं, साथ ही कर्मचारियों के बच्चों ने भी पत्रिका में प्रकाशन हेतु अपने–अपने चित्र, पेंटिंग एवं कविताएँ दीं। इस पत्रिका में एनटीएच द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की जानकारी भी शामिल थी।
- 14 सितम्बर 2023 से 29 सितम्बर 2023 तक हिन्दी पखवाड़ा का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान, निबंध लेखन, नोट लेखन, नारा लेखन, पोस्टर मेकिंग, वाद–विवाद प्रतियोगिता, राजभाषा और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, कविता पाठ प्रतियोगिता आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी एनटीएच कार्यालयों के कर्मचारियों ने भाग लिया। समापन समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सरोकारों और साहित्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर हिंदी पुस्तकें खरीदी गईं और इच्छुक कर्मियों को पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं।

उपभोक्ता मामले विभाग
भारत सरकार
सत्यमेव जयते
जागो ग्राहक जागो अंतर्गत
आज़ादी का अमृत महोत्सव
सोने की ज्वैलरी खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क के 3 निशान देखें और बिल अवश्य ले क्योंकि
22K916
AAA342
BIS मानक चिह्न
सोने की शुद्धता
हर आभूषण के लिए छह अंकों वाला युनीक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड
"हॉलमार्क है, तो सोना है।"
@consumeradvocacy
@consumeraffairs_goi
@jagograhakjago
@nch1915

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
JAGO GRAHAK JAGO
Azadi Ka Amrit Mahotsav
G20
उपभोक्ता ध्यान दें!
इन त्योहारों के अवसर पर
Packaged Food खरीदने से
पहले उस Product पर
Net Weight
Country of Origin
Best Before/Use by date
M.R.P.
जरूर जांच ले
PEAS
CORN

अध्याय–14

नागरिक केन्द्रित ई–गवर्नेंस पहल

14.1 विधिक मापविज्ञान द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टलः–

अनुपालन के बोझ को कम करने, व्यवसाय को सुगम बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए, इस विभाग द्वारा उद्योगों को विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत जारी की जाने वाली चारों सेवाओं/प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन किया जाता है। पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते थे और उन्हें संसाधित किया जाता था। अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है, जिससे समय काफी कम लगता है।

उदाहरण के लिए आवेदकों द्वारा, कंपनियों के निदेशकों के नामांकन की पूरी प्रक्रिया, बाट और माप के आयातक का पंजीकरण और पैकबंद वस्तुओं के निर्माता / पैकर / आयातक का पंजीकरण पहले डाक द्वारा आवेदन भेजने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगभग 25–30 दिन लगते थे जिसे घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। इसी तरह बाट और माप के मॉडल की स्वीकृति, आवेदन जमा करने/मॉडल के परीक्षण/प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को पहले के लगभग 6 से 9 महीने से घटाकर 3 से 4 महीने कर दिया गया है।

2. मूल्य निगरानीः–

पीएमडी को देश के 18 केंद्रों में 14 आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों की निगरानी करने का काम सौंपा गया था। लगभग 31 वर्षों की अवधि में, पीएमडी द्वारा निगरानी की जाने वाली वस्तुओं का दायरा 22 हो गया है और रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या बढ़कर 550 हो गई है। पीएमडी द्वारा निगरानी की जा रही 22 वस्तुओं में पांच आइटम समूह शामिल हैं, अर्थात् अनाज (चावल और गेहूं), दालें (चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर), खाद्य तेल (मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल, पॉम तेल), सब्जियां (आलू, प्याज, टमाटर), और अन्य सामान (आटा, चीनी) गुड़, दूध, चाय और नमक)।

3. भारतीय मानक ब्यूरो (सूचना) :–

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप, बीआईएस अपनी क्रियाकलापों को डिजिटल बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

- **सुविधा केंद्रः** सुविधा केंद्र का शुभारंभ 13/10/2023 को विश्व मानक दिवस समारोह के दौरान माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य

और सार्वजनिक वितरण तथा कपडा मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था। सुविधा केंद्र संबंधित हितधारकों की समस्याओं के समाधान और समाधान के लिए स्थापित किया गया है। सुविधा केंद्र की सेवाएं टोल–फ्री नंबर 1800–11–1206 पर उपलब्ध हैं।

- **प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम (एमएससीएस) पोर्टलः** प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (एमएससी) का संशोधित पोर्टल 14/03/2023 को विश्व उपभोक्ता दिवस समारोह के दौरान माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। संशोधित पोर्टल गुणवत्तापूर्ण प्रयासों, आगामी आयोजनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों, केस अध्ययनों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं आदि में हमारे नए भागीदारों को प्रबंधन प्रणाली लाइसेंस प्रदान करने पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, यह एप्लीकेशन/लाइसेंसों का वास्तविक समय विवरण प्रदान करता है।

- **प्रशिक्षण पोर्टलः** प्रशिक्षण का संशोधित पोर्टल 14/03/2023 को विश्व उपभोक्ता दिवस समारोह के दौरान माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। यह नया पोर्टल हितधारकों को आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देखने, पूर्ण किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का विश्लेषण करने, वीडियो/फोटो गैलरी के माध्यम से एनआईटीएस परिसर का आभासी अनुभव प्राप्त करके, अन्य प्रतिभागियों से फीडबैक देखने और बाद में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम या अनुकूल कार्यक्रम में आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है।। इसके अलावा, यह विषय विशेषज्ञों को एनआईटीएस में संकाय बनने की सुविधा प्रदान करता है।

- **बीआईएस की अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमों के लिए वेब पोर्टलः** अनुरूपता मूल्यांकन पोर्टल घरेलू विनिर्माताओं को अपने उत्पादों पर मानक चिह्न (आईएसआई) के उपयोग के लिए लाइसेंस देने, ऐसे लाइसेंसों के नवीनीकरण, विविधता के दायरे में शामिल करने और सरलीकृत ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान जमा करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। बीआईएस इन अनुरोधों को संसाधित कर सकता है और अपने निर्णय को ऑनलाइन सूचित कर सकता है, और हमारे हितधारकों द्वारा आवेदनों की वास्तविक समय पर नजर रखने की सुविधा प्रदान कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो विनिर्माता द्वारा भुगतान की गई राशि वापस कर सकता है। पोर्टल को जेम के साथ भी एकीकृत किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक लाइसेंस विनिर्माता ही इन पोर्टलों पर अपने उत्पाद दिखा सकें।

- **मानक प्रबंधन सॉफ्टवेयरः** बीआईएस की मानक निर्माण गतिविधि को प्रबंधित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। यह सॉफ्टवेयर मानकों के निर्माण

और उनके संशोधनों में शामिल सभी चरणों को स्वचालित करता है। इस पोर्टल को "वार्षिक रोलिंग योजना", "मानक मंथन", "वार्षिक बैठक कैलेंडर", "मानकीकरण कक्ष" पत्रिकाएँ और पत्रिकाएँ", "साप्ताहिक मानक बुलेटिन", "मानकों की समीक्षा", "जैसी नई/उन्नत सुविधाएँ जोड़ने के लिए बढ़ाया गया था। मानकमंथन", "अनुसंधान एवं विकास', ''मानक पोर्टल का नया रूप वाला सार्वजनिक डैशबोर्ड'', "बैठकों का समाधान'',''शैक्षणिक डैशबोर्ड'' आदि।

- **मानक संवर्धन पोर्टलः** जिस उद्देश्य के लिए पोर्टल विकसित किया गया था, उसके सार को सही मायने में प्रतिबिंबित करने के लिए मानक संवर्धन पोर्टल का नाम बदलकर मानक संवर्धन पोर्टल कर दिया गया। इसे अगले स्तर पर ले जाते हुए, मानक संवर्धन गतिविधियों के संपूर्ण समूह को पूरा करने के लिए सुविधाओं का एक व्यापक सेट पेश किया गया। बीआईएस के महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषयों या पहलों पर जिला स्तर के अधिकारियों के साथ प्रभावी संचार करने के लिए उनके संपर्क विवरण बनाए रखने के लिए एक नया मॉड्यूल शामिल किया गया था। इसके अलावा, मानक क्लब को अपने स्कूलों/कॉलेजों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए एक और मॉड्यूल शामिल किया गया था। मानक संवर्धन गतिविधियों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए वरिष्ठ प्रबंधन और बीओ के प्रमुख के लिए एक व्यापक रिपोर्ट अनुभाग विकसित किया गया है।

- **शिकायत पोर्टलः** बीआईएस के शिकायत पोर्टल को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) और उमंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया था।

- **भर्ती पोर्टलः** बीआईएस में तकनीकी विभागों के लिए वैज्ञानिक–बी की भर्ती और प्रबंधन अधिकारियों, युवा पेशेवरों, जीईटी और सलाहकारों की नियुक्ति के लिए एक पोर्टल लाइव किया गया था। यह पोर्टल आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति, मेरिट सूची तैयार करने, साक्षात्कार के समय–निर्धारण आदि की सुविधा प्रदान करता है।

- **44वें आईएसओ/सीओपीओएलसीओ पूर्ण सत्र 2023 के लिए वेबसाइटः** 22–26 मई 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 44वें आईएसओ/सीओपीओएलसीओ पूर्ण सत्र 2023 के लिए एक विशेष वेबसाइट आरंभ की गई। वेबसाइट ने आईएसओ/सीओपीओएलसीओ पूर्ण सत्र, पंजीकरण प्रक्रिया, वीजा, होटल, संपर्क बिंदु आदि के बारे में जानकारी प्रसारित की।

- **बीआईएस केयर एपः** बीआईएस केयर एप हितधारकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा के साथ–साथ अनिवार्य पंजीकरण स्कीम(सीआरएस) के तहत आईएसआई मार्क, पंजीकृत ज्वैलर्स और चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की प्रामाणिकता सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करता है। हितधारकों के साथ

व्यापक पहुंच और जुडाव के लिए 10 क्षेत्रीय भाषाओं में बहुभाषी समर्थन वाला नवीनतम संस्करण ऐप में जोडा गया था। व्यापक पहुंच के लिए ऐप की सुविधाएं उमंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराई गई हैं।

- **अंतर्राष्ट्रीय संबंध (आईआर) पोर्टलः** बीआईएस द्वारा चलाये जा रहे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कार्यकलापों के लिए एक पोर्टल विकसित करने हेतु जेम के माध्यम से एक एजेंसी नियुक्त की गई। इसमें विश्व व्यापार संगठन के आयोजन के लिए मॉड्यूल – व्यापार में तकनीकी बाधाएं (डब्ल्यूटीओ–टीबीटी) अधिसूचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए शिष्टमंडल हेतु प्रस्ताव प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों/प्रस्तावों/परियोजनाओं पर मत संग्रह, वर्ल्ड मैन्यूफैक्चरर आइडेन्टीफायर (डब्ल्यूएमआई) जारी करना आदि शामिल हैं।

- **मानक विश्लेषण रिपोर्टः** भारतीय मानक डेटा के डेटा विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टि और निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए मानक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट को लाइव किया गया है। डेटा विजुअलाइजेशन जैसे चार्ट और ग्राफ का उपयोग डेटा में पैटर्न, रुझान और संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भी किया जाता है। इन रिपोर्टों के विकास का उद्देश्य बीआईएस को सूचित निर्णय लेने, प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और रुझानों की पहचान करने में मदद करना है।

- **प्रयास पोर्टलः** प्रयास पोर्टल में एक नया केपीआई– 'हॉलमार्क वाली सोने के वस्तु' जोड़ना। प्रासंगिक डेटा बीआईएस पोर्टल (ई–बीआईएस पोर्टल) से मासिक आधार पर एक एपीआई के माध्यम से साझा किया जा रहा है (आवृत्तिः मासिक), जिसमें केंद्रीय हॉलमार्क वाली सोने की वस्तुओं का मासिक डेटा प्रदर्शित किया जाता है। प्रयास डैशबोर्ड निम्नलिखित 6 केपीआई प्रदर्शित कर रहा हैः

  1. प्रकाशित मानकों की संख्या (कार्यक्षेत्रः राष्ट्रीय स्तर, आवृत्तिः दैनिक)
  2. उत्पाद प्रमाणन के लाइसेंस की संख्या (कार्यक्षेत्रः जिला स्तर, आवृत्तिःदैनिक)
  3. पंजीकृत स्वर्ण आभूषण विक्रेताओं की संख्या (कार्यक्षेत्रः जिला स्तर, आवृत्तिःदैनिक)
  4. पंजीकृत चांदी ज्वैलर्स की संख्या (कार्यक्षेत्रः जिला स्तर, आवृत्तिः दैनिक)
  5. मान्यता प्राप्त एसीइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या (कार्यक्षेत्रः जिला स्तर, आवृत्तिः दैनिक)
  6. हॉलमार्क वाली सोने की वस्तुओं की संख्या (कार्यक्षेत्रः राष्ट्रीय स्तर, आवृत्तिःमासिक)

3. ई–गवर्नेंसः–

ऑनियन ग्रैंड चैलेंज

विभाग ने वर्ष 2022 में "प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकियों" के विकास के लिए एक ग्रैंड चैलेंज शुरू किया था। ग्रैंड चैलेंज में 3 चरण होते हैं।

चरण 1: प्रोटोटाइप के लिए विचार का विकासय

चरण 2: उत्पाद का विकासय

चरण 3: फ़ील्ड कार्यान्वयन चरण।

ओनियन ग्रैंड चैलेंज में कुल 607 प्रतिभागियों ने यूनिक विचार पेश किए थे। प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सभी 607 विचारों का नवीनता, स्केलेबिलिटी और लागत प्रभावशीलता जैसे मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया था। चरण 1 में, 23 प्रतिभागियों को उनके विचारों के प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। बाद में 23 में से 11 प्रतिभागियों को उत्पाद विकास के लिए चुना गया। कई क्षेत्रीय निरीक्षणों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौर के बाद, विभाग ने ओनियन ग्रैंड चैलेंज के अंतिम चरण के लिए 4 टीमों का चयन किया है। चयनित 4 टीमें हैं माइक्रोगो टीम, यशवंत नंदी टीम, गुरुमूर्ति हेगड़े टीम और गोदाम इनोवेशन टीम।

वर्तमान में, विभाग अपने विकसित उत्पाद के क्षेत्रीय कार्यान्वयन के लिए एनसीसीएफ के साथ सहयोग के लिए चयनित टीमों की सहायता करने की प्रक्रिया में है।

(24 दिसंबर, 2023 को यशोभूमि में ओनियन ग्रैंड चैलेंज विजेताओं का अभिनंदन)

"वर्चुअल डिजिटल संपत्ति, वेब3 सेक्टर और उपभोक्ता" पर सम्मेलन

उपभोक्ता मामले विभाग ने 25 जुलाई 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वेब3 पारिस्थितिकी तंत्र पर गहराई से मंथन करने और उपयोगकर्ताओं और विभिन्न हितधारकों के लिए शुरू से अंत तक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग और हितधारकों के मध्य सृजनात्मक बातचीत हेतु वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वेब 3 क्षेत्र और उपभोक्ताओं पर मंथन सत्र का आयोजन किया था।

(25 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन में आयोजित बैठक की कुछ झलकियाँ)

वर्ल्ड वाइड वेब और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और इसकी पृष्ठभूमि प्रौद्योगिकियों को समझने के साथ–साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से उपभोक्ताओं के लिए उभरते जोखिमों को समझने और वेब3 ब्लॉकचेन जोखिमों और सुरक्षा खतरों को कैसे कम किया जाए, इस पर विचार–मंथन सत्र आयोजित किया गया था। वेब3 एसोसिएशन के विभिन्न प्रमुख कर्मियों ने सत्र में भाग लिया और उपरोक्त प्रमुख बिंदुओं पर प्रस्तुतियाँ दीं। इसमें उच्च न्यायालय

के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जैसे न्यायिक विशेषज्ञों और विभिन्न अधिवक्ताओं के साथ–साथ विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के कई सरकारी अधिकारियों, वित्तीय शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने भी भाग लिया, जिन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए।

चर्चाओं के द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित किए गएरू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और वेब3 प्रौद्योगिकियों से जुड़े संभावित उपभोक्ता जोखिमों और चुनौतियों की पहचान करना, विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए मजबूत ढांचे को डिजाइन करना, वेब3 सेक्टर की जटिलताओं को दूर करने में उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता की भूमिका का विश्लेषण करना। वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के क्षेत्र में धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर को रोकने के लिए उपभोक्ता–केंद्रित विनियमों की स्थापना।

प्रतिभागियों ने कला, गेमिंग, रियल एस्टेट और वित्त जैसे उद्योगों पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के परिवर्तनकारी प्रभाव और ये परिवर्तन उपभोक्ता अनुभव को कैसे नया आकार दे सकते हैं, पर भी चर्चा की।

"आर्टिफिशियल इटेलिजेंस (एआई) और उपभोक्ता" पर सम्मेलन

उपभोक्ता मामले विभाग ने 31 अगस्त 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और उपभोक्ता" कार्यशाला का आयोजन किया, ताकि उपभोक्ता मामले विभाग और हितधारकों के बीच रचनात्मक संवाद हो सके और एआई का लाभ उठाते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के मुद्दों का पता लगाया जा सके।

विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों ने खरीदारी की प्राथमिकताओं की पहचान करने, खरीदारी के पैटर्न, वर्धित सिफारिशों और ग्राहकों के लिए भावी समर्थन के संदर्भ में एआई के फायदों पर चर्चा की, साथ ही गोपनीयता संबंधी चिंताओं, डिफ़ॉल्ट/चूक के मामले में दायित्व सौंपने में कठिनाई, लिंग, रंग आदि जैसे मापदंडों पर एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और एआई विनयमित खराब बॉट्स सहित एआई की चुनौतियों पर भी चर्चा की।

इस बात पर चर्चा की गई कि मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए एआई के उपयोग के बीच संतुलन बनाना है। उत्पादक डेटा प्रबंधन, महत्वपूर्ण मूल्यांकन, सुरक्षित बातचीत, ऑडिट और प्रतिष्ठित स्रोतों और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मंच सहित सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। आगे कहा गया कि एआई नीति निर्माताओं के लिए चार सबसे बड़ी चुनौतियां एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, एआई द्वारा नौकरियों का प्रतिस्थापन, फर्जी समाचार, एआई की कमजोर परिभाषा और एआई के लिए विनियमन होंगी।

चर्चाओं में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित किए गएः हमारे संविधान में निहित बुनियादी सिद्धांतों जैसे समानता और गोपनीयता का अधिकार, एआई उत्पन्न डेटा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इस पर दैनिक वैधानिक सुरक्षा पर एआई के क्षेत्र में सरकार द्वारा नियम

बनाना, मामलों के वर्गीकरण के लिए एआई का उपयोग करना और उन्हें सही विभाग तक पहुंचाना और एआई और नवाचार के क्षेत्र में सरकार द्वारा नियमों के बीच संतुलन बनाना।

इस आयोजन के दौरान साझा किए गए विचार और अंतर्दृष्टि भविष्य के नीति निर्धारण के लिए एक आधार के रूप में काम करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि एआई नियम उपभोक्ता हितों के अनुरूप हों।

(31 अगस्त 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और उपभोक्ता", कार्यशाला)

4. संप्रतीक और नामः–

- संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकरण के लिए प्राप्त नामों, संप्रतीकों और संदर्भों की जांच के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के तहत समितियों के रजिस्ट्रारों, उप रजिस्ट्रारों, संगठनों, पेटेंटों से संदर्भ प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन विकसित किया गया है।
- केन्द्र सरकार द्वारा नामों/संप्रतीकों पर अनापत्ति प्रमाणपत्र या आपत्ति संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रजिस्ट्रारों को ऑनलाइन भेजी जाती है।

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
JAGO GRAHAK JAGO
Azadi Ka Amrit Mahotsav
G20
जिम्मेदारी के साथ
खरीदारी को बनाएं खास
इन त्योहारों के अवसर पर
अपनों के लिए कोई भी
खरीदारी करने से पहले
ISI Mark
For Electrical Appliances
CRS Mark
For Electronic gadgets
Hallmark
For Gold
का निशान जरूर चेक करें।

अध्याय–15

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों की संख्या

15.1 स्थापना

विभिन्न ग्रेडों और सेवाओं में सीधी भर्ती और पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और भूतपूर्व सैनिकों (ईएक्सएम) के प्रतिनिधित्व के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देश का अनुपालन किया गया।

15.2 31.12.2023 तक उपभोक्ता मामले विभाग और इसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या के मुकाबले महिला कर्मचारियों की संख्या के साथ–साथ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और एक्सएम श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:

पद समूह	स्वीकृत संख्या	तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या	कॉलम 3 में से निम्नलिखित से संबंधित कर्मचारियों की संख्या								
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	दिव्यांग			भूतपूर्व सैनिक	महिलाएं	ईडब्ल्यूएस
						दृष्टि बाधित	श्रवण दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
समूह क	188	139	21	12	23	–	–	4	3	20	–
समूह ख (राजपत्रित)	184	117	15	5	27	–	–	2	–	25	–
समूह ख (अराजपत्रित)	246	157	18	9	54	–	1	1	–	36	4
समूह ग	613	304	51	26	72	–	1	1	2	47	8
कुल	1231	717	105	52	176	–	2	8	5	128	12

वीएच– दृष्टि बाधित **एचएच**–श्रवण दिव्यांग **ओएच**– अस्थि दिव्यांग **ईएक्सएम**– भूतपूर्व सैनिक **ईडब्ल्यूएस**– आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति

नोटः इस संकलन में उपभोक्ता मामले विभाग (वास्तविक सचिवालय) और इस विभाग के निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सूचना शामिल हैं:

i) राष्ट्रीय परीक्षणशाला – कोलकाता

ii) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली

iii) भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची

iv) क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं – (अहमदाबाद, बेंगलौर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, गुवाहाटी, नागपुर, वाराणसी)

15.3 राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एन.टी.एच.) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी तथा दिव्यांग कर्मचारियों के लाभार्थ स्कीमें।

दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार, कुल स्वीकृत पदों की संख्या के सापेक्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/भूतपूर्व सैनिकों के पदों की स्थिति नीचे दी गई है:

पद समूह	स्वीकृत संख्या	तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या	कॉलम 3 में से निम्नलिखित से संबंधित कर्मचारियों की संख्या								
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	दिव्यांग			भूतपूर्व सैनिक	महिलाएं	ईडब्ल्यूएस
						दृष्टि बाधित	श्रवण दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
समूह क	99	70	12	7	13	0	0	2	1	7	0
समूह ख (राजपत्रित)	118	65	7	4	23	0	0	2	0	14	0
समूह ख (अराजपत्रित)	152	82	12	7	33	0	1	0	0	14	3
समूह ग	379	144	27	8	39	0	1	1	2	23	2
कुल	748	361	58	26	108	0	2	5	3	58	5

भारतीय मानक ब्यूरो(बीआईएस)

15.4 भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
JAGO GRAHAK JAGO
ज़िद करो, जागरूक ग्राहक बनो!
एक ज़िद
प्रमाणित सामान खरीदने की

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
JAGO GRAHAK JAGO
ज़िद करो, जागरूक ग्राहक बनो!
एक ज़िद
प्रमाणित सामान खरीदने की

अध्याय–16

दिव्यांगजनों के लाभार्थ स्कीमें

16.1 राष्ट्रीय परीक्षण शाला में दिव्यांगजनों के लाभार्थ स्कीमें:–

''दिव्यांगजनों के लाभ के लिए गतिविधियों'' के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि राष्ट्रीय परीक्षण शाला के सभी छह क्षेत्रों ने दिव्यांगजनों के लिए मानकों को निम्नानुसार सफलतापूर्वक लागू किया है और उनका अनुपालन किया है:

- सुलभ पहुंच और प्रवेश द्वार पर रैंप
- प्रवेश द्वार के पास रिजर्व पार्किंग
- प्रवेश के लिए सुगम मार्ग
- सुगम कॉरिडोर
- पेय जल की व्यवस्था
- सुलभ स्वागत कक्ष
- ब्रेल वाले लिफ्ट
- सीढ़ी के साथ मजबूत रेलिंग
- आंगन्तुकों के लिए व्हील चेयर की स्थापना
- पी.डब्ल्यू.डी. कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए शौचालय

भवन के प्रवेश द्वार पर सुलभ पहुंच और रैंप

कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए महिला शौचालय

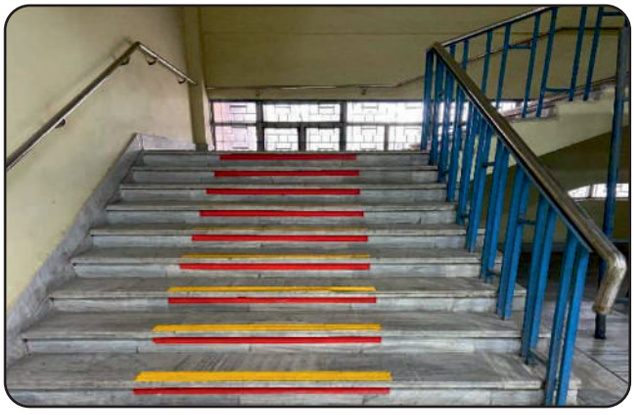

सीढ़ी के साथ टिकाऊ रेलिंग

ब्रेल लिपि और उपयोगकर्ता के अनुकूल बटनों के साथ लिफ्ट

16.1.1 एनआईसी (उपभोक्ता मामले विभाग)

उपभोक्ता मामले विभाग https://consumeraffairs-nic-in पर होस्ट किया गया है। वेबसाइट में भारत सरकार की वेबसाइटों (जीआईजीडब्ल्यू) 2.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए डाउनलोड के लिए प्लग–इन/ब्राउज़र का लिंक है। टूल का लिंक लैंडिंग पृष्ठ पर उपलब्ध है। ये उपकरण दिव्यांग व्यक्तियों को वेबसाइट का अधिक आसानी से उपयोग करने में मदद करते हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो

16.2 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) में दिव्यांगजनों के लिए स्कीमें

1) भारत सरकार के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को समूह क, ख और ग पदों के तहत सीधी भर्ती में 4% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

2) भारतीय मानक ब्यूरो सामान्य कर्मचारियों के लिए अनुमेय 8 अवकाश के बजाय 12 आकस्मिक अवकाश भी प्रदान करता है।

3) इसके अलावा, दिव्यांगजनों को अन्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित दरों से दोगुनी दरों पर परिवहन भत्ता दिया जा रहा है।

16.3 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन

16.3.1 उपभोक्ता मामले विभाग

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन को रोकने संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों को लागू करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 03.08.1998 को एक शिकायत समिति का गठन किया गया था।

2. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत इस विभाग की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को अंतिम बार 16 जनवरी, 2024 को निम्नलिखित संरचना के साथ पुनर्गठित किया गया है:

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री लालरामदिनपुई रेंथलई, संयुक्त निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती कल्याणी राज, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (एआईडब्ल्यूसी)	सदस्य (गैर–सरकारी संगठन प्रतिनिधि)
3.	श्रीमती के. महेन्द्रन , अवर सचिव	सदस्य
4.	श्री संजय कौशिक, उप निदेशक	सदस्य
5.	श्रीमती नीति कपूर, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य सचिव

3. शिकायत समिति इस विभाग में, महिला प्रकोष्ठ के रूप में भी कार्य करती है जो व्यापक तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करती है:

   (क) विभाग की महिला कर्मचारियों के लिए काम करने के वातावरण में सुधार करने की कार्रवाई करना तथा समन्वय स्थापित करना।

   (ख) महिला कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों को सुनना तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई करना।

   (ग) महिला कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित अन्य सामान्य क्षेत्र।

4. आईसीसी महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायत के निवारण के लिए शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करता है। साथ ही विभाग की महिला कर्मचारी अपनी कामकाजी परिस्थितियों में सुधार आदि के संबंध में इस महिला प्रकोष्ठ को सुझाव दे सकती हैं। आईसीसी समय–समय पर विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं को समझने और समाधान खोजने के लिए बातचीत भी करती है।

5. पिछले वर्ष के दौरान, आईसीसी को विभाग (सचिवालय उचित) में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे समिति द्वारा तुरंत और दृढ़ता से निपटाया गया और इसे सही निष्कर्ष पर लाया गया।

16.3.2 भारतीय मानक ब्यूरो

कार्यालय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, फरवरी 1998 में भारतीय मानक ब्यूरो में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था, जिसे दिनांक 09 जनवरी, 2018 के कार्यालय

ज्ञापन संख्या स्थापना – ।।।/आईसीसी/76:01:2018 के तहत पुनर्गठित किया गया है। बीआईएस, मुख्यालय, नई दिल्ली में गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की संरचना में पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के साथ–साथ बीआईएस – मुख्यालय के दो अन्य सदस्य और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए), नई दिल्ली के सदस्यों में से एक शामिल है। बीआईएस के क्षेत्रीय कार्यालय अलग आईसीसी समिति का गठन करते हैं।

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी–मुख्यालय) हर साल "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" मनाती है। 06 मार्च 2023 को बीआईएस, मुख्यालय–नई दिल्ली और एनसीआर में बीआईएस कार्यालयों, यानी फरीदाबाद, गाजियाबाद, केंद्रीय प्रयोगशाला, एनआईटीएस, नोएडा में तैनात सभी कर्मचारियों की भागीदारी के साथ महिला दिवस मनाया गया।

इस वर्ष के महिला दिवस का विषय डिजिट ऑलः लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं जैसे कविता, स्लोगन, शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को डीजी–बीआईएस द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा, ब्यूरो द्वारा आत्मरक्षा सत्र का आयोजन किया गया।

16.3.3 विधिक मापविज्ञान

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन–उत्पीडन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

16.3.4 राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और शिकायतों के निवारण के लिए, एनटीएच (मुख्यालय), कोलकाता के साथ–साथ एनटीएच के सभी छह क्षेत्रीय कार्यालयों में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय समिति और केंद्रीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी महिला को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का अनुभव न हो। इन समितियों ने इस समस्या को उत्पन्न होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और वे इसे अत्यधिक सावधानी से संभालने के प्रभारी हैं। केंद्रीकृत और क्षेत्रीय समितियों को 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली है और न ही यौन उत्पीड़न का कोई मामला देखा गया है।

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
JAGO GRAHAK JAGO
ज़िद करो, जागरूक ग्राहक बनो!
एक ज़िद
एमआरपी,एक्सपायरी तारीख
देखने के बाद सामान खरीदने की
MRP
MRP
MRP
₹20
Chips
WASHING
POWDER
MRP
₹120

अध्याय–17

पूर्वोत्तर राज्यों में की गई पहल

17.1 मूल्य निगरानी प्रभाग (पी.एम.डी.)

मूल्य निगरानी प्रभाग (पी.एम.डी.) द्वारा 22 आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चाय, चीनी, नमक, वनस्पति, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, दूध, सोया तेल, पॉम ऑयल, सूरजमुखी का तेल, गुड, आलू, प्याज और टमाटर की खुदरा और थोक कीमतों की निगरानी की जाती है जिसके लिए पूर्वोत्तर के 88 केंद्रों नामतः ईटानगर, नामसाई, पासीघाट, तवांग, गुवाहाटी, बारपेटा , तिनसुकिया, धुबरी, गोलपारा, गोलाघाट, मंगलदाई, मुशालपुर, उदलगुरी, बजाली, होजई, जोरहाट, बोंगाईगांव, मोरीगांव, सोनारी, तामुलपुर, शिवसागर, बिश्वनाथ चारियाली, डिब्रूगढ, करीमगंज, माजुली, सोनितपुर, तेजपुर, हाफलोंग, अस–लखीमपुर, दीफू, नलबाडी, दक्षिण सलमारा, मानकाचार, कामरूप, इम्फाल, चंदेल, जिरीबाम, कांगपोकपी, सेनापति, तामेंगलोंग, थौबल, उखरुल, शिलांग, तुरा, जोवाई, सोहरा, मैरांग, नोंगपोह, खलीहरियात, विलियमनगर, नोंगस्टोइन, मावकिरवाट, आइजोल, लुंगलेई, कोलासिब, ममित, चम्फाई, सेरछिप, सियाहा, लांगतलाई, हनाथियाल, ख्वाजावल, सैतुअल, कोहिमा, दीमापुर, तुएनसांग, मोकोचुंग, चुमुकेदिमा, मोन, पेरेन, फेक, त्सेमिन्यु, वोखा, जुनहेबोटो, किफिरे, लोंगलेंग, निउलैंड, शामटोर, नोकलाक, गंगटोक, ग्यालशिंग, नामची, सोरेंग, मंगन, अगरतला, धर्मनगर, बेलोनिया, टीआर–सहित 550 केंद्रों से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। पीएमडी राज्यों में मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी) को मजबूत करने की योजना लागू कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में मूल्य निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए, पीएमडी ने अपनी पीएमसी को मजबूत करने की योजना के माध्यम से वर्ष 2023–24 के दौरान मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की।

मूल्य स्थिरीकरण कोष निधि से ब्याज रहित अग्रिम केन्द्रीय एजेंसियों एवं राज्य स्तरीय कायिक निधि दोनों के लिए दिये जा सकते हैं। राज्य स्तरीय कायिक निधि का निर्माण भारत सरकार एवं राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में साझेदारी पैटर्न के साथ किया जाता है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 है।

असम के राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए 200 करोड रुपये की परिक्रामी निधि के सृजन के लिए दिसंबर, 2019 में असम सरकार को समतुल्य अंशदान के रूप में केन्द्रीय अंशदान के रूप में 75 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त रिलीज की गई। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि प्याज और मसूर दाल के मामले में निधि का उपयोग बाजार हस्तक्षेपनीय गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

नागालैंड के राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए 100 करोड़ की परिक्रामी निधि के निर्माण के लिए अप्रैल 2023 में नागालैंड सरकार को समान योगदान के रूप में केंद्र के हिस्से की पहली किस्त के रूप में 37.50 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। राज्य सरकार ने बताया है कि इस निधि का उपयोग चना, मसूर और आलू के मामले में बाजार हस्तक्षेप गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

17.2 जागरूकता कार्यक्रमः

उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, एनसीएच की नई हेल्पलाइन नंबर 1915, ई–दाखिल, बीआईएस मानकों, एमआरपी, समाप्ति तिथि आदि की विशेषताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीडियो स्पॉट चलाए गए हैं।

17.3 विधिक मापविज्ञानः

आरआरएसएल गुवाहाटी 1 मई, 2009 से नए परिसर से कार्य कर रहा है और विधिक मापविज्ञान के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी राज्यों को सेवाएं प्रदान करता है। विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता/उपकरण अनुदान भी प्रदान किया है।

17.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षण सदन एनटीएच की गतिविधियाँ

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासः

- एनटीएच (एनईआर), गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्राहकों को परीक्षण शुल्क में 50% की छूट दे रहा है ताकि एनईआर के आम लोग किफायती शुल्क पर एनटीएच की सेवा का लाभ उठा सकें और भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन कर सकें।

गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय परीक्षणशाला की गतिविधियाँ

एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी

1. एनटीएच (एनईआर), गुवाहाटी में जल परीक्षण के लिए नई खोली गई माइक्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशाला।
2. गुवाहाटी में नई खुली विद्युत प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक।
3. एनटीएच (एनईआर), गुवाहाटी की रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल जल परीक्षण।
4. 03 नवंबर 2023 को निवारक सतर्कता उपायों पर कार्यशाला सह संवेदीकरण कार्यक्रम।

5. 21 जून 2023 को एनटीएच (एनईआर), गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न।

6. एनटीएच (एनईआर), गुवाहाटी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी:

1. अक्टूबर 2023 के दौरान विशेष अभियान 3.0 के दौरान आउटडोर स्वच्छता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्राहकों की आवश्यकताओं के संबंध में ग्राहक बैठक 31 अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी।

3. 05 जून 2023 को मेरी लाइफ अभियान के दौरान एनटीएच (एनईआर) गुवाहाटी में वृक्षारोपण।

4. 03 नवंबर 2023 को निवारक सतर्कता उपायों पर कार्यशाला सह संवेदीकरण कार्यक्रम।

5. एनटीएच, गुवाहाटी ने 24 से 29 अगस्त 2023 के दौरान राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल गतिविधियों का आयोजन किया।

- बीआईएस, सीआईआई, फाइनर आदि द्वारा आयोजित औद्योगिक कार्यक्रमों में भाग लेकर एनटीएच में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में उपभोग के लिए पीने के पानी की उपयुक्तता के संबंध में एनटीएच (एनईआर), गुवाहाटी द्वारा सरकारी संगठनों और स्कूलों सहित समाज के विभिन्न वर्गों में समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मोबाइल टेस्टिंग वैन द्वारा ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र में मौके पर ही नमूने एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया।

- एनटीएच (एनईआर) गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए "विद्युत प्रयोगशाला" स्थापित करके अपनी सेवाओं को बढ़ाया है। प्रयोगशाला चरणों में बनाई जाएगी। पहले चरण में, एक केबल और उच्च वोल्टेज कंडक्टर परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है, और ट्रांसफार्मर राउटिंग परीक्षण निष्पादन चरण में है, जिसका संचालन वित्त वर्ष 2023–24 में शुरू होने की उम्मीद है।

- एनटीएच (एनईआर), गुवाहाटी में रासायनिक प्रयोगशाला में जल परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधा के उन्नयन के तहत 25.0 लाख रुपये की अनुमानित लागत से "फूरियर–ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एफटीआईआर)" सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।

- पैकबंद पेयजल और उर्वरक के लिए संपूर्ण परीक्षण सुविधाएं विकसित की गईं और नमूनों का परीक्षण शुरू किया गया।

- एनटीएच (एनईआर), गुवाहाटी की माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला ने परीक्षण के नए क्षेत्र के तहत आईएस 14648:2011 के अनुसार "सौंदर्य प्रसाधन और कॉस्मेटिक कच्चे माल" में सूक्ष्म जीवाणु की मात्रा का पता लगाने के लिए एक परीक्षण सुविधा विकसित की है।

- एनटीएच (एनईआर), गुवाहाटी की रासायनिक प्रयोगशाला ने 23 जून, 2023 को बीआईएस के सहयोग से बीआईएस लाइसेंसधारियों के लिए "पैकबंद पेयजल के परीक्षण" पर एक व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। कुल पचास (50) प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

- एनटीएच (एनईआर), गुवाहाटी की रासायनिक प्रयोगशाला कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के साथ तीसरे रेफरी विश्लेषण के रूप में उर्वरकों का गुणवत्ता परीक्षण करती है और इसे कृषि मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पूरे देश में उर्वरकों के परीक्षण के लिए एक रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- एनटीएच, गुवाहाटी कामरूप जिले के गांवों और स्कूलों के लिए हर महीने मुफ्त में पानी का मोबाइल परीक्षण करेगा।

- परीक्षण क्षेत्रों में उनकी मांगों को समझने के लिए ग्राहकों को त्रैमासिक आधार पर ग्राहक बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

- गुणवत्ता परीक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ परीक्षण गतिविधियों के प्रति उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक्सपोज़र विजिट का आयोजन किया जाएगा।

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS

JAGO GRAHAK JAGO

ज़िद करो, जागरूक ग्राहक बनो!

एक ज़िद

ग्राहक के रूप में राष्ट्रीय /राजकीय / जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपनी शिकायतों पर न्यायोचित सुनवाई की मांग करने की एक जिद

अपनी शिकायत ई-दाखिल पोर्टल पर दर्ज करने के लिए स्कैन करें

जागो
ग्राहक
जागो

- चुनने का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- सुनवाई का अधिकार
- सूचित किए जाने का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
- निवारण की मांग करने का अधिकार

सत्यमेव जयते

उपभोक्ता मामले
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
भारत सरकार

कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
वेबसाइटः www.consunmeraffairs.nic.in